राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

मंगलवार

दिनांक 7 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन,)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री माधवसिंह दीवान।

सोजत में पेयजल की व्यवस्था

35. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्बा सोजत में पेयजल की बड़ी भारी समस्या है तथा वहां की जनता खारा पानी पीते रहने से अनेक बीमारियों से पीड़ित हो चुकी है? यदि हां, तो सरकार सोजत में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाने जा रही है?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी **(श्री जयकृष्ण शर्मा)** : सोजत कस्बे में वर्तमान आवश्यकता से कम जल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं वह खारा है। सोजत कस्बे के आस-पास के क्षेत्र की जांच कर समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन हैं। शीघ्र ही इनकी जांच कर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा एवं धन की उपलब्धता के अनुसार जल-स्रोत विकास पर कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन पाते हुए तो बाल सफेद हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : एक भी सफेद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : पता नहीं, तीन-चार सत्र से मेरे को यही आश्वासन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप हुक्म फरमावें तो पिछले सत्र में जो उत्तर दिया गया था उसको मैं पढ़कर सुना दूं। "उपरोक्त कार्य होने से पहले इस वर्ष के अन्त तक पानी की व्यवस्था में और सुधार हो जायगा और उसके लिए किसी और अन्य प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है।" उससे पिछले सत्र में भी इसी तरह का जवाब दिया गया था। जनता खारा पानी पी रही है दो महीने तक पूरा सोजत शहर और वहां का ट्रान्सपोर्ट बन्द रहा था। सरकार का कुछ पता नहीं है। कब तक इस तरह से जनता दुःख पाती रहेगी?

(सिंचाई मन्त्री) **श्री परसराम मदेरणा :** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, योजना 1965 में बनी थी और 68 में पूर्ण हुई। उसके बाद में 73 में, 74 में, 76 में, 78 में, 80-81 में ट्यूबवैल्स ड्रिल किये गये लेकिन पानी की मात्रा में कड़वाहट आई। बरसात के पानी का जो फ्लो होता है उसमें जो कन्टेन्ट्स होते हैं, उनमें मिनरल की मात्रा कम हो जाती है। आप स्वयं जानते हैं कि यह समस्या सोजत की है और सरकार भी इससे चिन्तित है। दो योजनाएं बनायी थीं, एक योजना प्रस्तावित की गई है, अभी वह नीचे के अधिकारियों के स्तर पर है। लेसड़ी और बालसना की योजनायें, इन दोनों में से अन्तिम रूप से होकर कोई कारगर कार्य किया जायेगा। दूसरा, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पाली के सम्बन्ध में भी पानी की समस्या थी तो इस डिफिकल्टी को मीट करने के लिए हैण्ड पम्प भी खोदे लेकिन वे कमीशन नहीं हो सके। जितने कमीशन हुए, उनका पानी कड़वा है फिर भी उनमें से पानी लेते रहे। बाकी 13 हैण्ड पम्प के आदेश दिये हैं कि जयपुर से हैण्ड पम्प ले जा कर लगाये जावें। इसके साथ ही जो लागत में फर्क आता है उसके लिए अर्थाभाव है। मैं सीनियर आफिसर और हाइड्रोलाजिस्ट को आज ही आदेश दे रहा हूं कि सोजत जाकर इस योजना का प्रारूप जल्दी से जल्दी सरकार को प्रस्तुत करें।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : मैं निवेदन करूंगा कि पाली जिले को भी पूरा ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न केवल सोजत नगर के लिए है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

जयपुर जिले में अध्यापकों के स्थानान्तरण

36. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर (प्रथम) ने सत्र 1981-82 में हृदय रोग से पीड़ित कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये तथा कितने अध्यापकों के हृदय रोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नहीं किये ? स्थानान्तरण न होने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार अब इनका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : सत्र 1981-82 में हृदय रोग से पीड़ित निम्न अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं :—

1. तृतीय श्रेणी 20
2. द्वितीय श्रेणी 4

स्थानान्तरण निर्देशों के अन्तर्गत हृदय-रोग से पीड़ित होने के प्रमाण-पत्र अपूर्ण होने के कारण 9 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं। अब वर्तमान स्थानान्तरण निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री अमीन खां : उत्तर ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री देवेन्द्र कुमार मीणा ।

जयसमन्द भील में मत्स्य आखेट

37. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा)** : क्या कृषि एवं पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयसमन्द भील में मत्स्य आखेट के लिए कितनी समितियां बनाई गई हैं ? तथा उन्हें जनजाति निगम द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है ?

(2) क्या मत्स्य आखेट समितियों को अनुदान से किश्त तथा जाल उपलब्ध कराये गये ? यदि हां, तो क्या इसमें घोटाला अथवा गोलमाल करने की शिकायतें हैं ? क्या यह भी सही है कि मत्स्य आखेट की गाड़ी कांटे पर नहीं जाकर चुपके से बाहर निकाली गई ? यदि हां. तो तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? नहीं की गई तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, कृषि एवं पशु पालन

श्री चेतराम मीणा:(1)जयसमन्द भील में मत्स्य आखेट हेतु आदिवासी मछुआरों की 6 मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियां बनाई गयी हैं । राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर को किश्ती एवं जाल के लिए 8,19,847 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ जो आदिवासी मछुआरों को उनकी समितियों के माध्यम से वितरित किया गया ।

(2) जी हां, अनुदान की राशि से आदिवासी मछुआरों को उनकी समितियों के माध्यम से किश्ती एवं जाल उपलब्ध कराये गये हैं । सहकारी समितियों को जाल वितरण करने हेतु क्रय करने के बारे में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसकी जांच भ्रष्टाचार विभाग द्वारा की जा रही है । यह सही नहीं है कि मत्स्य आखेट की कोई गाड़ी कांटे पर चुपके से बाहर निकाली गई है ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के कितने ऑफिसर्स है और कितने नाविकों को लोन दिया है यह बताया जावे ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, 6 समितियों में 569 सदस्य हैं उनको 207 नावें दी गई हैं और 3717 किलो ग्राम जाल दिये गये हैं । 1977-78 में 20, 1978-79 में 93, 1978-80 में 40 और 1980-81 में 54 नावें दी हैं ।

श्री. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोऑपरेटिव सोसायटीज को नहीं बल्कि आदिवासियों को मत्स्य पालन का ठेका दिया गया है? आदिवासियों की माली हालत ठीक नहीं है और कलकत्ता और दूसरी जगह से आकर वहां लोग मछली ले जाकर भाव बढ़ा देते हैं । क्या यह भी सत्य है कि कोऑपरेटिव सोसायटीज के नाम से नान

(श्री सी. पी. जोशी)

कोग्रॉपरेटिव ग्रादमी कमाकर खा रहे हैं ?

श्री चेतराम मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, किसी भी ग्रादिवासी को ठेका नहीं दिया जाता। यह संघ को ग्रधिकार है। सहकारी समितियों के सदस्य मछलियों को पकड़ने के बाद उनको देते हैं, उनको पैसा दिया जाता है ग्रौर वे इसको कलकत्ता में नहीं बेचते। वहीं पर इसके विपणन केन्द्र पर इसका ठेका दिया जाता है ग्रौर फिर वे लोग कलकत्ता ले जाकर बेचते हैं, डायरेक्ट नहीं बेचते। जहां तक यह प्रश्न है कि सीधा ले जाते हैं, मैंने निवेदन किया कि मेरे पास कोई इस तरह की सूचना नहीं है ग्रौर संघ को यह ग्रधिकार नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल सच है कि वहां पर ग्रादिवासियों से डायरेक्ट मछली लेकर विभाग के ग्रादमी, जो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, बेच देते हैं, ग्रौर इसका फायदा ठेकेदारों को मिल रहा है। मन्त्री महोदय, यह बतायें कि क्या यह सच नहीं है कि ठेकेदार मछली डायरेक्ट ग्रादिवासियों से लेकर बाहर भेज रहे हैं ?

श्री चेतराम मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि विभाग के पास इस तरह की सूचना नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य इस तरह का केस बतायेंगे तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा। जो मछुग्रारे मछलियां पकड़ते हैं, वह उनको सीधे विपणन केन्द्र में ले जाते हैं, उनको वहां तोल के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं। यदि वहां का कोई ग्रादमी सही ढंग से न तोले ग्रौर पैसे न दे तो माननीय सदस्य शिकायत करें तो उसकी जांच की जायेगी।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मैं ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सहकारी समितियां हैं उनमें क्या मछुवारे वहीं के हैं या बाहर से ग्राते हैं ग्रौर बाहर ही मछली बेच दी जाती है ? जितनी सोसायटीज काम कर रही हैं, क्या उन्होंने ग्राज तक प्रॉफिट दिया है या नहीं ? ग्रौर यदि दिया गया है तो कितना दिया गया है ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री चेतराम मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक सोसायटी का सवाल है जितनी भी सहकारी समितियां हैं वह सब स्थानीय ग्रादिवासियों की हैं ग्रौर स्थानीय ग्रादिवासी ही उसमें मछलियां लाते हैं, उनको ही सदस्य बनाया जाता है। दूसरे प्रश्न के बारे में निवेदन है कि उनको जो प्रॉफिट होता है, वह 10 पैसे एक किलोग्राम पर या 10 प्रतिशत के हिसाब से उन समितियों को दिया जाता है।

श्री मेघराज तावड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, इसलिये कह रहा हूं कि ग्रादिवासियों को प्रॉफिट का एक भी पैसा ग्राज तक नहीं दिया गया है ग्रौर न उनको

(श्री मेघराज तावड़)

देने की कोशिश की जा रही है और मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उनको प्रॉफिट दिया गया है। वह मुझे बतायें कि कब दिया गया है और कितना दिया गया है? यदि नहीं दिया गया तो उनको लाभ देने के लिये आगे के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चेतराम मीणा : इसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है कि किसको कितना लाभ दिया गया। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसकी जांच कर ली जायेगी कि किस सोसायटी को कितना दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : जयसमन्द झील की छः सहकारी समितियों के सदस्यों को 207 नावें दी गई हैं, 317 जाल दिये गये हैं, लेकिन उनमें से 80 प्रतिशत खराब पड़े हैं। दूसरा निवेदन यह है कि वर्ष 1978-79 और 1979-80, 1980-81 और 82 में जो मछली का विपणन हुआ है, जो 1979-80 में 20.27 प्रतिशत और 1980-81 में 32.37 प्रतिशत था वह 1981-82 में घट कर 19.88 हो गया। क्या इसका कारण यह नहीं है कि कुछ लोग ठेकेदारों के माध्यम से नाजायज रूप से मछलियां निकाल ले जाते हैं और उनका सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय नहीं होता है?

श्री चेतराम मीणा : जहां तक नावों का प्रश्न है, तो जो टूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं उनकी हम रिपेयर करवा लेते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि 1979-80 में अधिक व्यापार हुआ था तो उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि मछलियों के उत्पादन का आधार जयसमन्द झील में पानी है। क्योंकि पिछले 3-4 साल से बरसात नहीं हुई तो उसमें पानी कम हो गया ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नन्दलाल मीणा : पानी हमेशा भरा रहता है।

श्री चेतराम मीणा : उसके अलावा मेन कारण बरसात न होना भी है, क्योंकि बरसात से पानी का बहाव होता है जो कि मछलियों के प्रजनन में सहायता करता है। मादा व नर मछली बहाव के सामने चलती है और तभी प्रजनन होता है। इसलिये बरसात न होने के कारण मछलियों का प्रोडक्शन कम हुआ है और व्यापार कम हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों की जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से इसको उठायें।

(6)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। श्री चन्द्रवीरसिंह।

जैसलमेर से जयपुर व जोधपुर के लिए सीधी बस सेवा

38. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर डिवीजन में कितने जिले हैं? कृपया जिलों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त जिला मुख्यालयों में से जोधपुर के लिए सीधी बस सेवा कौन-कौन से जिला मुख्यालयों से उपलब्ध है?

(3) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर मुख्यालय से जोधपुर के लिए कोई भी सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) जोधपुर डिवीजन के जिला मुख्यालय जैसलमेर से राजधानी जयपुर के लिए कोई भी सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो जिला मुख्यालय को इस बस सेवा द्वारा जयपुर से कब तक जोड़ दिया जायेगा।

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) :(1) जोधपुर डिवीजन में निम्न जिले हैं :—

1. जोधपुर, 2. बाड़मेर, 3. जैसलमेर, 4. जालौर, 5. सिरोही, 6. पाली, 7. नागौर।

(2) उक्त जिला मुख्यालयों में से जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिला मुख्यालयों से जोधपुर के लिए सीधी वाहन सेवायें उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। पर्याप्त यात्री भार की अनुपलब्धि के कारण वाहन सेवा का संचालन बन्द कर दिया गया है।

(4) जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही एवं नागौर जिला मुख्यालयों से राजधानी जयपुर के लिए द्रुतगामी बस सेवायें उपलब्ध हैं।

(5) जी हां। यात्री भार का सर्वेक्षण करवा कर यदि औचित्य हुआ तो सीधी बस सेवा से जोड़ दिया जायेगा।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जोधपुर डिवीजन में सात जिलों में से केवल एक जैसलमेर जिले ने क्या गुनाह किया है कि वह जोधपुर डिवीजन मुख्यालय से भी जुड़ा हुआ नहीं है और जैसलमेर से जोधपुर जाने के लिए कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है? जबकि जोधपुर राज्य का प्रमुख शहर है, वहां हास्पिटल है, हाई-कोर्ट है, अन्य कारणों से भी वहां जाना पड़ता है। क्या कारण है? मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपके प्रश्न संख्या 5 में उत्तर दिया है कि यात्री भार का सर्वेक्षण करवाकर, इसको सीधी बस सेवा से जोड़ दिया जायेगा, यह मैंने आश्वासन दिया है, अगर जयपुर से जैसलमेर को जोड़ दिया जाता है तो जोधपुर रास्ते में आ जाता है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि जोधपुर प्रदेश का प्रमुख शहर है, इस नाते से जो लोग जैसलमेर से जोधपुर जाना चाहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यात्री भार कम होने के कारण यह बन्द करना पड़ा। इसलिये मैंने आश्वासन दिया है कि यात्री भार कम होने के बावजूद भी जैसलमेर को जयपुर से जोड़ दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : कृपया मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि क्या राजस्थान के 27 जिले, जैसलमेर को छोड़कर, सभी जयपुर से जुड़े हुए हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभी जुड़े हुए हैं। द्रुतगामी बसों से केवल जालौर जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कन्डीशन लगा दी है। पता नहीं वह कब सर्वेक्षण करेंगे, कब यात्रियों की संख्या बढ़ायेंगे। यह राजनैतिक भेदभाव कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्दर काफी जिले डीलक्स और सुपर डीलक्स बसों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जोधपुर का एक भी जिला डीलक्स और सुपर डीलक्स बसों से नहीं जुड़ा हुआ है ? हम विधायक बार-बार, 12 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले जो गाड़ी चल रही थी उसको भी बन्द कर दिया गया है। क्या उसको वापस शुरू किया जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या पर्यटन राज्य मन्त्री माननीय यातायात मन्त्री को इस बात के लिये सिफारिश करेंगे कि यह बस सेवा वहां चालू कर दें ?

(8)

राज्य मन्त्री, पर्यटन (श्री नरेन्द्रसिंह-भाटी) : बिलकुल कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

बालक अधिनियम, 1970

39. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि दिनांक 14.11.1981 से सम्पूर्ण राजस्थान में बालज अधिनियम, 1970 को लागू कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों की पालना हेतु पूरा आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

राज्य मन्त्री, विधि (**श्री चेतराम-मीणा**) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री कैलाश मेघावल : क्या यह सही है कि 14.11.1981 से पहले राजस्थान के पांच जिलों जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में बालक अधिनियम लागू था और वहां पर उस समय जो सुविधायें थीं वही आज भी हैं केवल उनके साथ इलाज की व्यवस्था जोड़ दी गई है ?

दूसरे, क्या यह सही है कि बालक अधिनियम की धारा 10 के अनुसार स्पेशल स्कूल का विशेष प्रावधान है और राजस्थान में कहीं भी एक भी विशेष स्कूल बालकों के लिए नहीं खोला गया है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह अधिनियन 14.11.81 से पहले जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर में ही लागू था और पिछले बाल दिवस से यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है । बालक अधिनियम में जो प्रावधान है उन्हें सभी जगह लागू कर दिया गया है । जहां तक माननीय सदस्य ने सैक्शन 10 के बारे में कहा, तो मैं निवेदन करूंगा विशेष विद्यालय जयपुर में स्थित है, जिसमें इस समय स्वीकृत संख्या 25 हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो आपने कहीं नहीं लिखा है, जो आपने विवरण दिया है उसमें । मेरा सवाल बिलकुल साफ था, यदि हां तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों की पालना हेतु आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है ? यदि हां तो कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें । मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । आपने कहा, सभी जिलों में बालकअधिनियम के अन्तर्गत जो गतिविधियां प्रस्तावित थीं वह चालू हो गई हैं ।

श्री चेतराम मीणा : जैसा कि माननीय सदस्य को विवरण दिया गया उसके अनुसार पूरे राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया है । जयपुर में चार जिलों को लगाया है-जयपुर, टोंक, सीकर, झुन्झुनू । अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा एवं नागौर; कोटा में कोटा, बून्दी झालावाड़; जोधपुर में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही एवं जालौर; बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर एवं चूरू; उदयपुर, में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा; और भरतपुर में भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर को लगाया है। इसके अनुसार जो बालक कल्याण बोर्ड का गठन प्रस्तवित है वह भी कर दिया गया है और न्यायालय भी स्थापित कर दिये गये हैं। इसके साथ ही प्रत्येक भाग के लिये एक-एक सम्प्रेक्षण गृह (ऑब्जर्वेशन होम) भी स्थापित किये गये हैं। जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में अलग से प्रबंध किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा निवेदन है कि आपने केवल कागजी कार्यवाही करके जिले बनाये हैं अन्यथा किसी प्रकार की सुविधा नहीं बढ़ाई है। स्पेशल स्कूल के बारे में कोई जवाब नहीं आया। कल ही निष्पादन आय व्ययक 1982-83 समाज समाज कल्याण विभाग का हमें मिला है। क्या यह सूचना सही है ? इसमें लिखा कि "यह अधिनियम राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में लागू है । राजस्थान बालक अधिनियम के अन्तर्गत 5 सम्प्रेक्षण गृह, अभी आपने 7 बताये । "5 सम्प्रेक्षण गृह, एक विशेष विद्यालय .... इसके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य जिलों में बालक अधिनियम योजना लागू की जा रही है।" निष्पादन आय व्ययक 1982-83 में कहा गया है यह सही है या जो आप बता रहे हैं वह सही है ?

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्य 1982-83 की रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं। यह कहां से मिल गई ? अभी तो 1982-83 वर्ष चल रहा और रिपोर्ट तैयार ही नहीं हुई है।

श्री कैलाश मेघवाल : इस सचिवालय से मिल गई।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि केवल कागजी कार्यवाही हुई है, मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर में बोर्ड का गठन हुआ। बालक कल्याण बोर्ड ने जयपुर में 135 मामलों पर और न्यायालय ने 56 मामलों पर विचार किया, अजमेर में बोर्ड ने 112 और न्यायालय ने 48 मामलों पर; कोटा में बोर्ड ने 35 न्यायालय ने 112; जोधपुर में बोर्ड ने 143 व न्यायालय ने 88; बीकानेर में बोर्ड ने 4 व न्यायालय ने 50 व उदयपुर में बोर्ड ने 50 व न्यायालय ने 69 व भरतपुर में दोनों ने 8-8। इसलिये यह कागजी कार्यवाही नहीं है, पूरी तरस से क्रियान्विति हो रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने केवल कागजी कार्यवाही पूरी की है और जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष में 14 नवम्बर, 1981 पर यह दिखाया है, बाकी हुआ कुछ नहीं है। यह निष्पादन आय व्ययक सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। रेफरेंस देकर पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। डा. उजला अरोड़ा ।

जयपुर शहर में कोयले व लकड़ी के बिक्री केन्द्र

40. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)**: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में वन विभाग धोक के कोयले व लकड़ी के बिक्री के कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार की दृष्टि में जयपुर की जनसंख्या के अनुरूप केन्द्रों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनकी संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, वन (**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर**) : (1) जयपुर शहर में लकड़ी व कोयले की बिक्री हेतु एक विभागीय बिक्री केन्द्र तथा राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के अधीन संचालित एक बिक्री केन्द्र स्थापित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के नियन्त्रण में एक और बिक्री केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसके शीघ्र खुलने की संभावना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर नगर की इतनी बड़ी जनसंख्या है, केवल एक ठेका कोयले और धोक की लकड़ी का झोटवाड़ा में है। क्या मंत्री महोदय इसको पर्याप्त समझते हैं ? जयपुर शहर में जवाहर नगर, तिलक नगर या बजाज नगर का कोई आदमी लकड़ी कोयला लेने जाय तो उसको कितनी जगह जाना पड़ता है ? श्री गोटेवाला के घर के पास सड़क नाला टूटा हुआ है। यहां 11 चौकड़ियां हैं, 14 लाख की आबादी है। या तो आप सस्ती दुकानों पर यह व्यवस्था करायें या और दुकानें खोलने की व्यवस्था करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं अपने उत्तर के भाग दो में स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारा जो केन्द्र खुला हुआ है वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो अनुमान लगाया गया है, जयपुर के लिये उसके अनुसार करीब डेढ़ लाख क्विंटल लकड़ी और 75 हजार क्विंटल कोयले की सालाना आवश्यकता पड़ती है। मेरे विभाग द्वारा लकड़ी का उत्पादन 6 लाख क्विंटल और कोयले का उत्पादन 16 लाख क्विंटल है। ऐसी हालत में मुझे सारे राजस्थान के मुख्य-मुख्य स्थानों पर, जिसमें जिला मुख्यालय भी शामिल हैं, सभी जगह जो उपज होती है, उसका वितरण करना पड़ता है और उसको

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

देखते हुये मैं समझता हूं कि जयपुर को पर्याप्त मात्रा में, जो कुछ मेरे पास उपलब्ध है, वह दे रहा हूं। बाकी यह राशन की कॉमोडिटी नहीं, सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि पूरी की पूरी मात्रा राशन की दुकानों के द्वारा उपलब्ध करायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज जो जयपुर की आबादी है उसको देखते हुए कोयले की एक दुकान है वह बहुत कम है उसको बढ़ायी जाय। दूसरे, मेरी जानकारी के अनुसार मुझे यह मालूम हुआ है कि बिहार से कोयले के वैगन आते हैं और इसके साथ-साथ जयपुर के आस-पास के जंगल से लकड़ी काट-काट कर लायी जाती है, पर इसमें लीकेज बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण जनता को बहुत परेशानी होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय जिलाधीश और जयपुर के डी० एस० ओ० को इसके लिए पाबन्द करें जिससे कि वह इसके लिए नियन्त्रण रखें। आज जिस प्रकार की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए तो यहां पर लोगों को श्मशान में जलाने के लिये भी लकड़ी नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसलिये मेरा आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि वह जयपुर की जनसंख्या को देखते हुए उसके अनुपात में लकड़ी और कोयला मंगाकर जनता को मुहैया करावें। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि मन्त्री महोदय जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब आगे क्या-क्या कदम उठाने जा रहे हैं, वह सदन में बतावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, पर्याप्त हो गया, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जितना कोयला मेरे वन विभाग के पास है उसका तो वितरण हमारे विभाग द्वारा किया जा रहा है बाकी कोयले की अगर कमी पूरी करनी है तो रसद विभाग के मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं वह उसकी व्यवस्था करावें। जयपुर में ईंधन की कमी के बारे में मैं पहले ही मेरे उत्तर में कह चुका हूं अतः यह रसद विभाग के द्वारा ही किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ईंधन की बहुत ही कमी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी

(12)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि या तो जनता को ईंधन पूरा दें अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आज जो कुछ कोयला वन विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, क्या वह वितरण वहां से ठीक तरह से कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपने क्या कहा ? दुबारा रिपीट करें।

श्री माधवसिंह दीवान : आप तो जयपुर में कोयले के बीज लाकर दे दो ताकि लोग कोयला पैदा कर सकें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि जो कोयला आप उपलब्ध करा रहे हैं एक स्थान से, वह क्या एक स्थान से ठीक तरह से पूरे जयपुर को कोयला वितरित हो रहा है या आप और दूसरी जगह कोयला वितरण के लिए केन्द्र खोलने को तैयार हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या मन्त्री महोदय जयपुर के अन्दर कोयले के वितरण की और दुकानें अन्यत्र खोलने की व्यवस्था करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कोयला केवल वन विभाग के द्वारा ही वितरित नहीं किया जाता है यह तो अन्य व्यापारियों के द्वारा भी वितरित किया जाता है। व्यापारियों को रसद विभाग के द्वारा टालों पर कोयला अलॉट होता है उसको व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है। मेरे पास तो जो स्टाक है वह बहुत सीमित है इसलिये वन विभाग द्वारा अधिक केन्द्र खोलने का प्रावधान करना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जावें। नैक्स्ट प्रश्न, श्री सुखलाल सैंणचा।

सहायक रजिस्ट्रार पाली के विरुद्ध शिकायत।

41. **श्री सुखलाल सैंणचा** (रायपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री उमरावसिंह चारण, सहायक रजिस्ट्रार, पाली का अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली, एवं विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, पाली के पदों पर कब-कब पदस्थापन किया गया ? अभी वे कहां कार्यरत हैं ?

(श्री सुखलाल सैणचा)

(2) इनकी कहां पर किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं राज्य सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विभिन्न शिकायतें होने पर भी उक्त अधिकारी को बार-बार पाली रखने का क्या औचित्य है ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : श्री उमरावसिंह चारण, सहायक रजिस्ट्रार का अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली, सहायक रजिस्ट्रार, पाली, अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, नागौर एव स्पेशल ऑडिटर, सहकारी समितियां, पाली के पदों पर क्रमश: आदेश क्रमांक 18 (2) कृषि-4/सह/81 दिनांक 21-2-81, 22-8-81, 14-7-82 एवं 5-8-82 के द्वारा पद स्थापन किया गया है।

(2) विभाग में श्री उमरावसिंह चारण, सहायक रजिस्ट्रार के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जांच की जा रही है।

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है उसमें सहकारिता को काफी महत्व दिया गया है ? यदि यह सही है तो क्या उमराव सिंह चारण, जो कि सहायक रजिस्ट्रार हैं, वहां पर को-ऑपरेटिव के कार्यक्रम को बिलकुल ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, बीच-बीच में नहीं बोलें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है उसमें सहकारिता को काफी महत्व दिया गया है। दूसरी बात जो यह कही गयी है कि पाली जिले के अन्दर उसको खतम किया जा रहा है, यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, एक ही व्यक्ति को एक साल के अन्दर सहायक रजिस्ट्रार, पाली; अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग बनाया गया। आखिर इसका क्या कारण है ? जब कि इस व्यक्ति के खिलाफ में बहुत सी शिकायतें की गयी हैं, उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, श्री उमरावसिंह, सहायक रजिस्ट्रार के खिलाफ में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी अभी तक जांच हो रही है और

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

जांच पूरी होने पर अगर उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही करनी होगी तो की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात की जानकारी करना चाहूंगा। क्या सदन में किसी अधिकारी का नाम लेकर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : वैसे तो नाम लेकर आम तौर पर इंगित नहीं किया जाता है पर कभी- कभीनाम भी आ जाता है। पर वैसे आम तौर पर नाम लेकर नहीं पुकारा जाता है।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा प्रश्न सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया था कि मैंने उसमें नाम-जद प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। नैक्स्ट प्रश्न। श्री सुजानसिंह यादव।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

42. श्री **सुजानसिंह यादव**(बहरोड़): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार नियन्त्रित मूल्य की वस्तुओं तथा कपड़ा, चीनी, चावल व मिट्टी के तेल की वितरण प्रणाली में कोई आमूल-चूल परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) उपरोक्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं को समय पर वितरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली वस्तुओं की किस्म घटिया होती है ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति **(श्री घासीराम यादव)** : (1) जी नहीं। नियन्त्रित मूल्य की वस्तुओं की वर्तमान वितरण प्रणाली व्यवस्थित है। वितरण व्यवस्था को उत्तरोत्तर प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में कपड़ा, गेहूं, चीनी, चावल एवं केरोसीन का वितरण समय पर सुचारु रूप से किया जा रहा है। कभी-कभी परिवहन सम्बन्धी तथा अन्य कठि-नाइयों से दिक्कतें हो जाती हैं जिनके निराकरण हेतु समय-समय पर व्यवस्था की जाती है।

(3) जी नहीं।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पेश कर रहा हूं वह यह है कि हमारी गवर्नमेन्ट की एजेन्सीज द्वारा जो गेहूं खरीदा जाता है वह बहुत बढ़िया किस्म का होता है और जो गेहूं राशन की दुकानों पर वितरित किया जाता है वह बहुत ही घटिया किस्म का होता है। मैं बाजार में जाता हूं तो देखता हूं गेहूं बाजार में आता है वह हमारे राशन की दुकानों से गड़बड़ी होने से अच्छा गेहूं तो राशन की दुकानों से हटा दिया जाता है और ऐसा गेहूं वहां पर लाकर दिया जाता है कि जिसको जानवर भी नहीं खा सकते हैं। इसमें मैंने सुना है कि व्यापारी लोग राशन की दुकानों से गेहूं बदल लेते हैं और इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो कपड़ा नियन्त्रित मूल्यों पर गांवों में वितरण करने की जो सरकार ने व्यवस्था की है उसकी तो हालत यह है कि गांवों में वह कन्ट्रोल का कपड़ा कहीं भी नजर नहीं आता है, उसके तो गांवों के लोगों को दर्शन ही नहीं होते हैं और वह ऊपर का ऊपर ही ब्लैक में बेच दिया जाता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो कपड़ा गांवों की गरीब जनता को देने के लिए ही सरकार ने व्यवस्था की है फिर उसके गांव की जनता को नहीं मिलने का क्या कारण है ? इस कपड़े के गांव वालों को दिये जाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? जिस कपड़े का अभी तक वितरण नहीं किया गया है उसके लिए कौन दोषी है ? उनके खिलाफ में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? तीसरे, चीनी की जो व्यवस्था है, उसमें राज्य सरकार के आदेश ऐसे हैं कि जो भी चीनी दी गयी है वह केवल कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को दी गयी है। मगर कहीं-कहीं ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं, कि जहां कोआॅपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं वहां कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को चीनी नहीं देकर इन्डिविजुअल मेम्बर्स को चीनी का वितरण किया जाता है। उस में बड़े बड़े घोटाले हैं। मन्त्री महोदय इस तरफ भी ध्यान दें कि दो तरह की व्यवस्थायें नहीं होनी चाहिए। या तो आप कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत ही चीनी दें या फिर व्यक्तिगत रूप से ही किसी को चीनी दें। मन चाहे जहां सोसाइटीज को दे रखी हैं और मन चाहे जहां इन्डिविजुअल्स को दे रखी हैं। इसलिये मन्त्री महोदय से निवेदन है कि एक ही तरह की व्यवस्था रखें और जो भी चीनी का वितरण हो वह को-आॅपरेटिव के थ्रू होना चाहिए जिससे कई प्रकार के लीकेज और गड़बड़ घोटाले नहीं होने पायें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री सुजान सिंह यादव : ....तीसरे एक निवेदन करूंगा। मिट्टी का तेल है इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां केवल मात्र बहरोड़ ही एक ऐसा स्थान है जहां मिट्टी का तेल मिलता है। वहां पर बीस-बीस और तीस-तीस मील से

(श्री सुजान सिंह यादव)

लोग मिट्टी का तेल लेने के लिए आते हैं। तो मिट्टी के तेल के लिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े कस्बों में मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था करें। ताकि इसके लिए उनको अधिक पैसे नहीं देने पड़ें। मिट्टी के तेल के लिए ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं। इतना ही मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदद से यह पूछना चाहता हूं कि जितनी भी व्यवस्थायें हैं, चाहे वह चीनी की हो, चाहे कपड़े की हो, तेल की हो, गैस की हो या लकड़ी की हो, शहरों के के लिए जो कुछ हो रहा है उसको तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन क्या गावों के लिए कभी सोचा जाता है? क्या यह भेदभाव इसलिए तो नहीं है कि राज्य सरकार में बैठे हुए अधिकांश लोग शहरों में जन्मे होंगे? गांव वालों के वोट लेकर भी उन लोगों को नियंत्रित वस्तुओं का वाजिब कोटा नहीं मिलता है। क्या शहर में बस जाने से ही यह सारी वस्तुएं उपलब्ध होंगी?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मन्त्री जी से मैं यह स्पष्ट कराना चाहूंगा कि नियन्त्रित वस्तुओं के अन्दर भी गांव वाले और शहर वाले में भेदभाव क्यों है? हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, क्या बना रखा है यह?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इतने अनुपूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दे सकता। आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दूंगा। इस प्रश्न को अन्य तरीकों से उठा सकते हैं। आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय एक सप्लीमेन्ट्री। बीकानेर जिले के अन्दर दूरदराज के गांवों में सस्ती दरों की दुकानों से चार-चार और छः-छः माह तक भी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उसकी बार-बार शिकायतें की जाती हैं, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति हो या अन्य दुकानें हों। तो उन शिकायतों के ऊपर राज्य सरकार या विभाग क्या कार्यवाही करता है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : क्या यह बात सही है कि राजस्थान में कन्ट्रोल का कपड़ा पिछले वर्ष से इस बार कम उपलब्ध हुआ है?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दो चार बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है। उसमें बहुत सी बातें सही हैं, यह मैं नहीं कहता हूं और न मेरे पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि एफ० सी० आई जो गेहूं देता है उसको बदल दिया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य इस प्रकार की शिकायत भेजेंगे तो राज्य सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

कपड़े के बारे में विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने भी प्रश्न उठाया दरअसल यह बात सही है कि कपड़ा बहुत से गांवों में नहीं मिला। बहुत कम कपड़ा मिला और कपड़ा रेट के हिसाब से नहीं मिला, उसकी जांच भी चल रही है। जयपुर शहर में यहां तक मालूम पड़ा है कि सारा ही कपड़ा करीब-करीब खराब तरीके का आया, उसकी जांच चल रही है और कार्यवाही की जा रही है। जो कपड़ा हमको मिलता है अब उस कपड़े के भाव तेज हो गए और लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जितना कपड़ा आता है वह लोग लेने के लिए तैयार नहीं है दो तीन महीने से।

चीनी के बारे में कहा गया ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कपड़े की रेट में कितना अन्तर हो गया, जरा बताना।

श्री अध्यक्ष : अगल प्रश्न, नेता महोदय।

श्री घासीराम यादव : कीमत उसकी बढ़ गयी। यह जरूर है, पिछले महीने से कपड़े की कीमतें बढ़ गयी हैं और लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। कपड़े में मुनाफा नहीं है इसलिए कपड़ा पड़ा है। एस.टी.सी. वाले प्रचार करते हैं कि कपड़ा लो, लेकिन लोग ले नहीं रहे हैं।

चीनी के बारे में, यह बात सही है, राजस्थान में सरकार का नियम है कि जहां तक हो सके कोआॅपरेटिव सोसायटी के थ्रू बिकवाई जाये लेकिन कई जगह वह गड़बड़ियां करते हैं और उनकी शिकायतें भी आती हैं। यह भी देखने में आया है कि जिन लोगों को व्यक्तिगत चीनी दी जाती है उसमें वह भी गड़बड़ियां करते हैं। जहां शिकायतें आती हैं उनकी जांच भी की जा सकती है। काफी संख्या में लोगों की व्यक्तिगत रूप से देने का कायदा है और कोआपरेटिव सोसायटीज नहीं लेती हैं तो....

श्री अध्यक्ष : मैं किसी और प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। पर्याप्त है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, यह प्रश्न इतना विस्तृत है कि काफी समय दिया जा सकता है लेकिन मैं और इजाजत नहीं दूंगा :

अनेक माननीय सदस्य : हम घासीराम जी के जवाब से संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य चाहें तो अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं लिया जाये। अगला प्रश्न पुकारता हूं।

श्री भैरू सिंह गुर्जर, श्री शिवदान सिंह,

श्री गोकुलचन्द शर्मा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

43. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची), श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण), श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच चल रही है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले के विधायकों ने अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर श्री महेश्वरी के क्रिया कलापों की शिकायत की है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री चेतराम मीणा) : (1) सूची (प्रपत्र क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, पाली जिले के 6 माननीय विधायकों ने श्री लक्ष्मी नाथ माहेश्वरी अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर के विरुद्ध एक एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें से एक माननीय विधायक ने उस शिकायत को अनर्गल एवं झूठी मानते हुए वापस लेने हेतु पत्र लिखा है। राज्य सरकार ने मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को जांच कराने हेतु आदेश दिए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (1) के बारे में निवेदन करूं कि जो सूची प्रस्तुत की है कि इन-इन के खिलाफ शिकायतें है, तो उसमें महेश्वरी जी का कही नाम नहीं है। महिलायें, जो इन विधायकों को वोट देती हैं, जो राहत कार्यों पर काम करती हैं की शिकायत थी कि उनको बुलाकर श्री महेश्वरी जी रातें रंगीन करते हैं और उनके साथ रेप करते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा है कि जहां अति आवश्यक हो वहीं किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है वरना व्यक्ति के पद के नाम से यहां पर हम कह सकते हैं। व्यक्ति के नाम को खींचना उचित नहीं होता है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिकायत एस. ई. के खिलाफ प्राप्त हुई वह किस दिनांक को प्राप्त हुई और उसमें मुख्य

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

मुद्दा क्या था और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत 10-7-82 की है और इस तारीख के उस पर दस्तखत हैं। मूल रूप से उस प्रपत्र पर तारीख नहीं डाली गयी है लेकिन श्री शिवदानसिंह जी के दस्तखतों के नीचे तारीख 10-7-82 अंकित है। जो मैंने निवेदन किया है कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आरोप निराधार हैं, वह 30-8-82 में हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : क्या उन 6 में से ही हैं या अन्य हैं ?

श्री चेतराम मीणा । उसी में से एक है।

एक माननीय सदस्य : अपने बाद में दस्तखत करवाकर यह कार्यवाही कराई है।

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में निवेदन है कि ...

(व्यवधान)

मेरे से झूठे दस्तखत करवा लिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने शिकायत की जांच करवाई क्या ? एक विधायक को शर्म आनी चाहिए कि जो बिना सोचे समझे गैरजिम्मेदाराना तरीके से दस्तखत करते है। आपको सोच समझ कर दस्तखत करने चाहिए। झूठे कागजों पर दस्तखत करना....

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : शिकायत का मुख्य मुद्दा क्या था ?

(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : दस्तखत करें और लोभ में आकर करें फिर यह कहें कि शिकायत किये दो महीने हो गये। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर आगे कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : शिकायत का मुख्य मुद्दा क्या था ? शिकायत जिस अधिकारी के खिलाफ हमने की, वह अधिकारी हमारे क्षेत्र में जाकर अपने नीचे के अधिकारियों से कहता है, जितनी खूबसूरत महिलायें इस क्षेत्र की हैं उनको मेरे सामने हाजिर कर दिया जाय।

(व्यवधान)

मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कोई अमुक प्रकार की या विशेष प्रकार की शिकायत थी। तो आप अंकित कर देते तो उसका जवाब आ सकता था। आपकी शिकायत लम्बी-चोड़ी हो सकती है। लेकिन इस प्रकार के मान हानि के मुद्दे न उठाये जायं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि माननीय सदस्य, जो मारवाड़ जंक्शन से आये हैं, ने जो आरोप पत्र जिस अधिकारी के विरुद्ध किया है उसमें क्या इस बात का उल्लेख है जिसका माननीय सदस्य ने सदन में जिक्र किया है ?

श्री **चेतराम मीणा** : अध्यक्ष महोदय, यह पत्रावली आपकी सेवा में ...

(व्यवधान)

श्री **शिवदान सिंह राठौड़** : सेवा में क्या होता है ? माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उसमें है कि शराब पीते है, व्यभिचार करते है, तो क्या ये स्पेसिफिक एलीगेशन नही लगाये हैं ?

श्री **भैरु सिंह गुर्जर** : फिर स्पेसिफिक क्या होता है ?

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : विपक्ष के नेता महोदय ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : क्या मंत्री महोदय आरोप पत्र की उस बात को, जिसका सम्बन्ध माना है और माननीय सदस्य ने सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन के रूप में जिसका उपयोग किया है, सदन में पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री **चेतराम मीणा** : अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें तो मै पूरा पत्र पढ़ सकता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक जिम्मेदार माननीय सदस्य ने आरोप लगाये हैं, सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य ने और सदन में भी आरोपों को रिपीट करते हैं तो मैं समझता हूं, आरोपों के बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिये। शिकायत पर जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया है, अगस्त निकल गया, सितम्बर के आज इतने दिन चले गये, फिर भी इतने गंभीर आरोपों की जांच आज तक नहीं हो पाई। बराबर आरोप लगा रहे हैं और आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री **शिवदानसिंह राठौड़** : हमने जो शिकायत की है उसमें बिलकुल स्पेसिफिक चार्जेज हैं। मकान मेन्शन किया है, जगह मेंशन की है, जिस आदमी के द्वारा बुलाया गया, उसका नाम मेन्शन किया है जिन औरतों को बुलाया गया है, उनके नाम मेन्शन किये हैं। फिर बचता क्या है ? मंत्री महोदय छिपा रहे हैं इन सब को।

(व्यवधान)

श्री **भैरु सिंह गुर्जर** : आप बचाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आती है आपको थोड़ी बहुत ?

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : नाम बता दिया, जगह बता दी स्थान बता दिया-फिर क्या चीज बच जाती है ?

श्री भैरुंसिंह गुर्जर : और जब हम मंत्री जी के घर गये तो निवेदन किया....

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच होनी चाहिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस शिकायत को पौने दो महीने हो गये। हम तीन बार मंत्री जी के घर पर गये, कार्यालय में गये, मंत्री जी को याद दिलाई तो उन्होंने यहां तक कहा, जाइये, मैं जांच नहीं करवाना चाहता हूं। निकल जाइये घर से, मैं कोई जांच नहीं करवाना चाहता हूं। शर्म आनी चाहिये, अगर ऐसी बात कहते हैं तो।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। आर्डर, आर्डर।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मंत्री जी खुद जवाब दें न ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : जोइन्ट रेसपॉन्सिबिलिटि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शिकायत पत्र को पढ़ रहा हूं। पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने स्थान का भी उल्लेख किया है। जिस आदमी के मार्फत महिला को बुलाया गया है, उसका भी उल्लेख है, महिला का भी उल्लेख है, तो निश्चित रूप से उच्च अधिकारी को मामला सुपुर्द कर जांच कराई जायगी।

(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : वह तो कर रखा है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) : राज्य सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। निश्चित रूप से घोषणा करिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : एक क्रिमिनल ऑफेन्स बनता है। यह क्रिमनल ऑफेन्स बनता है, अगर इस प्रकार का संकेत है, तो मैं जांच किसी पी.डब्ल्यू डी. अधिकारी के द्वारा करने को नहीं कह रहा हूं। जयपुर से पुलिस अधिकारी भेजकर जांच करवाने की बात कह रहा हूं।

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वयोवृद्ध सदस्य हैं, कृपया शान्त रहिये।

माननीय राजबहादुर जी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी तथ्य सामने आये हैं, उससे ऐसा लगता है कि जुडिशियल एन्क्वायरी होनी चाहिये। एक बात। दूसरी बात, माननीय सदस्य सैणचा साहब ने कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री राजबहादुर : उनसे कहा, दस्तखत करिये और जबर्दस्ती दस्तखत करवाये करवाये गये। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, केवल यह कहा है दस्तखत करवाये हैं। मेरा निवेदन है, चाहे इस ओर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों और चाहे उस ओर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो, इस प्रकार दस्ताख्तकराने से एक विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और गंभीर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। किसी भी माननीय सदस्य से इस प्रकार दस्तखत नहीं कराये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल राहत मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकाल राहत मंत्रीजी, आपने इस मामले की जांच, उच्च पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर करवाने की घोषणा की है। क्या इसको आप कागनीजेबल ऑफेन्स मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह कानून का प्रश्न है या नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे इसीलिये पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कोई चार्ज लगता है तो उसके इन्वस्टीगेशन के बाद ही पता लगेगा कि ऑफेन्स कॉग्नीजेबल है या नहीं है। पहले मैं कैसे कह सकता हूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी नहीं मानते।

श्री परसराम मदेरणा : क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के तहत पुलिस इन्वेस्टीगेशन करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : माननीय सदस्य मे आरोप लगाया है कि गलतफहमी मैंने दस्तखत कराये हैं। पाली में 6 सदस्य गये थे। उन्होंने कहा था कि माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर के यहां जा रहे हैं और शिकायत करना चाहते हैं, तब दस्तखत किये हैं। तब से हमारी गवर्नमेंट का हाल यह है कि, माननीय मंत्री महोदय, as it is सी. पी. साहब की जांच है 10 चक्कर जैतारण के लगाते हैं, गवाहों को तोड़ते हैं। एस ई. को वहां से तबादला दूसरी जगह बैठायें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सस्पेण्ड।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : वहां पर तथ्यों को मिटाया जा रहा है उनको निलम्बित करके जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : मंत्री महोदय, इस बात को स्पष्ट करदें कि 7-10-81 को जो शिकायत की गई उसको इतने समय तक जांच के लिये क्यों नहीं भेजा. इसके पीछे क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि एस. ई. को संरक्षण देकर जोधपुर रखा है ताकि जोधपुर रहकर घूम सके, अपने गवाह तोड़ सके ? आज विधान सभा में प्रश्न लग गया तो आज से तीन दिन पहले जांच के लिये निश्चय किया। हमारा निवेदन है कि मंत्री महोदय एस. ई. को निलम्बित कर हैड-क्वार्टर जयपुर कर दें और उसके बाद एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट से जांच करवाई जाये।

श्री चेतराम मीणा : जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई यह शिकायत मुख्य मंत्रीजी को प्रस्तुत की गई थी वहां से जब मुझे मिली तो मैंने सचिव पी. डब्ल्यू. डी. के लिये लिखा कि इसमें जांच करें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : XXXमुख्य मंत्री के पीछे कब तक रहेंगे ? मुख्य मंत्री ने विभाग आपको सौंप दिये। आप नाकाबिल हैं तो मुख्य मत्रीजी को इस्तीफा दे दीजिये। मुख्य मंत्रीजी को भेज दिया। आप किसलिये बैठे हैं यहां पर ? हमने शिकायत मुख्य मंत्रीजी को भी दी है, आपको भी दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मंत्रीजी का उत्तर पूरा होने दीजिये।

श्री चेतराम मीणा : सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच के लिये भेजा गया। राज्य सरकार ने मुख्य अभियन्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : कब किया ?

श्री चेतराम मीणा : जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : जांच के दौरान वहां जो भी सबूत हैं उनको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : 15-15 दिन तक जैतारण में बैठे रहते हैं।

श्री दुलाराम (रायसिहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं काफी गम्भीर आरोप हैं। पांच माननीय सदस्यों ने एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की क्या उस अधिकारी का स्थानांतरण करके उसकी जांच नहीं करा सकते ?

श्री भैरु'सिंह गुर्जर : नहीं, सस्पेण्ड।

श्री मोहनलाल मोदी : जब तक तथ्य न हों तब तब तक सस्पेण्ड करना तो मैं उचित नहीं मानता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भैरु'सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमारा जवाब नहीं आया। इस प्रश्न का जवाब दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरु'सिंह गुर्जर : एक छोटा सा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भैरु'सिंह गुर्जर : मेरे सवाल का जवाब दिलाया जाये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भैरु'सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, केवल छोटा सा प्रश्न मैंने पूछा है। हमारा तो इतना सा निवेदन है कि उनको निलम्बित करके एन्टी करप्शन से डिपार्टमेंट जांच कराई जाये। माननीय मंत्री महोदय, इसका जवाब दें।

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : विधायक महोदय ने शिकायत लिखकर दी। क्या मंत्री महोदय का कर्तव्य नहीं था, उसको वहां से हटायें ? उसको वहां इस लिये रखा गया है कि वे इसके कहने पर चलते हैं।

श्री दुलाराम : **On a point of order.**

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरुसिंह गुर्जर : हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, आप जवाब दिलायें। उसको सस्पेण्ड करके एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट से जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे प्रश्न को अन्य तरीके से भी उठाया जा सकता है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भैरु'सिंह गुर्जर : विधान सभा के बाद यह मंत्री महोदय धक्के देकर निकाल देते हैं। हमारी बात सुन लें, नहीं तो फिर मंत्री महोदय, के खिलाफ जो भी कदम

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

उठायें उसकी जिम्मेदारी, अध्यक्ष महोदय, हमारी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, आज जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, यदि माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपने नियमों के अन्दर इस तरह का प्रावधान हैं कि इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठाया जा सकता है। आपका यदि प्रार्थना पत्र आयेगा तो मैं विचार करूंगा। प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : यह तो कह सकते हैं कि उसको हटाये बिना जांच करायेंगे। हम तो उसको वहां पर रखेंगे। जांच के लिये यह तो आ जाये कि उसको हटाकर जांच करायेंगे या रखकर जांच करायेंगे कृपया यह तो बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की जो भावनायें थी, वह मंत्री महोदय ने विस्तार से। सुनली वे सोचेंगे।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, 61 नम्बर का क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। महिलाओं का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आपका लिखा हुआ प्राप्त हो गया है मैं इसको देखूंगा। इसके बाद निर्णय दूंगा। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि भूमि सम्बन्धी बेरी आयोग की रिपोर्ट

37. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित बेरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर रही है और क्या इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जायेगा?

(2) इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण एवं अनियमत ढंग से कृषि भूमि आवंटन, अर्जन व नियमितीकरण आदि के आरोप किन-किन के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये हैं? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार बेरी आयोग की सिफारिश के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ सक्षम न्यायलों में मुकदमे दायर करना चाहती है?

उत्तर

(1) हां, कृषि भूमि संबंधित मामलों की जांच के लिए गठित बेरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट से संबंधित मामलों का विस्तृत परीक्षण कराया जा रहा है व रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जा चुकी है।

(2 आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखाई जा चुकी है।

(3) इस रिपोर्ट में वर्णित मामलों का विस्तृत परीक्षण कर इनका न्याय संगत रूप से वर्गीकरण करने हेतु एक समिति गठित की गई, जिसे 30 सितम्बर, 1982 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तत्पश्चात् इन मामलों में आगामी कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

ग्राम संचई तहसील प्रतापगढ़ की आराजी कृषि भूमि का बेचान

38. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम संचई तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नं. 636 से 638 तक की कृषि भूमि करणी माता की जमीन है? यदि हां, तो वर्ष 1976 में उक्त आराजी भूमि को किसने किसे बेचान कर दी? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1976 में पुजारी श्री जगमालदान ने श्री शान्तिलाल पिता तोरीराम कुमावत को बेचान की है।

इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलना

39. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि परिवादों की संख्या, भौगोलिक स्थिति तथा अन्य कारणों से सरकार पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने का विचार रखती है?

(2) यदि हां, तो अभी तक उक्त कार्यालय के नहीं खोलने का क्या कारण है?

(3) अब सरकार यह कार्यालय कब तक खोल देगी?

उत्तर

(1) राज्य के समस्त उपखण्ड अधिकारियों व सहायक जिलाधीशों के न्यायालयों में विचाराधीन वादों व भौगोलिक स्थिति आदि का पुनरावलोकन किया जा रहा है। उपरोक्त पुनरावलोकन के पश्चात

(राजस्व मन्त्री)

मेरिट्स के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(2) समस्त मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) इस स्टेज पर यह बताना संभव नहीं है।

रामगंजमण्डी तहसील में सिंचाई योजना

40. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले आहू नदी की सहायक नदी से रामगंजमंडी तहसील में सिंचाई की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इसके लिए प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति सरकार कब तक दे देगी ?

(3) इस योजना से किस-किस गांव भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तकली मध्यम सिंचाई योजना विचाराधीन है।

(2) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग के अनुमोदन तथा वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही दी जा सकेगी।

(3) इस योजना के पूर्ण होने पर तेतीस गांवों में सिंचाई की जा सकेगी। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

डगोचा तालाब में नहर का ठेका

41. श्री थानसिंह (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सलूम्बर तहसील में डगोचा तालाब में बायीं दायीं नहर का ठेका अरावली बिजनेस कार्पोरेशन, उदयपुर को दिया गया है ?

(2) क्या उक्त नहर का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि दोनों नहरों का निर्माण कार्य पूरा होने पर भी उक्त फर्म को भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां तो, क्यों ?

(4) क्या उक्त कार्पोरेशन ने स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार का किये गये कार्य के अनुसार भुगतान कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बायीं नहर का कार्य पूर्ण हो गया व दायीं नहर का कार्य अधूरा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। ठेकेदार को भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनसे विभाग की वसूली योग्य राशि उनके किये गये कार्य के लिए देय राशि से कहीं अधिक है।

विद्युत मण्डल में वित्तीय संकट

42. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल गम्भीर संकट में है? यदि हां, तो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की जून, 1982 के अन्त तक वास्तविक वित्तीय स्थिति क्या रही?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने जो कार्य किया है और उस पर जो लागत लगी है अभी तक उसका सूद भी अदा नहीं हो पाया है?

(3) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये क्या नीति और योजना बनाई है?

उत्तर

(1) मांग की तुलना में विद्युत की उपलब्धि में कमी के कारण राजस्व आय कम होने से विद्युत मण्डल को वित्तीय कठिनाई अवश्य है, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि विद्युत मण्डल गम्भीर संकट में है। माह जून, 1982 तक की वास्तविक वित्तीय स्थिति का अनुमान वर्ष 1982-83 के लेखों के तैयार होने पर ही लग सकेगा।

(2व3) जी नहीं। वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक अधिकोषणों से विद्युत मण्डल द्वारा लिये गये ऋणों पर वर्ष 1981-82 तक के देय ब्याज का भुगतान कर दिया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त ऋण पर सूद का भुगतान विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 67 में दी गयी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है, अर्थात् संचालन आधिक्य (ग्रोस आपरेटिंग सरप्लस) में से वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक अधिकोषणों से लिये गये ऋणों पर देय ब्याज तथा देय किश्तों की अदायगी एवं अन्य प्राथमिकताओं वाले भुगतान के पश्चात् जो शेष बचता है-उतनी ही सीमा तक राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज का भुगतान देय होता है। यदि शेष नहीं बचता है तो ब्याज का भुगतान भी

(ऊर्जा मन्त्री)

देय नहीं होता। विद्युत मण्डल ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये निम्न नीति एव योजना बनाई है :—

(क) संस्थापन व्यय को वर्तमान स्तर पर बनाये रखने एवं विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या में अततोगत्वा कमी करने के उद्देश्य से रिक्त पदों के पेटे नये कर्मचारियों की भर्ती प्रतिबन्धित (रेस्ट्रिक्टेड) मात्रा में ही की जा रही है।

(ख) गैर-आयोजना प्रशासनिक व्यय में कटौती की जा रही है।

(ग) प्रसारण में विद्युत की क्षति की मात्रा में कमी लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त उच्च—प्रसारण लाइनों के निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

(घ) बिजली की चोरी रोकने के लिये सतर्कता प्रकोष्ठ का पुनगठन किया गया है।

(ङ.) सामग्री के खरीद पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि अनावश्यक व्यय के उपर रोक रहे।

सोजत को 132 के. वी. लाइन से जोड़ना

43. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत को 132 के. वी. विद्युत लाइन से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो लाइन का कार्य किस दिन पूरा किया जा चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सोजत क्षेत्र में विद्युत समस्या को देखते हुये इस लाइन का निर्माण कार्य किसानों की खड़ी फसल में भी किया गया जिससे किसानों को भारी नुकासन उठाना पड़ा।

(3) अब इस ग्रिड सब स्टेशन को चालू करने में क्यों देरी की जा रही है ? यह अब कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बिलाड़ा से सोजत तक 132 के० वी० की लाइन का कार्य 8 फरवरी, 1982 को पूरा कर दिया गया था

(2) यह सही है कि जब लाइन का निर्माण किया गया, उस समय फसल खड़ी थी, पर यह कहना सही नहीं है कि इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ।

(उर्जा मन्त्री)

(3) कुछ विद्युत् उपकरणों जैसे ब्रेकर, ट्रांसफार्मर इत्यादि के उपलब्ध न होने के कारण सोजत में बनाये जा रहे ग्रिड सब स्टेशन को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इन विद्युत् उपकरणों के उपलब्ध होने पर, सब स्टेशन का कार्य सम्भवत: माह दिसम्बर, 82 तक पूरा कर लिया जायेगा।

विद्युत मण्डल में वर्कचार्ज श्रमिक

45. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)-क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में इस समय विद्युत् मण्डल में कितने वर्क चार्ज श्रमिक कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल वर्क चार्ज श्रमिकों को नियमित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को नियमित किया जायेगा तथा कब से ?

(3) वर्कचार्ज श्रमिकों को नियमित करने का क्या मापदण्ड होगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 31.3.1981 को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में डेली वेजेज पर नियुक्त केजुअल श्रमिकों की संख्या 1990 थी एवं इसके अलावा 14,302 वर्क चार्ज श्रमिक ऐसे थे जो दैनिक अथवा मासिक वेतन पर मण्डल में कार्यरत थे।

(2) जी हां। वर्क चार्ज्ड श्रमिकों को नियमित करने के लिये पहले से ही एक प्रक्रिया निर्धारित है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा श्रमिक 2 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर अगली एक अप्रेल को निर्धारित वेतन शृंखला में नियमित किये जाने का पात्र हो जाता है। नियमितिकरण उसके अन्यथा योग्य होने एवं रिक्त पद अथवा नये पद भरने की आवश्यकता होने पर संभव होता है। "सिंह-संचेती" अवार्ड के अधीन विद्युत मण्डल द्वारा ऐसे सभी श्रमिकों को जिन्होंने दिनांक 1.4.80 तक 2 वर्ष निरन्तर सेवा-काल पूर्ण कर लिया हो—नियमित वेतन मान में नियमित किया जा चुका है तथा जिन्होंने दिनांक 1.4.81 को 2 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, उनमें से अब तक 5300 से अधिक को नियमित किया जा चुका है तथा शेष श्रमिकों को नियमित किये जाने की प्रक्रिया चालू है।

(3) वर्क चार्ज व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का मापदण्ड "सिंह-संचेती" अवार्ड के तहत निर्धारित है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक दैनिक वेतन भोगी श्रमिक 31 मार्च को 2 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि संतोषजनक

(ऊर्जा मन्त्री)

तरीके से पूर्ण कर लेने पर अगली एक अप्रेल से नियमित वेतन श्रृंखला में नियमित किये जाने का पात्र हो जाता है।

अकाल ग्रस्त घोषित जिले

45. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर): क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इस वर्ष कौन-कौन से जिले अकाल ग्रस्त घोषित किये गये ?

(2) उक्त जिलों में अकाल राहत कार्यों पर कितने लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराई गई ?

(3) अकाल राहत कार्यों पर जिलेवार कितने लोगों को कार्यों पर लगाया गया व कितनी धनराशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष सं. 2038 में सभी 27 जिलों के 23246 ग्राम प्रभाव ग्रस्त घोषित किये गये। जिलेवार घोषित ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) राज्य के प्रभावग्रस्त जिलों में दिनांक 31.7.82 की स्थिति के अनुसार सहायता कार्यों पर कुल 6,26,764 श्रमिकों का नियोजन किया गया था।

(3) सहायता कार्यों पर जिलेवार नियोजित श्रमिकों की सूची परिशिष्ट 'ख" संलग्न है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार सहायता कार्यों पर अभिकरण वार निम्न प्रकार से व्यय किया गया है :—

(राशि लाखों में)

1. सा. नि. विभाग	4624.95
2. सिचाई विभाग	1609.45
3. वन विभाग	118.16
4. भू-संरक्षण विभाग	223.47

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

डग विधान सभा क्षेत्र में कुओं की खुदाई

47. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू-जल मण्डल विभाग के पास पर्याप्त रिग्स नहीं

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

हैं ? यदि नहीं तो कितनी रिग्स विभाग के पास हैं ? कृपया जिलेवार वितरित की गई रिंग्स की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डग बिधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष मई व जून के महीनों में पीने के पानी की कमी रहती है ? यदि हां, तो कितने रिंग्स मई व जून माह में डग विधान क्षेत्र में कुओं की खुदाई हेतु प्रदान किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की अनुकम्पा करें।

उत्तर

(1) साधारणतया नलकूप खोदने का कार्य जन स्वा० अभि० विभाग द्वारा ही किया जाता है। जन स्वा० अभि० विभाग की जल योजनाओं पर नलकूप बनाने का कार्य विभाग के अलावा पी० डब्ल्यू० डी०, यू० पी० नलकूप निगम एवं सी० जी० डब्ल्यू० बी० द्वारा किया जा रहा है। हैण्ड पम्पों के लिए जिलेवार लगाई गई रिग्स की सूची संलग्न है

(2) जी हां। डग विधान सभा क्षेत्र में माह मई, 82 में एक रिग मशीन हैण्ड पम्पों की खुदाई हेतु लगाई गई थी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बाड़मेर जिले की पेयजल योजना

48. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की पेय जल योजना :—(1) गिराब खड़ीन (2) गढ़रा जैसिधर (3) नीबला गूंणा (4) उन्डू कुम्पलिया सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं ? यदि हां, तो किस कारण ?

(2) क्या यह सही है कि गढ़रा गिराब-खानीयांनी-खुडानी-भीयाड़-उन्डू में 33 के वी. ग्रिड पावर से बिजली उपलब्ध न होने से सारी योजनायें ठप्प सी पड़ी हैं ?

उत्तर

(9) माह मई-जून, 1982 में विद्युत वितरण में हुई अव्यवस्था के कारण इन योजनाओं में व्यवधान हुआ था। जुलाई माह के अन्त से योजनायें पूर्व के अनुसार चल रही हैं।

(2) उक्त योजना में विद्युत अभी 11 के० वी० पावर लाइन से उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें वॉल्टेज का उतार-चढ़ाव अधिक रहता है, जिससे जल योजना भी प्रभावित होती है। इस विषय में 33 के० वी० लाइन होने पर नयी जल विद्युत सम्बन्ध लाइनों में एवं वर्तमान जल सम्बन्ध

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक होंगी।

सीवरेज टैक्स

49. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि राजस्थान सरकार कुछ शहरों में सीवरेज टैक्स लागू करना चाहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके लिए राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज मेनेजमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया है ?

(3) यदि हां, तो इस टैक्स को लगाने के क्या कारण हैं और यह किन-किन शहरों में लगाया जायेगा ? इससे कितनी आय होगी और इसके लगाने का क्या मापदण्ड है।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राजस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज मैनेजमेन्ट बोर्ड का गठन, राज्य सरकार ने पेयजल योजनाओं व सीवरेज योजनाओं के कार्य की गति को सुव्यवस्थित तरीके से तेज करने एवं प्रशासनिक सुविधा के लिए किया है। बोर्ड के कार्यों से राज्य सरकार को पेयजल व सीवरेज व्यवस्था के लिए दरों पर परामर्श देने का कार्य भी शामिल है।

(3) जयपुर, जोधपुर और बीकानेर नगरों में निर्माणाधीन सीवरेज योजनाओं पर धन की लागत का एक बड़ा भाग विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस ऋण की अदायगी के लिए उक्त तीनों नगरों में यह टैक्स लगाया जा रहा है। सीवरेज शुल्क से वर्ष 1982-83 में लगभग 20 लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। सीवरेज शुल्क ऐसे व्यक्तियों से लिया जायेगा जिनके मकान सीवर लाइन से 50 मीटर दूरी के अन्दर पड़ते हैं। यह शुल्क वर्ष 1982-83 में उनके जल शुल्क का 20 प्रतिशत होगा व आगामी वर्षों में जल शुल्क का 50 प्रतिशत होगा। सीवर लाइन से 50 मीटर दूरी के अन्दर सभी मकानों के लिए यह शुल्क अनिवार्य होगा। यह आय सीवरेज योजना के संधारण का खर्च उठाने के लिए आवश्यक है।

मुस्लिम कब्रिस्तान की भूमि का मामला

50. श्री नरपत राम बरवड़ (सूरसागर) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूरसागर, जोधपुर में नौ बीघा सात बिस्वा भूमि

(श्री नरपतराम बरवड़)

मुस्लिम कब्रिस्तान की आई हुई है जो राजस्व अभिलेख में भी दर्ज है ? यदि हां, तो वक्फ बोर्ड में बोर्ड में केवल 38,600 वर्ग फीट भूमि ही क्यों दर्ज है ?

(2) क्या वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सर्वे की गलती को जनहित में सुधारा नही जा सकता ?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि का पुनः सर्वे करवाकर विवाद समाप्त करना उचित मानती है ? यदि हां, तो इस विवाद को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा तथा नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बागा (सूर सागर) में खसरा नम्बर 559 में 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि कब्रिस्तान की भू अभिलेख में दर्ज है। वक्फ बोर्ड ने सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ही 38,600 वर्ग फीट क्षेत्र कब्रिस्तान घोषित किया है।

(2) वक्फ कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा गजट में प्रकाशित कब्रिस्तान का क्षेत्रफल उस समय कसी के द्वारा आपत्ति न उठाये जाने के कारण वक्फ एक्ट के प्रावधान अनुसार अब फाइनल तथा एवं कनक्लूजिव है।

(3) नगर दण्डनायक जोधपुर ने विवाद ग्रस्त दोनों पक्षों को सुनकर उनकी सहमति से कब्रिस्तान की नई सीमा निर्धारित कर दी है और पत्थरगढ़ी भी कर दी गई है। क्योंकि यह भूमि खालसा है। अतः वर्णित कब्रिस्तान के उपयोग के लिए मुस्लिम समुदाय को घोषणात्मक (डिक्लेरेटरी) वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की हिदायत भी कर दी गई है।

राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार रूल्स के अन्तर्गत रिटर्न

51. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् सीमा में स्थिति बीड़ी निर्माता उद्योगपति राजस्थान बीडी एण्ड सिगार वर्कर्स (कंडीशन्स ऑफ एम्पलायमेंट) रूल्स, 1969 के नियम 32 के अन्तर्गत फार्म नं. 11 व 12 के द्वारा मासिक रिटर्न एवं वार्षिक रिटर्न नियमित प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ?

(2) यदि नहीं तो, बीड़ी निर्माता फर्म रामसिंह शंकरसिंह ने फार्म नं 11 के द्वारा मासिक रिटर्न माह अप्रेल 81 से जुलाई, 82 तक एवं फार्म नं 12 के द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 का वार्षिक रिटर्न कब प्रस्तुत किया ? कृपया इन मासिक रिटर्न एवं वार्षिक रिटर्न की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या सरकार इन रिटर्न्स की सत्यता एवं प्रामाणिकता पर विश्वास करती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) फर्म रामसिंह शंकरसिंह ने फार्म नं 11 के द्वारा मासिक रिटर्न माह अप्रेल, 81 से जुलाई, 82 तक निम्न दिनांकों को प्रस्तुत किया है :—

माह	प्राप्ति दिनांक
1. अप्रेल, 81	8.5.81
2. मई, 81	4.6.81
3. जून, 81	9.7.81
4. जुलाई, 81	10.8.81
5. अगस्त, 81	5.9.81
6. सितम्बर 81	13.10.81
7. अक्टूबर, 81	5.12.81
8. नवम्बर, 81	5.12.81
9. दिसम्बर 81	11.1.82
10. जनवरी, 82	9.2.82
11. फरवरी, 82	4.3.82
12. मार्च, 82	12.4.82
13. अप्रेल, 82	14.5.82
14. मई, 82	17.6.82
15. जून, 82	15.7.82
16. जुलाई, 82	10.8.82

वार्षिक रिटर्न :—

वर्ष 81-82 27.4.1982

रिटर्न की प्रतियां सदन के पटल पर रखना लोकहित में आवश्यक नहीं है।

(3) जी हां, जब तक अविश्वास करने के कोई कारण प्रकट न हों।

अजमेर में अवैध बीड़ी निर्माण

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कण्डीशन्स ऑफ एम्पलायमेन्ट) एक्ट एवं राजस्थान वर्कर्स (कंडीशन्स आफ एम्पलायमेन्ट) रूल्स के प्रावधानों के प्रतिकूल बहुत बड़े पैमाने पर अवैध बीड़ी निर्माण का कार्य चल रहा है ? यदि नहीं, तो लाइन्सेस प्राप्त कारखानों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद् सीमा अजमेर में इन लाइसेन्स प्राप्त बीड़ी निर्माताओं के अलावा बहुत बड़ी संख्या में अन्य व्यक्ति बीड़ी पत्ता एवं बीड़ी तम्बाकू का आयात करते हैं? क्या नगर परिषद् की चुंगी वसूली रिकार्ड से उन लोगों की जानकारी पर अवैध बीड़ी निर्माण के बारे में जांच की गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई संस्थान सरकार के ध्यान में नहीं है। लाइसेन्स प्राप्त संस्थानों की सूची निम्न है:—

1. रामसिंह शंकरसिंह
2. ठाकुर मल रेवा चन्द
3. प्रेमचन्द इन्द्रसिंह
4. त्रिलोक चन्द हंसराज
5. जनता बीड़ी फैक्ट्री
6. खण्डेलवाल ब्रदर्स
7. गोपाल बीड़ी वर्क्स
8. सेवल बीड़ी वर्क्स
9. दिनेश पटेल
10. मोतीलाल सम्पतलाल
11. झवरी लाल प्रकाश चन्द
12. माधो लाल राम नाथ
13. सूरज मल शिव बक्श
14. चूहड़ दी शेर छाप बीड़ी

(2) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद् के रिकार्ड की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

अन्त्योदय योजना का नवीन स्वरूप

53. श्री राजबहादुर (भरतपुर): क्या एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना संगठन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अन्त्योदय योजना लागू होने से इसके नवीन स्वरूप में अब तक वर्ष वार एवं जिलेवार कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा इस योजना पर जिलेवार कितना-कितना व्यय किया गया?

उत्तर

अन्त्योदय योजना वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ हुई थी व 1980-81 में समाप्त कर उसके स्थान पर एक वृहद् योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से चालू की गई। इस कार्यक्रम में लाभान्वित व्यक्तियों की वर्षवार एवं जिलेवार संख्या व किया गया व्यय संलग्न तालिकाओं में दिया गया है। वर्षवार उद्देश्यवार लाभान्वित परिवारों की संख्या भी अलग तालिका में संलग्न है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य बीज निगम द्वारा बीज का क्रय

54. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य बीज निगम को बीज प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय बीज निगम से क्रय करना चाहिये ? यदि हां, तो शंकर ज्वार का बीज प्राइवेट पार्टियों से क्यों क्रय किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य बीज निगम के शंकर ज्वार के बीज के कम अंकुरित होने की आम शिकायत है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी ?

(3) क्या जिन किसानों को बेचा गया बीज प्रयोगशाला द्वारा अवमानक कोटि का घोषित कर दिया गया है, उन किसानों को मुआवजा दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि गत सत्र में मन्त्री महोदया ने बीज अंकुरित न होने या कम अंकुरित होने पर बीज निगम से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को मुआवजा दिया गया ?

(5) क्या केन्द्र सरकार ने इस खरीफ में शंकर ज्वार का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत 60 प्रतिशत कर दिया है ? यदि हां, तो केन्द्र से यह सूचना कब प्राप्त हुई तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को किस तिथि को सूचित किया गया ?

(6) राज्य बीज निगम की शंकर ज्वार का औसत अंकुरण प्रतिशत तथा राष्ट्रीय बीज निगम की शंकर ज्वार का औसत अंकुरण प्रतिशत कितना कितना रहा ?

उत्तर

(1) सामान्यत: राज्य बीज निगम को बीज प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय बीज निगम से ही खरीदना चाहिए। किन्तु बीज का क्रय एवं विक्रय एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज का अधिक मूल्य लिया जाता है एवं समय पर पूरी मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं करवाए जाने के परिणामस्वरूप काश्तकारों को उचित मूल्य पर एवं समय पर बीज उपलब्ध करवा पाना सम्भव नहीं होता। इन्हीं कारणों से बीज निविदाओं से खरीदा गया वह सम्बन्धित राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया था। साथ ही इस बीज के उत्पादन एवं विधायन का भी निगम के प्रतिनिधियों द्वारा समय पर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया गया।

(2) जी नहीं, कम अंकुरण की आम शिकायत नहीं है। ऐसी शिकायत कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में जांच आरम्भ कर दी गई है।

(कृषि मन्त्री)

बीज के नमूने भी परीक्षण हेतु राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे गए हैं।

(3) जो बीज प्रयोगशाला द्वारा अव-मानक पाया गया उसके बदले दूसरा बीज निशुल्क उपलब्ध करवा दिया गया। कुल 158 कृषकों को 23·58 क्वि० बीज बदल कर दे दिया गया है। पूर्ण जांच होने के पश्चात् मुआवजा देने हेतु आवश्यक कार्य-वाही की जाएगी।

(4) जी हां, ऐसा आश्वासन दिया गया था। इस सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा विवरण एकत्रित किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां, केन्द्र सरकार ने रवी 81-82 में उत्पादित शंकर ज्वार के प्रमाणित बीज का न्यूनतम अंकुरण 60% कर दिया है इसकी सूचना दिनांक 21-5-82 को प्राप्त हो गई थी। निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों को इसकी सूचना 20-7-82 को दी गई। इससे पूर्व इसलिए सूचना प्रसारित नहीं की गई कि समस्त ज्वार बीज का अंकुरण 75% से अधिक था।

(6) जिन लोट्स के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई उनका औसत अंकुरण प्रतिशत कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच करवाने पर 62·66% पाया गया। छः लोट्स जिनकी जांच करवाई गई एवं परिणाम प्राप्त हो चुके हैं, की अंकुरण क्षमता 55%, 60%, 61%, दो की 62% एवं 76% पायी गयी। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वितरित की गई शंकर ज्वार का औसत अंकुरण प्रतिशत के बारे में निगम को जानकारी नहीं है।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना

55. श्री नाथसिंह (बांदीकुई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 1981-82 में तथा 1982-83 में अनुदान तथा ऋण का कितना-कितना प्रावधान रखा गया ?

(2) इस धनराशि में कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद में किस-किस प्रक्रिया से व्यय की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में केन्द्र व राज्य को मिला कर 17·00 करोड़ रुपये अनुदान व 25·00 करोड़ 50 लाख रुपये ऋण वितरण का प्रावधान रखा गया।

वर्ष 1982-82 में 18·00 करोड़ 80 लाख रुपये अनुदान व 20·00 करोड़ 32 लाख रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य है।

(2) इस धनराशि में से वर्ष 1981-82 में 15 करोड़ 98 लाख रुपये अनुदान के रूप में व्यय हुआ तथा 23 करोड़ 40 लाख

(कृषि मन्त्री)

रुपया ऋण वितरण हुआ। इससे 1, 21, 576 गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया। जिनको निम्न मदों में ऋण व अनुदान दिलवाकर लाभान्वित किया गया :—

(1) कृषि क्षेत्र :—
 (1) बैल जोड़ी
 (2) ऊंट
 (3) बैलगाड़ी/ऊंटगाड़ी/भैंसागाड़ी
 (4) भू-संरक्षण इत्यादि

(2) पशुपालन :—
 (1) गाय इकाई
 (2) भैंस इकाई
 (3) भेड़ इकाई
 (4) बकरी इकाई
 (5) बतख इकाई/सूअर इकाई

(3) लघु सिंचाई :—
 (1) नये कुएं बनवाना
 (2) पुराने कुओं को गहरा करवाना
 (3) पम्पसेट लगवाना
 (4) सिंचाई जलोत्थान
 (5) एनीकट/फार्म पोन्ड्स

(4) ग्रामीण व्यवसाय व ट्राइसम :

इस कार्यक्रम में लाभ देने के लिए गरीब परिवारों को उनकी आमदनी को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओं के माध्यम से चयन किया जाता है। बैंकों द्वारा ऋण अर्जियां बनवाई जाती हैं व अनुदान की राशि जिला ग्रामीण अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 1982-83 में माघ अगस्त, 82 तक 2 करोड़ 56 लाख रुपये अनुदान के रूप में व्यय किया गया है जिनसे 18154 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

टोंक स्थित बस स्टेण्ड पर सुविधायें

56. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि टोंक जिला मुख्यालय पर राज्य परिवहन निगम बस स्टेण्ड पर सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय एवं यात्रियों के के बैठने की यथेष्ट व्यवस्था नहीं है?

(2) अब उपरोक्त के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था कब तक करदी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में निगम की वाहनें टोंक स्थित जिस बस स्टेण्ड से संचालित की जा रही हैं वह नगरपालिका का है। जहां यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय एवं मूत्रालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है।

(यातायात मन्त्री)

(2) निगम द्वारा स्वयं आधुनिक बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु टौंक शहर में भूमि अयाप्ति के प्रयास जारी हैं। जिसके मिलने तथा निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर आवश्यक सुविधाओं सुसज्जित बस स्टेण्ड का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

पंचायत मुख्यालयों को बस से जोड़ना

57. **श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची), श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारा)।** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की खारची, देसूरी व रानी पंचायत समितियों की किन-किन ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर अभी तक आवागमन के लिये कोई बसें नहीं आ जा रही हैं ?

(2) इन पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई व भविष्य के लिये क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(3) ये पंचायत मुख्यालय कब तक बस सेवा से जोड़ दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) इन पंचायत समितियों की जिन-जिन ग्राम पंचायतों को अभी तक बस सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके नाम निम्नानुसार हैं :—

1. **पंचायत समिति देसूरी :—**

1. केसूनी 2. बड़ोद 3. कोठरी 4. मांडीगर 5. इन्द्रबाडा

2. **पंचायत समिति खारची :—**

1. कराडी 2. चोकड़िया 3 बासनी

3. पंचायत समिति रानी

1. सालेटिया 2. जीवन्द कला 3. इन्द्रा चारवान

(2) जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उपरोक्त ग्राम पंचायतों को बस सेवा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर को भिजवा दिये गये हैं अब शीघ्र ही इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जाकर मामले को प्राधिकार की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

(3) सर्वेक्षण हो जाने के बाद शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

झालावाड़ जिले में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन

58. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :** क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन स्थानों पर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा

(श्री बालचन्द्र आर्य वीर)

निर्मित भवन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई तथा पंजीकरण हेतु पृथक पृथक स्थानों पर कितने लोगों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

(2) भवानी मण्डी तथा सुनेल में आवासन मण्डल की आवासीय योजना की क्या प्रगति है ? मकानों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराने का प्रस्ताव है ?

(3) आवासीय योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी तथा सुनेल में भवन निर्माण करके उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है। झालावाड़ में 44, भवानी मण्डी में 267 तथा सुनेल में 343 व्यक्तियों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) (अ) भवानी मण्डी में प्राप्त की जाने वाली भूमि के लिए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) एवं 9 (1) की अधिसूचनायें जारी हो चुकी है। अब केवल भूमि का कब्जा ही लेना बाकी है जो शीघ्र ही ले लिया जावेगा। (ब) सुनेल में भूमि अवाप्ति के लिए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) की विज्ञप्ति का प्रारूप राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(3) भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण आवासीय योजनायें प्रारम्भ करने में विलम्ब हो रहा है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर भूमि उपलब्ध होगी जिसके पश्चात् योजना की क्रियान्विती की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

लार्ज एरिया मल्टी पर्पज सोसायटी कार्यक्रम

59. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में चल रहे लार्ज एरिया मल्टी परपज सोसायटी कार्यक्रम (लेम्पस) में किन-किन सहकारी समितियों को किस किस लेम्पस् में मर्ज किया गया है। कृपया प्रत्येक की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अरनोद लेम्पस् में मर्ज सहकारी समितियों का रेकार्ड अब तक लेम्पस् को नहीं सौंपा गया है ? यदि नहीं, तो सौंपे गये सहकारी समितियों में से किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध ऋण बकाया है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़-गढ़ में वर्तमान में चार लेम्प्स कार्य कर रहे हैं जिनमें मिलाई गई समितियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र. स.	नाम लेम्प्स	मिलाई गई ग्राम सेवा सह. स.
1.	अचलपुर लेम्पस्	
		1. मनोहरगढ ग्राम सेवा सह. स.
		2. अमलावद ग्राम सेवा सह. स.
		3. सुहागपुरा ग्राम सेवा सह. स.
		4. खरोट ग्राम सेवा सह. स.
2.	कुलमी पुरा लेम्पस	
		1. कुलमी पुरा ग्राम सेवा सह.स.
3.	अरनोद लेम्पस	
		1. अरनोद ग्राम सेवा सह. स.
		2. जाजली ग्राम सेवा सह. स.
		3. साखयली खुर्द ग्राम सेवा सह. स.
4.	दलोट लेम्पस	
		1. रायपुर ग्राम सेवा सह. स.
		2. दलोट ग्राम सेवा सह. स.

(2) जी नहीं । विलीनीकृत समितियों के जिन सदस्यों में विलीनीकरण के समय का ऋण बकाया है उनकी सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पाली जिले में भूमि विकास बैंक की शाखा

60. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत), श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा मात्र पाली में ही होने के फलस्वरूप किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि सोजत सिटी में उक्त बैंक की शाखा खोलने की मांग काफी समय से रही है ? यदि हां, तो शाखा नहीं खोलने में क्या अड़चन रही है तथा अब शाखा कब तक खोल दी जावेगी ?

(3) क्या उक्त बैंक की कोई शाखा मारवाड़ जंक्शन में है ? यदि नहीं, तो क्या वहां शाखा खोलने का औचित्य है ? यदि है, तो शाखा कब तक खोल दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा मात्र पाली में ही है परन्तु किसानों की दिक्कतों

(सहकारिता मन्त्री)

को ध्यान में रखते हुए एक शाखा जैतारण में पिछले 10 वर्षों से क्रियाशील है। तथा 2 नई शाखा सोजत एवं फालना में खोलने हेतु प्रस्ताव रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को भेजे जा चुके हैं।

(2) बैंक से प्रस्ताव प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् दिनांक 18.11.81 को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया स्वीकृति हेतु पठाए जा चुके हैं, स्वीकृति प्राप्त होने पर शाखा खोल दी जावेगी।

(3) मारवाड़ जंक्शन में बैंक की शाखा नहीं है। बैंक से शाखा खोलने के प्रस्ताव आने पर पर ही औचित्यता को ध्यान में रखते हुए शाखा खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

सवाईमाधोपुर से ग्राम श्यामपुरा तक सड़क

62. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर से ग्राम श्याम पुरातक सड़क बनाई गई थी ? यदि हां, तो गत वर्ष बाढ़ आने से उसमें कितना नुकसान हुआ है ? उसको अभी तक पूर्ण नहीं करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि बाढ़ तथा अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान को ठीक करने हेतु भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को राशि उपलब्ध कराई गयी है ? यदि हां, तो जिला सवाईमाधोपुर की सड़कों को अब तक ठीक नहीं कराने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्ष बाढ़ से कि० मी० 9, 11 व 16 में नुकसान हुआ था जिसे ठीक करने के लिए लगभग 5.74 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। धनाभाव के कारण मरम्मत का कार्य अभी सम्पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

(2) बाढ़ तथा अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान को ठीक करने हेतु भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कुछ राशि उपलब्ध कराई गई थी। सवाई-माधोपुर जिले की सड़कों को ठीक करने हेतु 37 लाख रुपये 30 सड़कों की मरम्मत करने हेतु आवंटित किये गये हैं तथा उन सड़कों की मरम्मत करा दी गई है परन्तु धनाभाव के कारण सवाईमाधोपुर श्यामपुर सड़क की सम्पूर्णमरम्मत नहीं कराई जा सकी है।

पंचायत समिति सुल्तानपुर (कोटा) में सड़क निर्माण

63. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(1) गत 2 वर्षों में कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में किन-किन माध्यमों से कितनी कितनी धन राशि से कितनी किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य हुआ ?

(2) क्या विभाग ने पंचायत समिति सुल्तानपुर क्षेत्र का सड़क निर्माण हेतु कोई सर्वे कराया है ?

(3) यदि हां, तो उसके तहत सड़क निर्माण कार्य शुरू न करवाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों (80-81) एवं (81-82) में पचायत समिति सुल्तानपुर क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में 118.1 लाख रुपये खर्च कर 41 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य कराया गया।

(2) पंचायत समिति सुल्तानपुर क्षेत्र में एक सड़क तावेड से सुल्तानपुर का सर्वे करवाया गया है।

(3) उपरोक्त सड़क चम्बल कमाण्ड के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है और द्वितीय चरण (फेज-2) सड़क के निर्माण की योजना अभी विचाराधीन है।

आदिवासी काश्तकारों को निःशुल्क लकड़ी

64. श्री थानसिंह (सलूम्बर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने आदिवासी काश्तकारों को हल, जूड़ा व खूंटे जूड़ा आदि के लिये निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने की कोई नई नीति निर्धारित की है ?

(2) यदि हां, तो नीति निर्माण के बाद जनजाति क्षेत्र में सरपंच की तस्दीक पर कितने काश्तकारों को यह लाभ दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस दिशा में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण इस नीति से किसी भी आदिवासी काश्तकार को लाभ नहीं मिला है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कोई नई नीति निर्धारित नहीं की गई है। केवल उपलब्धता के आधार पर आवंटन की प्रणाली पुनः निश्चित की गई है।

(2) उपरोक्त प्रणाली राज्यादेश दि. 22.5.82 से ही प्रचलित की गई है। लेकिन इस अल्पावधि में भी इसे क्रियान्वित करने के प्रयास किए गए हैं एवं धरियावद तहसील में कई आदिवासियों को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाभ दिया गया है।

(वन मन्त्री)

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सवाईमाधोपुर में वन विभाग द्वारा लकड़ी लाने का परमिट

65. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर मे वन विभाग द्वारा सिर पर लकड़ी लाने का परमिट दिया जाता है? यदि हां, तो यह प्रथा कितने समय से चालू है तथा प्रति वर्ष कितने मजदूरों को परमिट दिया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 82 जून व जुलाई, में विभाग द्वारा लकड़ी का परमिट देना बन्द कर दिये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किया है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पूर्व की भांति सिर पर लकड़ी लाने वालों को पुनः परमिट जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) (i) जी हां ।

(ii) यह प्रथा 1963 से चालू है ।

(iii) प्रति वर्ष माह जुलाई से पूर्व 300 परमिट लकड़ी मजदूरों को दिये जाते हैं ।

(2) जी हां । प्रति संलग्न है ।

(3) जी हां । दिनांक 17.7.82 से पुनः परमिट देना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

66. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमन्डी), श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़क से सम्बन्ध जोड़ा गया तथा 1982-83 में कितने तथा कौन-कौन से एवं किस स्थान से पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार है?

(2) झालावाड़ एवं कोटा जिले के कितने पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़ दिये गये हैं तथा 1982-83 में कितने तथा कौन-कौन से मुख्यालयों का सड़क से सम्बन्ध जोड़ दिया जायेगा । कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में ग्राम पंचायत

46

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

मुख्यालयों को पक्की सड़क से जोड़े जाने की कोई अलग से योजना नहीं थी वर्ष 1982-83 में भी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की कोई अलग योजना नहीं है।

(2) झालावाड़ जिले के 77 एवं कोटा जिले के 92 पंचायत मुख्यालयों को मार्च, 82 तक सड़कों से जोड़ दिया गया था। वर्ष 1982-83 में झालावाड़ में एक तथा कोटा में 4 मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की योजना है।

जैसलमेर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन

67. श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही है? कृपया नाम व ग्रामवार सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार के पास निर्धन व निराश्रितों व वृद्धजनों के कल्याण हेतु कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में 712 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है

(2) वृद्ध एवं अशक्त निराश्रित व्यक्तियों के लिये पुष्कर एवं टोंक में एक एक वृद्ध एवं अशक्त गृह चलाये जा रहे हैं। अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावास

68. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कुल कितने-कितने छात्रावास विगत 5 वर्षों में कब-कब कहां-कहां खोले गये हैं? वर्ष एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में अंकित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु मास्टर प्लान

69. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार (ट्राइबल एरिया) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का विचार कर रही है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं ।

(2) सम्बन्धित विभागों ने मास्टर प्लान सर्वे पश्चात् तैयार किये हैं, सर्वोत्तम कार्यों की निरन्तर प्रक्रिया होने के फलस्वरूप वर्ष विशेष अंकित करना सम्भव नहीं है ।

सर्किट हाउस, अजमेर में अनेक्सी एवं आवासगृह का निर्माण

70. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सर्किट हाउस, अजमेर के विस्तार हेतु अनेक्सी एवं मैनेजर के आवास गृह का निर्माण कराया गया है ?

(2) यदि हां, तो इनके निर्माण हेतु कब निविदा सूचना द्वारा टेण्डर आमन्त्रित किये गये और किस-किस ने टेण्डर प्रस्तुत किये, किसका टेण्डर स्वीकार किया जाकर निर्माण हेतु एग्रीमेंट किया गया ?

(3) निर्माण कार्यों हेतु टेण्डर आमन्त्रित किए तब कितना व्यय होना अनुमानित था और इनका निर्माण कार्य कब पूरा होना था ?

(4) निर्माण कार्यों का ठेका दे देने के बाद मूल अनुमानों से कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि किस-किस कारण से की गई और इसमें निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कुल कितनी लागत बैठेगी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(5) क्या यह निर्माण कार्य नियत अवधि में पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो कब कब किस किस कारण से समयावधि बढ़ाई गई और कब तक पूर्ण होकर यहां आवास चालू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सर्किट हाउस अनेक्सी के लिये निविदा सूचना द्वारा दिनांक 28-11-78 को टेण्डर आमन्त्रित किये गये व मैनेजर सर्किट हाउस के आवास गृह के लिये दिनांक 20-2-80 को निविदा आमन्त्रित की गई । सर्किट हाउस अनेक्सी के लिये केवल एक ही टेण्डर, मैसर्स चावला कन्स्ट्रक्शन क० का प्राप्त हुआ जिसको स्वीकृत किया

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

गया व मैनेजर आवास गृह के लिये तीन टेण्डर फर्म (1) मैसर्स आशुदानी कन्स्ट्रक्शन कं० अजमेर, (2) मैसर्स चावला कन्स्ट्रक्सन कं०, अजमेर (3) मैसर्स अशोका कन्स्ट्रक्सन कं०, अजमेर के प्राप्त हुये जिसमें न्यूनतम दर मैसर्स चावला कन्स्ट्रक्सन कं० की थी जिसको स्वीकृत किया गया।

(3) अनेक्सी के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु० 5,92,000·00 थी। व यह कार्य दिनांक 2-2-80 को पूर्ण करना था। मैनेजर आवास गृह की अनुमानित लागत रु० 49,000·00 थी व इसको दिनांक 20-2-81 को पूर्ण करना था।

(4) सर्किट हाउस अनेक्सी का ठेका देने के बाद निम्न कारणों से अनुमानित लागत में वृद्धि की गई जिसकी स्वीकृति दिनांक 17-5-80 को रु० 8,0,6000·00 के लिये दी गई :-

1. अनेक्सी सर्किट हाउस को मेन बिल्डिंग से जोड़ने के लिये एक लिंक ब्रिज बनाना आवश्यक था।

2. इस स्थिति पर गलत की मिट्टी होने की बजह से नींव गहरा ले जाना पड़ा व नींव को चौड़ा भी करना पड़ा।

3. इमारती सामान, सीमेन्ट व लोहे की कीमतों में वृद्धि होने से निर्माण कार्य संशोधित स्वीकृत राशि में ही पूर्ण हो जायेगा। मैनेजर आवास गृह का ठेका देने के बाद निम्न कारणों से अनुमानित लागत में वृद्धि की गई जिसकी स्वीकृति दिनांक 22.9.80 को रुपये 84,000·00 के लिये दी गई।

(i) पूर्व में यह आवास गृह टाइप (4) जिसमें दो कमरे होते हैं, बनाना था लेकिन बाद में इसको टाइप (3) में बदल दिया गया जिसमें तीन कमरे होते हैं। यह कार्य भी संशोधित स्वीकृत राशि में पूर्ण हो जायेगा।

(5) अनेक्सी निर्माण कार्य निम्न कारण से समयावधि में पूर्ण नहीं हो सका। अब यह कार्य माह सन्, 82 में पूर्ण हो चुका है और आवास के लिए उपलब्ध करा दिया गया है :—

(1) संशोधित स्वीकृति के अनुसार कार्य में वृद्धि होने से,

(2) भराव वाली मिट्टी इसकी नींव के लिए काफी टेस्ट किये गये जिससे निर्माण स्थल तय होने में देरी हुई।

(3) अनेक्सी के मुख्य सर्किट हाउस बिल्डिंग से जोड़ने वाले लिंक ब्रिज के लिए कई वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण किया था। इसके स्थल को निश्चित करने में समय लगा। मैनेजर आवास गृह का कार्य भी कार्य में वृद्धि होने के कारण समयावधि में पूर्ण नहीं हो सका। यह कार्य भी माह जून,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

82 में पूर्ण हो चुका है और आवास के लिये उपलब्ध करा दिया है।

राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर वृक्षारोपण

71. श्री भैरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर काया से परसाद तक वृक्ष लगाने के लिए कितने खड्डे खोदे गये हैं एवं कितने पेड़ लगाये गये और कितने पेड़ अभी हाल में खड़े हुए हैं ?

(2) वर्ष 1980 से अब तक खड्डे खोदने, पेड़ लगाने एवं उसके रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील के मंगरोप व हमीरगढ सैक्टर में पिछले कई दिनों से किसानों को बिजली न मिलने के विषय में,

(2) श्री मेघराज तांवड़ व श्री त्रिलोक सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले की जे० के० टायर फैक्ट्री में सीटू के मजदूरों के साथ की जा रही जबर्दस्ती व मारपीट की घटना के विषय में,

(3) श्री चन्द्रवीर सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम बीदा जिला जैसलमेर में पाकिस्तान के कुछ डकैतों द्वारा गत 15 मई को की गई लूट-पाट के विषय में,

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र के मालबमोरी गांव में नालियों का निर्माण न होने से गांव में पानी भर जाने के विषय में,

(5) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर की हिरण मगरी क्षेत्र में नगर विकास न्यास की जमीन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे किये जाने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा नगर में स्वच्छ पानी न मिलने तथा बरसाती पानी से नगर में पीलिया का प्रसार होने के विषय में,

(7) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर की तहसील कोलायत, नोखा, लूणकरणसर व बीकानेर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का भुगतान पिछले 6 माह से मजदूरों को न मिलने के विषय में,

(8) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से नगर पालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में लोगों के पास पट्टे होने के बावजूद एस० डी० ओ० द्वारा उन्हें भूमि रूपान्तरण का नोटिस देने के विषय में,

(9) श्री सोहनलाल बंसीवाल व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 9 अगस्त को भरतपुर के जाटवों के मोहल्ले में मकानों को जलाने, सम्पत्ति लूटने व हरिजनों के साथ मारपीट की घटना के विषय में।

इस विषय पर श्री नाथूसिंह व श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की भी सूचना दी गयी है।

(10) सुश्री पुष्पा जैन व श्रीमती कमला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से चिकित्सा हेतु लाई जा रही एक महिला को जनाना अस्पताल, जयपुर के पास पुलिस द्वारा मारना-पीटना व इससे महिला की गर्भवती हालत में मृत्यु हो जाने के विषय में,

इस विषय में श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की भी सूचना प्राप्त हुई है।

(11) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 12 मई को ग्राम पंचायत बरवास तहसील टोड़ारायसिंह, जिला टोंक के सरपंच द्वारा एक लड़के को बंधक बनाकर उसे गायब कर देने की घटना के विषय में,

(12) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर नगर में सिटी बस सेवा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(1) श्री लच्छूराम व श्री मालाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला झुंझुनू में कम वर्षा होने के कारण तारीख की फसल नष्ट हो जाने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला झालावाड़ में तिलहन व मक्का की फसल नष्ट होने के विषय में,

(3) श्री महाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना ग्रव्यावहारिक होने से जनता को उसके लाभ न मिलने के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास ग्रावश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

निम्नांकित प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं, ग्रत मैं इन्हें स्वीकृति देने में ग्रसमर्थ हूं। इन पर सदन में कोई चर्चा भी नहीं होगी :—

(1) श्री नन्दलाल मीणा-श्री डेलिया पिता जीवा मीणा, निवासी पटेलिया, पुलिस थाना सुहागपुरा तहसील प्रतापगढ जिला चित्तौड़गढ की पुलिस सिपाहियों द्वारा पिटाई,

(2) श्री रामकिशोर मीणा-सिकराय के तहसीलदार श्री कल्याणसहाय के विरुद्ध शिकायतें,

उक्त दोनों प्रस्तावों को ग्रावश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के पास भिजवाया जा रहा है।

(3) श्री महावीर प्रसाद-श्री रमेश कुमार मेहरा, साइट इन्जीनियर, रीको, सवाई माधोपुर द्वारा पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना। इस मामले में सम्बन्धित पक्ष ग्रावश्यक कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

ग्रब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने ग्रस्वीकार किया है, ग्रौर जिन माननीय सदस्यों के मैं नाम पुकारू, वह ग्रपनी बात दो मिनट में कह दें।

श्री लच्छूराम व श्री माला राम।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री मालाराम (खेतड़ी) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिला राजस्थान

(व्यवधान)

के खाली हो जायेगा....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा कल....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैंने ग्रवसर दिया है। ग्रार्डर प्लीज। वह बोल रहे हैं, मैंने उनको ग्रवसर दिया। कृपया, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मेघराज तावड : मैं एक बात कहना चाहता हूं। वहां झगड़ा है। ग्राप

(श्री मेघराज तावड़)

जानकारी करने के लिए गवर्नमेंट से कहें। वह लोग कल भी आये थे। झगड़ा कांकरोल में....

श्री अध्यक्ष : पहले आप इनको बोलने दीजिए, इसके पश्चात् मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री मालाराम : झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आज तक 10 अंगुल भी बारिश नहीं हुई है और फेमिन का जितना भी पैसा मिला वह सारा का सारा लेप्स हो गया।

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्यगण। आर्डर प्लीज।

श्री मालाराम : तो, अध्यक्ष महोदय, वहां का पशुधन और वहां के जितने भी मजदूर हैं, वह हरियाणा और पंजाब में भाग रहे हैं। मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके लिए किसी भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि आज तक 10 अंगुल बारिश भी नहीं हुई है। झुंझुनू जिले में चारे और अनाज की भयंकर कमी है। वहां जितना भी फेमिन का काम चला वह मुश्किल से 15-20 दिन चला, और मैं फेमिन मन्त्री जी से भी 2-3 बार मिला, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 10-20 गांव में तो 5 अंगुल, 4 अंगुल बारिश भी भी नहीं हुई है आज तक और वे लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उनको न तो मजदूरी मिलती है, और न चारे का साधन है। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां कोई भी रोजगार खुलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम, श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री अनंग कुमार-इनमें से कोई एक को इजाजत दूंगा, फसल नष्ट होने के बारे में। श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : जो मैं बोलना चाहता था उसमें व्यवस्था के बारे में आपसे मिल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन नहीं रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : व्यवस्था के बारे में मैं आपसे मिलूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

तावड़ साहब, आप क्या कहना चाहते थे? सरकार से जानकारी चाही है, यह जानकारी आने दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने सरकार से जानकारी चाही है, भरतपुर के विषय में, यह इतना महत्वपूर्ण कांड हो गया, सरकार स्वयं वक्तव्य देकर सदन में आती....

श्री अध्यक्ष : वह तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब आपने याद दिला दिया

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए उनसे जानकारी ले रहे हैं और व्यवस्था करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जानकारी तो सबको है, आपको है, उनको है। आप वक्तव्य दे दें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। सारा प्रदेश आज उससे आक्रान्त है। कृपया आप तो कुछ कर दें ताकि सम्बन्धित व्यक्ति की कार्यवाही की जा सके वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी है कि वह कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन मेरा निवेदन है कार्यवाही तो वह पक्ष करे। सवाल सबसे बड़ा आज यह है....

श्री अध्यक्ष : इसमें चर्चा नहीं होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय रोजाना महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसके कारण इतना प्रोत्साहन असामाजिक तत्वों को मिल रहा है कि आये दिन हत्याएं हो रही हैं, विभाग कोई काम नहीं करता, नियम ताक पर रख देते हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आर्डर, आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें, कृपया। अंकित नहीं हो रहा है। आप इसको अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं। बैठ जायें, कृपया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यक्तिगत मामला है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार दीर्घायें फिर खाली हैं, कल भी हमने आपसे कहा था पत्रकारों के बारे में, आपने कहा था कि उत्तर दिलवायेंगे, यहां पर मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे। पत्रकार दीर्घाएं खाली हैं तो किस तरह से सदन चले? आप कब वक्तव्य दिलाने वाले है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मान्यवर, पहले वक्तव्य दिला दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 के तहत....

श्री अध्यक्ष : वह मेरे ध्यान में है। मायनीय सदस्य, उसमें मैं अवसर दूंगा। आप पहले बोलना चाहेंगे ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल पांच मिनट में। मैं तो बहुत ही सामान्य बात केवल आपकी और सदन की जानकारी में लाना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान शिक्षक संघ ने पिछले सेशन के समय में भी अपना एक आन्दोलन 18 तारीख को प्रारम्भ किया था और उसी आन्दोलन के तहत सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलन में कूदे। पे कमीशनकी जो रिपोर्ट थी, उनके सम्बन्ध में हड़ताल के समय राज्य सरकार ने उनसे विशेष एग्रीमेंन्ट किया था कि ये ये बातें मानेंगे। लेकिन आज दिन तक उनको भी नहीं माना गया, न उनके बारे में कुछ विशेष हुआ। इसी इसी तरह से शिक्षा मंत्रीजी को उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया था, उस पर कुछ बातचीत हुई थी ; शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के विभाग ने कुछ मांगों के बारे में स्वीकृति दे दी थी कि यह तरीका रहेगा, यह ट्रांसफर की नीति रहेगी, यह सब कुछ रहेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि वे फिर दो दिनों से धरना लगाए बैठे हैं। मामूली, छोटी सी बात के लिए बैठे हैं कि जो समझौता राज्य सरकार लिखित में करती है, जो समझौता शिक्षा मंत्री लिखित में करता है वह उसकी अवहेलना करते हैं, वह उसको मानते नहीं हैं और ट्रांसफर्स राज्यादेश से नहीं हो रहे हैं, पिछले दरवाजे से केवल मौखिक आदेशों के द्वारा राजस्थानके विभिन्न कोनों के अन्दर अध्यापकों के ट्रांसफर्स आज बेरहमी से किये जा रहे हैं। सरकार में हिम्मत है तो सामने आए और राज्यादेश निकाले। लेकिन चन्दनमलजी और शिक्षा मंत्रीजी की एक और खूबी है कि वह सीधे रास्ते नहीं चल करके चोर रास्ते के आधार पर शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। उनकी जो मांगें ये मान चुके है, जिनके बारे में ये समझौता कर चुके है उनको आज ये देने को तैयार नहीं हैं। उसके कारण से आज राजस्थान शिक्षक संघ वाले धरना दिए बाहर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री उनसे बात करें और बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, इसमें आपने कोई पूर्व में सूचना नहीं दी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा नाम है, साहब।

श्री अध्यक्ष : सब को इजाजत नहीं दूंगा। एक आ गए हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सबसे ज्यादा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वह कोटा जिले में है जहां पर राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर तबादले किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका इसमें नाम नहीं है। आप गलत बोले, माननीय सदस्य। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि महावीर जी ने रखा है जो सवाल, यह महत्वपूर्ण था। यह दहेज से सम्बन्धित प्रश्न है। दहेज के कारण क्या हो रहा है, आप जानते है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उनको आप दो मिनट का समय दे दें। केवल आपको एक बात कहनी है, दहेज के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है, औरतें मर रही हैं।...

श्री अध्यक्ष : यह व्यक्तिगत मामला है इसलिए कतई में इजाजत नहीं दूंगा। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको कानून में चाराजोई करने का अधिकार है, इसलिए मेरी मजबूरी है। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो सरकार को कायदे से सूचित करें, उस पर कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : महिलाओं को तो केवल आप ही प्रोटेक्शन दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य।

आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जावें।

(व्यव ान)

माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायें कृपया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उपधारा 5 के अन्तर्गत श्री आई. डी दुआ, लोकायुक्त द्वारा वर्ष 1977-78 के दौरान उनके द्वारा कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में पंचम वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऊर्जा मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वर्ष 1980-81 का वार्षिक लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम मीणा, समाज कल्याण राज्य मंत्री जी।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की छब्बीसवीं रिपोर्ट 1978-79 का भाग 1 व भाग 2 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि लोक सभा में सन् 79-80 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

श्री चेतराम मीणा : यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन संविधान के आर्टिकल 338 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह कमिश्नर का उत्तरदायित्व है कि पालियामेंट के दोनों सदनों में रखे। संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्य विधान-सभाओं मे यह रखा ही जावे और न यह राज्य सरकार की ड्यूटी है कि यह मालूम किया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने तो यह पूछा है कि आपने जिस आधार पर, जिस प्रक्रिया के अनुसार यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी है तो सदन यह मान कर चले कि यह लेटेस्ट रिपोर्ट है और इसके आगे कोई प्रतिवेदन कहीं भी प्रस्तुत नहीं हुआ है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को यही लेटेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उप स्थापन। मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधीकरण) (संशोधन) विधेयक 1981 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को राज्यपाल को ज्ञापन देने से रोकना एवं पत्रकारों द्वारा राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का बहिष्कार

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य। बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में राज्यपाल महोदय को पत्रकारों व गैर पत्रकारों द्वारा ज्ञापन देने जाते समय उनके जुलूस को रोकने व उनके विरोध में पत्रकारों द्वारा राष्ट्रपति जी के जयपुर प्रवास के कार्यक्रमों के बहिष्कार के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

विपक्ष के नेता और 19 अन्य माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी और इसी के साथ-साथ श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है और श्री कैलाश मेघवाल ने नियम 295 के अन्तर्गत भी एक प्रस्ताव दिया है। इसके लिए समय निश्चित कर दिया जावे।

इसके लिए पौन घण्टा निश्चित किया जाता है जिसमें सरकार का वक्तव्य और माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहेंगे वह कह देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पौन घण्टे में क्या होगा, साहब ?

श्री अध्यक्ष : अभी देख लेते हैं। मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दिनांक 30 अगस्त, 1982 को बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में पत्रकारों और हॉकर्स एवं कम्पोजिटर्स का एक मिला-जुला जुलूस जयपुर शहर से रवाना होकर सिविल लाइन क्षेत्र तक पहुंचा। यह जुलूस राज भवन तक जाना चाहता था। प्रशासनिक कारणों मे परम्पराओं के आधार पर एवं शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु सिविल लाइन में रेजीडेंसी की ओर से जाने वाले जुलूसों को सदैव रेलवे क्रॉसिंग पर ही रोक दिया जाता रहा है। इसी के अनुसार इस जुलुस को भी रेलवे क्रॉसिंग पर रोक कर और आगे न बढ़ने हेतु कहा गया। मगर वे लोग जुलूस को राज भवन तक ले जाने की बात पर अड़े रहे और उन्होंने नारे लगाना प्रारम्भ कर दिया। जुलूस के आयोजकों से यह निवेदन किया गया कि वे राज्यपाल महोदय के पास अपना एक प्रतिनिधि मण्डल ले जा कर मिल सकते हैं और यदि राज्यपाल महोदय जुलूस में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों से मिलना चाहेंगे तो सभी को राज भवन आने की स्वीकृति दे दी जाएगी। तत्पश्चात् राज भवन में पूर्व निर्धारित अपॉइन्टमेंट एवं प्रतिनिधि मण्डल की निश्चित संख्या के अनुसार इस जुलूस के प्रतिनिधि मण्डल को, जिस में श्री के.सी. सोंधी, श्री मैनन, श्री बी.एल. शर्मा, श्री गांधी एवं श्री वशिष्ठ थे, राज्यपाल महोदय से मिलने राजभवन तक जाने दिया गया।

इस साधारण सी घटना के पीछे ना तो पत्रकारिता जगत में कार्य करने वाले लोगों का अपमान करने की भावना थी और न ही राज्यपाल महोदय के पास उनको अपना बात पहुंचाने से रोकने का

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

प्रयत्न था। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेद का विषय है कि राज्य सरकार के प्रेस से सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध होने के बावजूद पत्रकारों ने राष्ट्रपति जी की राजस्थान यात्रा के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। स्वस्थ परम्पराओं के आधार पर प्रेस की बहबूदी में राज्य सरकार का सदैव प्रयास रहा है और राज्य सरकार सदैव की भांति प्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने में दिलचस्पी रखती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप आखिर में बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उस दिन धारा 144 लगी हुई थी वहां? अध्यक्ष महोदय, सिविल लाइन्स में किन्ही व्यक्तियों को तभी रोका जा सकता है झुण्ड बनाकर जाने से, जब धारा 144 लगी हो। वरना डेलीगेशन्स जाते हैं, 15-15, 20-20, 25-25 किसानों का झुण्ड मिलने जाता है। लेकिन उस दिन चूंकि पत्रकार जा रहे थे और, अध्यक्ष महोदय, लगातार जब से यह बिहार का प्रेस विधेयक बना है, मैं यह मानकर चलता हूं कि यह प्रेस का गला घोटना है, उसकी लेखनी को तोड़ने का एक प्रयास है सरकार का।

अध्यक्ष महोदय, प्रेस को दो तरह से काबू में किया जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अंकुश लगाया जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इमर्जेंसी में डायरेक्टली अंकुश लगाया गया था लेकिन अब केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस तरह का प्रयास कर रही हैं कि धीरे-धीरे कुछ इस तरह का कानून बनाया जाये, जिससे प्रेस पर और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगे, विचार अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जा सके। जब बिहार ने यह कानून बनाया उस पर होना तो यह चाहिये था, जिस तरह से बंगाल विधान सभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया और केन्द्र सरकार को भेजा, राष्ट्रपति महोदय को भेजा कि इस बिल पर साइन नहीं करें, अपनी सहमति नहीं दें इस बिल पर। उसके विपरीत राज्य सरकार ने यह काम किया जब कि पत्रकारों का शांतिपूर्वक जूलूस जा रहा था, पत्रकार राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे, पत्रकारों में कोई गुण्डा व्यक्ति नहीं था, उनका कोई व्यवहार अशोभनीय नहीं था, सब रेस्पांसिबल आदमी थे, इस बात को आप कह रहे हैं। राजस्थान की प्रेस जितनी रेस्पांसिबिलिटी दिखाती है आजकल के जमाने में, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान

(श्री नाथूसिंह)

में प्रेस ने, पिछले दिनों का यदि इतिहास देखें, हमारा लोकतांत्रिक इतिहास है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका, जितना सराहनीय कदम, जितनी रेस्पांसिबिलिटी दिखायी है, शायद ही किसी ने दिखायी है। अध्यक्ष महोदय, चाहे भागलपुर का कांड हो, चाहे बंधक मजदूरों का सवाल हो, चाहे अंतुले का भ्रष्टाचार हो, चाहे गुण्डूराव का भ्रष्टाचार हो, चाहे जगन्नाथ मिश्र का भ्रष्टाचार हो, जितना पोलिटिशियंस, शासक और प्रशासक मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं उसकी पोल प्रेस ने खोली, जनता की इनडायरेक्टली बहुत बड़ी सेवा की। किस तरह से लोगों की आंखे फोड़ी जा रही हैं, किस तरह से बंधक मजदूर जीवन-यापन कर रहे हैं, उसका भण्डाफोड किया जनता में। उसके कारण सरकार को लगा, तो शासकों और प्रशासकों ने मिल कर इस प्रेस का क्योंकि यह जनता में असलियत लाना चाहती है, गला घोंटा, और इसलिये केन्द्र सरकार के इशारे पर बिहार सरकार ने बिल बनाया विधेयक बनाया। अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार सारे स्टेट्स को पत्र भेजे कि इस बिहार प्रेस विधेयक पर जनता क्या सोचती है, जनता की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, जनता उद्वेलित है या इसको स्वीकार कर लेगी ? क्या आप भी इस तरह का प्रेस बिल ला सकते हैं ? इस तरह की तैयारी करने के डायरेक्शंस राज्य सरकारों को दिये गये। मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी यहां बैठे हुए है, वह बतायें, क्या केन्द्र सरकार से इस तरह का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? मेरी सूचना के अनुसार ऐसा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। आपने मेरा नाम पुकारा इसलिये मैंने आपको याद दिलाया है। संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है....

श्री अध्यक्ष : मैंने पौन घंटे का समय निश्चित किया है इसके लिये। लेकिन उसमें कई अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे, इसलिये कृपया थोड़े में अपनी बात कहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रेस के बारे में जो कानून बनाया जा रहा है जगह-जगह और सरकार की तरफ से छिपी-छिपी जुबान में जो बातें आ रही हैं, जो प्रेस विधेयक, बिल बना उसका उद्देश्य पीत पत्रकारिता से बचना बताया गया। खास तौर से बिहार प्रेस विधेयक को लेकर चर्चा शुरू हुई है, उसमें बताया गया है कि पीत पत्रकारिता के कारण यह बिल लाया जा रहा है, यह ऐसी पत्रकारिता से बचने के लिये है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ बैठे हुए लोग जो पीत पत्रकारिता की बात करते है, उन से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की पुत्र वधु, आजकल तो वह विरोध में हैं,की सूर्या मैगजीन थी, उसमें सुरेशराम....

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना जो विचारणीय विषय है, उसी को ओर इंगित करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह जो पीत पत्रकारिता की बातें करते हैं और कहते हैं कि हम यह विधेयक इसलिये ला रहे हैं, जब सुरेश राम के अश्लील फोटो छपे थे सूर्या मैगजीन में, तब श्रीमती गांधी ने नहीं कहा कि पीत पत्रकारिता है, तब सरकारी पक्ष के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि पीत पत्रकारिता है। अध्यक्ष महोदय, आज जब मुख्य मंत्रियों के भ्रष्टाचारों का भण्डाफोड़ किया जाता है, या जनता पर जो अत्याचार किये जाते है उन बातों को जब रेस्पांसिबल प्रेस जनता के सामने लाती है तो सरकार कहती है, पीत पत्रकारिता है, यह तो अपोजिशन से मिले हुए हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आज बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में, चाहे सरकार की तरफ के व्यक्ति हों, चाहे विरोध के जो प्रेस की स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को ऐसा करना चाहिये था जिससे कि पत्रकारों की कलम सलामत रहे, उनकी कलम मजबूत हो, उनका साहस बढ़े, और चीजों का भण्डाफोड़ कर सकें, और निर्भीक होकर ऐसे मामले सामने लायें। इसलिये होना तो यह चाहिये था कि एकमत से कन्डम करें इस बिहार प्रेस विधेयक को, लेकिन उसके विपरीत जो जुलूस शांतिपूर्वक जा रहा था, राज्यपाल महोदय से मिलने के लिये, उसको वहां रोका गया, बिना धारा 144 के····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : और इतना ही नहीं, उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। गोटेवाला जी ने जो बयान दिया, मुझे खेद है, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। यानि पत्रकारों के ऊपर ज्यादती हो जाये, जुल्म हो जाये और सरकार को कुछ पता नहीं चले, जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो। मैं समझता हूं उसके बाद भी पत्रकारों के साथ, ऊपर से आप शो करना चाहते हैं, हमारे मधुर संबंध हैं लेकिन अन्दर से आपके दिल में बहुत बड़ा पाप है, दबाना चाहते हैं प्रेस को।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस दिन धारा 144 थी? धारा 144 सिविल लाइन्स में नहीं लगी तो क्या उस जुलूस को रोकने का अधिकार किसी पुलिस आफिसर को था? यदि नाजायज रूप से, गैर कानूनी रूप से किसी ने पत्रकारों के जुलूस को रोका तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप हाउस के लीडर होने के नाते साहस दिखाइये। प्रेस आपकी पूजा करेगी, हिन्दुस्तान की जनता आपकी पूजा करेगी, यदि आप साहस दिखायेंगे। कांग्रेस (आई) के जितने मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने किसी ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिये, लोकतंत्र के लिये इतना बड़ा कदम नहीं उठाया, आप उठाइये। लीडर ऑफ हाउस होने के नाते हाउस के अन्दर रिजोल्यूशन

(श्री नाथूसिंह)

लाइये कि हम इस बिहार विधेयक को कन्डम करते हैं, इसको राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दें और इसे सर्व सम्मति से पास करके राष्ट्रपति महोदय को भेजें। आपकी इसमें शान बढ़ेगी, और तभी पता लगेगा कि आप प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अन्यथा मैं यह समझूंगा कि आप प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं, प्रेस का गला घोटना चाहते हैं और पत्रकारों पर अत्याचार करने में आपकी सहमति थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 295 के तहत यह सूचना दी थी कि मैं बिहार प्रेस विधेयक का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। कल मैंने वह सूचना इसलिये दी थी कि कल उस प्रेस बिल को आधार बना कर यहां के पत्रकारों ने हमारी विधान सभा की प्रेस गैलेरी का बहिष्कार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार का जो प्रेस विधेयक है, मोटे तौर पर उसमें जो बातें आयी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वकील रहे हैं, उनके ऊपर मैं पहले जाना चाहता हूं। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 292 में एक उप धारा और जोड़ी गई है। दण्ड प्रक्रिया की जो धाराएं हैं उनमें संशोधन किया गया है। वह धारा जोड़कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पीत पत्रकारिता की परिभाषा दी गई है, अश्लील बातों की परिभाषा दी गई है, चरित्र हनन की बातों की परिभाषा दी गई है, और उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि जो इस तरह की खबरें प्रकाशित करेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले अपराध में दो साल की सजा और दूसरे अपराध में पांच साल की सजा होगी। यह पहले ही थे, डेफिनेशन थी, अश्लील फोटोग्राफ्स और अश्लील लिट्रेचर के बारे में प्रावधान थे, सारे प्रावधान मौजूद थे, लेकिन बिहार में न केवल यह किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके यह भी किया गया कि यह काबिले दखलन्दाजी पुलिस है और नाकाबिले जमानत है—जमानत भी नहीं होगी। यह एक लेजिस्लेशन बनाया।

इसमें फण्डामेंटल प्रश्न और सामने आता है, अध्यक्ष महोदय। हमारे देश में कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशियरी को सैपरेट किया गया है, बड़ी दुहाई दी है इस बात की। और बहुत समय तक इस देश के वकील, देश के स्वतंत्र कानूनवेत्ता इस बात के लिए हमेशा लड़ते रहे कि जो व्यक्ति दण्ड दिलाने के लिये प्रार्थी है वही व्यक्ति दण्ड देने का अधिकार प्राप्त न करे इसलिये जुडिशियरी के सैपरेशन की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वकील हैं और आपको मालूम है कि बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इस विधेयक, जो बिहार प्रेस विधेयक

(श्री कैलाश मेघवाल)

है, में यह व्यवस्था की गई, यह प्रावधान रखा गया कि कोई भी दण्डाधिकारी, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, या सरकार जिसको इस तरह की शक्तियां दे दे,

(12-41 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वही व्यक्ति इस तरह के मामले सुन सकेगा। यह बिहार का प्रेस विधेयक है और इसके खिलाफ सारे देश में वातावरण बन रहा है, मुझे खुशी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तौर-तरीके आज का शासन चला रहा है और जिस तौर-तरीके से आज देश में केन्द्रीय शासन चला रहे हैं, देश के केन्द्रीय शासन के निर्देशन में कांग्रेस (आई) के मंत्रिमण्डल चला रहे हैं, उनको जिस तरह का निर्देश दिया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे कुछ चीजें साफ हो रही हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रेस विधेयक लाया गया है इस प्रेस विधेयक में हमारे संविधान की जो मौलिक सिक्योरिटी है उसको खुली चुनौती दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे संविधान की गारन्टी है, सिक्योरिटी है लिबर्टी की—

Liberty of thoughts, expression, press, speech and worship.

इस लिबर्टी, सिक्योरिटी आधार पर संविधान में फण्डामेंटल राइट्स दिये गये हैं, उन मौलिक अधिकारों की क्रियान्विति के लिये देश में न्यायपालिका है। आज उन फण्डामैंटल राइट्स पर आकर आघात इस प्रेस विधेयक से हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रेस बिल की व्यवस्था क्या है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह है कि जो संपादक है वह दण्ड का भागी होगा, जो प्रकाशक और प्रेस का मालिक है वह दण्ड का भागी होगा और इनके साथ-साथ जो कंपोजीटर और अखबार को बांटने वाले हाकर्स हैं वे भी दण्ड के भागी होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उस हाकर से अखबार खरीद कर जो पढ़ेगा वह भी दण्ड का भागी होगा। ऐसा कानून, उपाध्यक्ष महोदय मैंने आज तक न तो सुना था, न ऐसी कल्पना की थी। ऐसा कानन इस बिहार के प्रेस विधेयक द्वारा लाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं राज्य के मुख्य मंत्री और मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य जनतांत्रिक सदेश को आगे बढ़ाने वाले माननीय सदस्य हैं। माननीय परसराम जी, प्रद्युम्नसिंह जी, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वे आखिर यह तो बतावें कि उनकी स्वतंत्र समाज की और जनतंत्र की व्यवस्था की कल्पना क्या है? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आखिर इसमें करना क्या चाहते हैं?

* श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट पर आ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइन्ट ही यही है।

श्री उपाध्यक्ष : We are not concerned with what you say.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं कि मैं जो बोल रहा हूं, वह उस सूचना के अन्तर्गत बोल रहा हूं जो मैंने नियम 295 के अन्तर्गत दी है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था, उन्होंने कहा था कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके संबध में मैंने स्टेटमेंट मांगा है, उस पर बोल लेना। मेरी सूचना साफ है। मैं बिहार प्रेस विधेयक का उल्लेख करना चाहता हूं इसलिये मेरा पाइन्ट ठीक है। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा उसी पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : औरों को भी बोलने मौका दें।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो मिलेगा। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं ताकि जो यह सारा बखेड़ा हो रहा है, उस तारीख को राजस्थान के बुद्धिजीवी वर्ग के सारे प्रमुख पत्रकार माननीय राज्यपाल को मेमोरेण्डम देने जा रहे थे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, यह स्पष्ट हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस कुर्सी पर विराजे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कि जनतंत्र की व्यवस्था में एक क्लोज सोसायटी चाहते हैं या ओपन सोसाइटी चाहते हैं? हमारा समाज एक स्वतंत्र समाज है, उस समाज को हमारे संविधान के अन्तर्गत फलने-फूलने का अधिकार है? या हम एक क्लोज, एक प्रतिबधित सोसाइटी, एक कमिटेड सोसाइटी चाहते हैं? वह क्रॉनिक सिद्धान्त इसमें आ गया है, उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में इसका विरोध हो रहा है, सारा बुद्धिजीवी वर्ग विरोध कर रहा है, पत्रकार विरोध कर रहे हैं और वे पत्रकार, आप भी जानते हैं, प्रो-कांग्रेसी भी हैं, प्रो अदर-पार्टीज भी हैं लेकिन आज राजनैतिक मतभेद भूल कर सारे देश के पत्रकार, पत्र चलाने वाले, प्रकाशक, मालिक, संपादक, कम्पोजीटर, हाकर और सवाददाता, सारे एक हुए हैं, उसके पीछे एक भावना है। मौलिक सिद्धान्तों को आज चुनौती दी है कि हम एक स्वतंत्र समाज चाहते हैं या प्रतिबंधित। इस मौलिक सिद्धान्त पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है, यह साधारण बिल नहीं है।

तमिलनाड में पहले बिल लागू हो गया था। तमिलनाडु में क्या हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, आपकी मालूमात मेरे से ज्यादा है, तमिलनाडु का कानून कानून ही बना रहा, आज तक लागू नहीं हुआ। इसके बाद भी उस कानून में जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल ऑफिसर्स को इस बात का अधिकार था कि उस कानून के आधार पर अनुसंधान करके सजा दें। दण्ड का अधिकार कार्यपालिका के हाथ में नहीं था। इस तरह से वह डैड-लैटर है उस डैड-लैटर की दुहाई देकर कहा जाय कि बिहार का प्रेस विधे-

(श्री कैलाश मेघवाल)

यक एक साजिश नहीं है उसको हम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार में आपका कोई दुश्मन है, दुर्भाग्य से वह यहां रहता है और वह छुप कर अखबार लाकर आपके बंगले में डाल जाय तो बिहार की पुलिस या कोई भी पुलिस आपको पकड़ ले जायेगी कि यह अखबार आपके पास मिला है और आपको दण्डित किया जायेगा। यह कहां तक उचित है, उपाध्यक्ष महोदय? यह मैंने निवेदन किया है कि कुछ फण्डामेंटल प्रिंसिपल झगड़े में निहित हैं। इसलिये मैं चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जो जवाब दें तो बतावें कि क्या स्वतंत्र समाज चाहते हैं या प्रतिबंधित। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनेता आज जनता से अपने को छुपाना चाहता है। आखिर इस प्रेस बिल के पीछे मन्शा क्या है? यही है, राजनेता चाहता है कि उसके क्रिया-कलापों को अखबार वाले नहीं छापें। राजनेता चाहते हैं, उनका जो सार्वजनिक जीवन है और जो दूसरा जीवन है उसके बारे में अखबार वाले न छापें। यह सारे देश की राजनीति और राजनेताओं के विकार-ग्रस्त होने का संकेत है। अगर यह प्रेस विधेयक लागू हो गया और इस तरह के प्रेस विधेयक सारे देश में लागू हों तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की राजनीतिक व्यवस्था विकार-ग्रस्त पथभ्रष्ट हो जायेगी, कलुषित हो जायेगी क्योंकि इस तरह की बातें छिपाना चाहते हैं राजनेता। हमारे जनतंत्र की बहुत साधारण परिभाषा है—जनतंत्र का मतलब यह है कि एक नियत अवधि के बाद लोग शासन करने वालों को बदल सकें। वे तभी बदल सकेंगे जब कि उनके बारे में सामान्य जनता, आम नागरिक को पूरी-पूरी सही जानकारी हो....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी पूरी सही जानकारी उनके क्रिया कलापों की, उनके जीवन की जनता को कौन देगा? मैं निवेदन करूं, आज आप कौन हैं, आप यहां रूलिंग देते हैं, यहां जो कुछ आप और हम बोलते हैं उसको जनता जान पाती है तो अखबारों के माध्यम से जान पाती है। अखबार आज रह क्या गये हैं? राजनैतिक पार्टी अपने दायरे में काम करती है, सार्वजनिक संस्थाएं अपने दायरे में काम करती हैं और देश का स्वतन्त्र मंच स्वतन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र लेखन, आलोचना प्रत्यालोचना का मंच कोई रह गया है जो देश को दिशा दे सकता है, राजनीति को दिशा दे सकता है, समाज को दिशा दे सकता है तो वह स्वतन्त्र प्रेस है। उस प्रेस पर आघात हुआ है, उस पर हमला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस विषय को बर्दाश्त कर लें, मैं पूछना चाहता हूं, आज आप क्या सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि पहलो घोषणा स्पष्ट रूप से जराम्थान के मुख्य मन्त्री यह करें कि राजस्थान के राजनेताओं का जनता से छुपाने का कोई किसी तरह का प्रयोजन नहीं है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस तरह का कानून राजस्थान में नहीं लायेंगे। और दूसरी घोषणा यह करें कि वह प्रतिबंधित, तानाशाह समाज के और एक कमिटेड सोसाइटी के अग्रदूत न बन कर स्वतन्त्र समाज की ... ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई बिल तो है नहीं जिस पर भाषण हो रहा हो। आप तो उन वाकयातों की बावत बयान दीजिये। **It is to much.** दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। **Time is fixed.**

श्री कैलाश मेघवाल : बिलकुल फिक्स है। आप इसको फिक्स करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि आप भी वकील हैं। विधेयक का जो उद्देश्य है, इस के बारे में थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ सकूंगा। आपके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो समाज को वाणी देने वाले पत्रकार हैं, यह जो समाज को शिक्षा देने वाले पत्रकार हैं, यह स्वतन्त्र रूप से किसी भी राजनीतिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा से परे अपनी स्वतन्त्र लेखनी और स्वतन्त्र चिन्तन से समाज को दिशा देते हैं उस प्रेस पर प्रतिबन्ध लाने वाले इस कानून की निन्दा माननीय मुख्य मन्त्री करें तब तो हमें लगेगा कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री सही कार्य कर रहे हैं। परन्तु राजस्थान के मुख्य मन्त्री के लिये बार-बार यही बात कही जा रही है कि वे केवल दिल्ली के इशारे पर, दिल्ली की कठपुतली के रूप में शासन कर रहे हैं। दिल्ली के निर्देशों के आधार पर यहां के शासन को चलाया जाता है। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, आपका क्रोध मुझे बैठने के लिये मजबूर कर रहा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से जयपुर तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की वाणी को अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह प्रजातन्त्र का मखौल है, यह प्रजातन्त्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि पत्रकारों का जुलूस आया। यह मौन जुलूस था, इसकी सूचना सभी पुलिस अधिकारियों को थी। राज्यपाल महोदय से उनका एक डेलिगेशन मिलने जाने वाला था। सभी लोग वहां पर आ गये। प्रेस के लोगों ने कहा, हम केवल मात्र, छाया में जाकर क्रॉसिंग के बाहर खड़े

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रहेंगे, सिर्फ हमारा डेपूटेशन मिलने जायेगा। एक मौन जुलूस, एक अनुशासित जुलूस के साथ राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रशासन ने जो कुछ किया है वह केवल राजस्थान का ही दोष नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा दिल्ली से चली आ रही है। मैं बताना चाहता हूं, पत्रकार बन्धुओं ने राष्ट्रपति के दौरे का बहिष्कार किया। करना चाहिये था। क्यों नहीं करें जब वे जलील किये जायें, जब उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाय, उनको छाया में खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जाय। डेलीगेशन मौन जुलूस के रूप में जा रहा था फिर भी इस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न किया गया। यह स्थिति राज्य सरकार क्यों उत्पन्न कर रही है? इसलिये कर रही है कि इन्हें डर लग रहा है प्रेस का सामना करने से। उसने भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से प्रकट किया है, पत्रों के माध्यम से हर होने वाले भ्रष्टाचार, चाहे वह गुण्डूराव का हो, चाहे जगन्नाथ मिश्र का हो, चाहे किसी का हो, चाहे अन्तुले महोदय का हो, का पर्दाफाश करके उसको कठघरे में खड़े करने की जो व्यवस्था उसने की है उस पर दमन चक्र चलाया जा रहा है। मेरा आरोप है इस सरकार पर, जिस घटना का हमने इस स्थगन प्रस्ताव में जिक्र किया है, उस घटना के माध्यम से राज्य सरकार ने पत्रकारों का, यानि प्रजातन्त्र के बहुत बड़े प्रहरियो का बहुत बड़ा अपमान किया है, वह हर प्रकार से निन्दनीय है। उन्होंने बहिष्कार किया राष्ट्रपति महोदय के दौरे के कार्यक्रम का, तो निश्चित रूप से मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय राज्य मन्त्री महोदय ने दिया है उसमें वे कहते है कि हम सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं पत्रकारों से। आप सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखिये। श्रीमती इन्दिरा गांधी कौन से शब्दों में प्रकट करती हैं? राष्ट्रपति के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की उनकी इच्छा नहीं थी। वे नहीं चाहते थे, पत्रकार बन्धु, उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाये। उनके मन की इच्छा थी, वे चाहते थे कि प्रथम विजिट है राष्ट्रपति महोदय की राजस्थान में, उनकी रिपोर्टिंग करें। मगर राज्य सरकार ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी। माननीय राज्य मन्त्री महोदय, यह सद्भावनापूर्ण व्यवहार पत्रकारों से कर रहे हैं। जबसे यह सरकार आयी है, मैं माथुर सरकार की बात कहूंगा, सुमेरपुर के पत्रकार कृपाशंकर त्रिवेदी का क्या हुआ? उसको उपखण्ड अधिकारी ने उल्टा लटकाने की धमकी दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, राज्य सरकार ने क्या किया है उस उपखण्ड अधिकारी के खिलाफ? राणामल माहेश्वरी को जीप से कुचलने का प्रयास किया गया। क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी सद्भावनापूर्ण व्यवहार की आप चर्चा करते हैं? मुख्य

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मन्त्री जी के गृह जिले में वहां के पत्रकार दिनेश संचेती के साथ मारपीट की गयी है। बड़ा अच्छा सद्भावनापूर्ण व्यवहार है! सादुलपुर के पत्रकार के साथ मारपीट की गयी। भीलवाड़ा के पत्रकार दम्पत्ति पुष्पा सिन्धी और महेश सिन्धी के साथ क्या व्यवहार किया गया? वे अपने पत्र के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से वहां के भ्रष्ट अधिकारियों की जालसाजी का पर्दाफाश करते थे। इस कारण से हथकड़ी पहना कर उन्हें बाजार में घुमाया गया, बेइज्जत किया गया। यह सद्भावनापूर्ण व्यवहार है आपका! मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1975 में जिस प्रकार की प्रवृत्ति चली थी धीरे-धीरे दिल्ली और जयपुर, बिहार भी इसमें शामिल हैं........

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिये। आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो नाम आपके सामने पहले पढ़े थे, उनमें अपॉइन्टमेन्ट के आधार पर जो नाम दिये गये थे उस सम्बन्ध में मैं 'क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा। 6 आदमी गये थे :— श्री के. सी. सौंधी, श्री के. पी. मेनन, श्री वशिष्ठ, श्री फतेहसिंह, श्री भंवर शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार अजय। जो सूचना प्राप्त हुई है वह मैं आपके सामने सदन से क्षमा मांगते हुए रखना चाहता हूं। पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर स्टेटमेन्ट दिया था। बाद में अब यह नयी सूचना मिली है, मैं सदन से माफी चाहते हुए सदन को इससे अवगत कराता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय को यह सूचना किस ने दी कि पी. सी. गांधी उसमें गये थे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा था, माननीय उपाध्यक्ष, मेरे पास जो सूचना आयी थी उसमें श्री गांधी लिखा हुआ था। जो अपाइन्टमेन्ट रजिस्टर गवर्नर हाउस में रखा जाता है उस अपाइन्टमेन्ट रजिस्टर के आधार पर सूचना दी गई थी कि इन-इन लोगों का अपॉइन्टमेन्ट गवर्नर से फिक्स था। उसमें कन्फ्यूजन हो गया। इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने अपने आपको करैक्ट कर लिया क्योंकि मैं सदन से किसी बात को छिपाना नहीं चाहता हूं, न मेरी मंशा है। जो नाम बताये थे उसमें एरर रह गयी थी। मैं माफी चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप यह मान कर चल रहे हैं कि गवर्नर महोदय के रजिस्टर के अन्दर गांधी नाम लिखा हुआ है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे यह जानकारी मिली है ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह कह रहा हूं कि किस ने यह जानकारी दी है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं कहता हूं कि रजिस्टर में गांधी नाम नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप बतलाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कहें कि आफिसर ने मुझे गलत लिख कर दे दिया। परन्तु आप तो उन ऑफिसर्स को डिफेन्ड कर रहे हैं जिन्होंने आपको गलत सूचना दी है। आपकी मैं कोई गलती नहीं मानता लेकिन जिन लोगों ने गवर्नमेन्ट के बिहाफ पर स्टेटमेन्ट बनाकर दिया उनकी यह गलती है। उस गलती को आप डिफेन्ड कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के रिसेप्शन रजिस्टर का नाम ले रहे हैं, उसमें गांधी का नाम नहीं है।....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस बात को चैक-अप करा लूंगा अगर यह गफलत बरती गयी है। एक तो वह रजिस्टर मेरे सामने नहीं है फिर यह एक ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिसके ऊपर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुद्दा तो यह है कि मिनिस्टर से ऑफिसर चाहे तो सदन में ऐसी बात कहलवा सकता है जो सही नहीं है। इसमें आपकी कॉम्पीटेन्स का पता चलता है। और कोई मुद्दा नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुख्य मन्त्री ने आपको ले रखा है यही बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं किसी सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस एक रेस्पांसिबल जगह है, मिनिस्टर भी एक रेस्पांसिबल व्यक्ति है। वे कोई भी स्टेटमेन्ट दें या उन से स्टेटमेन्ट गवर्नमेन्ट के बिहाफ पर दिलावें, मगर फैक्ट्स की पूरी जांच करने के बाद वे स्टेटमेन्ट दें। आपको एक पत्रकार ने कह दिया कि आपने पी. सी. गांधी का नाम गलती से ले लिया। आपने दुबारा भगदड़ मचायी कि वास्तव में गलती हो गयी है क्या। आपने उस गलती को दुरुस्त किया। यह जो आपकी स्प्रिट है इसकी मैं तारीफ करता हूं। परन्तु मै इस क्वेश्चन पर आना चाहता हूं कि मिनिस्टर से कोई ऑफिसर या डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड गलत स्टेटमेन्ट किस प्रकार दिलवा सकता है। रजिस्टर में लिखा है या नहीं लिखा है, वहां पर कितने आदमी मिलने गये। उस को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं आप खुद जानते हैं, पी. सी. गांधी यहां नहीं हैं, पिछले चार महीने से दिल्ली उनका पोस्टिंग हुआ है। गांधी बीच में कहां से आ गये? आप नाम पढ़ते-पढ़ते इतने होशियार होते तो कह देते गांधी कहां से आ गया। इसलिये मैंने कहा कि आप इसको इस तरह से लें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने शायद रजिस्टर नहीं देखा होगा। रजिस्टर देखा है आपने?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास यह जानकारी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है। मेरे पास गवर्नमेंन्ट नहीं है। मैं इस रजिस्टर को देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं, यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये सरकार के बिहाफ पर बोल रहे हैं, विरोधी दल के बिहाफ पर नहीं बोल रहे हैं। सरकार जो कुछ कहेगी वह तथ्यों के आधार पर कहेगी। वह देखें या नहीं देखें। या तो दो बात कह दें, मुझे जिस प्रकार की जानकारी दी गई है वह मैं हाउस में रख रहा हूं। उसमें देखा गया या नहीं देखा गया, यह बात नहीं है लेकिन जिस प्रकार की जानकारी थी और जिसको आप हाउस में कह रहे थे सवाल उस बात का है। यह सही है कि प्रश्न काल में कई गलत जवाब आ जाते हैं, दूर-दूर से जवाब आते हैं, गलत हो सकते हैं लेकिन उसमें मन्त्री का इ टेंशन खराब नहीं होता है, इन्फार्मेशन आती है गलत भी हो सकती है। लेकिन असल बात यह है कि उस आदमी जिसने गलत जानकारी दी, ने गांधी का नाम ले लिया। नाम लेने के बाद कहा कि रजिस्टर में नाम नहीं था। तो इसका मतलब यह हुआ कि रजिस्टर की जानकारो नहीं है। मैं कहता हूं कि रजिस्टर में लिखा हुआ था या नहीं था, यह बात छोड़ दीजिये। आप तो यह बताइये कि गलत स्टेटमेंट किसने दिलाया। उसकी रेस्पोंसिबिलिटी आप किस पर फिक्स करेंगे ? आप उसको किस प्रकार से पनिश करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो गवर्नमेंट का बिजनेस है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : गवर्नमेण्ट का बिजनेस है कोई भी गलत बात कहने का....

श्री उपाध्यक्ष : That is between the Govt. and their subordinates. That matter cannot be raised here

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No No, यह बात नहीं है। Matter is not limited to the Government and their cfficers alone. But that is in between the Government and the House.

आप कहां ले गये इस मामले को। इसका मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी गलत बात आप को बता सकते हैं, और गलत बात ही आप यहां कह देंगे ? इस प्रकार तो रोज आपको क्षमा याचना करनी पड़ेगी। आप सीरियसली लें इस मामले को। गवर्नमेंट को कैसे गलत इन्फार्मेशन दी गयी है ? आपने क्षमा मांग ली है, ठीक है, लेकिन जिसकी गलती थी उसको पनिश किया ही जाना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य यहां पर दिया है, जो पत्रकार बन्धु गये उनसे मिलने के लिये, उनका जो शिष्टमण्डल वहां पर गया, पहले उसमें जो नाम आये थे वे आठ नाम थे, इतने नाम सम्मिलित किये गये थे। बाद में मालूम पड़ा कि एक दो व्यक्ति नहीं थे। यह जानकारी मिलते ही इसकी जांच की

(श्री शिव चरण माथुर)

गयी और जांच करने पर जो सही नाम था, उसके लिये अभी राज्य मन्त्री ने खेद व्यक्त किया। यह एक तथ्य था। अब प्रश्न उठता है कि कोई सूचना किसी अधिकारी द्वारा दी गयी और उसकी मार्फत सरकार द्वारा बयान दिया गया। तो आप भी मुख्य मन्त्री रहे हैं और आपको भी इसकी जानकारी है। मैं समझता हूं कि आपको यह पता होगा कि जो जानकारी दी जाती है वह अधिकारियों द्वारा दी जाती है और हरएक सूचना के बारे में जांच करना सम्भव नहीं होता है। इसलिये यह व्यावहारिक पक्ष है। यह तो बीच में ही इस बात का पता लग गया। अगर यह आज पता न लगकर कल पता लगता तो भी हम कल खेद सहित क्षमा याचना करते और सदन को वस्तुस्थिति का पता बताते। हमारी गलत सूचना देने की इच्छा नहीं थी। मैं, जिसने भी इस प्रकार की गलत सूचना दी है, उस के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और इसकी जाच करवाऊंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां तो, मैं निवेदन कर रहा था कि जिन पांच छः घटनाओं का जिक्र पत्रकारों ने किया था, वे घटना का कभी भी जिक्र करते है, तो सरकार को चाहिए था कि उन घटनाओं की शीघ्रता के साथ जाँच करवाती। बात इतनी सी ही नहीं है, साम-दाम तो यह अपना ही चुके हैं अब तो दण्ड अपनाया जा रहा है, दण्ड की प्रक्रिया हाथ में ली जा रही है, चाहे बिहार में पत्रकारों पर पुलिस का लाठी चार्ज हो, चाहे राजस्थान के पत्रकारों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार हो, उस परिस्थिति में भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टि से यह अपेक्षित नहीं है। इसलिये मैं इस बात को इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपके सामने, सदन के सामने और इस सरकार के सामने लाया। मेरी मंशा यह थी कि प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिये एक महत्वपूर्ण कड़ी है पत्रकार और पत्र, और उनके प्रति राज्य सरकार को प्रजातन्त्र को जीवित रखने के लिये ठीक प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठीक 1975 जैसा दृष्टिकोण धीरे-धीरे दिल्ली, जयपुर, बिहार और पूरे देश में काम कर रहा है। अच्छा तो यह था कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री क्षमा याचना करते, पत्रकारों से अपने व्यवहार के....

(1·06 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कारण। अच्छा तो यह था कि पत्रकार भाइयों ने जिस प्रकार के काण्ड लाकर दिये हैं उनके बारे में तुरन्त एन्क्वायरी करते और एन्क्वायरी के बाद में जो अधिकारी दोषी पाये जाते उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती उनको दण्ड दिया जाता। परन्तु माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो कि भीलवाड़ा से आते हैं ने महेन्द्र सिंघी और उसकी पत्नी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पुष्पा सिंघी के साथ जो व्यवहार हुआ, उसके बारे में क्या किया? आज पुलिस के वे अधिकारी आराम से घूम रहे हैं। मार दिया तो मार दिया, हथकड़ी पहनाकर घुमा दिया तो घुमा दिया, अभद्र व्यवहार कर दिया तो कर दिया, हम तो परम्परा का पालन करने जा रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार प्रेस बिल जिसका पत्रकार विरोध कर रहे हैं, कारण सारा देश सुलग रहा है। वे अपना व्यवहार ठीक करें और केन्द्र को भी सलाह दें। मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार विधयक की चर्चा करूं, वह मेरा विषय नहीं है, मैंने तो इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस घटना को उठाया है, इस पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आशा है, राज्य सरकार ठीक प्रकार का व्यवहार करेगी, पत्रकार और प्रेस, जो प्रजतान्त्र की कड़ी है, साथ दुर्व्यवहार नहीं बल्कि सदव्यवहार करेगी, और केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि उसको कार्य रूपये परिणत करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनरलाइजेशन में नहीं जाना चाहता हूं जनरल तो बहुत सी बातें यहां पर कही जा चुकी हैं। स्पष्ट बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। बहुत साफ बात है कि मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए पत्रकार सीधे जा रहे थे, वहां पर 144 की धारा भी नहीं थी, अन्य किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं था, डिमांस्ट्रेशन के ऊपर कोई रोक भी नहीं थी और न किसी मीटिंग के ऊपर प्रतिबंध था। जो कारण दिये गये हैं वे प्रशासनिक और पारम्परिक दिये गये हैं। क्या प्रशासनिक कारण उत्पन्न हो गये थे? उनको किन प्रशासनिक कारणों की वजह से रोका गया? कम से कम यह तो मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर प्रशासनिक कारण क्या थे, कौन से कारण पैदा हो गये थे, क्या उपद्रव हो रहा था, क्या पत्रकार पत्थर चला रहे थे, क्या गोली चल रही थी या पत्रकार अन्य किसी प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के पहले दिन भी और उसके बाद भी, जुलूस के पहले दिन भी उसके बाद के दिन भी राज्यपाल महोदय तक पहुंचने के लिये अन्य जुलूस गये थे, कल परसों भी गये थे, कोई प्रशासनिक कारण नहीं था। कनवेंसन के लिये कहा, कनवेंशन होगा लेकिन लॉ तो नहीं था। कनवेंशन के ऊपर तरजीह दी जा सकती है, लॉ कनवेंसन को सुपरसीड कर सकता है। फिर बात फण्डामेंटल राइट्स की थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की थी फ्रीडम स्पीच फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ डिमोंस्ट्रेशन के जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमको मिले हुए है प्रमाणित है, संवैधानिक हैं, जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती है ऐसे अधिकारों के ऊपर आप अतिक्रमण करें! ऑनेस्टी वाली बात

(श्री राजबहादुर)

तो यह थी कि मुख्य मन्त्री स्वयं इस घटना के ऊपर खेद प्रकट करते, जो पत्रकार गये थे, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, खुद जाकर उनसे मिलते कि क्या हुआ। यू. पी. में क्या हुआ था ? वहां पर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। उनको गवर्नर से न केवल मिलने ही दिया गया बल्कि स्वयं मुख्य मन्त्री ने एक पत्रकार से हाथ मिलाया, उनको आने के बाद बैठने को कहा, जगह की कमी थी तो मुख्य मन्त्री ने माफी मांगी और कहा कि कुर्सी नहीं है इस लिये कालीन पर बैठ जायें। इसी प्रकार से यहां पर होना चाहिए था। देखो, यह न तो आपकी बपौती है, न जो सदस्य यहां पर बैठे हैं, उनकी बपौती है यह तो हम सबकी डेमोक्रेसी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर इन दोनों का विरोध किया गया तो न तो डेमोक्रेसी रहने वाली है, न ही फ्रीडम रहने वाली है, ये दोनों एक है, एक प्राण हैं तो एक प्राण वायु है।

आज आपको खेद प्रकट करना चाहिए कि जो कुछ हुआ उसके लिए वाकई हमें खेद है, अफसोस है। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की भूल हो। क्यों? कन्सीड कर सकते हैं इण्डियन डेमोक्रेसी को विदाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस ? फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रहरी न हों तो आपको भी कोई मदद नहीं मिलेगी। कौन बतायेगा आपको आपके गुण और अवगुण ?

निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय।

बहुत पुरानी चीज थी। तो पत्रकार तो निंदक भी नहीं है। एक बात और है। जो आज एक नयी परम्परा चली, कल्पना चली, परम्परा चली है, वह है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, जो आपके कवर्स में, अलमारी में फाइलें छुपी पड़ी हैं, जिन पर धूल जम रही है, जिनको दीमक खा रही है उनको भी, किसी प्रकार ले आते हैं। जो ट्रस्टो की परम्परा का दुरुपयोग हुआ, जो सीमेन्ट स्कैण्डल हुआ महाराष्ट्र में, सीमेन्ट स्कैण्डल हुआ कर्नाटक में और जो बहुत बड़ी हुई कुओ आइल घटना, वह कुछ कम हुआ क्या ? इन सब को कौन लाया निकाल कर ? एक ऐसा व्यक्ति, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया। हमारे माध्यमों ने शायद उसको कन्डम ही किया, प्ले-डाउन ही किया, लेकिन उसको मैग्सेसे अवार्ड मिला, इटर्नेशनल अवार्ड मिला अरुण शौरी को इस बात के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पर। क्यों ? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग गुप्त चीजों में सीक्रेट, अंधेरी कोठरियों में जाकर झांकते हैं, जहां और चीजें नहीं मिलती हैं। मैं यह कहूंगा कि डेमोक्रेसी की व्याख्या सीधी सच्ची होनी चाहिए। प्रेस बिल सचमुच काला बिल कहा जायेगा। यह असैट नहीं आपके लिए, रूलिंग पार्टी के लिए। आर्गूमेण्ट दिए जाते हैं कि तमिलनाडु में लागू हुआ तब क्यों नहीं किया ? उड़ीसा में हुआ तब क्यों नहीं किया ? हम तो अपने कर्तव्य में चूक गये, लेकिन आप दुहाई देना बन्द कर

(श्री राजबहादुर)

दीजिए। आप फ्रीडम ऑफ प्रेस में बिलीव नहीं करते हैं, कह दीजिए। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि जहां-जहां ऐसा बिल लागू हुआ है, वर्तमान शासक दल ही उसका समर्थक और सहायक रहा है, तमिलनाडु में भी समर्थक और सहायक रहा है। उन्होंने किया इस काम को, वह तो एक प्रारम्भिक कदम था, जिस तरह टैस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ बैलून होता है, हवा का रुख जानने के लिए, मालूम करने के लिए, उसी प्रकार यह भी छोड़ा गया था। निश्चित बात है कि अगर यह ऐसा था तो आप असेंट नहीं देते। क्या मतलब हुआ इस बात का? डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था "Government of the people, Government by the people, Government for the people." इसकी कुछ आप स्पेलिंग भ्रष्ट कर गये हैं। OF की बजाय OFF हो गया है। O-F-F गवर्नमेण्ट पीपुल से दूर। By में भी, Buy the people and govern. B-U-Y बाई दी पीपल एण्ड गवर्न, for में भी Government far from the people. Government of the people, Government buy the people, Government far from the people. डेमोक्रेसी का यह कन्वेंशन आपका हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूं निश्चित बात यह है कि इस घटना में कंटिचुलेशन के अधिकारी तो गवर्नर हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने स्वयं पहल की इस बात की और उन्होंने बुलाया, मौका लिया। आपने तो इनीसिनेटिव नहीं दिया। यह तो वहां से आया है। He deserves our congratulations and the press is thankful for him. मैं अधिक नहीं कह कर इतना हीं कहूंगा कि आप अपने इरादों को साफ करिए। क्या आप भी बिहार की मिसाल लाना चाहते हैं? क्लीयर कैटेगरीकल एश्योरेन्स आना चाहिए हाउस में। कैटेगरीकली, उसमें किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक भाषा न हो, जिसमें मोरी न देखना चाहते हो चोरी के लिए लेकिन आपकी मंशा मुस्तवा हो गयी है। आप कहां जा रहे हैं? मुझे यह सूचनाएं मिली हैं, मैं चाहता हूं कि वह सूचना गलत हों। आपने पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी की है, गश्ती हुक्म, आज्ञा पत्र जारी किया है कि जितने छोटे-छोटे पत्रकार हैं, उनकी पीली पत्रकारिता है या कुछ और, उनका सरकुलेशन कितना है. फौरन इसके आंकड़े दीजिए। आप इसका खंडन करिए, अगर यह बात गलत है। आपनें क्यों आंकड़े मांगे हैं? इसलिए कि आप कहते हैं कि सरकुलेशन के हिसाब से, उस बेसिस पर एडवर्टाइजमेण्ट देंगे? आज सबसे बड़ी गुलामी की हथकड़ियां इनके हाथों में हैं। इनका काम बिना एडवर्टाइजमेंट के चल नहीं सकता। इसलिए उनको भी झुकना पड़ता है, मुंह ताकना पड़ता है एक ओर सरकार का और दूसरी ओर पूंजीपतियों और विज्ञापनदाताओं का।

(श्री राजबहादुर)

पिसता कौन है? छोटे पत्रकार, स्टाफ, कॉरसपॉन्डेण्ट और सब लोग। बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, न तो वह पिसते हैं, न गवर्नमेण्ट पिसती है, पिसते वह लोग ही हैं। क्लीयर बात है। क्या आपने कोई ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके द्वारा सरकुलेशन के फिगर्स मांगे हों? अगर मांगे हैं, तो आपकी नीयत खराब है, आप एडवर्टाइजमेंट पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। Give a clear assurance. मैं इतना कह सकता हूं कि जितनी नीट एण्ड क्लीन आपकी इमेज होगी, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेण्ट की होगी, उतनी ही स्टेबिलिटी भी होगी। अगर वह नहीं है, तो उसके बारे में शंका उठायी जा सकती है।

सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या
कहती है तुझको कल के खुदा गायबाना क्या

लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं, यह जरा जानने की चीज है। मुंह पर बड़ी तारीफ, अभिनन्दन होता है लेकिन पीठ-पीछे लोग क्या महसूस करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि, मुंह के सामने जो कुछ कहा प्यार से कहा, कोई ऐसी बात नहीं कि जो इनका दिल तोड़ने वाली हो। इनके दिल को मजबूत करने के लिए कही है, ताकि इनके इरादे नेक रहें, नजरिए नेक रहें, नेक रास्ते पर चलें। मैं इसी सिफारिश से साथ एक बुजुर्ग के नाते आपको आशीर्वाद देना हूं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। इतने माननीय सदस्यों को मैं इजाजत नहीं दे सकता। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन किया था कि पौन घंटे की चर्चा होगी। पौन घंटे का समय पूरा हो गया है। आर्डर प्लीज। कितने माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

(व्यवधान)

तीन माननीय सदस्यों को मैं इजाजत दूंगा। किनका नाम पुकारूं, यह मेरे विवेक पर छोड़ दीजिये। दो मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जायेगा। आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

आपने प्रस्ताव नहीं दिया है, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो, जो वक्तव्य था, उसके बारे में प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछने का अधिकार तो ...

(श्री मेघराज तावड़)

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें। दो मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस के साथ ज्यादती राजस्थान में हुई। यह ऐसी बात नहीं हुई है जिसको आसानी से लिया जा सके। लोकतन्त्र के प्रति हमारा देश कमिटेड है, हमारा संविधान कमिटेड है। मिनिमम रेस्पेक्ट पब्लिक रिलेशन मंत्री दिखा सकते थे प्रेस के प्रति जो कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से गंभीर कारनामे प्रेस ने उजागर किए हैं, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, सीमेंट कांड, जगन्नाथ मिश्र का भागलपुर का आंख फोड़ कांड, इसकारण से प्रेस के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है। इसी तरह से श्रीमती गांधी ने कहा कि विरोधी दल की जब सरकार थी तो उन्होंने हमें मुर्गी और अण्डे की चोरी के चार्ज पर अदालत में बुलवाया। पर वास्तविकता यह थी कि इनकी सरकार ने आपातकाल में एक व्यक्ति के ऊपर में सिर्फ यह चार्ज लगाया कि उसने कुछ चूजे और कुछ अण्डे चुरा लिये और उसको मीसा में इसी अपराध में जेल में बन्द किया। उसकी शहादत के लिए उनको बुलाया गया था। इस तरह के काम जो सरकार के हो रहे हैं इनके मन्त्रियों के, इनके मुख्य मन्त्रियों के, स्वयं प्रधान मन्त्री के घर के कारनामे और अत्याचार, प्रेस ने उघाड़े उस पर चाहे केन्द्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों बौखला गई। इसीलिए एक सुनियोजित प्रचार हो रहा है प्रेस के खिलाफ। हमको इस बात की आशंका है कि तमिलनाडू बिहार और उड़ीसा के बाद राजस्थान की सरकार भी काफी मुमकिन है कि इस तरह का प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। इनके अपराध, घोटाले और भ्रष्टाचारों की जिस तरह से पोल खुल रही है उससे इनको अपना सिंहासन केन्द्र और राज्यों में डोलतानजर आ रहा है। श्रीमती गांधी ने इस आंदोलन को संज्ञा दी है कि प्रेस के प्रति एक शोर चल रहा है, विरोधी दलों का, और स्वयं-प्रेस का भी। केन्द्रीय पब्लिक रिलेशन मन्त्री श्री बसन्त साठे कहते हैं कि उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि बिहार का विधेयक पारित हो गया। प्रेस पर विधेयक केवल पुट अप किया गया है। यहां के मुख्य मन्त्री इग्नोरेन्ट है इस बात से कि प्रेस वालों के साथ क्या वाकयात हुए। इसी तरह से एक के बाद एक अनजानी बातें कही जा रही हैं मगर यह चीज एक्सपोज हो गई कि कैसे सुनियोजित काण्ड ये करने वाले हैं। इस बात से एक्सपोज हो गई कि जब राष्ट्रपति की विजिट जयपुर में हुई और प्रेस ने उनके समाचार नहीं छापे और तब ही असलियत व गंभीरता श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामने आई तब से वह कहती हैं कि प्रेस गैर जिम्मेदार है। उन्होंने जो अनभिज्ञता जाहिर की वह इस बात से स्पष्ट हो गई और सरकार बहाना बना रही है कि अश्लील और आपत्तिजनक

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्रकाशन पर अंकुश लगाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूर्या इनकी पत्रिका थी, जो कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही थी उसमें जब सुरेश और सुषमा हत्याकांड की अश्लील फोटो छापी उस वक्त इनको अश्लीलता और आपत्तिजनक का बिल्कुल ख्याल नहीं हुआ। ये लोग जिम्मेदारी की बात करते हैं, चरित्र हनन की बात करते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास अन्य कोई ऐसे नियम नहीं हैं कि चरित्र हनन की परिस्थिति में अन्य बातों की तरह प्रेस को भी होल्ड नहीं कर सके कैसे। इनको एक्स्ट्राआर्डिनरी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी हुई है? इसी प्रकार किस अधिकार से यह कहते हैं कि प्रेस गैर-जिम्मेदाराना बिहेव कर रही है? इनका जिम्मेदाराना बिहेवियर से मतलब क्या है? किसके प्रति जिम्मेदार बनाना चाहते है प्रेस को? इनकी मन्शा क्या है? स्पष्ट तो करें जनता को।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट और दे दें। मैं समाप्त करती हूं।

यह सुनियोजित योजना है प्रेस का गला घोंटने की और प्रजातन्त्र का गला घोंटने की। जिसके लिए आज सारा मास मीडिया, युवा वर्ग एकजुट होकर प्रेस के पीछे है और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहता है। स्वयं श्री गुजराल ने कहा है कि सरकार का यह रवैया आपातकाल का पूर्व संकेत है, जिस के खिलाफ प्रजातन्त्र को प्यार करने वाले सारे व्यक्तियों को एकजुट हो जाना चाहिए। आज के दिन केवल प्रेस ही फ्री है इसके अलावा तो बाकी सारा मास मीडिया उनके ही अण्डर में है। प्रेस शासन और जनता के बीच एक कड़ी है और अगर यह सम्बन्ध व्यवस्था समाप्त हो गई तो अफवाहों का बाजार गर्म होगा। यहां का प्रेस तो बहुत जिम्मेदारी से बिहेव कर रहा है। यहां की जनता यदि बहुत जागरुक हो पाती, अगर आप लोग उसके जागरुक करने में सहयोग करते तो यहां अनेकों वाटर गेट कांड कभी के हो गये होते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ प्रजातन्त्र का घोंटने के प्रति केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि वह प्रेस को जिम्मेदाराना बिहेव की बात करती है तो वह स्वयं भी प्रेस के प्रति जिम्मेदाराना बिहेव करे, यह बहुत जरूरी है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

अब मैं और किसी को अवसर नहीं दूंगा। इनके पश्चात् एक और माननीय सदस्य को अवसर दूंगा और उनके पश्चात् विरोधी पक्ष के नेता महोदय को।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

दो प्रकार के दल थे, गर्म दल और नरम दल। मेरा निवेदन करना है कि गरम दल जहां बम की बात करता था, पिस्तौल की बात करता था वहां नरम दल गोपालकृष्ण गोखले के नेतृत्व में अखबार की बात करके अहिंसा की बात करके आजादी की लड़ाई लड़ता था। गोपालकृष्ण गोखले ने इस उक्ति को लिखा है कि क्यों न जमाने को तलवार से निकालो, जब तोप नाकाबिल हो अखबार निकालो। मेरा निवेदन करना है, अखबारों के भय से, कलम की मार की मौत से डरकर आज की सरकार भिन्न-भिन्न प्रकार के आरोप प्रेस पर लगाये जा रही है, आज पत्रकारिता पर निश्चित रूप से हमला किया जा रहा है, जिसका नग्न प्रदर्शन बिहार में तो हुआ ही है। मैं वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि खैरथल के अन्दर 28 जुलाई को प्रहलाद मंगलानी के साथ जो कांड हुआ उसकी रिपोर्ट मुख्य मन्त्रीजी को आज तक नहीं हुई? खैरथल के अन्दर प्रहलाद मंगलानी नाम के पत्रकार को हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाया गया। एक साधारण रिपोर्ट पर उस पर चार्ज लगा था। अखबार लगातार पुलिस का इतिहास लिख रहा था। जब पत्रकारों का प्रतिनिधि मण्डल मिस्टर एम. एम. महर्षि से जाकर मिला और उनसे मांग की तो महर्षि ने जवाब दिया कि सौ सुनार की और एक लुहार की? 99 दिन तक बुरा लिखते हैं, आज हमारी पुलिस का दिन आया तो पुलिस ने कौनसी गैर कानून कार्यवाही कर ली, ऐसा कौनसा पहाड़ खड़ा हो गया। इसी प्रकार से हमको मौका मिल गया है। पुलिस ने उसको रगड़ दिया और 452 में उस पर मुकदमा चलाया। 452 के मुकदमे से पत्रकार प्रहलाद मंगलानी आज भी पीड़ित है। मगर राज्य गृह मन्त्रीजी कह रहे थे, पत्रकारों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। कहां गये वे सम्बन्ध? सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होते तो इस प्रकार से पत्रकार को राजस्थान की धरती पर हथकड़ी पहनाकर नहीं घुमाया जाता। अगर सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होते तो आपकी पुष्टि करने वाला यह दैनिक नवज्योति समाचार पत्र सम्पादकीय नहीं लिखता जिसमें जो भीलवाड़ा में पत्रकार को घुमाया, उसकी तीव्र शब्दों में आलोचना की है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, जिस प्रकार राजस्थान में पत्रकारों के साथ आपने व्यवहार किया, और जिस प्रकार श्री श्रीराम गोटेवाला ने सीधे सादे शब्दों में क्षमा याचना कर ली, मैं तो यह अपेक्षा करके चलता था कि इस सारी बात के लिए आप तुरन्त ही खड़े होकर यह बात कह देंगे कि जो यह घटना घटी है वास्तव में वह निन्दनीय है, इस पर बहुत दुःख है और मैं क्षमायाचना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज भी आप लोग केवल टालमटोल की नीति अपना रहे है। मैं चाहता हूं कि आप सीधे शब्दों में क्षमा याचना कर लें ताकि बन्दूको का डर दिखाकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा जैन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : मै अवसर नहीं दूंगा। माननीय सदस्या, दो मिनट का समय है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : 30.8.82 की जो घटना है पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की, देश में यह कोई पहली घटना नहीं है। कांग्रेस शासन आने के बाद जिस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है वह इस बात का सबूत है कि कांग्रेस शासन अपने आप में इतने कुकर्मों से भर चुका है कि वह अपने आप से, जनता से सामना करने में अपने आपको मजबूर समझने लगा है। यही नहीं एक के बाद एक घटना से पत्रकारिता का गला घोटना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले श्री गजानन्द शर्मा की बहुत बुरी तरह से पिटाई की। उन्होंने भूख हड़ताल की लेकिन शासन द्वारा आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही नहीं, अगस्त, 81 से 15 सितम्बर तक, मैं कहना चाहूंगी, राजस्थान में लगभग 25 पत्रकारों पर हमले हो चुके हैं लेकिन यह प्रशासन मौन है, आज तक कुछ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो ताजा घटना हुई, उसमें यह देखना पड़ेगा कि पत्रकारों ने आखिर क्या किया था। वे एक शान्तिपूर्ण जुलूस लेकर आ रहे थे। रेलवे फाटक पर आने के बाद उन्होंने सिर्फ यह मांग की थी कि चार किलोमीटर से यह प्रोसेशन आ रहा है लिहाजा उन्हें पेड़ों की छाया में बैठकर पानी पीने दिया जाय, उन्हें इजाजत दी जाय। सारे के सारे एजीटेशन को क्रश किया गया। श्री सुनील माथुर, जो उस दिन ड्यूटी पर नहीं थे, को जान बूझकर, एजीटेशन की क्रश करने के लिए खास तौर से लगाया गया। मैं इल्जाम लगा रही हूं मुख्य मन्त्री जी, आपने जानबूझकर सुनील माथुर की ड्यूटी लगाई है क्योंकि वे आपके रिश्तेदार होते हैं, ऐसे जो भी आन्दोलन आज कल हो रहे हैं उनमें खास तौर से सुनील माथुर की ड्यूटी लगाई जाती है।

आपको यह सुन कर बहुत दुःख और खेद होगा कि उसकी रिर्पोट दर्ज करने से संबंधित थाने ने इन्कार कर दिया। यह दूसरी बात है कि आई. जी. से कहने पर रिपोर्ट दर्ज की गई लेकिन उसमें आज तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसका कोई हवाला नहीं है। आप पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिश करना चाहेगे, मुख्य-मन्त्री जी, तो यह शासन डावां-डोल हो

(सुश्री पुष्पा जैन)

जायगा। आप पब्लिक के सामने आने में घबरा रहे हैं, पब्लिक आपको समझ रही है। वह बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि आप पत्रकारिता का गला नहीं घोट रहे है, आप पत्रकारों पर डण्डे नहीं बरसा रहे हैं, आप राजस्थान की जनता पर डंडे बरसा रहे हैं। इमर्जेन्सी का वह माहौल भूला नहीं होगा, वह दिन भूला नहीं होगा जब आपने पत्रकारों पर डंडे बरसाये थे, पत्रकारिता का गला घोंटा था। लेकिन उसका अन्जाम क्या हुआ था? अन्जाम यह हुआ था कि आपको जाना पड़ा था। यह दूसरी बात है कि आप सौभाग्य से वापस आ गये हैं लेकिन अब आपने ऐसी कार्यवाही की, खास तौर से पत्रकारों का गला घोटने की, तो मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहती हूं कि इमर्जेन्सी के बाद तो आप वापस आ गये थे लेकिन अगर वह दिन याद नहीं रहे, तो वह दिन दूर नहीं है जब राजस्थान की जनता इन पत्रकारों के साथ हुई एक-एक बात का बदला लेगी और विधान सभा का प्रांगण आपको देखने को नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष नेता महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। धैर्य रखिये। बैठ जायं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जायं। आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं विपक्ष के नेता के बोलने से पहले दो प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता के बोलने के पश्चात् दो प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। विपक्ष के नेता महोदय के बोलने के बाद दो प्रश्न पूछें। मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष, मैं भी बोलना चाहूंगा। मैं नहीं बोल सका हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो प्रश्न पूछना चाहते थे न मैं नहीं बोलने दूंगा। इजाजत नहीं दे सकता। माननीय सदस्य, आपके स्थगन प्रस्ताव के अन्दर कोई ....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस बिल के सम्बन्ध में कल मैंने काली पट्टी बांधी थी और सदन से बहिष्कार किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री त्रिलोकसिंह : उन पर हमला होगा, हम लोग कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आज प्रेस का गला घोंटा जाता है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठ जायं।

अनेक माननीय सदस्य : हमें बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री महाराम चौधरी : श्री त्रिलोकसिंह जी को दो मिनट का बोलने का समय दिया जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप कितने-कितने मिनट बोलेंगे ? आपको भी दो मिनट का समय दिया जाता है और आपको भी दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री त्रिलोक सिंह : सवाल इस बात का नहीं है कि हमारे राजस्थान में क्या हुआ, लोगों की जिन्दगी और प्रजातन्त्र का सवाल है, आज हमारा प्रजातन्त्र खतरे में है। आज प्रेस का गला घोंटा जा रहा है, कल मीटिंग्स पर बैन लगा दिया जायेगा, लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया जायेगा। हम इस XXX को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। यह हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। यह हमला प्रेस पर नहीं सारी जम्हूरियत की जिन्दगी पर हैं । यह हमला हम कभी बर्दास्त नहीं करेंगे। सरकार यह चाहती है कि लोग उनके खिलाफ नहीं बोलें। गुण्डूरा ने क्या घोटाला किया ? राजस्थान में क्या घोटला हुआ ? फेमिन का 40 करोड़ रुपया खा गये। लोगों को फेमिन का एक पैसा भी नहीं दिया गया, लोगों को एक रोटी नहीं दी गई और करोड़ों अरबों रुपया अकाल के नाम पर आये साल खाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, आपने क्या दिया लोगों को 35 साल में ? हमारा पेट भूखा है, धरती भूखी है और इन्सान भूखा है। घोर अपराध के अपराधी की सी हालत राज्य सरकार की है। लोग जब जागेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपसे मुकाबला करेंगे। जनता की अदालतों में आपने जो अपराध किया है लोगों के साथ उसका जवाब मांगा जायगा। प्रेस का गला घोंटा जाय और दलील यह दी जाय कि हम बोलने नहीं देंगे, हम सुनने नहीं देंगे। हम कहना चाहते हैं, यह सदन किसी की बपौती नहीं है। हमें लोगों ने भेजा है, हमें किसानों ने भेजा है, उन किसानों ने भेजा है कि जाओ, हमारी आवाज पेश करो। हम उनकी आवाज पेश करना चाहते हैं,

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण करें। बैठिये, माननीय सदस्य,

श्री त्रिलोकसिंह : यह नाकाबिले बर्दाश्त है। यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह देश की जम्हूरियत का सवाल है,

श्री मेघराज ताड़व : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीर विषय है। आज

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)

प्रजातंत्र का जो स्तम्भ है, प्रजातंत्र की जो आंखें हैं और प्रजातंत्र का जो दिल है, वह प्रेस है। प्रेस के ऊपर इस तरह से काले कानून लाकर प्रेस की कलम को रोकना चाहते हैं, आजादी को रोकना चाहते है, स्वतन्त्र आइडिया और विचारों को जनता तक नहीं आने देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इस तरह के घोटाले और काण्ड, जो कुछ भी सरकार करे, जनता के सामने नहीं जायं, इसका सीधा सादा मतलब यह है कि सरकार इमर्जेन्सी लाना चाहती है, सरकार तानाशाह बनना चाहती है, सरकार प्रजातंत्र का गला घोंटना चाहती है, प्रजातंत्र को पसन्द नहीं करती। क्या जरूरत थी उन पर डण्डे बरसाने की, उनको रोकने की, जब पत्रकार कोई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। वह कोई मजदूरों का जुलूस नहीं था जो सिविल लाइन जा रहे हो। वे राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे थे। वे वहां कोई झगड़ा नहीं करते। वे पढ़े-लिखे और बुद्धि-जीवी लोग हैं जो प्रजातंत्र को चलाते हैं। उनको रोकने के लिये धारा 144 लगाई। उसके बाद गृह मन्त्री जी यह कहें कि यह गलत है, वहां धारा 144 नहीं थी। उसके लिए मैं तो कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी सदन में पत्रकारों से माफी मांगें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्री जी से यह प्रश्न कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी यह घोषणा करें कि आपके मंत्रिमण्डल का गंगानगर में जिस समय दौरा था तब वापसी में प्रेस के बीच में आपने यह आश्वासन दिया था कि बिहार की तरह से राजस्थान सरकार कोई ऐसा कानून नहीं लायेगी। तो क्या, मुख्य मंत्री जी, आपने जो आश्वासन अपने पत्रकार भाइयों के बीच में दिया था उस पर आज भी कायम हैं? और कायम हैं, तो स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि राज-स्थान सरकार बिहार की तरह से कोई प्रेस कानून नहीं बनायेगी। मुझे एक बात का अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, मंत्रि मण्डल के सदस्यों के मुंह से मैंने यह सुना है कि प्रेस वाले बकवास करते हैं, झूठी खबरें देते हैं इसलिये कानून लाना चाहिये। अगर ऐसी मन्शा है राजस्थान सरकार की, तो फिर बिहार की जनता और बिहार की प्रेस की तरह इसका मुकाबला करने के लिये जबर्दस्त आन्दोलन शुरू होगा और उसमें राजस्थान के पत्रकार, राजस्थान की जनता पीछे नहीं रहेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप भी इस प्रकार की घोषणा करें कि आपने पत्रकारों को जो आश्वासन दिया था क्या वाकई उस पर कायम हैं अथवा राजस्थान में इस प्रकार का बिल लाना चाहते हैं? जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है, प्रारम्भ से अन्त तक वह तथ्यों के विपरीत है। मैं एक-एक पैरे में यह बताना चाहता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन्होंने किस प्रकार से तथ्यों के विपरीत वक्तव्य दिया है। पहले पैराग्राफ में लिखा है, यह जुलूस राज भवन तक जाना चाहता था। जबकि सत्य यह है कि राज भवन तक नहीं जाना चाहता था यह जुलूस रेल्वे क्रॉसिंग पर, जहां पुलिस की चौकी है वहां तक जाकर अपने प्रतिनिधियों को राज्यपाल महोदय से मिलने देना चाहता था। यह निर्णय भी कोई अचानक नहीं लिया गया। पत्रकारों की पहले दिन की बैठक में इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि वहां तक जुलूस जायेगा और उस जुलूस के बाद में हमारे प्रतिनिधि वहां राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। यह तो थी एक बात। दूसरी बात वक्तव्य में यह कही कि इन लोगों का जुलूस राज भवन तक जाने की बात पर अड़ा रहा और उन्होंने वहां नारेबाजी प्रारम्भ कर दी। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब इनका निर्णय जुलूस को राज भवन तक लें जाने का नहीं था तो अड़ने का कोई सवाल ही पैदा नही होता। और वहां किसी प्रकार की कोई नारेबाजी भी नहीं हुई, यह बात भी मन चाहे ढंग से जोड़ दी गई है। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि जुलूस वालों से निवेदन किया गया था कि राज्यपाल महोदय के पास वे अपना एक प्रतिनिधि मण्डल ले जाकर मिल सकते हैं और राज्यपाल चाहें तो जुलूस में सम्मिलित व्यक्ति उनसे मिल सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह मैसेज किसके माध्यम से कन्वे किया गया। किसी अधिकारी ने उनको नहीं कहा कि राज्यपाल महोदय से आप पूछ लें कि अगर वह अनुमति देते हैं तो सारा जुलूस ले जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें गांधी के नाम का भी जिक्र है। माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य में लिखा है कि के.सी. सौंधी, मैनन, डी० एल० शर्मा और एक आदमी और थे जिनका नाम आप भूल गये, मुख्य मन्त्रीजी, उनका नाम था फतेहसिंह। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य, ने कहा कि ऐसे वक्तव्य की आवश्यकता नहीं थी। माननीय श्रीराम गोटेवाला ने जैसा खेद प्रकट किया है वैसे ही माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी सीधे खेद व्यक्त कर देते, लेकिन उन्होंने कहा कि चार्ज लगा हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और खेद का विषय है कि राजस्थान के प्रेस के और सरकार के सम्बन्ध इतने मधुर होने के बावजूद पत्रकारों ने राष्ट्रपतिजी की राजस्थान की यात्रा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया तो आपने खेद प्रकट किया। इस सरकार ने अपने एक्शन से खेद प्रकट नहीं किया, क्योंकि यह एक एक्शन नहीं रिएक्शन था। उनके साथ जो अन्याय हुआ, जो ज्यादती की गई उसके विरोध स्वरूप उन्होंने जो कार्यवाही की वह भी सरकार को पसन्द नहीं आई। सरकार को बड़ा दुःख है कि राष्ट्रपति महोदय यहां आये और पत्रकारों ने उनकी कार्यवाही के विवरण को अखबारों में नहीं छापा। उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया इस पर उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, लेकिन जो अपनी तरफ से कार्यवाही हुई उसका खेद प्रकट नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को कहना चाहूंगा कि यह मसला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पत्रकारों का नहीं है, यह मसला हॉकर्स का नहीं है, कम्पोजीटर्स का नहीं है, यह मसला पूरे भारत की जनता का है, जनतन्त्र का है, भारत के संविधान का है, और इससे पूरे हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे इमर्जेन्सी लागू कर दी गई है। लागू किस तरह से कर दी गई? आज किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले मीसा के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था। आज किसी भी मजदूर के हड़ताल सम्बन्धी अधिकार को छीन लिया गया है, सरकार ने इतनी वाइड पावर्स अपने हाथ में ले ली हैं, जिससे हड़ताल करने पर उसे गैर-कानूनी घोषित कर सकते हैं और मजदूर को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वह मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो या पत्रकार हो, ऐसा लेजिस्लेशन लाकर इस सरकार ने वही इमर्जेंसी जैसी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं जिनसे पूरी इमर्जेन्सी लागू हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो कानून बना उस कानून से सबको डर लग रहा है। बिहार में जिस प्रकार का कानून बना उसका उल्लेख अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कर चुके हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। उस सम्बन्ध में एक बात बिहार के मुख्य मन्त्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो, उड़ीसा का जो कानून है उसकी अक्षरशः नकल की है। मैं समझता हूं कि आज कल के मुख्य मन्त्री अक्ल से काम नहीं लेते, नकल से काम लेते हैं। इससे मुझे डर लगता है कि जिस तरह से बिहार के मुख्य मन्त्री ने उड़ीसा के कानून की नकल की है उसी तरह से कहीं राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस नकल की प्रवीणता यहां सिद्ध न कर दें और कहीं नकल करके इस प्रकार के कानून का प्रस्ताव यहां न कर दें। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगर मुख्य मन्त्रीजी को ऊपर से इशारा हो जाय कि इस प्रकार का कानून लागू करना है तो यह रावी-व्यास का पानी एक इशारे में दे सकते हैं, प्रेस का गला घोंटने में इन्हें कोई वेदना होने वाली नहीं है, और इस प्रकार का कानून लागू कर सकते हैं। मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी, जो कुछ घटना हुई है आप स्पष्ट शब्दों में उसका खेद प्रकट करें। और, दूसरे, मुख्य मन्त्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप बिलकुल स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की घोषणा करें कि राजस्थान में बिहार बिल की नकल नहीं की जायेगी, राजस्थान में बिहार जैसा कानून नहीं बनाया जायेगा। यदि बिहार जैसा कानून बनता है तो, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पत्रकार ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान के पत्रकार के सामने इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी उससे बचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कल विधान सभा में पत्रकार नहीं थे, विधान सभा की कार्यवाही पत्रकारों के न होने की वजह से अखबारों में नहीं छपी। इसलिए जो कुछ हुआ वह विधान सभा के सदस्यों को मालूम है, जनता को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है तो, पत्रकारों का रहना कितना आवश्यक है,

(84)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, इसका अनुमान लगा लें। यदि पत्रकार, हम अन्दाजा लगायें, बिहार में नहीं होते तो हालात क्या होते ? लोगों को यह भी पता नहीं लगता कि इस बिहार की सरकार में क्या हो रहा है, भागलपुर में कितने आदमियों की आंखें फोड़ी गयीं यह हिन्दुस्तान की जनता को पता नही लग पाता यदि यह कानून उस समय लागू हो गया होता। वहां पर धनवाद कोयला माइन्स में जिस प्रकार की माफिया सरकार चल रही है, उससे राजस्थान की सरकार ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की सरकार दुःखी है। वहां पर जिस प्रकार का गुण्डा राज चल रहा है, यदि पत्रकार नहीं होते तो धनवाद की कोयला माइन्स के बारे में इन सब चीजों का किसी को पता नहीं लगता। राजस्थान में जितने भी थर्मल प्लान्ट्स हैं यदि काम न करें तो हिन्दुस्तान की रेलें बन्द पड़ी होतीं, हिन्दुस्तान में बिजली के कारखाने बन्द पड़े होते। उन पत्रकारों को धन्यवाद दिया जाये जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा कर एक आन्दोलन शुरू किया, और बिहार सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार को चिन्तित होकर उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि बिहार शरीफ में जिस प्रकार के दंगे हुए, बिहार सरकार उन दंगों को दबाना चाहती थी। 50 आदमी निरपराध मारे गये। यह पत्रकारों की बदौलत था कि केन्द्रीय सरकार ने वहां सैंट्रल रिजर्व पुलिस भेज कर उन दंगों को रुकवाया और जितने लोग इस दंगे में फस गये थे उनको बचाया। अध्यक्ष महोदय, आपको, इसी तरह से मालूम होगा कि पटना डिस्ट्रिक्ट में नक्सलाइट्स के नाम पर कितने आदमियों की हत्या की गई, पोलिटीकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार गोलियों से उड़ाया गया। यह पत्रकारों की बदौलत था कि उन्होंने इस कांड को सारे देश के लोगों को बताया और उन लोगों को बचाया। अध्यक्ष महोदय, यह पत्रकारों की बदौलत था कि बिहार सैण्ट्रल बैंक का स्कैंडल, जिसमें स्वयं मुख्य मन्त्री फंसे हुए हैं उसको उजागर किया। वे उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गये और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 5 अक्टूबर को उनकी पेशी होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि बिहार में मेडिकल कालेज के एक्जामिनेशन्स में गड़बड़ियां हुईं, किस तरह परचों की, कॉपियों की नकलें वहां आई और कैसी स्थिति पैदा हुई। उसको भी पत्रकारों ने जनता के समक्ष उजागर किया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि प्रेस वाले इस बात को उजागर नहीं करते तो हिन्दुस्तान में किसी को इस बात का पता नहीं लगता, और खास तौर से उस समय पता नहीं लगता जिस समय बिहार के मुख्य मन्त्री श्री जगन्नाथ मिश्र थे। वे कहते हैं कि बिहार में भागलपुर में लोगों को अन्धा किया गया उसके पीछे सोशल सक्शन थी। वहां के मुख्य मन्त्री का माफी मांगने की बजाय यह कहना कि इसके पीछे सोशल सैंक्शन थी, मुझे शर्म आती है इस तरह की बातें रिपीट करते हुए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे डर लगता है कि इस नकल करने की प्रथा यहां भी न दुहरायी जाये। उड़ीसा में 1962 का कानून बना हुआ है। उस समय वहां के मुख्य मन्त्री श्री पटनायक थे। उस समय एक अखबार के एडीटर थे, आज के मुख्य-मन्त्री ने उस अखबार में एडिटोरियल लिखा और 1962 के कानून का विरोध किया। उस कारण आपको जानकर ताज्जुब होगा, कानून के अन्तर्गत रूल्स नहीं बनाये गये। आज तक उड़ीसा में वह कानून लागू नहीं है। इसी तरह से तमिलनाडु में कानून बना। कानून बनने के बाद नियम बने लेकिन यह नियम लागू नहीं किये गये हैं। वह श्रीमान कहते हैं, हम लागू करेंगे। जब राजस्थान में पत्रकारों ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम का वहिष्कार किया तो हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा कि पत्रकारों को किसी आदमी के खिलाफ गलत समाचार छापने की छूट नहीं दी जा सकती है। मुझे इस बात से भय पैदा हुआ कि जब प्रधान मन्त्री पत्रकारों के खिलाफ बोल गईं तो प्रधान मन्त्री की चापलूसी करने वाले जो जगह-जगह मुख्य मन्त्री बैठे हैं वे तो प्रधान मन्त्री का झंडा लेकर कहेंगे कि आपका अखबार मे संदेश ज्यों ही आया हमने भी बिल तैयार कर लिया और राजस्थान विधान सभा में बिल को पेश करेंगे, विधान सभा यदि स्थगित हो गई तो आर्डिनेन्स के जरिये उसको लागू करेंगे। ऐसी हालत में यह मामला केवल पत्रकारों तक ही सीमित नहीं है, यह मामला केवल पत्रकारों का नहीं है। मैं पत्रकारों को तो बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मसले को उठाया और उठा कर इस सीमा तक ले गये। लेकिन यह मामला पत्रकारों तक सीमित नहीं रहेगा, यह आम जनता का मामला है, आम राजनीतिक दलों का मामला है चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हम विरोधी पक्ष में बैठे लोग हों, यह उन सब लोगों का मामला है। इस मामले को लेकर यदि यहां पत्रकार किसी प्रकार का विरोध प्रकट करें तो, मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्री को उनका विरोध भी लेना चाहिये। और सबसे मोटा प्रश्न यह आता है कि राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की।

जुलूस निकाला 30 तारीख को, आज 7 तारीख है, यदि छोटे मोटे ज्ञापन को आप ध्यान नहीं देते, राज्य सरकार ने अपनी ओर से भारत सरकार को कुछ कमेंट्स भी नहीं किये होंगे, लेकिन राज्यपाल महोदय ने कमेंट्स के लिये आपके पास ज्ञापन को भेजा है; आप उस पर क्या रिएक्शन कर रहे हैं? जो कानून बिहार में आया है, आप उसकी ताईद करते हैं या उस कानून का विरोध करते है, आपको इस स्थिति को भी यहां सदन में स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं इसी आधार पर कहना चाहूंगा कि कई जगह ऐसी स्थिति आ रही है जिन स्थितियों को लेकर हमें अखबारों की मार्फत नहीं चलना चाहिए। आज एक-दो अखबार झूठ छापते हों, जगन्नाथ मिश्र

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने कहा कि एक अखबार ने लिख दिया कि मैंने 108 बकरों का बलिदान कराया। इस बात को लेकर, उन्होंने सारे बिहार के प्रेस की स्वतन्त्रता को खतम करने का संकल्प कर लिया। उनका तो दो अखबारों से विरोध है, दो अखबारों के विरोध पर सारे अखबारों का नाम लेना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर की घटना को लेकर जिस हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री ने सारे देश में इस बात की घोषणा की थी कि यहां पर मास रेप हुआ लेकिन ज्युडिशियल कमीशन ने कहा है कि रेप नहीं हुआ, उस प्रधान मन्त्री के खिलाफ आप एक्शन लेने को तैयार हैं क्या? कानून बना हुआ है। हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री बिल्कुल निराधार बातें कह जायं, प्रचार हो जाय हिन्दुस्तान भर में। उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन लेने की बात नहीं। प्रधान मन्त्री भी गलत बात कह सकती हैं। इसी सदन में, मुझे मालूम है, कांग्रेस वालों ने खेतड़ी के लिये कहा कि 250 महिलाओं के साथ एक साथ बलात्कार हो गया। वह बात बिल्कुल झूठी थी। मैं सदन से पूछना चाहूंगा कि उन असत्य बातें और गलत बातें कहने वालों पर तो एक्शन ले सकते हैं लेकिन प्रधान मन्त्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं और असत्य बातें और गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते! आप अखबार वालों पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, उस हालत में, जब पहले ही कानून है। आज भी डिफेमेशन सूट फाइल किया जा सकता है। बिहार की सरकार से आथर्स गिल्ड ने पूछा कि आज तक कितनों के खिलाफ डिफेमेशन का सूट फाइल किया। उन्होंने कहा, एक भी डिफेमेशन सूट फाइल नहीं किया। आप डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते थे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड, यह बात सही है कि हम उनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन वह सेन्ट्रल लॉ है, सारे हिन्दुस्तान पर यदि यूनीफॉर्मिटी से लागू होता है तो उसका अपना महत्व है। उसको यदि पीसमील में अमेंड कर दिया जाय, एक स्टेट कुछ अमेंड कर दे, दूसरा स्टेट कुछ अमेंड कर दे, तीसरा स्टेट कुछ अमेंड कर दे; यह कॉन्करेंट लिस्ट में होने के नाते हम अमेंडमेंट करने के लिये अधिकारी तो हैं लेकिन आइ. पी. सी. और सी. पी. सी. को यदि 22 स्टेट्स ने अपनी इच्छानुसार संशोधन करने की कार्यवाही की तो लॉ कैसा हो जायगा, इस बारे में कितने रिपरकशन्स होंगे, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलैप्स पैदा होगा. यह बुनियादी चीज ध्यान देने की है। यह प्रश्न केवल पत्रकारों का नहीं है। हमारे कॉस्टीट्यूशन के अन्दर एक्सप्रेशन के मौलिक अधिकार हैं। वह एक्सप्रेशन का अधिकार केवल इतना सा नहीं है कि मैं अपनी वाणी कह दूं, वह एक्सप्रेशन का अधिकार इतना ही नहीं कि मैं भाषण दे दूं, वह एक्सप्रेशन का अधिकार इतना ही नहीं है कि किसी के कान में बात कह दूं लेकिन उसमें यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी शामिल है कि जो कुछ मैं कह सकता हूं, बोल सकता हूं, वह लिख भी सकता हूं, किसी से जानकारी भी कर सकता हूं। एक्सप्रेशन की परिभाषा में जो सारे अवयव आते हैं उनमें से किसी चीज को रोका गया तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर सीधा कुठाराघात है।

मैं मुख्य मन्त्री से नम्र शब्दों में पूछना चाहूंगा कि आज आपने इस कानून के सम्बन्ध में क्या नीयत बनाई है? मैं नहीं कह सकता लेकिन आपने नहीं बनाई हो तो राजस्थान का नाम सारे हिन्दुस्तान में ऊंचा हो जायगा। मुख्य मन्त्री जी, आपको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। यदि मैं आपकी जगह बैठा होऊं तो सीधी घोषणा करूं कि मैं बिहार की नकल नहीं करूंगा, मैं राजस्थान के पत्रकारों का गला घोंटने के लिये कोई कानून नहीं बनाऊंगा। आजमाकर देखिये, कल शिवचरण माथुर की फोटो सभी अखबारों में आएगी। आज तक तो श्रीराम गोटेवाला की फोटो छपती है लेकिन कल शिव चरण माथुर की फोटो छपेगी और सारे हिन्दुस्तान में लोग आपकी वाहवाही करेंगे कि एक ऐसा मुख्यमन्त्री जरूर मिला है जिसने पत्रकारों के पक्ष में इस प्रकार का निर्णय लेकर घोषणा की।

इन्हीं शब्दों में, बिहार का जो कानून पेश हुआ उसका मैं घोर विरोध करता हूं और पत्रकारों के साथ जिस प्रकार यह कांड हुआ है उस सम्बन्ध में सरकार की निन्दा करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30 अगस्त, 1982 को जिस घटना के सम्बन्ध में इस सदन उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित करने वाली बात कही, उस पर एक वक्तव्य राज्य मन्त्री ने यहां प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यों ने प्रेस की स्वतन्त्रता पर ज्यादा कहा और घटना के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा उससे साबित होता है कि जनता में बहुत कुछ गम्भीरता नहीं है और हमने जो यहां पर वक्तव्य दिया वह तथ्यों पर आधारित है। जहां तक प्रेस की स्वतन्त्रता का सवाल है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पत्रकारों ने नारे लगाये क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं आ रहा हूं, मुझे बोलने दीजिये, मैं भी तो आपकी बातों को सुनता रहा। जहां तक प्रेस की स्वतन्त्रता का सवाल है, जितनी चिन्ता और आस्था उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को है, उससे कम चिन्ता और आस्था हमको नहीं है। हमने तो प्रेस की स्वतन्त्रता को आजादी के ठीक बाद स्वीकार करके उसको कॉन्स्टीट्यूशन में एनशाइन किया और उसके अनुकूल आचरण करके दुनिया को बता दिया कि हमारे देश में प्रेस स्वतंत्र है उसको लिखने की आजादी है। हमारा

(श्री शिवचरण माथुर)

हमेशा विश्वास है कि प्रेस की सफलता के लिये प्रजातन्त्र के जो 4 मूल स्तम्भ है उन सभी को हमने स्वीकारा है। उसमें जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा और पार्लियामैण्ट, पहला स्तम्भ; ज्युडिशियरी या न्यायपालिका, दूसरा स्तम्भ; कार्यपालिका, तीसरा स्तम्भ और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण स्तम्भ है, वह प्रेस है। इसको सिद्धांततः ही नहीं बल्कि क्रियात्मक ढंग से हमने स्वीकारा है, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में प्रेस को जितनी आजादी है उतनी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है चाहे पूंजीवादी मुल्क हो, चाहे समाजवादी देश हो। किस देश में कितनी स्वतन्त्रता है, किस देश में नहीं है, इसका मैं लम्बा जिक्र करके आपका समय नहीं लेना चाहता। लेकिन यह बाहर जाने वाले व्यक्ति भी मानते हैं और मैं भी दुनिया के कुछ देशों में गया हूं, वहां पर जिस प्रकार से प्रेस पर पाबन्दी है, हमारे देश में वह पाबन्दी कतई नहीं है। यहां प्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना खुलकर करती है, जो कुछ भी घटनायें घटती है उनका अपने ढंग से अपने अखबारों में जिक्र भी करती है कई बार तथ्यों से दूर होते हुए भी, लेकिन सरकार उसको दरगुजर करती है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रजातन्त्र के जो 4 स्तम्भ हैं उनमें हमारा गहरा विश्वास है और उन पर हमारी आस्था है। इसलिये राजस्थान सरकार को और उस माइने में भारत सरकार को यह दोष देना कि प्रेस स्वतन्त्रता का सरकार हनन करना चाहती है, ठीक नहीं है। यह ठीक है कि विरोध के लिये आप कह रहे हैं लेकिन मन में आप भी जानते हैं। राजस्थान के जो प्रेस के आदमी हैं उनसे जो हमारे मधुर सम्बन्ध हैं उनके आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे कितने सज्जनतापूर्ण सम्बन्ध हैं, हम लोग भाईचारे से रहते हैं। वे अपने विवेक से हमारी बातों को लिखते हैं, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जहां तक सरकार का सवाल है उसकी चर्चा तो यहां पर की जाती है लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं। विशेष रूप से पत्रकार बन्धुओं से मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखने का अधिकार है, आज दूसरी तरह उनको रोका जाता है पर इस ओर मैं सिर्फ संकेत मात्र ही देना काफी समझता हूं। मैं उसको इलैबोरेट करके नहीं कहना चाहता हूं। आज देश के पत्रकारों को आजादी से अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार स्वयं यह चाहती है। जहां तक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इलैबोरेट करके कहें।

श्री शिवचरण माथुर : आप समझ गये।

(व्यवधान)

(श्री शिवचरण माथुर)

सुनिये, मैं यह जिक्र कर रहा था कि राजस्थान सरकार में बैठने वाले सभी मन्त्रीगण और हमारे विधायक गण आज प्रेस की स्वतन्त्रता में विश्वास करते हैं। हमारे प्रेस के साथ बहुत ही मधुर और सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी वैसे ही मधुर सम्बन्ध बने रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : डर के मारे।

श्री शिवचरण माथुर : डर के मारे नहीं, हम भी वहां पर बैठे थे हमने तो कभी इस तरह की बात नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो नहीं बैठे थे।

श्री शिवचरण माथुर : हमसे मतलब कांग्रेस से है, मेरे से नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो उस वक्त मनोहरसिंह मेहता के शिकार हो गये थे।

श्री शिवचरण माथुर : वह मालूम है मुझे। जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, मुझे फोटो खिचवाने का शौक नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भी तो जनार्दनसिंह जी से हार गये थे।

श्री शिवचरण माथुर : जनार्दनसिंह जी ने आपको भी हराया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हारे हैं, मैं तो मान रहा हूं। पर मैंने यह थोड़े ही कह दिया था कि मैं जनार्दनसिंह जी से हारा था तो भी विधान सभा में आकर बैठ गया था। यह मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहां कहा ?

श्री शिवचरण माथुर : हार में मैं नहीं बैठा। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार में नहीं जाकर यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रेस से बहुत ही अच्छे सम्बन्ध हैं और हमेशा प्रेस के साथ सद्भावना का वातारण बनाकर विधान सभा के प्रहरी के रूप में प्रेस और हम काम करते रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के लिये सहयोग चाहूंगा कि विपक्ष के नेता महोदय मुझे बीच-बीच में नहीं टोकें, मेहरबानी करके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं करूंगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कभी भी आपके बीच में नहीं बोलता हूं। बीच में टोकना अच्छी बात नहीं है। जहां तक 20 तारीख की घटना का सवाल है, जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने कहा है कि हमने तथ्यों को सही तरीके से नहीं रखा है उन्होंने कहा है कि जब पत्रकारों, हॉकर्स

(श्री शिवचरण माथुर)

और कम्पोजीटर्स का जुलूस गया वह राजभवन नहीं जाना चाहता था; वह जब राजभवन नहीं जाना चाहता था तो फिर विवाद ही नहीं रहा, फिर तो कोई विवाद ही नहीं रहा। आप स्वयं कहते हैं जुलूस राजभवन नहीं जाना चाहता था। लेकिन जैसी कि परम्परा रही है, रेल्वे क्रॉसिंग के पास ही जुलूस को रोका जाता है। यह कोई नई परम्परा नहीं है। यह बात कोई आज ही हुई हो वह बात नहीं है। यह तो बहुत ही अरसे से चली आ रही है। जब आप सरकार में थे तब, आपको भी याद होगा, यही परम्परा थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने नहीं रोका। किसको रोका ? आप बतला दीजिये। एक भी जुलूस रोका हो तो आप बता दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने जुलूस रोका था। इतना ही नहीं, आपने तो वहां चार सौ सिपाहियों को खड़ा कर दिया था। यह तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हम बच गये वरना आप तो हमें साफ ही करना चाहते थे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो जुलूस कैसा है, यह देखा जाता है। यह तो पत्रकारों का जुलूस था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी जैसे व्यक्ति जुलूस लेकर आवें तो गवर्नमेण्ट को सावधान रहना ही पड़ता है।

श्री शिवचरण माथुर : आम तौर पर यह परम्परा रही है कि रेल्वे क्रॉसिंग पर जुलूस रोक दिया जाता है और उस जुलूस में से जो लोग जिनसे मिलना चाहते हैं उनमें से कुछ लोगों को बुला लिया जाता है और उनको मिलवा दिया जाता है। यह तो आपको भी मालूम ही है। अभी तीन चार दिन पहले मेरे मकान के सामने ही आप लोग बैठे थे, उसमें आपके साथ काफी संख्या में लोग थे। पर जब आप लोग और आगे बढ़ने लगे तो मजबूर होकर हमें आपको हटाना पड़ा। पर हमारी भावना यह कभी नहीं रही कि....

एक माननीय सदस्य : आपने तो लाठी-चार्ज करवाया।

श्री शिवचरण माथुर : पर हमारी भावना यह कभी नहीं रही।

श्री यदुनाथ सिंह : पिछली बार जब हम विधायक लोग जुलूस लेकर आये थे तो आपने लाठी-चार्ज करवाया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने भी सन् 78 में दिसम्बर में विधायकों के जुलूस पर लाठी-चार्ज करवाया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने सन् 78 में दिसम्बर में हम पर लाठियां बरसायी थीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सन् 78 में तो मैं विधायक नहीं था ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सही है कि आप सन् 78 में विधायक नहीं थे । आपने तो धारा 144 लगा दी विधायकों पर लाठी चार्ज कराया और टीयर-गैस चलायी थी, लोगों के सिर फोड़ दिये थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । कृपया शान्त रहें । राज्य मन्त्री जी, कृपया शान्त रहें, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें । आर्डर, आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है । मुख्य मन्त्री बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं परम्पराओं का जिक्र कर रहा था । आज तक जो परम्परा रही उसकी चर्चा की और इसी आधार पर जुलूस को रेलवे क्रॉसिंग पर रोका गया था, ऐसा मैंने आपको दर्शाया था । राज्यपाल महोदय से जिन व्यक्तियों को मिलना था उनको बुलाकर मिलाया गया । उन लोगों ने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद पत्रकार शान्ति पूर्वक तरीके से चले गये । मैं तो, अध्यक्ष महोदय, उस दिन वहां पर था भी नहीं, मैं तो उस दिन दिल्ली गया हुआ था । यहां पर पुष्पा जी ने यह कहा कि मैंने यहां पर जान बूझ कर एक व्यक्ति को बैठा दिया था, उसने लाठी-चार्ज किया । तो, अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को लेट टाइम मैं यहां आया था । इस प्रकार की बात यह कह रहे हैं यह उचित नहीं है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारी कभी भी यह भावना नहीं रही और न ही हमारी सरकार की भावना ही कभी ऐसी रही है । मैं तो इस प्रकार की बात की कल्पना ही नहीं कर सकता हूं । मैं यहां पर सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग प्रेस की स्वतन्त्रता में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, उसी आधार पर उसकी इज्जत करना चाहते हैं और उसका सम्मान करना चाहते हैं । यह सही बात है कि हमको कई बातों की जानकारी प्रेस के माध्यम से मिलती है, यह केवल ऐसी घटनाओं की ही बात नहीं है, आज इसके अलावा विकास के बारे में और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में प्रेस से जानकारी मिलती है हमको प्रेस से दुनिया भर की जानकारी मिलती है और प्रेस से हमें सारे हिन्दुस्तान की बातों की जानकारी मिलती है. इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है और इस प्रकार प्रेस अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है । यह बात कोई यहां ही नहीं है बल्कि जहां पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पर भी प्रेस, वह किसी प्रकार की बातें छापे वह

(श्री शिवचरण माथुर)

अलग बात है, अपने आप में बहुत महत्व रखती है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हमने अपने वक्तव्य में सद्भावना की बात कही और एक बात यह कि हमारे देश के राष्ट्रपति यहां जयपुर में आये, प्रेस वालों ने उनका बहिष्कार किया उसकी भी हमने भर्त्सना नहीं की। हमने तो इसके लिये यही कहा कि यह एक खेद का विषय है कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति हो, जो हमारे विधान के द्वारा चुना गया हो और जो पहली बार जयपुर में यात्रा पर आये, उनका हमारे राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों का प्रेस बहिष्कार करे। यह एक खेद का विषय हो सकता है। हमने तो उनकी भर्त्सना नहीं की, हमने तो इसके लिये सिर्फ यही कहा कि यह एक खेद का विषय है। राष्ट्रपति जी के यात्रा कार्यक्रमों का प्रेस बहिष्कार करे जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, यह आपने आप में ही खेद का विषय है। उससे बढ़कर और अधिक खेद का विषय क्या हो सकता है इन्हीं शब्दों के साथ एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रेस के साथ मधुर सम्बन्ध हैं और आगे भी मधुर संबंध रहेंगे।

बिहार की विधान सभा में सार्वभौम सत्ता और शक्ति है। अपनी स्थितियों के मुताबिक कोई कानून बनाये उससे राजस्थान का कोई संबंध नहीं आता है। राजस्थान के संबंध में वह बात लागू नहीं होती है और मैं ऐसी बात नहीं मानता हूं कि राजस्थान में ऐसी कोई परिस्थितियां सामने हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ऐसे किसी बिल के बारे में नहीं सोचती। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। बिहार में यदि कोई घटना होती है उसको यहां लाने का कोई मतलब नहीं हैं। वैसे तो यह सारा जो विषय है कानकरेन्ट लिस्ट में है। अभी तो बिहार का प्रेस बिल भी राष्टपति महोदय की असैन्ट के लिए गया हुआ है और उनकी असैन्ट मिलने के बाद ही कानून बनेगा। इसलिए अभी कानून की स्थिति भी उसने प्राप्त नहीं की है। राजस्थान के संबंध में यहां उस विषय को बहुत ज्यादा चर्चित करने का न तो कोई मतलब है और न कोई अर्थ ही सामने नजर आता है। इसलिए इस मौके पर बहुत अधिक नहीं कहते हुए यही विश्वास दिलाता हू कि हमारे संबंध अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, बैठ जायें। प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, सब प्रश्नों के जवाब नहीं आ सकते। चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य, कृपया।

व्यवस्था

राजस्थान सरकारी स्थान

(अप्राधिकृत अधिभोगियों की

बेदखली) (संशोधन) विधेयक,

1981 को वापस लेने की

अनुमति।

वापस लिये जाने वाले विधेयक-इस संबंध में विपक्ष के नेता महोदय ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। व्यवस्था के प्रश्न के बारे में मैंने अपना विनिश्चय सुरक्षित रखा था इसलिए आज की यह कार्यवाही शुरू करने से पूर्व में अध्यक्षीय व्यवस्था आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं।

कल जब गृह राज्य मंत्री सदन की कार्यसूची में समाविष्ट राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने का प्रस्ताव करने वाले थे, तो विपक्ष के माननीय नेता ने यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि जिस विधेयक को सरकार वापस लेना चाहती है, उसी के स्थान पर राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश जारी किया है और चूंकि उपरोक्त विधेयक विधान सभा के सामने विचारार्थ है अतः उसके संबंध में अध्यादेश जारी करना सदन की परम्पराओं के विपरीत है और सदन का अपमान है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जो विधेयक विधान सभा के समक्ष विचारार्थ हो और उसको पारित नहीं किया जा सके, उसके स्थान पर अध्यादेश जारी करना सदन के अधिकारों पर कुठाराघात है।

मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 213 की धारा (1) के अनुसार यदि राज्यपाल को संतुष्टि हो जाये कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिनके अनुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल के इस अधिकार पर इस बात का कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है कि जिस विषय में अध्यादेश जारी किया गया है उसके विषय में कोई विधेयक सदन में लम्बित है या नहीं। वस्तुतः सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 63 (2) में भी इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अध्यादेश सदन के समय लम्बित विधेयक के प्रावधानों को समविष्ट करते हुए भी जारी किया जा सकता है और इस प्रकार के अध्यादेश में उक्त प्रावधानों को यथावत भी रखा जा सकता है या उसमें फेर बदल भी किया जा सकता है। नियमों में केवल यह शर्त रखी गयी है कि यदि लम्बित विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध में कोई विधेयक जारी किया जाये तो सरकार को उन कारणों की सूचना देते हुए एक विवरण, अध्यादेश को सदन में प्रस्तुत करने के साथ ही रखना पड़ेगा जब कि ऐसे अन्य अध्यादेश के विषय में, जिसके सम्बन्ध में कोई लम्बित विधेयक न हो, इस प्रकार का विवरण अध्यादेश प्रस्तुत करते समय रखने की आवश्यकता नहीं है और यह विवरण केवल तभी रखा जा सकता है जब कि उसका स्थान लेने वाला विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया जाये। मैं

(श्री ग्रध्यक्ष)

समझता हूं कि इस शर्त की पूर्ति कल की कार्यसूची में कर दी गयी थी और जिस समय सरकार की ओर से अध्यादेश रखा जाने वाला था, उसके साथ ही उसको जारी करने के कारणों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया था। इन परिस्थितियों में मैं उपरोक्त आपत्ति को निरस्त करता हूं और सरकार का 1981 का विधेयक, जिसके स्थान पर अब सरकार दूसरा विधेयक लाना चाहती है वापिस, लेने की अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : कोई विचारणीय विषय है ही नहीं सदन के समक्ष।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जो व्यवस्था दी है....

श्री अध्यक्ष : उस पर पाइन्ट आफ ऑर्डर नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस पर नहीं बोल रहा हूं लेकिन यह जो बिल इन्ट्रोड्यूस कर रहे है उस पर तो बोल सकता हूं। दूसरा पॉइन्ट आफ अर्डर....

श्री अध्यक्ष : वह स्टेज अभी नहीं आई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह स्टेज आ गयी। मैं इस समय पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं करूंगा तो यह स्टेज खत्म हो जायेगी। मैं फिर बाद में प्रश्न उठाता हूं तो बाद में उसका महत्व नहीं रहता। मैं तो आपसे एक जानकारी करना चाहूंगा....

श्री प्रद्युम्नसिंह : विरोधी पक्ष के नेता महोदय अभी तो विथड्राल की स्टेज है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे मालूम है, श्रीमन्।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो, श्रीमन्, काल शून्य है, विषय ही नहीं है। आप क्या पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं?

श्री भैरोंसिह शेखावत : श्रीमन्, आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, केवल एक जानकारी करना चाहता हूं। आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है, उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स और बिल दोनों हाउस की बिजनेस लिस्ट में रह सकते हैं क्या? उसी विषय पर आर्डिनेन्स और उसी विषय पर बिल।

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था में यही तो कहा है। यदि कोई विधेयक लम्बित हो और इस दरम्यान सत्रावसान हो जाये तो उस समय में राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस अधिकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। राज्यपाल का संविधान में अधिकार है उसको चुनौती नहीं दे रहा हूं। यहां पर कोई बिल पेंडिंग है तो राज्यपाल महोदय कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं या नहीं, वह तो आपने फैसला दे दिया। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही में बिल और आर्डिनेन्स दोनों साथ ही चल सकते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : वह तो मैंने व्यवस्था दी है। उसमें यदि कोई पेंडिंग हो तो उस स्थिति में जब तक उसको विदड्रा नहीं किया जायेगा वह स्थिति रहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों रहेंगे?

श्री अध्यक्ष : दोनों रहेंगे, तब तक विदड्रा नहीं किया जायेगा। इसलिए विदड्रा कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स कानून बन जाता है और वह फोर्स में आ जाता है लेकिन बिल कोई कानून नहीं है। कानून और इसकी बात पर आप बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना ज्ञान तो अध्यक्ष महोदय को है आप क्या बता रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय को नहीं बता रहा हूं। मैं आपको यह बात बता रहा हूं? मैं तो आपको यह बात बता रहा हूं। आर्डिनेन्स और कानून भिन्न हैं। वह कानून है और बिल कानून नहीं है।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक 1981

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेता हूं।

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत उपभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1982.

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण)(संशोधन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करती हूं।

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा, प्रभारी मन्त्री।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 7, सन 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा, प्रभारी मन्त्री।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 8, सन् 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष । विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

(श्री अध्यक्ष)

आज चार विधेयक हमको पारित करने हैं और लगभग तीन घंटे का समय समय शेष बचा है। प्रत्येक विधेयक के लिए पौन घंटे का समय दिया जाता है और यह समय समाप्त होने पर उस विधेयक के पारण पर सभी आवश्यक प्रश्न पूछ लिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलग-अलग बिल के लिए समय न बांधा जाये। मेरे ख्याल से हो जायेगा वैसे ही।

विधेयक पर विचार
राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष : हमारी कोई लोहे की लकीर थोड़े ही है।

श्री चन्दनमल जी बैद प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 जो अहने सामने विचारार्थ रखा गया है उसमें एक ही बात है। इसके अन्तगत, विज्ञापन कर जिन सिनेमा मालिकों में बाकी रहता है वे काफी लम्बी अवधि तक विज्ञापन कर नहीं चुकाते हैं। इसके लिये आज कोई उपबन्ध नहीं था कि कैसे वसूल किया जाये, किस प्रकार ब्याज लिया जाये, इसके यह विधेयक लाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें बहुत बड़े विधेयक की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने एक मूल त्रुटि की है, कुछ महीनों के लिये डेढ़ पर्सेंट, फिर 2 पर्सेंट, इस प्रकार नियम लागू किये हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार से मनोरंजन कर की आय है उसमें बहुत बड़ा धपला राज्य सरकार के सामने है और उन धपलों को बचाने के लिये राज्य सरकार को उपबन्ध वास्तव में करना चाहिये था। एक प्रकार मे जो टिकट्स सिनेमा घरों में दिये जाते हैं उनके पीछे जो टिकट्स होते हैं वे अलग अलग चिपकाने पड़ते हैं। वे टिकट काफी कम मूल्य की होती है, 5-5, 10-10 और 15-15 पैसे की होती हैं। जो टिकट दी जाती हैं उन टिकटों के पीछे एक लम्बा कागज लगाकर वे उस पर चिपकाई जाती हैं इससे बहुत बड़ा कर की चोरी का मामला होता है। कई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बार मोहर नहीं लगी हुई होती है उन टिकटों का अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की थी कि इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये कानून के अन्दर कोई प्रावधान किया जाता। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यह रखना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इसमें चोरी का मुद्दा रोकने के लिये टोल टैक्स गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिये था। सिनेमा घरों की केपेसिटी होती है तीन सौ की, चार सौ की अलग अलग केपेसिटी की कैटेगरीज होती है। उसके अन्दर बैठने की सीट्स होती हैं उन सीट्स के आधार पर टोल टैक्स फिक्स किया जाये। एक साल के अन्दर कितना टैक्स मनोरंजन के रूप में आपको देना पड़ेगा? सिनेमा मालिक लाइसेंस लेता है उसको सोचना पड़ेगा कि इतना मनोरंजन कर मुझे देना पड़ेगा, इस प्रकार फिल्म लगानी है। उसके बाद राज्य सरकार को मनोरंजन कर आय दुगुनी, तिगुनी हो सकती है। मनोरंजन कर की जो लीकेज है, मनोरंजन कर में जो चोरी होती है उस मनोरंजन कर की चोरी को, लीकेज को रोकने का कोई उपबन्ध नहीं है। इस विधेयक में सरकार इस प्रकार का कोई उपबन्ध लाने जा रही है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ कठिनाइयां हैं। वे कठिनाईयां, एक तो टिकटों के मामले में है, दूसरे मनोरंजन कर की चोरी के मामले में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मनोरंजन कर को माफ करने की प्रक्रिया, जो गवर्नमेंट ने बना रखी है। इस प्रकार का अधिकार जिन लोगों को दे रखा है उसका बहुत बड़ा दुरूपयोग होता है। एक समान कैटेगरी नहीं है किस प्रकार की फिल्म मनोरंजन कर से मुक्त होगी। कुछ संस्थायें ऐसी होती हैं जो कागज पर नहीं हैं उनके नाम से सिनेमा मालिक ही फिल्में चलवाते हैं। सार्वजनिक कामों के नाम पर मनोरंजन कर में छूट लेने के लिए इस प्रकार की फिल्में कोई सार्वजनिक उद्देश्य की फिल्म हो, किसी अच्छे चरित्र की फिल्म हो, कोई कला फिल्म हो, जिस पर मनोरंजन टैक्स की छूट लेकर सार्वजनिक काम की कोई संस्था सार्वजनिक हित के लिए उसका उपयोग करना चाहती हो, उनको छूट दी जा सकती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कई बार उदाहरण आये हैं अश्लील फिल्म जिनको "ए" सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन "ए" सर्टिफिकेट फिल्मों के लिये मनोरंजन कर की छूट लेकर सार्वजनिक काम के नाम पर उसका पैसा वसूल करती है। इस प्रकार की नीति निर्धारित करने का काम माननीय वित्त मंत्रीजी को करना चाहिये था और यह भी कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक बिल लाते। मनोरंजन कर से जो आय होती वह बढ़ती। लेकिन इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। एक छोटी सी बात के लिये कि तीन महीने का टैक्स चुकाये तो क्या करें, 6 महीने का टैक्स चुकाये तो क्या करें ....

(श्री घनश्याम तिवा ड़ी)

(2.23 म. प.)

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मनोरंजन कर का बहुत बड़ा विवाद पहले ही चल रहा है। जो नगर पालिकायें हैं, जो नगर परिषदें हैं वहां इस प्रकार की ग्राय के साधन बहुत कम हैं। राजस्थान में करीब 10-11 शहर ऐसे होंगे जिनकी ग्राबादी एक लाख से ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां सीवरेज की समस्या है। इस प्रकार के शहरों के ग्रन्दर ग्राबादी बढ़ती जा रही है। वहां विकास की समस्या पैदा हो गई है। नगर पालिकाग्रों ग्रौर नगर परिषदों की ग्राय के जो स्रोत हैं, वे सीमित हैं, उन साधनों के द्वारा वे ग्रपना विकास नहीं कर सकते, उन शहरों के ग्रन्दर रहने वाले नागरिकों को ठीक प्रकार से सुविधायें नहीं देते। मैं चाहता था, माननीय वित्त मंत्रीजी, इस प्रकार का प्रावधान लाते पूरा-पूरा मनोरंजन कर नहीं देना चाहते तो एक हिस्सा मान लीजिये। एक हिस्सा तो देते प्रत्येक व्यक्ति के ग्राधार पर विकास का शुल्क देते हैं, वह नहीं, मनोरंजन कर की कोई निश्चित रकम नगर पालिकाग्रों, नगर परिषदों को दी जाती। इस प्रकार विधेयक होता तो, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही सुन्दर होता। मैं तो मानता हूं, विधेयक के ग्रन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करना जरूरी था। जो व्यक्ति टैक्स की चोरी करे, जो टैक्स नहीं दे उससे किस प्रकार उपबन्ध के ग्राधार पर वसूल किया जाये ग्रौर उसमें जिस प्रकार की कटिनाइयां हैं उनके बारे में किस प्रकार के निराकरण होंगे उन सब के बारे में इस विधेयक में प्रावधान नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा, वित्त मन्त्रीजी, इस विधेयक को पेश नहीं करें ग्रौर इस प्रकार का व्यापक विधेयक लायें जो वैज्ञानिक ग्राधार पर तैयार किया गया हो। इस प्रकार का व्यापक विधेयक पेश करें जिससे मनोरंजन कर ठीक ढंग से वसूल किया जा सके मनोरंजन कर की चोरी को रोका जा सके ग्रौर उससे नगरपालिकाग्रों ग्रौर नगर-परिषदों को जिस प्रकार की ग्राय हो, वह भी उनको मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को एक ग्रौर नीति निर्धारण करनी चाहिए। राजस्थानी भाषा में जो फिल्म बनती है उसमें राजस्थानी भाषा के कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए मनोरंजन कर से छूट मिलनी चाहिए। ग्रगर इस तरह करते हैं तो राजस्थानी भाषा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा निवेदन है, इस छोटे से विधेयक के बजाय, माननीय वित्त मन्त्री जी, कोई बड़ा विधेयक लाते तो ठीक होता। दूसरा निवेदन यह है कि मनोरंजन कर के साथ टोल टैक्स भी वसूल किया जाय। तीसरा मेरा निवेदन है कि मनोरंजन कर से छूट देने की कोई नीति निर्धारित की जाय उस नीति के ग्रनुसार ही फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया जाय। इस प्रकार का ग्रगर कोई विधेयक होता तो उस पर चर्चा करने की ग्रावश्यकता थी, इस छोटे से विधेयक पर चर्चा करने की ग्रावश्यकता नहीं है फिर भी जनमत जानने की ग्रावश्यकता है। यह एक भयंकर समस्या है, लोगों को ग्रन्दर या गेट पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बिठा देते हैं लेकिन कई बार सैल्स टैक्स के अधिकारी उनको पकड़ कर ले जाते हैं।

इस प्रकार के सारे कार्यों के लिए मैं यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। जो मैंने बातें बताई हैं, माननीय वित्त मन्त्री जी, उनके बारे में आप बतायें और इनमें कुछ हल निकल सकता हो तो हल निकालने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। जो एक लाख और एक लाख से ऊपर की आबादी के नगर हैं उनमें यह मनोरंजन कर है। सरकार 50 प्रतिशत से लेकर अधिक तक नगर परिषद और नगरपालिकाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता देती है। आज दो स्थिति हैं प्रथम तो आज जो अनुदान देते हैं वह राजनैतिक भावना से प्रभावित होता है जिससे नगर परिषद और नगरपालिकाओं के जो भी वित्तीयसाधन हैं उनमें कमी होने के कारण वहां का जीवन नारकीय हो चुका है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि आप नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों को अन्य कुछ भी वित्तीय सहायता नहीं देते हैं तो कम से कम जो पुरानी प्रणाली है उसके अनुसार मनोरंजन कर की 50 पर्सेन्ट सहायता दें तो स्वच्छ वातावरण में नागरिक रह सकते हैं और साफ सफाई की व्यवस्था भी भी रह सकती है।

श्री अध्यक्ष : सरकार किया करती है। किया करती है थोड़ा।

श्री भगवान दास शास्त्री : माननीय वित्त मन्त्री जी, आपको जो मनोरंजन कर मिलता है उसमें से 60 पर्सेन्ट की तो चोरी होती है। मैं आपको क्या बताऊं, सिनेमा घर की 4-4,5-5 रुपये की टिकट हैं और लिमिटेड सीट्स हैं किन्तु उसमें अपने ही 10-15 आदमी बुकिंग पर लगाकर बिफोर शो टाइम ब्लैक में 6-6, 7-7 रुपये में बेचकर जनता के धन को लूटते हैं और आपके कर की चोरी करते हैं। उसके बारे में आपने इस विधेयक में कुछ भी नहीं किया है। कम से कम आधे हिस्से से ज्यादा ब्लैक में बेची हुई वह टिकटें है जो वहां के मालिकों की होती हैं, वे सैल्स टैक्स की चोरी करते हैं। इससे नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों को जो सहायता आप देना चाहते हैं वह भी पूरी नहीं मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उन पर एक्शन लें। एक्शन लेना तो आपके हाथ में है। अगर सिनेमा हाल एयर कन्डीशन्ड नहीं है, वहां हवा की

(श्री भगवानदास शास्त्री)

व्यवस्था नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है तो कलेक्टर्स को पावर्स हैं, उनको दिये हुये अधिकार समाप्त कर सकते हैं 24 घण्टे के अन्दर। लेकिन वे भी रोज बैठते हैं, उनके परिवार के लिए टिकट रिजर्व रहते हैं। उनके खिलाफ राज्यसरकार को मालूम है लेकिन कार्यवाही नहीं करते क्योंकि खुद चोरी में लिप्त हैं, उनके मेहमान आते रहते हैं। मैंने स्वयं ने देखा है अधिकारियों को, वे सिनेमा घरों के मालिकों से मिले हुए हैं एक्स्ट्रा 5-5, 7-7 कुर्सियां लगाकर उनको बिठाया जाता है उससे एक भी पैसा टैक्स का प्राप्त नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मनोरंजन कर के बारे में जो संशोधन विधेयक लाये हैं, इस संशोधन से कुछ होने वाला नहीं है। जो पुराना बिल था उसको अच्छी तरह रखते। दण्ड के लिए आप कैसा ही बिल बनावें, कितनी भी ताड़ना दें, कितना भी संशोधन लायें, जब तक क्रियान्विति में आपके अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। वित्त के जो साधन हैं उन पर राज्य सरकार या सम्बन्धित अधिकारी हैं ध्यान नहीं देते हैं। जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक पैसा राज्य सरकार के पास आने वाला नहीं है। जब पैसा ही नहीं आयेगा तो उस नगर के भले के बारे में आप नगरपरिषद या नगरपालिका को वित्तीय साधन जुटाने में सहायता नहीं दे सकते हैं। इसलिये, प्रभारी मन्त्री जी मैं आपको गारन्टी के साथ कहता हूं, जितने घोटाले आपके मनोरंजन कर में है पूरे राजस्थान प्रदेश में किसी भी मामले में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता है। आज आपके बजट में भी घोर विरोध फैला हुआ है इसी कारण से।

पहले जो मन्दिरों में जाते थे वे बूढ़ी-बूढ़ी माताएं और पुरुष आज सिनेमा को ही मन्दिर मानते हैं। विद्यार्थी जीवन के रूप में जब हम बचपन में अकेले सिनेमा घरों में जाते थे तो लोग एक बात कहते थे, गुण्डे हैं, ये सिनेमा में जाते हैं। वहां आज हमारी माताएं और महिलाएं उस पुरानी सभ्यता को तोड़ रही हैं। अब जो यह शौक लगा है, उसकी हवा बम्बई से फैली है और दिल्ली से आकर राजस्थान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तो जो यह मनोरंजन कर है, अगर साफ सुथरा, ईमानदारी से उसका आपको पेमेन्ट हो जाय तो मैं गारन्टी से कह सकता हूं उससे जो पैसा बचे वह राजस्थान के घाटे की पूर्ति कर सकता है और नगर-परिषदें और नगर पालिकायें स्वच्छ प्रशासन देने और नगरों को स्वच्छ रखने की हिम्मत कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शक्तिशाली बिल लाकर इस मनोरंजन कर के मामले को ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव इसमें दिया हुआ है, उसके अनुसार,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस उद्देश्य बिल में और कारणों के विवरण में चूंकि नियमों में अपील प्राधिकरण द्वारा पारित करने के विरुद्ध पुनःरीक्षित करने के लिये उपबन्ध है मेरा इससे मतभेद है, अपील करने का प्रावधान इसमें होना चाहिए। इन्होंने उस प्रावधान को समाप्त करने की यहां पर योजना बनाई है। जुर्माने से मेरा कोई मतभेद नहीं है। जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई जुर्माने का एडजेस्टमेंट गलत कर दे, अधिक कर दे तो उसके विरुद्ध अपील का अधिकार उससे छीना नहीं जाना चाहिये। मेरा निवेदन है उसका अपील करने का अधिकार रहना आवश्यक है। मैं कहना चाहती हूं, जयपुर में पहले 7 सिनेमा थे और अब 11 हो गये। अब भी केवल तीन लाख रुपया नगर परिषद को दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी, सारे सिनेमा घरों से अब उनकी आय बढ़ी है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि पिछले दिनों मनोरंजन टैक्स भी बढ़ा है और उस टैक्स के बढ़ने के बाद नगरपरिषद नगरपालिकाओं का जितना हिस्सा था वह भी सरकार नहीं दे रही है, अर्थात् सरकार टैक्स की चोरी कर रही है। मेरा निवेदन है जो उनका पिछला देय है वह देना चाहिए और भविष्य में भी उनको उतना देना ही नहीं चाहिये बल्कि सारी आय नगर परिषद को देनी चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लोगों के सुभाव आमंत्रित करने के लिए इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने का मेरा जो आग्रह है उसके पीछे कई भावनायें हैं। इसलिए इसे जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूं, सिनेमाओं की स्थिति सुधारी जानी चाहिये। आजकल आपने भी सिनेमा देखे होंगे, मैं तो उनके पोस्टरों को देख कर ही घबरा जाती हूं किस तरह महिलाओं, अभिनेत्रियों के चरित्र का हनन सड़कों पर दिखाया जाता है और नंगा प्रदर्शन किया जाता है। इसको बन्द करने के लिए भी कोई कानून होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप पाइन्ट से बाहर जा रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट पर ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई महिलाओं के साथ गड़बड़ी होने की बात नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जो अश्लील पोस्टर सिनेमाओं के लगाये जाते हैं, सिनेमाओं से सम्बन्धित बात ही कहना चाहूंगी, उन पर तत्काल रोक लगानी चाहिये यह मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगी। साथ ही मेरा निवेदन है, राजस्थानी भाषा में फिल्म फिल्माये जाने का राजस्थान में बहुत बड़ा स्कोप है। यहां के महल, यहां के खण्डहर, यहां की झीलें, यहां के तालाब, यहां के पहाड़ आमन्त्रित करते हैं कि यहां पर फिल्म फिल्माई जाय और यहां के लोगों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

का रोजगार बढ़ाया जाय। राज्य सरकार इसके लिये भी राजस्थानी भाषा को ···

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम नहीं है, बड़ी-बड़ी फिल्में राजस्थान में ही फिल्माई गई हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे लोग बाहर से आते हैं। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। यहां की कला का विकास नहीं होता है। यहां की संस्कृति का लोगों को पता नहीं पड़ता है। मैं कहना चाहती हूं, यहां की संकृति, यहां के लोकगीत, यहां के लोक नृत्यों को उजागर कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहना चाहूंगी कठपुतलियों पर भी फिल्म बनाली जाय तो भी ऐसी कला विश्व के किसी कोने में नहीं मिलेगी जो आजकल हमारे यहां है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूं मन्त्री महोदय को। कि आयें और इस बारे में भी प्रयत्न करें। मेरा इससे विरोध नहीं है कि इस पर टैक्स लगाया जाय। लेकिन जो आप ब्याज और जुर्माने का प्रावधान कर रहे हैं उसमें मेरा कहना है कि जुर्माने का एक सा विधान रखें। एक सा विधान रखने से ठीक रहेगा। साथ ही उसके पुनरीक्षण और अपील का अधिकार प्रार्थी को होना चाहिए जिससे कोई गलत असेसमेन्ट कर दे तो अपील में जाय। साथ ही यदि कोई ज्यादा पैसा ले ले तो उसकी वापसी का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। यह मेरे कुछ सुझाव हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि एक महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय, लोगों के सुझाव आमंत्रित किये जायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने अमेण्डमेन्ट के जरिये यह जो बिल पेश किया है, इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गयीं है। यदि उन कमियों को भी इसके साथ-साथ हटा दिया जाता इसको तो जो इवेजन होता है उसमें जो बड़ी खामियां हैं वह दूर की जा सकती थी। आज सिनेमा मालिक सरकार और जनता के बीच में सिर्फ टैक्स वसूली का माध्यम होता है। सरकार टैक्स लगाती है, जनता उसका पेमेण्ट करती है और सिनेमा मालिक उस पैसे को सरकार के पास जमा करा देता है। जो सिनेमा मालिक उन पैसों को जमा नहीं कराता, उसके विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करने के लिए आज के एक्ट में कोई बड़ा प्रावधान नहीं है जिससे वह समय पर जमा करा। आज हकीकत में यह होता है कि जो सिनेमा मालिक समय पर रिटर्न देते हैं, समय पर अपने टैक्स को चुकाते है, उनको उल्टा ज्यादा परेशान किया जाता हैं और जो अधिकारियों से मिलकर टैक्स की चोरी करते हैं, उनको बराबर प्रोत्साहन

(श्री रामकिशोर मीणा)

मिलता रहता है। उनके यहां पर जितनी फिल्में आती हैं उनको सरकार की ओर से टैक्स मुक्ति में भी कई बार शह मिल जाती है। मैं इसमें जो खामियां हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिससे कि यह टैक्स-इवेजन नहीं हो सके। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय दोहरी नीति है, टैक्स को वसूल करने की। शहरों में टोल टैक्स के रूप में उसको रिटर्न सिस्टम के माध्यम से वसूल किया जाता है, साप्ताहिक तौर पर या माहवारी तौर पर, रिजर्व फिक्स कर दिया जाता है कि 40 हजार रुपये या 50 हजार रुपये महीने सिनेमा मालिक देगा पुराने रिटर्न के आधार पर। लेकिन गांव में एक तहसीलदार जो सब ट्रेजरी आफिसर होता है, उसके ऊपर यह सारा धंधा छोड़ दिया है और वह इतना परेशान करता है सिनेमा मालिकों को कि वह टैक्स का भुगतान नहीं करें, तो उनको ज्यादा सहूलियत रह सकती है बजाय टैक्स के चुकाने के। ऐसे कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। दौसा से अन्दर सिनेमा मालिकों द्वारा ऐसी मांग की गयी तहसीलदार से कि हमको मनोरंजन कर के टिकट दिये जायें लेकिन उनको आज तक टिकट नहीं दिये। यदि मनोरंजन कर का टिकट नहीं लगता है तो 500 रुपये पेनल्टी हो जाती है, वह लगा देते हैं और उसका कोई कारण नहीं बताते। तो इस खामी को दूर कर दिया जाय और शहरों का जैसा सिस्टम गांवों में कर दिया जाय तो उससे जो बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी होती है उस चोरी को रोका जा सकता है। दूसरे, यह जो नोटिस देते है उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप द्वारा चालान इस उप कोष से पारित किये बिना ही टिकट प्राप्त किये जा रहे हैं, अब आपको निर्देश दिये जाते हैं कि चालान की राशि बैंक में जमा कराने से पूर्व इस कोष से चालान पारित कराकर ही रकम बैंक में जमा करायी जाय वरना भविष्य में टिकट जारी नहीं किये जायेंगे।" ऐसा रूल में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, जो टिकट पहले सिनेमा मालिक अपने एजेन्टों के मार्फत तहसीलदार से मांगा लेते थे उसमें भी उनको आपत्ति हो गयी। उन्होंने कहा जब तक सिनेमा मालिक नहीं आयेगा तब तक मैं सिनेमा के मनोरंजन कर के....

श्री उपाध्यक्ष : यह ऐसी मिसाल है जो आप नोटिस में लायेंगे तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्री राम किशोर मीणा : इसको भी वृहत रूप में शामिल किया जाना चाहिए और व्यापक बिल इस पर लाना चाहिए, टैक्स की चोरी किस तरह से होती है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़े स्तर पर होती है। मैं आपको, वित्त मन्त्री महोदय, यदि जांच कराना चाहें, तो बतला देना चाहता हूं। अपने यहां पर जयपुर में ही 3 फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया था। एक अब्दुल्ला फिल्म आयी थी, उसको सी० एम० साहब

(श्री रामकिशोर मीणा)

ने सिर्फ 30 दिन के लिए टैक्स माफी करने की छूट दे दी थी लेकिन आपके अधिकारियों ने सिनेमा मालिकों से मिलकर उसके 6 महीने के आदेश निकाल दिये जबकि फाइल में 30 दिन का आदेश है। दूसरी एक फिल्म क्रान्ति आयी थी, उसके लिए विभाग द्वारा 6 महीने या 12 महीने का एक्जम्पशन मांगा था। लेकिन फाइल पर सी० एम० या वित्त मन्त्री जी ने कोई आदेश 6 महीने तक रहेगा या 12 महीने तक रहेगा, उसका एक साल के लिए टैक्स....

श्री उपाध्यक्ष : आप सब्जेक्ट मैटर पर आइये। मिसालें मत दीजिये।

श्री राम किशोर मीणा : यह इम्पार्टेंट है, यह जांच का मुद्दा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : It has taken long time.

श्री राम किशोर मीणा : सब मिल कर इस तरह की चोरी कर लेते हैं, इससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। उपाध्यक्ष महोदय, अकेले कोटा डिवीजन में ही आपके टैक्स की चोरी पकड़ी गयी। उसके विशेष प्रयास किये गये तो 5 से 10 लाख रुपये तक की चोरी अकेले कोटा डिवीजन में पकड़ी गयी। सख्ती से टैक्स की चोरी को रोका जाय तो सरकार को बहुत बड़ी इनकम होगी। जो नाजायज तौर पर अधिकारी सिनेमा मालिकों को परेशान करते हैं, उसको रोका जायेगा तो आसानी से टैक्स चुका पायेंगे और टैक्स इवेजन से अपने आपको बचा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको और वृहत रूप में लाया जाय। जनमत जानने के लिए इसको परिचालित कर दिया जाय या प्रवर समित के सुपुर्द कर दिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको बड़ी कोर्ट के रूप में पेश कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सलेक्ट कमेटी का भी है, साहब।

व्यवस्था का प्रश्न
प्रदर्शनकारी हरिजन महिलाओं पर लाठी चार्ज

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है पाइन्ट आफ आर्डर?

श्रीमती उजला अरोड़ा : नीचे हरिजन महिलाएं जुलूस लेकर आयी हैं। मैं कहना चाहूंगी पिछले दिनों से हड़ताल हुई है और राज्य सरकार के समझौते के विपरीत उनको देय भुगतान नहीं किया गया है। उनकी बस्तियों में जाकर प्रशासक महोदय ने अपने आदमी, अपने साधन भेजकर...

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर कौन सा है आपका ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरियों से उन्हें पिटवाया है। मान्यवर, यह जनतन्त्र है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मेरी बात सुनिये। बैठ जायें। आप पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर बताइये। क्या पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है–ऐसी स्थिति राजस्थान में पैदा हो गयी है। अपने विधान की धारा 50 के तहत सारे विषय रोककर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस विषय पर चर्चा की जाय कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, हरिजन महिलाओं को क्यों पीटा गया ? क्यों उद्वेलित हुई, क्यों वे यहां आयीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, रूल्स में प्रावधान है उसके मुताबिक आप कहिये। ऐसे मैं अलाउ नहीं करूंगा। There is no occasion for raising such a point.....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे विषय पर सारी बातें रोककर चर्चा की जाय। धारा 50 निकाललीजिए। अपने विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के नियम····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्री।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को····

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है ? मुझे जानकारी नहीं चाहिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के सफाई कर्मचारी राजस्थान के मुख्य मन्त्री को 101 माला पहना कर स्वागत करने के लिए यहां आये हैं, उन्होंने सरकार के पास संदेश भेजा है।

मुझे आदेश दिया था कि मैं उनकी बात आप तक पहुंचा दूं कि वे मुख्य मंत्रीजी का, स्वायत्त शासन मंत्रीजी का और राजस्थान सरकार का स्वागत करना चाहते हैं। महात्मा गांधी और इन्दिरा गांधी की जय के नारे लगाते हुए यहां पर आए हैं और वे सरकार का, मुख्य मन्त्रीजी का 101 माला पहना कर स्वागत करना चाहते हैं। आप उनका स्वागत स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, There is no point of order.

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं उनको यह कह दूं कि सरकार मेहतरों के द्वारा पहनाई जाने वाली माला को नहीं पहनना चाहती ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जाकर माला पहनिये ।

श्री शिवराम शर्मा : ये इन्दिरा गांधी के मत के कब से बन गए ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने जो बात कही है वह आप तक पहुंचानी थी, आपके माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यों और मन्त्रियों तक पहुंचानी थी कि वे नीचे जावें, माला पहिनें और उनका स्वागत स्वीकार करें। किस तरह से उनकी पिटाई हुई, उसका कुछ तो लिहाज करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है, बैठ जाइये । प्रभारी मन्त्री जी ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने का मैंने प्रस्ताव दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा था ?

सुश्री पुष्पा जैन : अगर आप उचित समझें तो मुझे बोलने का अवसर दे दें । मैं दो मिनट लूंगी, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मैं यही बात उनसे कह दूं कि राजस्थान की सरकार माला नहीं पहनना चाहती, छुआछूत करती है, भगियों के हाथ की माला नहीं पहनना चाहती ।

श्री उपाध्यक्ष : माला पहनने की अनुमति मैं किसी मिनिस्टर को नहीं दे सकता ।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आपके····

श्रीमती उजला अरोड़ा : माला फूलों की है, काहे की है ?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल वैद : हमारे बिहाफ पर आप ही पहनिये आज तो ।

श्री उपाध्यक्ष : No talk, माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्दनमलजी भंगियों के हाथ की माला नहीं पहन सकते । मैं जानता हूं

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कि वे माला नहीं पहन सकते । जात-पांत में विश्वास रखने वाले क्या इन भंगियों के हाथ की माला पहनेंगे ? उनको वोट लेना होगा तो चले जायेंगे । उनके वोट ले लेंगे लेकिन उनके हाथ की माला नहीं पहन सकते ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से यह संशोधन विधेयक आज यहां पर रखा जा रहा है मेरा उससे कोई विरोध नहीं है । लेकिन यदि इस बिल को एज इट इज पास कर दिया जावे तो मैं समझती हूं कि जो सरकार की मन्शा है वह भी पूरी नहीं हो सकेगी और इससे सरकार को कई तरह का नुकसान होने वाला है । तो बेहतर होगा कि मेरे कुछ सुझावों के साथ अगर इसको सलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जावे तो उसमें कुछ सुझाव भी आ जायेंगे और सरकार की जो मन्शा है वह भी पूरी हो सकेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । जहां आप एक संशोधन विधेयक रखने जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, एक बात का ध्यान रखिये । आपका प्रस्ताव नहीं है । You are allowed to speaki only on the subject, That's all.

एक माननीय सदस्य : फिर कैसे बोल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed her.

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगी । जहां दूसरों से टैक्स लेने का आप अपने आपको हकदार समझते हैं वहां आपको जो सही हकदार है इस टैक्स को रखने का, उसके बारे में भी विचार करना होगा । मनोरंजन टैक्स की असली हकदार हैं नगरपालिकाएं । मैं पूछना चाहूंगी कि आज तक कितना टैक्स नगरपालिकाओं को दिया गया ? जब यह मनोरंजन टैक्स बिल बनाया गया था उस समय यह मन्शा थी कि नब्बे प्रतिशत टैक्स नगरपालिकाओं को दिया जायेगा और दस पर्सेन्ट सरकार रखेगी । लेकिन आज हालत यह कि मुश्किल से दस पर्सेन्ट भी नगरपालिकाओं को नहीं दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा दिया जाता है ।

सुश्री पुष्पा जैन : पर नब्बे पर्सेन्ट नहीं दिया जाता है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर इसी तरह से जानकारी रखेंगे तो मन्त्रिमण्डल में विस्तार हो जायेगा आपका ।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय,

(सुश्री पुष्पा जैन)

मेरा यह सुझाव है मन्त्री महोदय को कि इस टैक्स का नब्बे फीसदी नगर पालिकाओं को देने का प्रावधान था उस पर पुनर्विचार करके सही रूप से नगर पालिकाओं को दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मेरे साथी ने कुछ उदाहरण दिये थे कि टैक्सेज में किस तरह से घपले होते हैं। मेरे साथी ने जब कुछ सुझाव रखे तो आपने वजा फरमाया था कि यह उचित मौका नहीं है। लेकिन मैं यह साबित करना चाहूंगी कि यह उचित मौका है। अगर आज के दिन हम सुझाव देकर सरकार की जानकारी में नहीं लायेंगे तो फिर मौका हम कब मिलेगा ? मेरे साथी ने बताया था कि अब्दुल्ला फिल्म को सी०एम० ने केवल तीस दिन के लिए टैक्स से एक्जम्प्ट किया था लेकिन फाइल में आदेश छः महीने के लिए हो गये आखिर क्यों ? इसकी वजह क्या है, मैं यह बताना चाहूंगी। फिर फिल्म क्रान्ति आई। विभाग द्वारा मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री से पूछा गया कि टैक्स एक्जम्प्शन एक वर्ष के लिए किया जावे या छः महीने के लिए, मुख्य मन्त्री ने बिना कुछ लिखे ही हस्ताक्षर कर दिये लेकिन वित्त मन्त्रालय द्वारा एक वर्ष के आदेश निकाल दिये गये।

श्री **चन्दनमल बैद** : कौन-सी फिल्म का कह रही हैं आप ?

सुश्री **पुष्पा जैन** : क्रान्ति। फिल्म क्रांति आपने देखी है।

श्री **चन्दनमल बैद** : मैंने नहीं देखी।

सुश्री **पुष्पा जैन** : देखी है।

श्री **चन्दनमल बैद** : आप दिखायेंगी तो देख लूंगा।

सुश्री **पुष्पा जैन** : फिल्म बिन मां के बच्चे, इसके लिए मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वयं ने आदेश दिया और पिक्चर की प्रशंसा भी की। तो यह सारे के सारे घपले क्यों हो रहे हैं, मेरा यह सवाल है। इसका कारण यह है कि इस मामले के लिये अभी तक आपने कमेटी नियुक्त नहीं की। लिहाजा मैं सुझाव दूंगी कि इन मामलों के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु जो कमेटी नियुक्त करने की मन्शा थी तो आप दुबारा उस कमेटी को नियुक्त करके यह जो घपले होते हैं उनसे आप अपने आपको और जनता को बचायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगी कि सिनेमा मालिक हैं, आखिर क्या हैं ? इनकी स्थिति क्या है ? ये जनता और सरकार के बीच में एक एजेन्सी की तरह से काम करते हैं। I mean to say agency. तो यह एजेन्ट, जो जनता से पैसा लेते हैं और उस समय पैसा जमा नहीं कराते हैं, तो जुर्माना करेंगे, ब्याज लगायेंगे। लेकिन क्या वह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मुकदमे बना

(सुश्री पुष्पा जैन)

कर इन पर आज तक आपने क्या कार्यवाही की और भविष्य में आप क्या करने वाले हैं ? अगर सिर्फ ब्याज और पेनल्टी हम लगा देंगे तो इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आई० पी० सी० इसके लिए सक्षम है। आई० पी० सी० में प्रोविजन है।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से है लेकिन कार्यवाही तो सरकार को करनी पड़ेगी। लेकिन आज तक इन पर कार्यवाही होती नहीं है। इसलिये मेरा कहना है, यह सुझाव है कि यह विधेयक पेश करते समय अगर बारीकी से इन पर विचार करेंगे तो फायदा आपको ही होने वाला है। विरोधी दल के हाथ में तो कुछ आने वाला नहीं है। जनता का सही पैसा सही जगह तक पहुंचे, मन्शा यही है और इस मन्शा को फलीभूत करने के लिए ही मेरा यह सुझाव है। इसको सलेक्ट कमेटी को सौंप कर इस पर सुझाव लिये जावें और उसके बाद अगर इस पर विचार किया जावे तो मैं समझती हूं, यह अधिक उचित होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा विधेयक है जिसको सरकार के और जनता के हितों की रक्षा करने के लिये बनाया गया है। कोई सिनेमा मालिक मनोरंजन कर को वसूल करने के बाद, जब उसको जमा कराना चाहिये, उस दिन जमा नहीं कराता है तो तीन महीने तक उस पर 8- पर्सेन्ट ब्याज देय हो जायेगा—डेढ़ पर्सेन्ट प्रति माह के हिसाब से। तीन महीने तक जमा नहीं कराये तो चौथे महीने से दो पर्सेन्ट प्रति माह, यानि 24 पर्सेन्ट प्रति साल के हिसाब से, उससे ब्याज लेंगे। एक प्रावधान तो यह है।

सिनेमा घरों में टैक्स की चोरी के लिए अभी तक इसमें प्रावधान यह था कि पांच सौ रुपये तक का जुर्माना हो सकता था। अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि जितनी रकम की बेईमानी करता है उससे डबल, या पांच सौ रुपया जो कम-से-कम रकम होगी उतना जुर्माना उस पर किया जा सकता है। मान लीजिये, किसी ने दो हजार की बेईमानी की उस पर हम पांच सौ रुपया जुर्माना लगायें तो यह उचित नहीं था। हमने कहा कि अगर पांच सौ रुपयों से ज्यादा करता है तो दुगुनी रकम और अगर पांच सौ से कम करता है, पांच सौ रुपयों तक की बेईमानी पकड़ी जाती है तो उस पर कम-कम-कम से पांच सौ रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

तीसरी बात इसमें यह है कि हमारे नियमों में यह प्रावधान थे कि अपील के बाद उसको रिवीजन का अधिकार है लेकिन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर के पास जो अपील होगी वह फैसला फाइनल होगा लेकिन फाइनल यह

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं है क्योंकि नियमों में लिखा हुआ है कि वह रिवीजन कर सकता है।

जयपुर देहात से जो हमारी माननीय सदस्या आती हैं उन्होंने कहा कि आप इनका अपील करने का अधिकार छीन रहे हैं। हम छीन नहीं रहे हैं, उसको रिवीजन करने का अधिकार दे रहे हैं कि आप अपील कीजिये। अपील करने के बाद फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो आप हमारे कमिश्नर के पास रिवीजन में जा सकते हैं। जो हमारी इसमें 'ना' की हुई थी, उसमें 'ना' के प्रावधान को अब हम हटा रहे हैं। तीन मामूली सी बातें हैं जिनके बारे में विधेयक लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से विधेयक लाने की चर्चा चल रही थी, जब जनता पार्टी का राज था तो उन्होंने भी यह विधेयक अपने मन्त्रिमण्डल में पेश कर दिया इसी रूप में, केवल ब्याज की दर आपने कम रखी थी। मैंने ब्याज की दर बढ़ा दी। वह रखा तो था लेकिन राष्ट्रपति शासन आया, ये इसको विधान सभा में पेश नहीं कर सके। उसके बाद हमारे पास यह आया तो हमने यह कहा कि यह तो जरूरी चीज है। कोई अगर समय पर सरकारी रकम जमा नहीं कराता है तो उससे ब्याज लिया जाना चाहिये, अगर बेईमानी से टैक्स चोरी करता है तो उस पर जुर्माना भी बढ़ा देना चाहिये और रिवीजन का अधिकार और होना चाहिए– ये तीन प्रावधान कर दिये। इसके बारे में कई बातें उठाई गई है। एक बात तो यह कई है कि मनोरंजन कर से छूट देने के लिए नियम बनने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली जुलाई में ही यह तय कर लिया गया कि किसी भी फीचर फिल्म को मनोरंजन कर से छूट नहीं दी जाय। उस समय जिन फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट मिली हुई थी चाहे तीन, छः या बारह महीने की छूट मिली हुई थी उनको भी निरस्त कर दिया। अब किसी फीचर फिल्म को छूट नहीं है। केवल उसको दी जाती है, मान लीजिए, तमिल की फिल्म आई और तमिल वाले एक दिन के लिए दिखाना चाहते हैं और कोई टिकट की दर नहीं लगाते तो उनको एक वक्त की छूट, जैसे मलयालम फिल्म आई, वे बिना टिकट दिये अपने मलयालम भाइयों को दिखाना चाहते हैं तो एक दिन, एक शो के लिए छूट देते हैं, या उनको, जो कि बाढ़ पीड़ितों के लिये या किन्हीं दूसरे अच्छे कामों के लिये फिल्म का शो करना चाहते हैं वह भी उस शो पर हाउस की मनोरंजन कर की कैपेसिटी है वह तो जमा करायेंगे ही, उससे ज्यादा टिकट लगा कर पैसा पैदा करेंगे उसकी छूट दी है। मान लीजिये, प्रेम प्रकाश सिनेमा में इस तरह की किसी निजी सोसाइटी, संस्था को छूट देते हैं जो कि जन हित का कार्य करती है, उसके साथ कंडीशन लगा देते हैं कि प्रेम प्रकाश के हाउस की कुल कैपेसिटी है उससे जो मनोरंजन कर आता है वह तो जमा कराना ही पड़ेगा लेकिन टिकट की दर बढ़ा कर कुछ पैसा किसी संस्था के लिए जन हित का कार्य करने के लिये इकट्ठा करना चाहते है तो कर सकते हैं लेकिन राज का पैसा

(श्री चन्दनमल वैद)

आपको हर हालत में देना ही पड़ेगा। इसलिये पूरी पाबन्दी की हुई है। इसमें किसी तरह का सरकारी स्तर पर कोई गोलमाल गड़बड़ होने का अन्देशा नहीं है, यह मैं साफ कह देना चाहता हूं। अब एक तरफ तो कहते हैं कि मनोरंजन कर पर छूट मत दो और दूसरी तरफ कहते हैं कि अच्छी फिल्म बने। तो अच्छी फिल्म का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। आप कहेंगे यह अच्छी है, दूसरे कहेंगे, वह अच्छी है, मैं कहूंगा यह अच्छी है, कोई न कोई उद्देश्य तो हर फिल्म में होता ही है। कहीं भाई-बहन का प्यार है, कहीं भाई-भाइयों में, कहीं मां-बेटे में प्यार और कहीं देश-प्रेम, कुछ न कुछ उद्देश्य तो होता ही है। इस वास्ते हमने यह सोचा कि इस झंझट में पड़ा ही न जाय और किसी भी फिल्म को मनोरंजन कर से छूट न दी जाय। इस बारे में और भी कई बातें उठाई गई हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जब यह बिल आया है, और इसमें 2-4 बातें उठाई गई हैं तो वह बाते मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। नगर पालिका के बारे में भी बातें उठाई गई हैं। पहले ऐसा विचार किया गया था, प्रावधान तो नहीं है, विचार किया गया था, कि जो 90 प्र० श० मनोरंजन कर की रकम होगी वह नगरपालिकाओं दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को टैक्स दिया गया था साढे 15, 18 लाख रुपये का, और आज इस साल, मैं समझता हूं कि हमारी आमदनी टैक्स से करीब 10-11 करोड़ है। इस से हमने जो टैक्स की बढ़ोतरी की है, राज्य के साधन बढ़ाने में अगर उसका उपयोग किया जाय तो मैं बुरा नहीं मानता। इसके उपरान्त भी 18 की जगह 35-36 लाख तो नगरपालिकाओं को टैक्स के बदले में दे रहे हैं, उसके अलावा 5) रु० प्रति व्यक्ति नगरपालिकाओं को ग्रान्ट दे रहे। हैं वह साल में करीब साढ़े तीन करोड़ पड़ेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह जो आप ग्रान्ट दे रहे हैं यह 1971 की या 1981 की आबादी के आधार पर दे रहे हैं?

श्री चन्दनमल वैद : वह मैं आपको बता देता हूं। आप श्रेय क्यों ले रहे हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : नगरपालिकाओं को 5) रु० दे रहे है वह तो सारा नगर-पालिकाओं का अधिकार था लेकिन नगर-पालिकाओं का सारा टैक्स राजस्थान सरकार स्वयं खा गई। श्रेय तो मैं ले ही रहा हूं।

श्री चंदनमल वैद : जोशी जी, आप श्रेय लेने की कृपा मत कीजिये। यह मैं पहले ही कह चुका हूं, अखबारों में भी आ चुका है कि पंचायतों को अब 1981 की जनसंख्या पर ग्रान्ट-इन-एड दी जायेगी, तो फिर नगरपालिकाओं को 1971 के आधार पर कैसे दी जाये, उनको भी 1981 के आधार पर दी जायेगी। यह श्रेय तो मैं

(श्री चन्दनमल बैद)

ले चुका हूं, आपको देने वाला नहीं हूं। और उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं....

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप चलेन्ज से कह रहे है जैसे आपने अपनी स्तुति या जनता का प्यार अपनी तरफ खींचने के लिये कुछ शब्द कहे कि मैं अखबारों में घोषणा कर चुका हूं, मेरा मतलब है कि तीन-साढ़े तीन करोड़ की पॉपुलेशन है राजस्थान में और 12 करोड़ का टैक्सेशन आया है। यह ठीक लगता है क्या? कम-से-कम रोज आपके जयपुर शहर में सिनेमा देखते है एक-एक शो। अब बताइये उनसे क्या मिला? यह पांच प्रतिशत भी नहीं है। बिलकुल बेईमानी होती है। ये आंकड़े भी झूठे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीन सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बेईमानी होती है या नहीं होती है, मंत्री महोदय कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चंदनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात के लिये बार-बार जोर दे रहे हैं कि टैक्स में बड़ी चोरी हो रही है। हम बराबर सचेत हैं कि इस तरह की चोरी रोकी जाय। बराबर चैकिंग, रेड करवाते हैं, सरप्राइज चैकिंग करवाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि चोरियां न हों। यह जो आप कहते हैं कि इतने करोड़ होने चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, अगर 7-8 साल के आंकड़े आपको बताऊं, आखिर उनके बीच में कोई तो ऐसा अफसर, कोई तो ऐसी सरकार आई होगी जो पूरी कोशिश करके पूरी रकम वसूल कर ले। मैं बताना चाहता हूं, मनोरंजन कर से हमारी आमदनी 77-78 में 4.7633 करोड़, 78-79 में 5.2627 करोड़, 79-80 में 6.1680 करोड़, 81-82 में 7.3139 करोड़, 81-82 में 8.2530 करोड़ और 82-83 में बजट एस्टीमेट के अनुसार 8.80 करोड़ हमारी आमदनी होगी और उम्मीद यह है कि हम 9-10 करोड़ तक पहुंच जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जब इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको यह समझ में आयेगा कि हम एक सर्टेन पर्सेन्ट के साथ हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कहीं बीच में चोरी होती तो बीच में कहीं आमदनी बढ़नी नही चाहिये थी लेकिन वह अवसर नहीं आया। इसका मतलब यही हुआ कि आमदनी का प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ता रहा है और चोरी को काबू में रखने की हम कोशिश रहे हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जित ने सिनेमा घर हमारे यहां सारे देश में है उनमें किसी किस्म की चोरी नहीं होती। इसके बावजूद भी चोरी करते ही होंगे। हमारी मंशा यह है कि चोरी

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं करने दें। आज प्रदेश में हमारे यहां 217 सिनेमा घर हैं। हम कोशिश इस बात की करते हैं कि 217 में बराबर चैकिंग, हो, सूचना मिलती है। हम बार बार कोशिश करते हैं लेकिन यह भी मत समझिये कि सारे सिनेमाघरों में वैसी ही भीड़ होती है जैसी जयपुर में होती है। कई छोटे शहरों, कस्बों, जैसे दौस आदि में, इस तरह की भीड़ नहीं होती। एक बात राजस्थानी फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट देने की कही गई। इस बारे में सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया है। अभी राजस्थानी फिल्मों पर भी टैक्स लगाते हैं जैसे दूसरी फिल्मों पर लगाते है। मैं समझता हूं कि जितनी बातें यहां पर कहीं गयी हैं, उनमें एक बात आपने....

श्री भगवानदास शास्त्री : लम-सम अमाउन्ट सिनेमा पर लाद दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : एक अच्छी फिल्म आ जाये तो सिनेमा की आमदनी बढ़ जाती है। अच्छी फिल्म नहीं आवे तो सिनेमा की आमदनी घट जाती है। एक बढ़िया फिल्म चल जाये तो, जैसे मामली से सिनेमा पोलो विक्ट्री कम आमदनी में चल रहा है परन्तु अमरसिंह राठौड़ नाम की फिल्म लग गयी, महीनों तक चली तो उसकी आमदनी बढ़ गयी। इसलिये कोई अच्छी फिल्म आ जाये तो आमदनी बढ़ जाती है और खराब आ जाये तो कम हो जाती है। इसलिये यह संभव नहीं होगा। न आप इसको कह सकते हैं और न मैं ही कह सकता हूं। इस वास्ते हमेशा चौकसी रख कर जो उसकी आमदनी हो, उस आमदनी पर टैक्स लगाना अच्छा और न्यायसंगत होगा। इसलिये सिस्टम चल रहा है वही ठीक है।, इसको चेन्ज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिये कोई बड़ा कानून लाने की जरूरत नहीं है। जो दो-तीन संशोधन जरूरी थे, मैंने जरूरी समझा, पहले के मुख्य मंत्री ने, फाइनेन्स मिनिस्टर ने और जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने जरूरी समझा, उन संशोधनों को मैं लाया हूं और सदन से प्रार्थना है कि इनको पारित करे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष Not allowed. Order please,

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये। I will not allow. let the ocassion come. प्रश्न यह है...

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, न तो कोई जवाब होगा और न आपको बोलने दूंगा।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, Please sit down.

(116)

(श्री उपाध्यक्ष)

आसन पैरों पर है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत लानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां पक्ष जीता।

(ध्वनि मतदान)

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले आपने असेस किया था, ध्वनि मत आप देख लीजिये। इधर ज्यादा हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री नाथूसिंह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

द्वितीय खण्ड द्वारा विधेयक में जोड़े जाने वाली धारा 9-ए के सब क्लॉज (बी) में 7th line में शब्द "amount at" के बाद से शब्द "two percent" के मध्य में प्रयुक्त शब्द "one and half percent per month from the date commencing after the end of the said period for a period of three months and at" को विलोपित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले माननीय वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो लोग मनोरंजन कर और जनता के पैसे को बीच में रख कर चोरी करते थे उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिये वे विधेयक लाये हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जैसी इनकी भावना थी, मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं कि मनोरंजन कर की चोरी होती है, इसको रोकने के लिये आपने जो उपाय किये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं,। क्या-क्या घपले होते हैं उन मामलों में भी मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपकी इस

(श्री नाथूसिंह)

भावना का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आपने जो यह भावना व्यक्त की है कि बीच में मनोरंजन के इस टैक्स को, पैनल्टी को लोग गवर्नमेन्ट में जमा नहीं कराते हैं, उसको विदिन पीरियड जमा कराने के लिये आपने यह पाबन्दी लगायी है, इन्ट्रेस्ट लागू कर दिया है। वह इन्ट्रेस्ट तीन महीने तक डेढ़ पर्सेन्ट और उसके बाद दो पर्सेन्ट आपने लगाया है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है, जिसको आप चोरी मान रहे हैं, जिस व्यक्ति को गलत मान रहे हैं, वह चोरी करता है...

श्री चन्दनमल बैद : वह रोक लेते हैं। देरी करते हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बिल लाने के पीछे भावना यही थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे यह टेम्प्रेरी चोरी हो या उसको समय पर जमा नहीं करावे ..

श्री चन्दनमल बैद : यह 379 नहीं है।

श्री नाथूसिंह : आप जिस हिसाब से समझें उस हिसाब से नहीं होगा, लेकिन यह अनियमितता तो है। जो व्यक्ति अनियमितता कर रहा है, उसको आपने दण्ड देने की व्यवस्था की है। आपने यह डेढ़ पर्सेन्ट किया है इसलिये अमेन्डमेन्ट दिया है। आप क्यों उस व्यक्ति को, अगर आपको ठीक समय पर टैक्स जमा नहीं करवाये तो, स्टार्टिंग से एक महीने का समय दे रहे हैं? उसके बाद दो पर्सेन्ट, तीन महीने तक डेढ़ पर्सेन्ट, इससे आपको क्या लाभ होगा? यह तो आप उसको • रियायत दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : दो पर्सेन्ट से आपको क्या लाभ होगा? पांच पर्सेन्ट क्यों नहीं?

श्री नाथूसिंह : दो पर्सेन्ट से यह लाभ होगा कि आपको पैसा ज्यादा मिलेगा।

श्री चन्दनमल बैद : पांच पर्सेन्ट से कम मिलेगा?

श्री नाथूसिंह : ज्यादा मिलेगा। मैं तो पांच पर्सेन्ट का स्वागत करूंगा। लेकिन आप नहीं करेंगे। मुझे मालूम है, जितने भी उद्योगपति हैं वे सिनेमा चलाते हैं और उन से आप मिले हुए हैं। आप करिये, आप में हिम्मत है तो। मैं आपका समर्थन करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : आपने क्यों नहीं यह बिल पास कराया? आप जनता पार्टी में थे। आप क्या कर रहे थे? मैं मिला हुआ हूं या भैरोंसिंह शेखावत मिले हुए थे? कौन मिला हुआ था?

श्री नाथूसिंह : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, हम तो गवर्नमेन्ट छोड़ चुके। हमारे पदचिन्हों पर चलते हैं तो गवर्नमेन्ट छोड़ दें।

श्री चन्दनमल बैद : हम तो पदचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं। आप मिले हुए थे या नहीं थे ?

श्री नाथूसिंह : मैं बताता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : मान गये तो ठीक है।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : हम लोग सिनेमा नहीं देखते हैं। आप देखते हैं। हमें मालूम पड़ा, आप दोषी हैं।

श्री राजबहादुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा, आप दोषी थे इसलिये हम भी दोषी हैं। यह आर्गुमेण्ट दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : This is not argument.

श्री राजबहादुर : क्या उचित है ? क्या राज्य सरकार को ऐसा स्टेन्ड लेना चाहिये ? अगर उन्होंने नहीं किया है तो क्या आप भी नहीं करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो कर ही रहा हूं। इसलिये ही तो यह बिल लाया हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ढाई साल से क्या आप नींद ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : मुझे बड़ा दुःख है कि उनकी भावना को मैंने ठेस पहुंचाई है। सच्चाई कही थी इसलिये उनको दुःख हुआ। पर इसको आज हरएक आदमी जानता है कि वे पूंजीपतियों से मिले हुए है। आज से 24 घन्टे पहले उनकी ही पार्टी के लोगों ने क्या कहा था, यह भी आपको ज्ञात होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे लिए कह रहे हैं, ढाई साल क्या किया। आपको भी तो दो साल हो चुके हैं। यह कोई आर्गुमैण्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने पॉइंट पर आयें, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : यह कोई पॉइंट नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही है। जो आप खुद नहीं कर सके उसके लिये आप दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं....

श्री नाथूसिंह : आपने जो माइन्स का कर रखा है उसके लिये आप भी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय-नाथूसिंह जी, पॉइन्ट पर आयें। जो

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव आपने रखा है कृपया उस पर ही बोलें ।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वे तो खान ले लेकर चोरी करते हैं, इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं, और अन्य टैक्सों की चोरी करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : देखो मिस्टर, अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं, आप किसी प्रकार के टैक्स की चोरी की बात सिद्ध करें तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा । अन्यथा आप पद त्याग कर दें ....

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : थाने में पैसे देकर सब घपले करवा लेते हैं ...

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्सनल चार्जेज लगा रहे हैं इसलिये कह रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज । आपस में बातें नहीं करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बाधा न डालें ।

श्री नन्दलाल मीणा : कोई सुनता नहीं है इसलिये बोखला उठे हैं ।

श्री नाथू सिंह : मैं स्वागत करूंगा, अगर आप डेढ़ पर्सेन्ट, जो आपने तीन महीने के बाद बढ़ाने का किया है, शुरू से कर दें । आप यह करें, अगर आपका मन गवाही दे तो, अगर आप में हिम्मत हो तो, मैं स्वागत करूंगा । इसी समय आप अमेण्डमेण्ट मूव करें कि यह शुरू से ही 3 प्रतिशत नहीं, दो प्रतिशत नहीं पांच प्रतिशत हो । हम चाहते हैं कि आप यह करें । पर आपके अन्दर इसको करने और इसको वसूल करने की हिम्मत होनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ओवर ड्राफ्ट है और ऊपर से आप इस प्रकार से छूट दे रहे हैं । इससे रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी, मैंने इसलिये ही संशोधन दिया है । अगर आपको यह आपत्ति है कि मैंने यह अमेण्डमेण्ट दिया है तो मैं इसको वापस लेता हूं, आप इसको मूव कर दें । यह एक उचित बात है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपने जो डेढ़ पर्सेन्ट किया है, प्रथम तीन महीने के लिये उसको विलोपित करके उसके स्थान पर शुरू से ही आप अगर यह करें तो ठीक होगा । मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार करें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोलेंगे, नियमानुसार यह बोल सकते हैं।

श्री सोहनलाल बन्शीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसको पारित कर दिया है पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि मुझको तजुर्बा है, आप टैक्स को बढा नहीं रहे हैं, आप इन्कम को ज्यादा नहीं कर रहे हैं बल्कि कम कर रहे हैं। शहरों में टैक्स जो लगता है उतना ही टैक्स आपने गावों में भी लगा रखा है। गांव वाले टैक्स की चोरी नहीं करें तो क्या करें? मैं कहता हूं कि जो चोरी करता है उसको तो आप कड़ी से कड़ी सजा दें लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स देता है उसको भी आप दण्ड देते हैं। चोरी करने वाला और ईमानदार, दोनों को आपने एक ही मान रखा है उस पर भी आप लांछन लगा रहे हैं। सवा दो रुपये का टिकट है और उस पर सवा दो रुपये का ही टैक्स है, एक रुपये 75 पैसे के टिकट पर एक रुपया 75 पैसे ही टैक्स के लिये जाते हैं यानि कि, सैंट पर्सेन्ट टैक्स....

श्री उपाध्यक्ष : आप नाथूसिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं या फिर आपका कोई नया प्रस्ताव है?

श्री सोहनलाल बन्शीवाल : मैं तो राय दे रहा हूं। अगर कोई मुसाफिर रेल में यात्रा करता है बिना टिकट के, आप उसको पकड़ते हैं तो उसका चालान करते हैं रेल का नहीं; और कोई बस में पकड़ा जाता है तो आप उस आदमी का चालान करते हैं बस का नहीं: परन्तु अगर कोई सिनेमा हॉल में पकड़ा जाता है तो आप सिनेमा वाले का चालान करते हैं उस आदमी का नहीं। एक-एक चालान के पांच-पांच सौ रुपये वसूल करते हैं। सरकारी कर्मचारी जबर्दस्ती बैठ जाते हैं और परेशान करते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरे, आपके तहसीलदार साहब हैं वे टिकट नहीं देते हैं। मेरे पास उनका लिखित में है। आप देख लें, हम लोगों ने बैंक में ड्राफ्ट जमा करा दिये हैं लेकिन अभी तक टिकट नहीं आये हैं। मुझे बतायें कि टैक्स किस प्रकार से दें, जब आप टिकट ही नहीं देंगे तो। आप को विश्वास नहीं आता तो यह मेरे पास तहसीलदार की चिट्ठी है, आप देख लें। टिकट नहीं देने पर हम रोजाना पैसे जमा करा देते हैं। एक बात और है—एक रुपये 60 पैसे के टिकट हैं उस पर आप 2-2 पैसे के टिकट देते हैं। तो इतने से टिकट पर उसको कहां चिपकायें? शहरों में जो सिस्टम है उसको आप गांवा में क्यों नहीं करते है? हम कहते हैं कि आप हमारे से एक महीने की सिक्योरिटी पहले जमा कर लें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रेवेन्यू टिकट जमा कर लें। आज पिक्चर हॉल वाले रो रहें हैं और परेशान हो रहे हैं, सिनेमा हॉल बन्द हो रहे हैं। हमारे यहां पर भी हालत खराब है बिजली की अलग परेशानी है एक दिन हॉल चलता है एक दिन बन्द रहता

(श्री सोहनलाल बन्शीवाल)

है। आज पिक्चर वालों की X X X हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : X X X शब्द एक्सपंज किया जाय, यह अन-पार्लियामैंट्री शब्द है।

श्री सोहनलाल बन्सीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको चेलेंज से कहता हूं कि....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, क्या, किसी माननीय सदस्य का कोई बिजनिस हो तो वह उसी पर बोल सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपका सिनेमा है? आप उसके बाबत तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री सोहनलाल बन्सीवाल : आप मेरी बात तो सुने, मेरा ऐसा कोई धन्धा नहीं है....

(व्यवधान)

जोधपुर के एक सरदार का सिनेमा बन्द हो गया। आपके अधिकारी 12 बजे रात को भी चेकिंग कर लेते हैं तो भी हमारे यहां पर कोई कमी नहीं पाई जाती है। चोरी तो वही करेगा जिसकी आदत होगी। जब ईमानदारी से पैसे मिलेंगे तो कोई चोरी क्यों करेगा? अगर कोई चोरी करता है तो उसके विरुद्ध चाहे जो करें लेकिन इसके बावजूद देहात के अन्दर दिक्कत हैं। जबर्दस्ती आकर बैठ जाते हैं और एक-एक दिन में पांच-पांच सौ का जुर्माना हो जाता है। तहसीलदार टिकट नहीं देता है वह परेशान करता है कि मालिक टिकट लेने आयेगा तो देंगे। अब टिकट लेने मालिक जायेगा या मैनेजर और नोकर जायेंगे? सरकार इनको नहीं देखती है कि क्या धांधलबाजी हो रही है। किसको हम रोक सकते हैं? पुलिस वालों को, तहसीलदार को, ए. डी. एम. कोर्ट के कर्मचारियों को अगर हम रोकते हैं तो वे आकर झगड़ा करवाते हैं और अधिकारी हमारा ही चालान कर देते हैं। इसलिये यह ठीक करें तो ज्यादा टैक्स आ सकता है, आमदनी भी उससे ज्यादा होगी जितनी कि आज करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो करना चाहें, जितनी आमदनी हो उतनी जमा कर दें। इसीलिए मैं बोल नहीं रहा था। इनको दे दिया था कि बोल लो। लेकिन आप जाकर देखिए कि सिनेमा वालों के साथ क्या हो रहा है। आपके अधिकारी लोग वहां जाते नहीं।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मोहनलाल बन्शीवाल)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। प्रभारी मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही पार्टी के दो माननीय सदस्यों ने दो तरह की राय प्रकट की। एक तो कहते हैं कि टैक्स ज्यादा लगाओ। एक कहते है कि टैक्स कम लगाओ। एक तो यहां तक बोल गये....

श्री सोहन लाल बंशीवाल : शहरों के लिए नहीं, देहातों के लिए।

श्री चन्दनमल वैद : हां, देहातों के लिए ही, बार बार उठने की जरूरत नहीं है। एक तो ब्याज को आमदनी का जरिया मानते हैं। वह कहते हैं कि ब्याज इतना ज्यादा लगाओ कि आमदनी का जरिया हो जाये। उपाध्यक्ष महोदय, ब्याज इस वास्ते लगाया जाता है कि आदमी जल्दी-से-जल्दी हमारी रकम को दे। वह पेनल्टी नहीं है, न आमदनी का जरिया है, केवल अंकुश है। हमारा पैसा समय पर अदा कर दे। सेल्स-टैक्स में भी जो पैसा अदा नहीं करते हैं उन पर सवा प्रतिशत ब्याज और ज्यादा समय बाद डेढ़ प्रतिशत का और, जैसा मैंने निवेदन किया, जनता पार्टी ने सवा और डेढ़ प्रतिशत रखा लेकिन मैंने थोड़ा और बढ़ाने की सोची, डेढ़ और दो प्रतिशत कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि 5-7-10 प्रतिशत कर दो। आपको हिम्मत हो तो कर दो। हिम्मत होने का मतलब यह थोड़ी है कि ब्याज की दर 10-20-25 प्रतिशत कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना बड़ा आसान है कि पूंजीपतियों से मिल गये, आप यह हैं, आप वह हैं, बड़ा आसान काम है। बड़ा आसान है किसी दूसरे को दोष देना। लेकिन यह खुद सोचना चाहिए। विधान सभा में बैठकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं उस से क्या हम जन प्रतिनिधियों की छवि नीची नहीं करते हैं? ठीक है, मैंने तो 25 साल जन प्रतिनिधि रहा, अब 2-4-5 साल में चला जाऊंगा लेकिन आप जवान आदमी सोचिए। बिना मतलब के जन प्रतिनिधियों पर इस तरह के आरोप लगाओगे इस में आपकी छवि घटने वाली है। हां, कोई गलत काम करता हो लगाओ उस पर चार्ज। उसका सबूत दो। लेकिन बैठे बैठे चूंकि बोलने का अधिकार है इस वास्ते इस तरह की बात कह दें। आप मेरे ऊपर चार्ज लगाते हैं। आप मेरे ऊपर चार्ज लगाते अगर आप यह कहते कि परसन्टेज ट्रेन्ड इन्क्रीज, उस से कम मैंने दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे सेल्स टैक्स, एन्टरटेनमैन्ट-टैक्स, सेल्स ड्यूटी हो, जनता पार्टी उसका आधा भी नहीं दे सकती। क्या यह साबित नहीं करता है कि....

एक माननीय सदस्य : रेट बढ़ायी है।

श्री चन्दनमल वैद : नहीं बढ़ायी है। जो रेट आपकी थी वही है। मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। जवान आदमी के हित की बात कह रहा हूं। इस बात को सोचें, समझें। बिना मतलब के....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी वाले ही लांछन लगा रहे हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : कोई नहीं लगाया पार्टी वालों ने । इसलिए मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह देखें कि मैंने जो ट्रेन्ड इन्क्रीज दिया है वह ये 3 साल में भी देते, मैं तो समझता । लेकिन इन्होंने सेल्स-टैक्स, एन्टरटेनमैण्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी में जो ट्रेन्ड इन्क्रीज दिया है वह करीब आधा दिया है । और वह मैं सप्लीमैण्ट्री ग्रान्ट के दिन आंकड़े देकर साबित करूंगा । इस तरह से बैठकर किसी पर चार्ज लगाकर यह कह दें कि इस तरह से काम कर रहे हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, चन्दनमल जी ने एक जवाब भेजा है, वह मैं पढ़कर सुना रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जे. के. सिन्थेटिक्स....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : निवेदन कर रहा हूं कि एक करोड़ पांच लाख 18 हजार....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो । मैंने अनुमति नहीं दी है, माननीय सदस्य ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं जवाब दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट से आने वाले माननीय सदस्य ने अधूरी सूचना इस हाउस को दी । जो सूचना मैंने दी है उसके आगे लिखा है कि कोर्ट ग्रार्डर से स्टे है, जो उन्होंने नहीं पढ़ी । उसमें लिखा है कि....

(व्यवधान)

जब वह कोर्ट ग्रार्डर से स्टे है तो उसको मैं वसूल कैसे कर सकता हूं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर सर । कोटा से मैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : 74 से है, 74 में वेकेट नहीं करा सके । 73 से मुकदमा चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, जब कोर्ट-का स्टे है तो कैसे वसूल कर सकता हूं ? केस 74 से है। 78-79-80 में आपकी सरकार थी, मेरे पर ही दोष लगा रहे हैं। तीन साल में आप भी करवा सकते थे। इस वास्ते में कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

आपके ऐसे हाथ करने से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रताव रखा हैं उसको स्वीकार न किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खन्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री नाथूसिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियम, सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

(स्वीकृत)

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के....

श्री उपाध्यक्ष : हालांकि आप बिना अनुमति खड़े हो गये है, मैं अनुमति देता हूं। आज्ञा लेकर बोलिये। आयन्दा ऐसा ध्यान रखिये।

एक माननीय सदस्य : आप बहुत उदारवादी हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : राजस्थान में ही नहीं सारे भारत में चार तरीके से शासन पद्धति चलाने का तय किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषदों, नगर स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों, राज्य स्तर पर विधान सभाओं के माध्यम से एवं केन्द्र स्तर पर लोक सभा के माध्यम से। मेरा निवेदन यह है कि जो दुर्दशा आज हम ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की देख रहे हैं वह बहुत चिन्ताजनक है। आज से चार दिन पहले मेरे कोटा नगर में जिला परिषद की बैठक हुई। मैंने जिला प्रमुख जी से प्रश्न करते हुए पूछा, माननीय जिला प्रमुख महोदय कृपया बताने की कृपा करें कि पिछले आठ महीने में कोटा जिले में ऐसी कौन सी पंचायत समिति है जहां पर विकास का एक भी काम चल रहा हो। तो जिला परिषद प्रमुखजी ने जवाब दिया कि कोटा जिले की पंचायत समिति के किसी एक गांव में भी एक कार्य नहीं चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष :काहे का कार्य ?

श्री दाऊदयाल जोशी : विकास के कार्य। मेरा निवेदन करना यह है कि विकास को अवरुद्ध कर दिया है राष्ट्रीय सरकार ने। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषदें ताक रही हैं राज्य सरकार की ओर, राज्य सरकार देगी तब हम विकास कर सकेंगी। इस राज्य सरकार ने आठ महीनों में बीकानेर में प्रजातन्त्र का ढोल पीट-पीट कर राजीव गांधी का बड़े जोर से स्वागत करके नया नाटक रचा कर और कुछ नहीं किया। मेरा निवेदन है, जो आज ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों कीदुर्दशा हो रही है, जहां गांवों की खराब स्थिति है वहां नगरपालिकाओं की भी है जिनके लिए यह मनोरंजन कर एक्ट में आज अमेण्डमेंट ला रहे हैं। माननीय मण्त्री मन्त्री महोदय, जो वयोवृद्ध हैं ज्ञानवृद्ध हैं और तपोवृद्ध भी हैं, से मेरा निवेदन है कि आज बड़ा सोच समझ लें चूंकि नगर पालिकायें प्रशासन चलाने में सक्षम हैं, मनोरंजन कर राज्य सरकार ने अपने गले में क्यों लटका रहा है। मुझे मेरी नगर पालिका पर फक्र है, गर्व है, अहम् है कि कोटा की नगरपालिका अपनी तरह की एक ही नगरपालिका है, जिसकी पांच करोड़ से अधिक की आय है। राजस्थान सरकार की, नगर पालिका को केवल एक चुंगी ही आय मिलती आई है, उस पर भी नजर लगी है कि कब उसको खा जाय। नगर पालिकायें जिन्दा थीं क्योंकि मनोरंजन कर नगर पालिकायें वसूल करती थीं। राज्य सरकार ने मनोरंजन कर अपने हाथ में ले लिया और लेकर के कहा कि हम लम्प-सम देंगे। आज, माननीय चन्दनमल

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जी साहब, मेरे पास 19 नगरपालिकाओं की लिस्ट है जिनको आपने कभी लम्प-सम नहीं दिया। दौसा की नगरपालिका के बारे में अभी माननीय सदस्य बन्शीवालजी ने बताया कि पिछले साल का लम्प-सम आज भी बकाया है। लम्प-सम कौन तय करता है? लम्प-सम आपकी मर्जी से तय होता है। राजस्थान सरकार की मर्जी पर राजस्थान की नगरपालिकाएं जिन्दा हैं। आपने इस एण्टरटेनमेंट टैक्स के बाद अगर चुंगी भी प्राप्त कर ली तो नगरपालिकायें दयनीय स्थिति में आ जायेंगी। मैं आपकी सरकार पर आरोप लगाता हूं, माननीय वयोवृद्ध सदस्य, आपकी सरकार ने ग्राम पंचायतों को जो अनुदान दिया है उसमें पक्षपात बरता है। आज तक कितनी ग्राम पंचायत में अनुदान पहुंचा, किसी में पहुंचा किसी में नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? इसलिये वहां विरोधी ग्राम पंचायतें हैं और और इसलिये राज्य सरकार हमेशा दोहरा मापदण्ड तय करती है। इसलिये मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि यह जबरदस्ती का हाथी आपने गले में क्यों बांध रखा है? इसको आप अपने गले से उतार कर नगर पालिकाओं को बढ़ने दीजिये। नगर पालिका क्षेत्र में मनोरंजन होता है, नगरपालिका क्षेत्र में नाटक आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में और भी मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। उसका टैक्स है, उसका अधिकार है, उसका राइट है, उसका मूल-भूत अधिकार है, उसको मनोरंजन कर दें जिससे कि नगरपालिकाएं फले फूलें। आप मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, पण्डित-जी भी हैं, उनको भी पुरजोर शब्दों में निवेदन है, आप दोनों वरिष्ठतम सदस्य हैं, ग्राम पंचायतें सिसकियां ले रही हैं, पंचायत समितियां सिसकियां भर रही हैं, मर रही हैं, जिला परिषदें डूबने जा रही हैं, उन पर भी कुछ कृपा कीजिए। अनुदान से नहीं चलेंगी उनको भी कोई धन राशि दें। मेरा तो इसमें यह मत है कोटा जिला परिषद ने बड़े साहस के साथ, भले ही कांग्रेस के जिला प्रमुख हों, यह निर्णय लिया कि भू-राजस्व का सारा का सारा पैसा जिला परिषद कोटा वसूल करे। इस प्रकार का निर्णय राजस्थान सरकार के पास भेजा है। दोनों वरिष्ठतम माननीय सदस्य बैठे हैं। अगर आप प्रजातन्त्र के हिमायती नहीं हैं, अगर डिक्टेटरशिप चाहते हैं, जैसा कि इन्दिरा गांधी चाहती हैं, तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अगर वास्तव में लोकतन्त्र के हामी हैं, प्रजातन्त्र के हामी हैं, तो आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि भू-राजस्व के सम्बन्ध में कोटा जिला परिषद ने जो निर्णय लिया है कि भू-राजस्व की समस्त राशि को वसूल करने की सारी शक्ति जिला परिषद में निहित हो और उससे जिला परिषद अपना सारा कार्य चलाये, उस पर अमल करें। छोड़िये अमेण्डमेंट को, यह तो वहां बैठे हुए नगर-पालिका के मैम्बर ही कर लेंगे। ये आपके टैक्स चोर, ये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के चोर. जिनका अभी मैंने वर्णन किया, आप जो कहते हैं कि 73, 74 का है, 77

(श्री दाऊदयाल जोशी)

का है, 80 का है आपके टाइम का है, जो चोर लोग बैठे हैं धन्ना सेठ बैठे हैं ...

(3·50 म० प०)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति पदासीन)

श्रीराम रेयन्स में भरतराम-चरतराम बैठे हैं, उनसे आप मुक्ति नहीं दिला सकते, इन नगरपालिकाओं को जरूर मुक्ति दे सकते हैं। आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि मनोरंजन कर की राशि आप तुरन्त नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित कर दें। मेरे यह पूछने पर कि ग्रांट आप 1971 या 1981 की आबादी के आधार पर दे रहे हैं, आपको गुस्सा आया था, शुरू में आपने कहा था कि आप क्रेडिट क्यों लेने जा रहे हैं। किन्तु, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप यह नहीं करेंगे तो सन् 1981 की पोपूलेशन मान कर दुबारा आप असेस करेंगे। लम्प-सम राशि आपने अभी असेस नहीं की। 1958, 1962, 1967 में लम्प-सम राशि तय की थी। लोग ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, पहले लोग नाटक देख रहे थे, आज सिनेमा देख रहे हैं, इस लम्प-सम राशि को आप बढ़ाइये सन् 1981 की पोपूलेशन को आधार मानते हुए। मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में यही निवेदन है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो सुझाव देना चाहता हूं। वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा कि हम इससे अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और जो पैसा छिपा रहता है उसको हम निकालना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है कि वास्तव में आमदनी बढ़ाने की मन्शा है या इसमें जो चोरी हो रही है उसको रोकना चाहते हैं? मेरा सुझाव है कि टिकट स्वयं सिनेमा वाले छपवाते हैं, उसके बजाय नगर पालिका द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाय और यह टैक्स नगरपालिका के थ्रू वसूल कराया जाय। नगरपालिका के जो छपे हुए टिकट हैं वह सिनेमा घर वाले खरीद कर ले जायें। उनको बेचने के बाद जरूरत पड़े तो फिर प्राप्त करें। अभी दोहरी नीति है इसके कारण से कितने टिकट छपते हैं, कितना पर्सेन्टेज टैक्स देते हैं, यह सब कमियां दूर हो जायेंगी। आप यदि वास्तव में इस टैक्स को, इस दोहरी नीति, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की है, से बचना चाहते हैं तो उसको हटा दीजिये। वह टैक्स स्थानीय नगर पालिकाओं को वसूल करने दीजिए। मालिक टिकट खरीदें और उसका वितरण करें। उसके आधार पर हम मैक्जिमम पैसा इकट्ठा कर सकेंगे और लोगों की रुचि रहेगी। मैं समझता हूं आप इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : बिल के तृतीय वाचन पर बोलेंगे नहीं, संशोधन दिया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

प्रभारी मन्त्री ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैंने जो अमेण्डमेंट मूव किया है मन्त्री महोदय ने उसको अस्वीकार कर दिया । मैंने जो बात रखी थी आपके सामने कि ब्याज से कोई ज्यादा पैसा आ जायेगा, ऐसा नहीं था । वह तो आपने 5 प्रतिशत के लिए कहा तो मैंने कहा था कि इनके ऊपर अंकुश जरूरी है । आपने भी वही बात कही है जो पहले ही कह चुका था, लेकिन दूसरे रूप में । इसलिये मैं आपसे कह रहा था कि आप इसको स्वीकार कीजिये । इसलिये मैं अमेण्डमेंट लाया था । आज जो पैसा समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो इस प्रावधान से उनकी प्रवृत्ति सुधरेगी पैसा जमा करवाने की । लेकिन आप एकदम आवेश में आ गये । आप कह रहे थे कि मैं धनवानों से मिला हुआ हूं । आप जोश में आकर बोल गये । मन्त्री महोदय, जोश में मैं भी आ सकता हूं और आपसे ज्यादा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको शायद ध्यान नहीं है कि किसानों को सरकार लोन देती है, लेकिन समय पर उसकी वह एक या दो किश्तें जमा नहीं करवा पाते तो आपको मालूम है कि सरकार क्या करती है, उनकी डिग्री करवा लेती है, उनका सामान उठवा लेती है, जमीन नीलाम करवा देती है । लेकिन जो टैक्स का पैसा रखते हैं उनके खिलाफ आप डेढ़ या दो पर्सेन्ट रख रहे हैं, यह उचित नहीं है । और फिर आप आवेश में कह रहे हैं कि मैं धनवानों से मिला हुआ हूं । मैं आपकी पोल खोलने लगूं कि आपका कितना पैसा जमा है, किन-किन इण्डस्ट्रीज में आपके शेयर हैं, आपके परिवार के सदस्यों के क्या-क्या कारोबार हैं, क्या आप उसको सुन सकेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको निमन्त्रण देता हूं कि आप शौक से खोलिए ।

श्री नाथूसिंह : मैं नियमों के अन्तर्गत....

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : आप हमारे मन्त्री जी के बारे में ऐसे आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री सभापति : आप सदन में ऐसा नहीं कह सकते ।

(व्यवधान)

श्री सुनील विश्नोई : बिना तथ्य के आप लोग बात करते हैं । आपके पास कोई प्रमाण हो तो बतायें ।

एक माननीय सदस्य : आप x x x बोलते हैं ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह दो मिनट से ज्यादा समय न लें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने x x x शब्द का प्रयोग किया । क्या यह असंसदीय नहीं है ? मैं व्यवस्था के रूप में प्रश्न उठा कर कहती हूं कि x x x शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री सभापति : x x x शब्द को एक्सपंज किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं । मैं इस मामले को फिर कभी नियमों के अन्तर्गत उठाऊंगा, इसलिए मैं उन मामलों में नहीं जाना चाहता । मैं इस बिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री बिहारी लाल पारीक : सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है । यही बोलते रहते हैं इसका मतलब यह नहीं जानते । यह इस तरह से कहते हैं ...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विधान सभा वालो, नियमों का भी ध्यान रखो ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इस टैक्स को जारी रखने के लिए क्या वह टैक्स नियमित रूप से सरकार के खजाने में जा रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि आपको अंकुश और बढ़ाना चाहिए । यह अंकुश पर्याप्त नहीं है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप इस अमेण्डमेंट को स्वीकार करें, जिससे पैसा समय पर जमा होना शुरू हो । इसके बिना यह सम्भव नहीं है । एक महीने में कितना पैसा जमा होना चाहिये था, वह नहीं हुआ । आप इसके आंकड़े दें तो हम बतायेंगे कि कितना पैसा रहता है और लोग समय पर क्यों नहीं जमा करवाते । इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसे स्वीकार कीजिये । आपने नहीं किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामकिशोर मीणा : अभी वित्त मन्त्रीजी ने अपने जवाब में यह कहा कि....

श्री बंशीलाल पटवा : बिल के इन्ट्रैस्ट में मैं कुछ कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

---

xxx शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशोर मीणा : जो फिल्में हैं उनको कर-मुक्त रखा जायेगा, कानून के प्रावधान के अनुसार एक-दो पाइन्ट हैं उन्हीं में उनको कर मुक्त-रखा जायेगा । लेकिन मुझे जानकारी है कि पिछली जून में जब हमारे मुख्य मन्त्रीजी बम्बई गये थे तो उन्होंने वहां घोषणा की थी कि राजस्थान में जितनी फिल्में बनेंगी उनको कर-मुक्त ....

श्री चन्दनमल बैद : कोइ घोषणा नहीं की । मैंने मुख्य मन्त्री जी से चैक करवा लिया है ।

श्री रामकिशोर मीणा : यह मामला अखबारों में छपा था इसका आपको खण्डन करना चाहिये था ।

श्री बन्शीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, बिल के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री ने बड़ी चतुराई से जवाब देकर के अपने को बचा लिया और यह कहने की कोशिश की कि हम बड़े साफ-सुथरे हैं। लेकिन मुझे अनुभूति है, मेरा कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है और न ही मैं आलोचना की दृष्टि से कह रहा हूं, मनोरंजन बिल से संबंधित जो बात कही कि इतने समय पर रकम जमा नहीं होगी तो इतना ब्याज आयेगा । उस सन्दर्भ में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं । जहां तक मनोरंजन बिल का सवाल है उस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सन् 1957 से लेकर आज दिन तक यह जो मनोरंजन कर की वसूली है, इसको राज्य सरकार सैल्स-टैक्स के दफ्तर की मार्फत वसूल करती है तो इसका कुछ पर्सेन्टेज म्यूनिसिपैलिटी को और कुछ कौंसिल को मिलता है । उस समय यह कहा गया था कि सुपरविजन चार्जेज लेकर हम बाकी पैसा यूनिसिपैलिटी को लोटायेंगे, इस तरह का इन्होंने सक्यूलर जारी किया है । गांधी जी और नेहरू जी से लेकर आज दिन तक स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने की बात की जाती है, लेकिन उनको अनुदान पर जीवित रखा जाता है । अनुदान पर जीवित रहने वाली स्थानीय इकाइयां कब तक जीवित रहेंगी ? आपने जो कुछ व्यवस्था की, जो ब्याज लगाया । उसकी पेनल्टी इम्पोज कर सकते थे । आज किसान भूमि के लिये, इंजन के लिए बैंकों से ऋण ले लेते हैं, वह एक किश्त जमा न करायें तो उसका इंजन लेकर चले जाते हैं, कुर्की की जाती है, सारी बातें होती हैं । तो इस तरह से किसानों को छूट नहीं मिल सकती । उस बारे में मान लें, कोर्ट में चला जायेगा, कोई व्यवधान खड़ा कर देगा कि मेरे में इतनी रकम बाकी नहीं है, तो उनको एक और अवसर मिल रहा है । आप टैक्स की वसूली करो, बकायात की वसूली करो, लेकिन उसके लिये कोई सुदृढ़ तरीका अपनाओ ।

इसके साथ मनोरंजन कर के बारे में आपने कमिटमेंट किया । जिस तरह से आपने कमिटमेंट किया है, 1957 में कौंसिल्स और म्यूनिसिपैलिटीज से कमिटमेंट किया है, उनको आप इतना प्रतिशत

(श्री वंशीलाल पटवा)

दीजिये सुपरविजन चार्जेज चौज करके दीजिये नहीं तो सारा टैक्स उनको दीजिये, जिससे लीकेज कम होंगे, ग्रामदनी बढ़े, गांव की इकाई मजबूत हो और गांधी व नेहरू का सपना और पार्टी का सपना, जो आप कहते आये है वह पूरा हो। मेरा इतना ही कहना है। बिल के बारे में जो कुछ मैंने कहा, व्यक्तिगत आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं एन्टरटेन-मेंट टैक्स आप वसूल करते हैं इसमें लीकेज के तरीके बंद कीजिये। यह गलत तरीका है। यह बनिये की दुकान नहीं है।

श्री सभापति : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नियम है या नहीं ? आप नियम देख लीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : प्राइवेट कन्सर्न्स ....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले नियम को देखें कि बोल सकती हूं या नहीं। आपकी अनुमति लेकर बैठ जाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन नियमों देख लीजिये।

श्री सभापति : ऐसा है कि आज की बिजनेस लिस्ट काफी लम्बी है। एक बिल पर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति जी, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जो कांग्रेस के सदस्य नगर परिषदों के सदस्य रहे हैं, और हैं, उनकी कोई सलाहकार समिति बना लें और यह मालूम कर लें कि मनोरंजन टैक्स नगर परिषदों को दिया जाना चाहिये या नहीं। मैं चाहूंगी कि आप उनकी राय लें। विकास के लिए, अन्य कामों के लिए, यह सारा टैक्स उनको दिया जाना जरूरी है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मन्त्री महोदय ने इसका कोई सर्वे नहीं कराया कि कितना टैक्स है, कितना बड़ा लीकेज है। इस सर्वे को देखते हुए लीकेज को रोकने के लिए आप कदम उठायें। मैं पुनः कहना चाहूंगी कि जो आप कार्य कर रहे हैं इसको और सार्थक करें। जनमत जानने के लिये मैंने आपको पहले भी कहा था। मेरा प्रस्ताव गिर गया। ध्वनिमत से गिरा दिया गया लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि आप यह सोचें कि जनता इस बारे में क्या विचार रखती है। उस विचार को ध्यान में रखते हुये इस बिल को पारित करें। इतनी बात कहना चाहूंगी।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री।

श्री चन्दनमल बैद : इस विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने प्रभारी मन्त्री को पुकार दिया है, आप तशरीफ रखें।

श्री चन्दनमल बैद : इस बारे में जो बहस हुई है, वह इस बिल से सम्बन्धित कतई नहीं है। दो तीन अन्य मुद्दे उठाये गये हैं लेकिन बिल से संबधित एक मुद्दा उठाया गया है, वह मैं बता देना चाहता हूं। आज इसका मतलब यह नहीं है कि वसूली की जो पिछली प्रक्रिया है वह छोड़ रहे हैं। जितनी भी मनोरंजन कर की रकम है वह तो लैंड रेवेन्यू की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है, ऐसा इसमें प्रावधान है। यह नहीं है कि हम वसूली कर सकने के लिये दूसरा उपाय नहीं अपना रहे हैं। वह तो अपनायेंगे। लैंड रेवेन्यू की बकाया के रूप में वसूली कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन साथ-ही-साथ चूंकि एक महीने, दो महीने या तीन महीने वसूल करने में लग जायेंगे या कोई स्टे आर्डर ले आएगा और स्टे आर्डर वैकेट होने के बाद वसूल करेंगे तो ब्याज भी वसूल करेंगे या नहीं या कि लैंड रेवेन्यू में वसूल नहीं करेंगे।

दूसरी बात मनोरंजन कर को नगरपालिकाओं को देने के बारे में हुई है। सभापति महोदय, इस बारे में कई बार विचार हो चुका है सरकार में, और बार-बार हमने यह तय किया है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। कारण? आज हाउस टैक्स नकरपालिकाओं के पास है, उसकी कितनी वसूली हो रही? वसूली करने में हिचकिचा रहे हैं। It was obligatory. कानून बना हुआ है उसके बाद भी वसूली नहीं कर पा रहे हैं। इस वास्ते हम टैक्स वसूल कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में नगरपालिकाओं को हम दे रहे हैं। मैं समझता हूं, यह तरीका ठीक है। पहले आठ आने और एक रुपये के हिसाब से देते थे, फिर 1976 या 1975, मुझे याद नहीं, लेकिन 1975-76 में यह अनुदान बढ़ाकर एक से पांच कर दिया गया। जब भी जरूरत समझेंगे उसको और बढ़ा देंगे। सरकार को अधिकार है, उस अनुदान को कम-ज्यादा करने का। यह चार्ज लगाया कि जहां कांग्रेस की नगरपालिकायें या पंचायत समितियां हैं वहां अनुदान दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है। नगरपालिकाओं की रकम, जो रिलीज होती है एक साथ होती है, पंचायतों को एक साथ होती है। यह कहीं नहीं कहते हैं कि कांग्रेस वालों की रिलीज कर दी जाय और गैर कांग्रेस वालों को मत कीजिये। एक साथ सबको रिलीज होती है और एक साथ दी जाती है।

क्या बात है, मैं नहीं कह सकता, यह तो पंचायत मन्त्री बता सकते हैं कि किस पंचयत और पंचायत समिति को नहीं मिली। इस बारे में उनसे ही पूछा जा सकता है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक इस बिल का सवाल है हम सब लोगों की जो सहायता राशि है एक साथ रिलीज करते हैं।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि

(श्री सभापति)

जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है वह पारित किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक बात। क्या यह सही है कि एक आदेश निकला था कि सुपरविजन चार्जेज गवर्नमेन्ट वसूल करेगी।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री शिवचरण जी माथुर।

विधेयक पर विचार

* राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : सभापति महोदय मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री देवी सिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

माननीय सभापति जी, सार्वजनिक स्थान पर जुआ न खेला जाय, जुआ खेले तो उनको दंड दिया जाय, इस हेतु दंड में कुछ वृद्धि की गई है, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह तो पहले ही प्रावधान था। दंड दिया जाता था लेकिन उसको भी पालना नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उसका सबसे पहला कारण है कि थानों की नाक के नीचे थानों के सिपाही जुआ खिलवाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि यह बिल लाये है, स्वागत है लेकिन इसका सख्ती से पालन होना चाहिये। सड़क पर या अन्य स्थानों पर बैठकर जुआ खेला जाता है यह केवल उस पर ही नहीं बल्कि क्लब बनाकर लोग जुआ खेलते हैं, क्या उन पर भी लागू करेंगे? हमारे यहां जय क्लब है, अशोक क्लब है, कई क्लब हैं और उन में बड़े-बड़े ओहदेदार स्त्री पुरुष रात में जाकर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जुआ खेलते हैं। क्या उन जुओं पर भी इस बिल को लागू किया जायेगा? लागू किया जाना चाहिये, मैं कहना चाहूंगी आपसे। मैंने यहां के एस. पी. को सूचना दी। कई लोगों ने मुझे जगह-जगह से आकर शिकायत की, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई लोग पर्चियों का जुआ खेलते हैं, वर्षों से शाम को पर्चियों का जुआ खेलते हैं। मेरी यह शिकायत करने के बाद छापा डालने के बजाय उनको पुलिस के कर्मचारियों द्वारा इत्तला करवा दी गयी कि हम आ रहे हैं तुम भाग जाओ। इसका आप सख्ती से पालन करें। इसका जितना टाइम बढ़ा लें उतना कम है। लेकिन जहां पालन ही न हो उसके लिए क्या करेंगे? आपने एक बार कहा था कि कानून का पालन नहीं होता इसलिये शराब खोल दी गई। आप कानून का पालन कराने में सक्षम ही नहीं हैं।

आपका कानून इसके लिए सक्षम है कि नहीं? मान्यवर, आज लॉटरी, जो यह स्टेट लॉटरी है, क्या जुआ नहीं है? आज लोग सड़क पर पत्ती लगाकर बैठते हैं क्या यह जुआ नहीं है? इसको बन्द किया जाय। आज लोग सरे आम जुआ खेलते हैं। आज राजस्थान के शहर-शहर में बरसात का सट्टा होता है, जब चुनावों का समय होता है तो बाजार में लोग सट्टा खेलते हैं। अभी आप कहीं पर चले जायें, जयपुर के बाजार में सट्टे के खाईवाल होते हैं। मैं तो यह कहूंगी कि कई तरह के सट्टे होते हैं इनको आपको सख्ती से बन्द करना पड़ेगा और कानून का सख्ती से पालन कराना पड़ेगा। यह मेरा आग्रह है। यदि आपने सख्ती से पालन नहीं किया तो आपकी थोथी बात से यह बिल लाकर पारित कराने से कोई भी बात बनने वाली नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि लॉटरी को को बन्द किया जाय और जितने भी तरह के जुए होते हैं उनको सख्ती से बन्द किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदी कुई): बोल लूं?

श्री सभापति : यह तो आपकी मर्जी है, आप बोलें या न बोलें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, जो विधेयक सदन में लाया गया है सर्वप्रथम उसका मैं स्वागत करता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पण्डित जी से मिल लिये क्या?

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं किसी पण्डित जी से नहीं मिला हूं, इसलिये मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह जो विधेयक है यह इनसे ही मिलता जुलता है इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि आज

(श्री नाथूसिंह)

गैम्बलिंग कितना होता है, क्या होता है, यह सब लोग जानते हैं। आज बड़े-बड़े लोग, जो प्रभावी लोग है, मिलकर यह विधेयक जो लाये हैं उसको आप अगर प्रैक्टिकल रूप में लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज आपके जो पुलिस के अधिकारी हैं और आपकी सारी मशीनरी है वह पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। यही कारण है कि आज जो कानून बना हुआ है वह सिर्फ कागज में कानून बन कर रह गया है। इसलिये आपको अपनी मशीनरी से पूरी तरह से काम कराना होगा। आप आज देखें तो पता चलेगा कि जयपुर शहर में अन्धाधुन्ध गैम्बलिंग होता है। हम समाचार पत्रों में रोजाना पढ़ते है, रोजाना इसके बारे में समाचार प्रकाश में आते रहते हैं कि जुआ खेलते लोग पकड़े गये। इसलिए यह जो विधेयक आप लाये हैं उसके उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब कि आप प्रैक्टिकल रूप में इसको सख्ती से लागू करेंगे। इसके लिए आपको चैक करना पड़ेगा। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आप इसको साल भर चैक करें कि कितने व्यक्तियों पर साल भर में कितनी बार फाइन हुआ, कितनी बार सजा हुई, कितनी बार उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, कितनी बार पकड़ा गया, क्या कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ में की गयी उसको साल भर में एक बार पकड़े जाने पर क्या सजा दी गयी, दुबारा पकड़े जाने पर क्या सजा दी गयी और तीसरी और चौथी बार पकड़े जाने पर क्या कार्यवाही की गयी। इसको आपको सख्ती से लागू करना पड़ेगा। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यही तो है इसमें।

श्री नाथूसिंह : इसीलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब इसको पारित किया जाय।

विधेयक का पारन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने इस बिल के उद्देश्य और कारणों के विवरण पर कोई प्रकाश नहीं डाला और न ही हमने जो सुझाव दिये उनके बारे में ही कुछ प्रकाश डाला। यह नहीं चलेगा। इस तरह आप विधेयक को पारित नहीं कर सकते हैं। मन्त्री महोदय को इसके उद्देश्यों और कारणों पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिये।

श्री सभापति : विधेयक पर विचार तो हो गया। उस समय आप इस पर कोई संशोधन रखना चाहती तो रख सकती थीं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय ने कोई प्रकाश ही नहीं डाला।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 जो सदन में आया है इसमें अगर आप देखते हैं, किस प्रकार से यह एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज के अन्दर छायी हुई है, उसके लिए इसमें जो सजा बढ़ाने का प्रावधान मन्त्री महोदय के द्वारा किया गया है उसका तो मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा।

इसमें जैसा कि प्रावधान है कि कोई व्यक्ति पहली बार पकड़ा जावे उसको इतनी सजा और दूसरी बार पकड़ा जावे उसको इतनी ज्यादा सजा दी जायेगी। लेकिन अगर तीसरी बार कोई पकड़ा जाता है तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेन्स में लेना चाहिए और उसके लिए कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान होना चाहिये ताकि बिल का महत्व मालूम हो और लोगों में कुछ भय पैदा हो। जब तक आप इसमें कोई भय वाली बात नहीं रखेंगे तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए आपको नॉन बेलेबल ऑफेन्स मानने का प्रावधान करना होगा। जब तक आप इसे नॉन बेलेबल ऑफेन्स डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक इसको पूरी तरह लागू करना बहुत ही मुश्किल बात होगी। आप सौ रुपए, दो सौ रुपए और तीन सौ रुपए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के जुर्माने का प्रावधान करें तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह मांग करता हूं कि तीसरी बार अगर कोई ऑफेन्स करे तो आप उसे नॉन बेलेबल ऑफेन्स में रखें और इसकी आप सजा भी बढ़ा दीजिये। सजा और ज्यादा कर दें नहीं तो होता क्या है कि लोग जुर्माना देकर छूट जाते है और सजा उन लोगों को होती नहीं है सिर्फ जुर्माना ही होता है। इस कानून का सख्ती से सार्वजनिक रूप से पालन हो इसलिए ऐसा प्रावधान करें। इसको आप नॉन-बेलेबल ऑफेन्स बनावें ताकि लोगों में इसका प्रभाव अच्छा पड़े, यही मेरा सुझाव है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री): सभापति महोदय जैसा कि आपने फर्माया कि इसमें सजा का प्रावधान हो। इसमें था, "Shall not be less than one month." यह जो प्रावधान था उसमें अब यह और किया है कि एक महीने से कम सजा नहीं होगी और उसके साथ में जुर्माना भी होगा। इससे उनकी बात की पूर्ति हो जाती है। दूसरे माननीय सदस्या ने जो बात कही उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें उसको एड कर दिया गया है। इसमें ऐसा है कि जिस जगह आम आदमी जा सकता हो उस जगह पर भी जुए को इसकी डेफिनेशन में माना जायेगा। तो जो माननीय सदस्या का सशय था अब वह भी नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि इतना प्रावधान होने के बाद, कोई भी व्यक्ति अगर जुआ खेलने का आदी है और जुआ खेलने का आदि होने के कारण वह निश्चित रूप से सजा भुगतता है तो वह उसको छोड़ने का प्रयास भी करेगा। मैं यह जानता हूं जो लोग जुआ खेलते हैं और इसके आदी हो जाते हैं उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिये जो प्रावधान था उसमें ही यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है। हम सार्वजनिक रूप से कई बातें देखते हैं और इसलिए हम वास्तव में इसको प्रभावी बनाने जा रहे हैं। 1949 का जो अध्यादेश था उसमें अमेन्डमेन्ट करना जरूरी था। उस वक्त की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में फर्क है। हम यह अनुभव करते हैं कि इसमें सजा बढ़ाई जानी चाहिये। जैसा कि आपने कहा, इसको पूरी तरह से लागू किया जावे तो इस बिल के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अब इसमें कोई खामी नहीं रहेगी, लोगों को पकड़ा जा सकेगा और उनको पकड़ कर कोर्ट में सजा दिलायी जा सकेगी, यही मैं कह सकता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: लॉटरी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: लाटरी के बारे में मेरे सामने उस वक्त कोई चर्चा नहीं आई। यह तो सन् 1949 का जो राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश था उसमें संशोधन करने हेतु था। उसमें लाटरी को एक्सक्लुड किया हुआ है। इस एक्ट में उसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अभी उसके बारे में कुछ भी कहने को असमर्थ हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अंकुश लगाने की बात कही है उसमें कहा है कि एक बार पकड़ा जावे तो इतनी सजा, और दूसरी बार पकड़ा जावे तो इतनी सजा। इससे शर्म के मारे लोग दुबारा अपराध नहीं करेंगे। पर यह शर्म की बात और भय की बात तो सिर्फ इज्जतदार लोगों के लिये है। अच्छी फेमिली वाले लोग, जो कि क्लबों में जाकर खेलता हैं और कई बार गोट में जाकर वहां पर जुआ खेलते हैं वह कैसे पकड़े जायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : क्या गोट में जाकर जुआ खेलते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें मिनिमम सेन्टेन्स एक महीने की रखी है। तो माइनर एक्ट है....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : आप कानून को कितना सख्त बनायेंगे ? जो लोग जुआ खेलते हैं वह लोग आपसे ज्यादा होशियार हैं। आप देखते हैं कि छुट्टी के दिन, जब कई दुकानदारों की छुट्टी होती है तो वह लोग ताश पत्ती खेलते हैं रम्मी खेलते हैं। उसके रम्मी के नम्बर होते हैं उसके अनुसार पैसे बन्धे होते हैं और खेलने वाले बाद में हिसाब कर लेते हैं। आपके पुलिस वाले तो इनसे मिले हुए हैं। आपको जंगलों में, मोहल्लों में लोग जुआ खेलते दिखायी देते हैं। इनके रक्षक कौन होते हैं ? पुलिस वाले ही नहीं बल्कि दस-दस साल के बच्चे इनकी चौकसी करते है, गली के बाहर खड़े रहते हैं और देखते हैं कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गयी है। इस प्रकार से वह लोग सूचना देते हैं। इस प्रकार बच्चों का सत्यानाश हो रहा है। आज हजारों बच्चों का जीवन इससे बरबाद हो रहा है। एक केस मेरे पास आया था अजमेर का, तबीजी गांव का है। 12 साल का गूजर का लड़का था। उसकी गुण्डे ने पिटाई की। वह खून से लथपथ हो गया, उसको कहा कि पहले नहाओ कपड़े भी अपने हाथ से धोओ। जिनके ऊपर खून पड़ा है। वह तबीजी का रहने वाला है, गुर्जर है, वह मेरे पास आया और कहेन लगा कि क्या जुल्म है, मेरा बच्चा अच्छा कैसे बनेगा। गांव का छोरा है। उसकी एक तो पिटाई कर दी और इतने घाव सिर में हैं फिर भी कहता है कि नहाओ। नहाने के वहाने बाद कपड़े से खून उतार देंगे। मैं कहता हूं कि भारत में कैसी आजादी है 25 साल के बाद भी ? ...

श्री सभापति : इसीलिए तो सजा कड़ी कर दी है।

श्री भगवान दास शास्त्री : सजा कड़ी तो की है लेकिन उनको सजा की परवाह ही नहीं है। छोटे-छोटे बच्चों को साधन बनाकर अपना काम करना चाहते हैं। पुलिस में मन्थली बन्धी हुई है। जाकर-हजार रुपया मन्थली देते है। तो कम से कम पुलिस को भी सबक दें। बड़े-बड़े शहरों में जितनी मुशीबत है उतनी ही गांवों

(श्री भगवान दास शास्त्री)

में नहीं है। बड़े शहरों में जितने बदमाशी के काम होते हैं वे बच्चों की बरबादी के कारण होते। बच्चों की आने वाली पीढ़ी, जो भारत का भविष्य बनने वाली है, जिनके ऊपर भारत चलेगा, जिनके उपर भारत को गर्व होने वाला है वह बरबाद हो जायेगी। इतना ही कहूंगा।

श्री भूपालसिंह : सभापति महोदय, यह एक राष्ट्रीय अपराध है। मैं तो एक मिनट में ही अर्ज कर देता हूं। मेरा ऐसा सुझाव है कि जो कोशिश करता है और कोशिश करके गिरफ्तार करवाये उसको ईनाम दिलाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ही मुकर्रर कर रखा है। इसके बजाय जहां नगरपालिकायें हैं वहां नगरपालिकाओं को और जहां पंचायतें हैं वहां पंचायतों को कुछ ऐसे अधिकार दिये जाने चाहिए कि जिससे ज्यादा से पकड़ जा सकें और अपराधों को कम किया जा सके।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, आजकल हर मोहल्ले में, गाव में छोटे-छोटे बच्चे भी इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जुआ के बारे में आप जिस तरह से सजा बढ़ा रहे हैं वह तो ठीक लेकिन यह जो जमानत होने वाली बात है, इससे उनको डर नहीं है। सजा आप कितनी भी करो लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि इसको नॉन-बेलेबल ऑफेन्स मानें तो लोग डर के मारे जुआ खेलना बन्द करेंगे। मैं समझता हूं कि आप नॉन बेलेबल ऑफेन्स में इस क्राइम को ले लें तो जो लोग इस प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं उन पर पाबन्दी लगेगी। इतना ही निवेदन करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने कुछ सुझाव विधि मंत्री जी को दिये उसका उन्होंने उत्तर दिया लेकिन स्टेट लाटरी भी एक जुआ है। एक सिस्टम बना लिया है, टिकट छपाकर सरकार दे देती है और वह खुलती है। यह लाटरी भी जुआ है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव नहीं आया। प्रस्ताव की बात नहीं है। आप उसको जुआ मानते हैं या नहीं? जैसे कि लक्ष्मी मोटर कम्पनी के पास एक दुकान खुली हुई है हैण्ड्स-अप जिसमें नियोन साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है। उसमें अन्दर जाकर बन्दूक से कोई गुब्बारे पर गोली मारता है। उसमें आये दिन बच्चों को संलग्न रखते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे जुआघर बन्द करेंगे या नहीं?

जिलाधीश महोदय जब यहां सर्कस आता है, एक दिन का मेला लगता है या प्रदर्शनी लगती है तो उसमें अनुमति दे देते हैं गुब्बारों को गोली मारने वालों को-वह भी एक तरह से द्यूत है। तो मैं जानना चाहूंगी कि उसके बारे में आप क्या योजना बना रहे हैं? वह समाप्त किया जायेगा या नहीं या केवल एक दिखावा मात्र ही रह जायेगा? इस ओर सरकार कोई कदम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उठाये। सात दिन से एक माह कर दिया, इससे पार पड़ने वाली नहीं है। मान्यवर, आप उत्तर में कृपया मेरे सुझावों को ध्यान में रखते हुए उन पर प्रकाश डालें। मेरा सही निवेदन है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि इसमें गैम्बलिंग की परिभाषा ओरिजिनल है, वह इस तरह से है :

Gambling includes wagering and betting but does not include lottery.

अब जो एक्ट है या ऑर्डिनेन्स है है, यह ऐसा है उसमें हम संशोधन कर रहे। हैं क्योंकि सन् 1977 के अन्दर यह सिलसिला चला था और उस समय से अब तक चला आ रहा है। जहां तक लॉटरी बन्द करने का सवाल है इसको हम बाई-आर्डर बन्द कर सकते हैं, लेकिन यह एक पॉलिसी मैटर है। इस पर तो विचार करना पड़ेगा, गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और मैं इस हैसियत में आज नहीं हूं। मैं तो एक विधि मन्त्री के नाते यह बिल लाया हूं। जो डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड जिस प्रकार के उद्देश्य और नीति के लिए कानून बनाया चाहते हैं उसके अनुसार यह कानून बना हुआ है। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि लाटरी के बारे में और फॉरिन कन्ट्रीज में क्या पोजीशन है और आज अपने यहां पर हिन्दुस्तान में सब ने लाटरी को इन्लूड नहीं किया हुआ है, तो यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत नीति संबंधी है इस सबको देखकर इस पर विचार बहुत गम्भीरता से किया जाना चाहिए।

दूसरी बात आपने कही उसका तो मैंने जवाब दिया है। पब्लिक प्लेस के बारे में हमने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें वह सारी चीजें आ जाती है। कोई भी ऐसा स्थान है जो सब लोगों के आने-जाने का है वहां पर जुए को भी इसमें शामिल किया गया है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन एड कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की शंका का समाधान हो जाना चाहिए। ऐसा है कि इसको करके तो देखें कि सजा बढ़ाने का क्या इफेक्ट होता है। तीसरी दफा मिनिमम सेन्टेन्स करने से इसका डिटरेन्ट जरूर इफेक्ट होगा क्योंकि तीनदफा पकड़ा जायेगा और उसको मिनिमम एक महीने की सजा दी जायेगी तो उसका असर तो होना ही चाहिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन स्वीकार किया जाय ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तो प्रस्ताव करेंगे।

श्री सभापति : प्रस्ताव तो कर दिया। किसी माननीय सदस्य ने इसमें संशोधन पेश किया है तो वह बोलें।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 में संशोधन लाये हैं। इसमें सन् 65 में भी एक बार संशोधन किया गया था। इसमें जो शब्दों की थोड़ी गलती रह गयी थी उसको उसी समय ठीक कर लिया जाना चाहिए था। अगर वह कर लेते तो इनको हाई कोर्ट में जाना नहीं पड़ता। मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ध्यान रखें, आज नियम है कि दुकानों के खुलने और बन्द होने का टाइम तय किया हुआ है। लेकिन, जयपुर में देखें, श्रम विभाग इस बारे में कोई काम नहीं करता है। कई बार प्रयत्न किये और उड़न दस्ते भी बनाने की बात कही लेकिन जो दुकान रात को 8 बजे बन्द हो जानी चाहिए वह रात के 11 बजे तक खुली रहती हैं, और जिन दुकानों के लिए साप्ताहिक छुट्टी और सार्वजनिक छुट्टियां तय हैं उन दुकानों पर भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी, शराब की दुकानों से तो लगता है कि उन पर नियम ही लागू नहीं हैं। वह तो रात के दो बजे तक भी खुली रहती है। मान्यवर मन्त्री महोदय, इन वाणिज्यिक संस्थाओं के संबन्ध में जो रजिस्ट्रेशन के और अन्य नियम हैं, उनमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ नियम हैं, उन नियमों की पालना यह विभाग नहीं कर रहा है। इस सम्बन्ध में आप सख्ती से पालन करवाने की क्या प्रक्रिया अपनायेंगे, मुझे यह बताने की कृपा करें। साथ ही संस्थान में बांट और नाप के परीक्षण का जो आपका काम है उसमें कितनी गड़बड़ हो रही है उसको भी आप देखें। मेरा यह निवेदन है, यह तो आप करें जिससे भविष्य में आप सख्ती से पालन करा सकें। उस अधिकारी कर्मचारी को उस रूप में जिस रूप में शक्ति मिलती है, वे नियम से पालन करें इसमें

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई आपत्ति नहं । लेकिन नियम आपने बनाये हैं उनकी पालना के लिये आप क्या करने वाले हैं? आपके इन नियमों की दुर्गति वाणिज्यिक संस्थानों के द्वारा होती है, आपके नियमों का मखौल आपके कर्मचारी-अधिकारी उड़ाते हैं। इसीलिये मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय जिससे आपको जनना की मान्यता मालूम पड़ जाये कि यह जो कानून लायें हैं इसमें कोई सार है या नहीं।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक से सम्बन्धित जो समस्यायें हैं, वे दुकानदारों और वाणिज्यक संस्थाओं की होती हैं। उनके बारे में मेरा इतना ही निवेदन है जो लोग इन संस्थानों में काम करते हैं उनसे सम्बन्धित बहुत सारी अनियमिततायें होती हैं लेकिन जो इन अनियमितताओं को देखने वाले लोग है वे ईमानदारी से उसका पालन नही करते। फलस्वरूप यह जो संस्थान हैं, नियमों का पालन नहीं कर अपनी मनमानी करके नागरिकों का अहित करते हैं। समय पर यह संस्थान उन नियमों का पालन करें। आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन नियमों को देखने वाली जो एजेन्सीज हैं वे अक्सर दुकानदारों से मिल कर अपनी गलत रिपोर्ट करती हैं और मुश्किल से ही जब उनके बीच में कोई ताल मेल नहीं होता हैं तब वे लोग ऊपर के अधिकारियों को एप्रोच करते हैं। इसलिये मेरा दिवेदन है, इन संस्थानों को देखने की जो कार्यवाही है, वह निश्चित रूप से सही हो। इससे सम्बन्धित जिन व्यक्तियों को आपने अधिकृत किया था, यदि अदालत ने उनके द्वारा किये गये चालन को खारिज कर दिया है तो उसके बारे में सही जानकारी आप इन संस्थानों को दे ताकि वे व्यवस्था करके स्ट्रिक्ट कानून बनाये। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित क्या जायें। ताकि पब्लिक ओपीनियम इसमें सही आ सके।

श्री सभापति : जनमत जानने के लिये निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं :

श्री छीतरलाल आर्य,
श्री हंसराज शर्मा,
श्री बालचन्द्र आर्यवीर,
श्री अनंगकुमार जैन,
श्री रघुवीरसिंह कौशल,
श्री गुलाबचन्द कटारिया,
श्री दाऊ दयाल जोशी,
श्री बन्सीलाल पटवा,
श्री घनश्याम तिवाड़ी,

(श्री सभापति)

श्री देवीसिंह भाटी।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा एक आध जो बोलना चाहें बोल लें।

श्री नाथूसिंह : मैंने भी दिया है।

श्री सभापति : जो जरूरी समझें वे परिचालित करने के लिये बोल लें फिर आगे और बोलने के अवसर हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 में जो यह संशोधन लाये है, उसके बारे में मेरा ऐसा अनुमान है कि जितने अधिक कानून हम बनाते जाते हैं उतनी ही कानून की अवहेलना होती जाती है। इस बीच से केवल एक चीज बचती है वह है भ्रष्टाचार का जन्म। जितनी सख्ती से किसी चीज को हम लागू करना चाहते हैं उससे बचने के उतने ही रास्ते लोग निकाल लेते हैं। शॉप एक्ट के अन्तर्गत जितने भी अधिकार आज की तारीख में दिये हुए हैं- डिप्टी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जोइंट लेबर कमिश्नर को, आज सारे शहरों की स्थिति यह है कि जिन दुकानदारों की बन्दी इन्सपेक्टर या सम्बन्धित अधिकारी के पास नियमित पहुंचती है वे इस कानून के अन्तर्गत कोई गुनहगार नहीं हैं। लेकिन छोटे दुकानदार को दुकान बन्द करने में पांच मिनट की देर हो या कुछ समय का अन्तर पड़ जाय 10 मिनट का भी, और अनायास हो किसी इन्सपेक्टर से टकराव हो गया तो उसके लिये वह केस बन गया। वह सोचता है कि नियमित रूप से समय पर बन्द करता हूं। लेकिन किसी दिन, कभी दस मिनट ज्यादा हो जाये, क्योंकि उसके बन्धे पैसे नहीं हैं और उससे उसका टकराव हो चुका है और पैसा देने के लिये दुकानदार तैयार नहीं है तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता है। अगर ऐसा नहीं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर कितने बड़े शहर हैं, जैसे उदयपुर को ले लीजिये, उदयपुर के इन्सपेक्टर ने वर्ष 81-82 में कितने दुकानदारों का चालान किया? क्या वह सिद्ध करता है केवल वही दुकानें हैं जो समय के बाद खुली रहती हैं। ऐसा नहीं है। अगर समय का देखें तो शायद उससे 10 गुनी, 50 गुनी दुकानें आपको खुली मिलेंगी। अनेक दुकानदारों ने अपना एडजेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि यह छोटा-मोटा केस बनता है जुर्माना बहुत छोटा-मोटा है। यह छोटे-मोटे केस हैं, इनमें बहुत ज्यादा पैसा उनको मिलता नहीं, लेकिन 15 रुपये महीने का बन्धा हुआ है, 20 रुपये महीने का, 50 रुपये साल का बन्धा हुआ है। निश्चित समय आकर अपना पैसा इकट्ठा करके ले जाते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते। हमने जो कानून बनाया, उसमें केवल एक छोटी सी गलती रही। मैं समझता हूं हम तो कानून बनाते हैं हमसे ज्यादा होशियार तो शायद दुकानदार हैं जो धन्धा करते हैं। यह तो हमारी बुद्धि को चैलेंज है। जब हमने कानून बनाया,

(श्री अध्यक्ष)

हमसे क्यों डिफैक्ट रहा जिससे हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया ? जोइंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के फैसले को रिवर्ट किया और उसको नहीं माना। जो आदमी इतनी सी लड़ाई लड़ एक छोटी सी बात के लिये हाई कोर्ट तक गया होगा उसमें कोई सत्यांश होगा। अन्यथा 100 रुपये जुर्माना देना तो उसको कोई महंगा नहीं पड़ेगा, दो सौ रुपया जुर्माना देना तो दुकानदार को महंगा नहीं पड़ेगा लेकिन वह हाई कोर्ट तक लड़ा। इसलिये कि यह जबर्दस्ती की टैक्स वसूली, टैक्स भी सरकार का नहीं, उन अधिकारियों की जेबों का टैक्स होता है, रुक सके। कोई बावला ऐसा मिल गया होगा जिसने यह लड़ाई लड़ी और उसके कारण उसको सुधारने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा। यह ठीक है, आप इसमें सुधार कीजिए। हमको इसमें कोई एतराज नहीं। अगर कानून में कोई लेकूना है उसके करण से सरकार को ···

श्री सभापति : जनमत जानने के लिए फरमायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। जनमत किस लिये ? लोग इस बारे में चर्चा इसलिये करेंगे कि यह भ्रष्टाचार की जननी बनता जा रहा है। इसके कारण सुधार की गुंजाइश खतम हो जाती है। लोगों को लगता है, अब हमको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जो पैसा वसूल होता है, तू भी ले जा बीमारी मेट। यही होने वाला है, इसमें कोई नवीन स्थिति नहीं बनने वाली है। मेरा यह अनुभव है कि उदयपुर नगर में इस प्रकार के कैसेज साल भर में, मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर में भी नहीं आया, 10-15 भी नहीं बनते। इतने अधिकारी, इन्सपैक्टर्स वहां रहते हैं, 10 और 12 केस से ज्यादा रजिस्टर नहीं होते और जो होते हैं उन लोगों के होते हैं जो टकराते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसलिए आप कानून लाये हैं इसका कड़ाई से पालन करें और अपनी मशीनरी को भी गियर अप करें ताकि वास्तव में इसके साथ न्याय हो।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह को बोलने दीजिये फिर बाद में बोल लीजिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह तो बोलते रहते हैं हम तो पहली बार बोल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, यह जो कानून बनने जा रहा है इस में वास्तव में अधिकारियों का तालमेल बनता रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

भी कानून की पालना नहीं होती है, व्यापारियों और अधिकारियों के सारे ताल-मेल बनते रहते हैं लेन देन के और गवर्नमेंट को इसमें भयंकर नुकसान है। वह टैक्स जो दुकानदार चुकाता है वह आप तक नहीं पहुंचता है, वह अधिकारियों से तालमेल बनाता है उससे उसका धन्धा चलता रहता है। कब दुकान बन्द हुई, कब खुली रही, सब चलता रहता है। मेरा यही निवेदन है, जिस कानून को बनाने जा रहे हैं उसका सख्ती से पालन हो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : बहुत इम्पार्टेन्ट है। आया नहीं है किसी का। मैं नई चीज बोल रहा हूं। सभापति महोदय, यह जो राजस्थान शॉप एण्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में, बना इसकी डेफिनेशन, जो सेक्सन 2 में है, आप देख लीजिये। इसके क्लॉज 14 में प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी को डिफाइन किया गया है। उसमें कहा है "Prescribed authority means the authority made by the rules under this Act. यह लॉ डिपार्टमेंट पर छोड़ा कि वे इसके तहत रूल्स बनाये, सरकार पर छोड़ा कि रूल्स बनाये लेकिन सरकार ने इसके अन्तर्गत रूल्स नहीं बनाये। सरकार ने क्या किया? सभापति महोदय, रूल्स बनाने के बजाय इन्होंने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा रीजनल जोइन्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी दे दी। उसके कारण क्या हुआ कि जितनी प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर, जजमेंट और शिकायतें हुईं, उसमें एक व्यक्ति हाई-कोर्ट में गया और सबको इन-वेलिड करा लाया। अब इनकी आंखें खुलीं तो यह अमेन्डमेंट हाउस में ले आये कि इस अमेन्डमेंट के द्वारा आप एम्पावर कर दो। जितने ऑर्डर्स हैं उनमें एम्पावर्ड हो जायं और जो प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी है उसके लिये कह दिया, गवर्नमेंट जो आर्डिनेन्स जारी करे या गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन जारी करे, जिसको एम्पावर करे वही हो जाय। मैं जो ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह यह है कि आपका जो 1958 में यह एक्ट बना, इसके अन्तर्गत आपने रूल्स नहीं बनाए और आपको अब जो डेलीगेटरी पावर्स हाउस ने उस एक्ट में दी, आपने उसका यूज नहीं किया। आप सोते रहे। कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है? क्या आपने इसकी जांच की है? आज हाई कोर्ट में, कितने जजमेंट और प्रोसिडिंग्स हुईं, आप तो स्वयं वकील हैं, जानते हैं। यह भी मान लीजिये लेकिन आज क्या भरोसा है? 1958 से आज तक रूल्स नहीं बना पाये तो एकदम क्या कर सकते हैं। सारी आर्बीट्रेरी पावर्स आप हाथ में लेना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने रूल्स नहीं बना करके जो डेली-गेटरी पावर्स आपको मिली थीं उसमें आपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। हाउस के सामने आप बार-बार आ जाते हैं कि इसको पास करिये।

इसी तरह, सभापति महोदय, राज-स्थान पंचायत एक्ट है। मैं उदाहरण देना

(१५८)

(श्री नाथूसिंह)

चाहता हूं, विधि मन्त्री जी, राजस्थान पंचायत एक्ट में रूल मेकिंग पावर आपको दी हुई है लेकिन सरपंच और उप सरपंच के लिये आज तक आपने कोई रूल्स नहीं बनाये। यदि कोई ऐसी समस्या आ गई और आर्बीट्रेरी पावर्स आपने अपने हाथ में ले रखी हैं तो, मैं नहीं समझता हूं, आप रूल्स क्यों नहीं बनाते हैं। आर्बीट्रेरी पावर्स आप अपने हाथ में क्यों रखना चाहते हैं ताकि रूल्स के अनुसार सारा काम चलता रहे। तो गलती यह हो गई कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, जिस कारण यह अमेन्डमेंट लाये हैं इससे सबक ले। जो रूल्स नहीं बनाये और जिन्होंने नेगलीजेन्स बरती उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। आपने केवल नोटिफिकेशन के द्वारा उनको ऑथोराइज कर दिया। सारे रूल्स आपके कैन्सल हो गये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सरकार इतनी बड़ी गलती नहीं करे, अन्धेरे में नहीं रहे और जो रूल मेकिंग पावर्स मिली हुई हैं, तो समय-समय पर रूल्स बनावें, समय-समय पर चेक करें और उसके अनुसार समय-समय पर कार्यवाही करे।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : सभापति महोदय, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, जैसा हमारे माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी ने कहा, आखिर गलती होती है तभी तो संशोधन होता है। गलती को जब भी अनुभूत कर लिया जाय जल्दी-से-जल्दी उसको ठीक करना चाहिये। जब यह जजमेंट हुआ, एक दफा मेरे से भी चर्चा आई थी तब मैंने यह कहा था कि यह क्या गलती है. अथोरिटी तो प्रेस्काइब करनी चाहिये थी। प्रेस्कारब्ड अथोरिटी वह है जिसे राज्य सरकार गजट में नोटिफाई कर दे। प्रेस्काइब्ड अथोरिटी का रूल्स में प्रावधान नहीं होता है, हमेशा एक्ट में ही होता है। अथोरिटी, जिसको गजट में अधिकार दिया जाय वही प्रेस्काइब्ड अथोरिटी होती है लेकिन इन्होंने **authority prescried by the rules** करके उसे रूल में डिफाइन नहीं किया कि कौन कौनसी ऑथोरिटी होगी इसलिए अब यह दिक्कत आई। अब जो आथोरिटी प्रेस्काइब्ड होगी वह गजट में साया कर दी जायगी, वह प्रेस्काइब्ड अथोरिटी का काम करेगी। साथ ही अब तक की एबसेन्स को वेलीडेट कर देंगे। ऐसी गलतियां हो जाती है। मैं मानता हूं, आप और हम वकालत करते रहे हैं, वकील भी रहे हैं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं तो किस सरकारी कर्मचारी को दोष दें। आपने कहा वेईमानी होती है, अब कब की बात है, कैसी बात है। आखिर सत्ता में जनता पार्टी रही है, कांग्रेस भी रही है। यह मिस्टेक ही हुई है, शायद यह जान बूझकर नहीं हुई है। मैं सोचता हूं जितनी जल्दी से इसका निराकरण कर लिया जाय

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

उतना अच्छा है इसलिये इसका निराकरण किया गया है।

दूसरी बात जो कही गई है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कौनसे विभाग की गलती मानी जायगी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं विभाग की गलती के लिये अगर बात पूछें तो श्रम विभाग की गलती है, लॉ डिपार्टमेंट की नहीं है क्योंकि श्रम विभाग को अपने नियमों के अन्तर्गत प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी बनाकर भेजना चाहिये था और लॉ डिपार्टमेंट में जाकर वेट होकर इसको निकल जाना चाहिये था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लॉ डिपार्टमेंट ने गलती कैसे मान ली ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अगर विभाग की गलती मानती है तो दोनों ही विभाग मेरे पास हैं लेकिन सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से तो कोई फायदा नहीं है। हमें मालूम पड़ गया कि गलती है तो ठीक करनी चाहिये।

श्री नाथू सिंह : लेकिन इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे कर दिया ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से ही है। इसके वर्डिंग से रिस्ट्रास्पेक्टिव इफेक्ट ही है।

दूसरा जो कहा, अनुपालना में बेईमानियां होती हैं और ऑफिसर्स की मनमानी होती है, मैं इससे इन्कार नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, लेबर इन्सपैक्टर, जैसा मैंने अभी तक देखा, 42 की जगह खाली पड़ी है और 42 के लिये यह था कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन में जायेंगे और वहां से सबॉर्डिनेट सर्विस में सलेक्शन होगा। इसके लिये तो मैंने यह किया है कि इसको परव्यू से निकाल कर जो भी लॉ-ग्रेजुएट हैं उनकी क्वालिफिकेशन बदल दी गई है। लेबर लॉ डिप्लोमा और लॉ ग्रेजुएट आयेंगे। वे हमारे इस सब्जेक्ट में डेडीकेटेड होकर काम करें। आज क्या हो रहा है, यह मैं खुद महसुस करता हूं और मैं खुद श्रम से सम्बन्धित रहा हूं, ट्रेड यूनियन से भी सम्बन्धित रहा हूं, इसलिये सारी हकीकतों को मैं जानता हूं।

आज होता क्या है, यदि लेबर इन्सपैक्टर को कन्सीलियेशन का काम दिया जाय कि इस फैक्ट्री में यह झगड़ा होता है, उसको निपटा कर आओ तो लेबर इन्सपैक्टर उस झगड़े को निपटाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको अगर शॉप एन्ड कॉमर्सियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का काम दे दो तो बड़ी आसानी से कर देते हैं और उनका तबादला मत करो तो बड़ी-बड़ी सिफारिशें आ जाती हैं भाई, इनका तो तबादला मत

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

करो । अरे भाई, 3-3, 4-4 साल हो गये । जरा दूसरी जगह भी जाओ। दूसरी जगह से आने वालों को जान-पहचान में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस प्रक्रिया को अपनाया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी रोज नाथ सिंह जी को बिठा करके चलेंगे और जहां-जहां भी आपको दुकानें खुली हुई मिलेंगी, साथ चल कर खुद पकड़ेंगे।

(व्यवधान)

आप भी चलना ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 8-00 बजे दुकानें बन्द होती हैं । आप 11-00 बजे भी राउन्ड ले लें तो अधिकांश दुकानें खुली हुई मिलेंगी ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं खुद राउन्ड करने वाला हूं । आपको पता लग जायगा । लेकिन तारीख और दिन नहीं बताऊंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे दारू की दुकानों के लिये बतायें कि वे बन्द करेंगे या नहीं । रात्रि के एक-एक दो-दो बजे तक खुली रहती हैं । उन पर बिजलियां और लगी रहती हैं

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं सभी दुकानों के लिये बता रहा हूं । दारू की दुकान भी उसमें अपने आप आ जाती है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शायद आपके इसमें आती नहीं है, ऐसा लगता है ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : नहीं सब आती है । वह तो शाप एन्ड कॉमर्सियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जिन-जिन को छूट दी हुई है, वह खुली हो सकती हैं और नहीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको इस बात की भी पूर्ति कराना चाहूंगी कि वे दुकानें भी इन दुकानों के साथ 8-00 बजे बन्द हो जानी चाहिये ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होते ही यह प्रक्रिया शुरू करेंगे । मैं खुद चाहता हूं, जिस तरह की चीज आज चल रही है वह नहीं चले । वरना, मैं समझता हूं मेरा श्रम मंत्री बनने से कोई फायदा नहीं है ।

दूसरी चीज जो कही, शिकायतें बहुत आई हैं, कि लेबर इन्सपेक्टर ने कुछ रकम बान्ध रखी है उनका चालान तो नहीं होता है बाकी दूसरे गरीब आदमियों का चालान हो जाता है । यहां के मण्डल वाले, आदर्श नगर वालों ने भी कहा है । तो मुझे इस बारे में आश्वासन देने में कतई किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है । मैं आप सब लोगों का इस बारे में सहयोग चाहता

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

हूं जो चीज है इसको कैसे दूर कर सकते हैं। गरीब आदमियों के साथ कोई परचूनी की दुकान वाला है, उनके लिए मुझे सजेशन भी दिया गया कि यह जो सैल्फ एम्पलायड लोग हैं, जैसे, मान लीजिए, आम तौर से बस्तियों में कोई गरीब आदमी 6 बजे ड्यूटी से आता है और 8 बजे तक दुकान का काम नहीं निपटा पाता, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। मैं चाहता हूं, कभी बैठकर, 5-7-10 जयपुर के जो माननीय सदस्य रहने वाले हैं, वे यह विचार करें कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको टाइम नही मिलेगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मुझे तो बहुत टाइम है। लेबर के बारे में आपको छूट है आप भी कोई भी श्रमिक नेता कभी भी आकर बात कर सकते हैं। मैं अन्य सब कामों को छोड़ सकता हूं। जब श्रमिक की समस्या आ जाती हैं तो उसमें ज्यादा टाइम देता हूं। मैं समझता हूं, इस आश्वासन के साथ इस विधेयक को आप लोग, माननीय सदस्य, पारित कर दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। पण्डित जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यों ही वह तो सोचते है कि मुफ्त में ही काम करवा लो तो तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी के उत्तर को देखते हुए आज तो बख्श दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा: दो मिनट बात कह दूं, मेरा मंतव्य इसमें सुझाव देने का यह था, सरकारी दफ्तरों में 8 घण्टे काम करने वाले भी बीच में लंच लेते हैं लेकिन अपने विधान के अनुसार, साढ़े 10 घण्टे तक लोग दुकानों में काम करते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि इनको ठीक टाइम पर यदि छुट्टी नहीं हो, तो दुकानदार को फायदा है और ग्राहक को भी शायद फायदा है कि दुकान खुली मिल जाती है, लेकिन जो दुकान में काम करने वाले हैं, श्रमिक, उनके लिए दिक्कत यह है कि थान बांधो, दवाई निकालो और जो परचूनी की दुकान है उसमें मिर्च, धनिया बांधो। कहने का अर्थ है कि उनके श्रम के बारे में सोचना चाहिए, उनका भी परिवार है, घर गृहस्थी है। साथ ही कहना चाहूंगी कि इनके बारे में सोचें, दुकानें ठीक टाइम पर बन्द हो। दूसरे, जो साप्ताहिक अवकाश है, उसमें भी फर्क है। कोई बाजार इतवार को बन्द होता है, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुधवार को। उन दुकानों पर भी उनकी साप्ताहिक छुट्टी नियमित रूप से हो सके जिससे एक दिन का अवकाश वहां के श्रमिक को मिल सके। साथ ही मेरा एक और भी सुझाव था, वह कहकर बैठगी कि राष्ट्रीय त्योहारों पर भी उनको छुट्टी नहीं मिलती।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज का कार्य समाप्त हो, उस वक्त तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया गया।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो, मान्यवर, मन्त्री महोदया इन बातों को ध्यान में रखते हुए....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को जनमत जानते हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

इसके खण्डों पर कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है इसलिए मन्त्री महोदय अगला प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार
सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसमें 12 माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। श्री भंवरलाल शर्मा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे विधि मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा साहसिक कदम हिन्दी भाषा के पक्ष में उठाया है लेकिन साथ-साथ यह परन्तुक जोड़ने पर, मेरी समझ में नहीं आया, यह साहस आपका कहां चला गया। आपने लिखा है अधीनस्थ न्यायालयों में जो भी कागजात पेश होंगे" आपका मतलब दावों से, रिटन स्टेटमेन्ट से है प्रार्थना पत्र होगा, वह केवल हिन्दी में ही दिया जायेगा। यह तो आपने बड़ी दृढ़ता से कहा है लेकिन परन्तुक में आपने कह दिया कि यदि कोई चाहे तो अंग्रेजी में भी दे दे और उसकी प्रतिलिपि, अनुवाद करके, हिन्दी में दूसरे पक्ष को दे। तो मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह अमेण्डमेन्ट आप यहां इसलिए लाये हैं कि आप हिन्दी के पोषक हैं, ऐसा आप प्रकट करना चाहते है और मन से भी आप ऐसे होंगे। जब आप हिन्दी के पोषक हैं ही तो इस परन्तुक में अंग्रेजी क्यों जोड़ दिया? आपने कहा है कि अंग्रेजी में दोगे तो हिन्दी अनुवाद भी करना पड़ेगा। हिन्दी का अनुवाद करने का दायित्व भी उसी व्यक्ति पर, उसी पक्ष पर होगा। इसका मतलब वह हिन्दी भी जानेगा और अंग्रेजी भी जानेगा। यही बात हुई ना? जब वह हिन्दी जानेगा ही उसको हिन्दी में पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर दिया कोर्ट को काहे को परेशानी में डालते हैं कि हिन्दी अनुवाद भी देगा और वह कॉपी प्रतिपक्ष को जायेगी। इसकी आवश्यकता क्या हो गयी? मेरा सुझाव है कि आप यहां पाबन्दी डाल रहे हैं कि जो अंग्रेजी में कागज देगा उसका हिन्दी में अनुवाद भी आपको देना होगा। मेरा निवेदन है कि उससे अनुवाद न लेकर आप उसे इसके लिए बाध्य करिये कि अंग्रेजी में न देकर सीधे हिन्दी में ही दे। जरूरत क्या है अंग्रेजी में देने की? उससे यह होगा कि हम वास्तव में हिन्दी के लिए समर्पित हैं और सम्पूर्ण काम हिन्दी में चाहते हैं, वह भावना इससे प्रकट होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना क्या होगा, पहले अंग्रेजी में कागज देगा। फिर कोर्ट कहेगा, हिन्दी में अनुवाद करो। उसके लिए तारीख लेगा। फिर वह कहेगा कि मैं तो अनुवाद नहीं कर सका, मुझे एक तारीख दे दीजिए। तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अदालतों में जो बहुत लम्बे समय तक काम मुकदमा चलता है, मुकदमे जल्दी तय नहीं होते हैं, उस प्रक्रिया को और लम्बा करने से कोई लाभ नहीं होगा। राजस्थान का कौन सा समाज, कौन सा व्यक्ति और कौन सा नगर ऐसा होगा जो अंग्रेजी ही जानता है, हिन्दी नहीं जानता है। यह राजस्थान के लिए कानून बना रहे हैं, आप पालियामेंट में नहीं बैठे हैं जो कि आप पूरे हिन्दुस्तान का विचार कर रहे होंगे। क्षमा करें, आपकी सीमा राजस्थान तक की है। राजस्थान में कोई एरिया ऐसा नहीं है जो हिन्दी नहीं जानता हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो परन्तुक आपने लगाया है इसको आप निश्चित रूप से विलोपित कर दीजिए और इसमें एज इट इज जो अमेंडमेंट रखा है इसको पास कर दीजिए। फिर इसका औचित्य समझा दीजिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्ताव करती हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के केन्द्रीय अधिनियम के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है, आग्रह है, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता माननीय श्री भंवरलाल शर्मा ने विचार रखा है कि केवल हिन्दी में काम हो। यह आपकी मन्शा है और हमारे संविधान की भी मन्शा है। हमने अपनी राजभाषा हिन्दी मानी है इसलिए मैं कहना चाहूंगी इसमें परन्तुक निकाल दिया जाय। इसके साथ-साथ कई शब्द ऐसे हैं न्यायालयों की भाषा में जरूरत पड़ेगी जिनके सरलीकरण की। तो सरलीकरण में कहीं पर जैसे, लोहपथगामिनी या घुआ उगलने इतनी विलष्ठ हिन्दी नहीं कर दी जाये। इस सम्बन्ध में एक कक्ष न्यायालयों की सहायता के लिए स्थापित किया जावे और इसी के साथ जो अपना भाषा विभाग है, उसके सहयोग से एक लाइब्रेरी भी वहां पर उनको ऐसी मिले जिससे हिन्दी के शब्दों का न्यायालय की भाषा में प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं हो। यों तो इसके समाधान में सिविल प्रक्रिया संविदा, जो आजकल हमारे विश्वविद्यालयों में हिन्दी में पढाई जाती है, से भी, बहुत सहयोग मिलेगा। मेरा यही कहना है कि आप इसका सख्ती से ऐसी व्यवस्था करते हुए पालन करें। सचिवालय और अन्य स्थानों पर जगह-जगह पट्टों पर लिखा हुआ है—हिन्दी का प्रयोग कीजिए, हिन्दी राज भाषा है, राष्ट्र भाषा है, इसलिए हिन्दी को मान्यता मिलनी चाहिये। हिन्दी दिवस भी मनाए जा रहे हैं और बड़ी-बड़ी बातें हिन्दी दिवस के दिन हमारे नेतागण कर आते हैं। मेरा यही कहना है कि जिन संस्थान पर केवल इंगलिश में नाम लिखे हुए हैं, जो राजकीय संस्थान उनमें हिन्दी के नाम का उपयोग होना चाहिए। हमारी संस्थाओं के जो पट्ट हैं वह भी हिन्दी में लिखे जावें। साथ ही राजकाज के काम-काज में हिन्दी की पालना की जानी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहिए। मन्त्री महोदय से मैं यह भी आग्रह करूंगी कि सचिवालय के केवल कर्मचारी-अधिकारी ही नहीं, अधिकांश माननीय मन्त्री महोदय भी अंग्रेजी में नोट लगाते हैं, कोई बात लिखनी होती है तो हाशिये पर अंग्रेजी में नोट लगाते हैं। ऐसी व्यवस्था की जावे कि जो हमारी मातृभाषा है उसको उसका स्थान मिल सके। आप स्वयं भी कृत-संकल्प होइये कि आप अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे। वह हमारी भाषा नहीं बल्कि वह यही याद दिलाती है कि इस भाषा-भाषी ने हमको गुलाम रखा था। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इसको सम्मान देने के लिए, बड़ी दृढ़ता से हिन्दी का प्रयोग अधिक हो, सम्पूर्ण रूप से हिन्दी काम में आए इसके लिये व्यवस्था करेंगे। हैं आपके इस संशोधन का स्वागत करती हूं। निश्चित रूप से यह सराहनीय है लेकिन इसका परन्तुक निकाल दें तब ही सराहनीय यह है, मैं यही कहना चाहती हूं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए। सभी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये, न्यायालयों में भी हिन्दी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। हम राजस्थान के लोग खुद हिन्दी बोलने वाले हैं लेकिन साथ में इस कानून के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र या अपना प्रतिवेदन अंग्रेजी में देना चाहे तो दे सकता है और उसका हिन्दी में अनुवाद करके, प्रतिपक्ष का व्यक्ति यदि ऐसा चाहे तो उसकी कापी उसको देनी पड़ेगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हिन्दी को हमने अपनाया है, हम राजस्थान के लोग हिन्दी वाले हैं ही। जो दक्षिण के हमारे भाई हैं और जो हिन्दी नहीं जानते हैं, उनसे हम यह आशा करते थे कि हिन्दी को क्योंकि हमारी राष्ट्र भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया है इसलिए अधिक-से-अधिक इसका उपयोग करें। बीच में यह अंग्रेजी वाली जो बात है यह एक कानून के तहत लाई जा रही है। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है कि बीच में यह अंग्रेजी जो आ रही है वह नहीं आए इस बात का कड़ाई से पालन करें और उन लोगों से भी हम आग्रह करें कि वे हिन्दी का उपयोग करें। प्रार्थना पत्र जिसको देना हो वह हिन्दी में दे। साथ ही, हिन्दी प्रयोग की हमारी कल्पना है कि दक्षिण के लोग भी हिन्दी का प्रयोग करें वह कल्पना हमारी पूरी हो सके, इसलिए मैं संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु एक सप्ताह के लिए परिचालित किया जाये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : मान-अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान सशोधन) विधेयक, 1982 जनमत जानने हेतु एक सप्ताह के लिये

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

परिचालित किया जाय। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हर कार्यालय में इस प्रकार लिखा हुआ रहता है कि अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक कार्य आजकल अंग्रेजी में ही हो रहा है। इसकी पालना कराने के लिए आपको इस प्रकार के नियम बनाने पड़ेंगे ताकि हमारी जो मातृभाषा है उसको प्रोत्साहन मिल सके। हम 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं इन अवसरों पर हिन्दी का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी थी उससे हमें छुटकारा मिला तो हमें मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करने चाहिए, और अन्य राज्यों में, यानि दक्षिण के लिए जैसा कि माननीय सदस्य ने निवेदन किया है, वहां पर भी हमारी भाषा जो कम उपयोग में आती है, उपयोग में लावें और बोलें, इसके लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करें। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है ताकि हमारी मातृभाषा को अधिक से अधिक हमारे कार्यालयों में या हमारे कामकाज में प्रोत्साहन दे सकें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन में 137 धारा का सम्बन्ध है, वहां तक तो सभी माननीय सदस्य स्वीकारते हैं कि यह अच्छा संशोधन है। मैं यह स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में काम करने का है और अब तो हाई कोर्ट्स भी इस बात को मानने लगी है कि धीरे-धीरे उनका कार्य भी हिन्दी में हो। लेकिन धारा 137 में इस बात की छूट दी हुई है कि वे अंग्रेजी में कार्य करें। धारा 137 के तहत अंग्रेजी चलती है वहां।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हाई कोर्ट में लागू नहीं है। यह तो सबोर्डिनेट कोर्ट्स के लिए है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : वह लोअर कोर्ट्स के लिए है। तो हमारे यहां पर लोअर कोर्ट्स के लिए यह आदेश है कि सारे बयान, सारी प्रोसीडिंग्स हिन्दी में ही लिखी जावें और बयान भी हिन्दी में लिए जावें। अब प्रश्न यह आता है कि अभी तक जो प्लीडिंग्स जो एप्लीकेशन्स होती थीं, वह कोई चाहता तो अंग्रेजी में दे सकता था लेकिन यह आवश्यक था कि इसका हिन्दी अनुवाद देना है। अब इसकी उल्टी बात हो गई। प्लीडिंग्स और एप्लीकेशनस या जो भी बात हो वह केवल हिन्दी में दी जावे। लेकिन जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भंवरलाल जी ने सवाल उठाया, प्रोविजो का उद्देश्य सिर्फ यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

साहब, मैं हिन्दी नहीं जानता हूं, मैं हिन्दी पढ़ नहीं सकता हूं और, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं तो फिर यह कोर्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है कि कोर्ट अगर चाहे तो उस व्यक्ति से इसका अंग्रेजी अनुवाद करके दिलवा सकता है परन्तु ओरिजिनल कार्यवाही या एप्लीकेशन हिन्दी में ही होगी। तो इसका केवल उद्देश्य यह है, जिस तरह से आज तक था कि प्रोसीडिंग्स सारी की सारी हिन्दी में होगी :

Provided the Court may in its discretion accept such writing in English

अगर कोई अंग्रेजी जानने वाला है तो वह अंग्रेजी में एप्लीकेशन तो दे देगा लेकिन यह कोर्ट के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है कि एक्सेप्ट करे या नहीं, लेकिन अनिवार्यता इस बात की कर दी गई है कि उसका अनुवाद हिन्दी में देना होगा।

Provided that the Court may in its discretion accept such writing in English but on the undertaking of the party filing such writing to file a Hindi translation of the same.

उसी वक्त इस बात की अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि वह उसका हिन्दी ट्रांसलेशन करवा कर के देगा। तो मैं समझता हूं कि इससे उन लोगों को कोई मुश्किल नहीं आएगी जो कि अंग्रेजी जानते हैं या ओरिजिनली अंग्रेजी में लिख सकते हैं। यह परन्तुक शब्द इसलिए है कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिन्दी में किया जाएगा ताकि हिन्दी में एक्सेप्ट किया जा सके। वह ट्रांसलेशन करवा कर देगा, किसी भी तरह से देगा, इस बहाने से हिन्दी में भी पेश हो जायेगा। कोई क्यों झल्लत मोल लेगा, वह पहले ही हिन्दी में दे देगा ताकि उसको ट्रांसलेशन करवानी नहीं पड़े। लेकिन उन लोगों की सुविधा के लिये, जो अंग्रेजी में देना चाहें जो हिन्दी नहीं जानते यह परन्तुक लाया गया है। इसका अभिप्राय यह नहीं है क्योंकि कंपलसरी तो हिन्दी है। उसके लिये हिन्दी में ट्रांसलेशन लाजिमी कर दिया है इसलिये उससे बचने के लिये कोई व्यक्ति अंग्रेजी में पेश नहीं करेगा। लेकिन कोई साउथ का आदमी आये, उसको अगर एप्लीकेशन देनी है कि मैं आज गैर-हाजिर रहना चाहता हूं या कोई दूसरी चीज है, या कोई प्लीडिंग बाहर से बनवा कर लाता है, जवाब दावा बनवा कर लाता है तो, उसके साथ-साथ उसको अण्डरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं इसकी हिन्दी भी पेश करूंगा। अब कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट करेगा। इसलिये मैं समझता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। यह हिन्दी के प्रोत्साहन के लिये ही है इससे कोई हम लोगों को, राजस्थान के लोगों को दिक्कत नहीं आयेगी लेकिन जो बाहर के लोग प्लीडिंग लिखवा कर लाते हैं वे अंग्रेजी में पेश कर सकते हैं लेकिन हिन्दी में ट्रांसलेशन पेश करना लाजिमी होगा। इसी उद्देश्य से इस परन्तुक को लगाया गया है और बाकी इस बिल का उद्देश्य यही है कि सारा काम हमारी मातृभाषा हिन्दी में ही हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं समझा नहीं, सर।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपको समझने की जरूरत है। मुझे तो समझ में इतना ही आना चाहिये कि मत किधर जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो ठीक है, साहब। लेकिन कुछ काम मत से होंगे, कुछ हिम्मत से भी होंगे, साहब। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं इस परन्तुक को आप हटा नहीं सकते तो इसमें दो डिफिकल्टीज आयेंगी। एक तो यह होगी कि आज कोई अंग्रेजी में दरख्वास्त देगा या कोई भी कागजात पेश करेगा उस पर बाइंडिंग होगी उसे हिन्दी अनुवाद भी करके देना पड़ेगा। मतलब उस दिन तो कार्यवाही रुक गई। अण्डरटेकिंग का मतलब यही है कि वह भविष्य में पेश करेगा, आज ही तो नहीं। यह तो आवश्यक नहीं है कि जैसे ही अंग्रेजी में कागजात पेश करेगा वैसे ही उसके साथ हिन्दी में पेश करेगा, यह तो पाबन्दी लगाई नहीं। आपने तो कहा है कि अण्डरटेकिंग देगा, फॉर फ्यूचर। अतः उस दिन तो कोई कार्यवाही होगी नहीं। अब मुझे कोई तारीख लेनी है या आगे बढ़ानी है, मकान खाली कराने का मुकदमा है मैंने अंग्रेजी में दरख्वास्त दे दी और अण्डरटेकिंग दे दी कि आगे हिन्दी में दे दूंगा। Case will be adjourned for that purpose only. मेरा परपज यही है कि डिले करूं, वह तो पूरा हो गया। इस तरह से प्रोसीडिंग डिले होगी। इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स और लोग इसका दुरुपयोग करेंगे एक तो यह नुकसान होगा। वह आप कैसे रोकेंगे ? मैंने अंग्रेजी में दरख्वास्त दे दी और हिन्दी में देने का वायदा करूंगा और कहूंगा कि दस दिन बाद हिन्दी में दूंगा, आज मुझे माफ करिये, आज कोई व्यवस्था नहीं कर सकूंगा, मुझे दस दिन का टाइम और दे दिया जाय तो क्या डिले नहीं होगा ? आप तो खुद वकील है। तारीखें कैसे लेते हैं, खूब जानते हैं आप, लम्बा मुकदमा कैसे करते हैं we very well know it. तोआप उनके हाथ में एक हथियार और दे रहे हैं। एक बात तो यह करेंगे। दूसरा यह है कि आपका हिन्दी के प्रति प्रेम भी इससे प्रकट नहीं होता है। आज राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग है जो हिन्दी नहीं जानते हैं सिर्फ अंग्रेजी ही जानते हैं, ऐसे आदमियों का कितना पर्सेन्टेज होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्थान के लिये कोई दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि डिस्क्रिशन शब्द रखा गया है, वह जुडिशियल डिस्क्रिशन है। अगर कोई डिले करने के लिये, अवोइड करने के लिये करता है तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है इजाजत नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेजी ही जानता है, साउथ इंडिया से आया हुआ है....

श्री भंवरलाल शर्मा : तो फिर यह लिख दीजिये कि साउथ इन्डियन के लिये ही लागू है। Are you going to provide it ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : Not.

श्री भंवरलाल शर्मा : तो फिर मैं अंग्रेजी में पेश करूंगा मुझे कैसे रोकेंगे ? क्या यह कहेंगे कि आप साउथ इन्डियन हो या नहीं, यह होगा नहीं इसलिये डिले होगी। फिर आपका क्या हिन्दी के प्रति प्रेम है वह भी इससे प्रदर्शित नहीं होता। आप कहते हैं कि राजस्थान के लिये दिक्कत नहीं है बाहर के लोगों के लिये है। बाहर से कोई आयेगा वह क्या करेगा ? नकल तो पेश करेगा ही। उसको हिन्दी में तो अनुवाद करके देना ही होगा। केवल अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा तो पहले ही हिन्दी में दे दे, क्या दिक्कत है उसमें फिर तो जो अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं, हिन्दी भी नहीं जानते हैं उनके लिये क्या रास्ता निकालेंगे ? इसलिये हमारी जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें ही देने के लिये बाइण्ड करिये। आपको केवल हिन्दी में ही देना होगा। अगर राजस्थान में मुकदमा लड़ना है तो हिन्दी जाननी ही पड़ेगी। हिन्दी में पत्रावली देनी ही होगी। उसको अनुवाद भी तो देना पड़ेगा ही। हिन्दी में ही लेंगे तो एक तो आपका हिन्दी के प्रति प्रेम प्रदर्शित होगा और दूसरा मैंने कहा, अनुवाद करने से डिले होगी और रोज झन्झट बढ़ेंगे इस बात को लेकर तो काहे को झन्झट में पड़ रहे हैं आप राजस्थान में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने एक आर्गूमेंण्ट और दिया कि हिन्दी की पाबन्दी से लोग हिन्दी में ही देंगे। तो फिर वह कठिनाई और कम हो गई। केवल 0.1 पर्सेन्ट प्रॉब्लम रहेगी, अगर रहेगी तो वह भी इमेजिनरी है। इससे आप एक तो प्रॉब्लम पैदा करेंगे दूसरे, मुकदमे डिले होंगे। आप हिन्दी के प्रति कदम उठा रहे हैं लोग कहेंगे कि, देखिये, बृजसुन्दर जी के राज में शुद्ध हिन्दी हो गई पूरी, इसमें भी टोटा पड़ जायेगा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिये यह परन्तुक बजाय लाभ के मुकदमे में डिले पैदा करेगा और आप हिन्दी के प्रति जो प्रेम प्रकट करना चाहते हैं उसमें भी कमी आयेगी। इसलिये मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का इश्यू मत बनाइयें। एक वकील की तरह समझने की कोशिश करिये। यह ठीक है कि आप बहुत दिनों से प्रेक्टिस नहीं करते होंगे लेकिन माइण्ड तो वही है, होगा ही। इसलिये मेरा निवेदन है This is not a prestidge issue.

इसको इस हिसाब से स्वीकार कर लीजिये कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इससे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि या तो मेरे समझने में कुछ कमी रही या आपके समझने में कुछ कमी रही है। सवाल यह है कि हमारे देश, जो विभिन्न भाषाओं का देश है, में अब तक अंग्रेजी का प्रचलन रहा है इसलिये सभी लोग, जो भी कोर्ट में जाते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। राजस्थान के वकील कोर्ट में हिन्दी का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन इससे हम उन लोगों को वंचित कर देंगे जो बाहर के रहने वाले हैं और किसी मुकदमे में राजस्थान में पैरवी करने आते हैं, चाहे वे थोड़ी संख्या में हों। जब कोर्ट का डिस्क्रिशन यह कर दिया गया कि हिन्दी में लाना लाजिमी होगा, अंग्रजी में

(श्री. बृजसुन्दर शर्मा)

देते हैं तो कोर्ट उनको मौका देगा कि ट्रांसलेशन लाकर पेश करें, यह ऐसे लोगों के लिये है। फिर कोर्ट का जुडिशियल डिस्क्रिशन है। अगर डिले के लिये एप्लीकेशन देता है तो कोर्ट खारिज कर देगा।

श्री अध्यक्ष : अब समझ में आ गई बात।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने दोनों का आर्गूमेण्ट सुन लिया—You become the Court & decide it.

श्री अध्यक्ष : सदन से तय कर लेते हैं।

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 82 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड (2) में संशोधन है। माननीय श्री नाथूसिंह एवं श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, "Proviso of sub-section (3) of section 137, which is sought to be sutstituted, be deleted. यह संशोधन केवल इसलिये लाये हैं कि आप हिन्दी के पक्षपाती हैं, इसके अलावा कोई दृष्टिकोण नहीं है। आज भी आराम से अदालतों में काम चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी जानने वाले भी आते हैं, हिन्दी जानने वाले भी आते हैं। आप उदारता, बोल्डनैस या हिन्दी के प्रति प्रेम कहिये, उसको प्रदर्शित करने के लिये, यह अमेण्डमेंट लाये हैं। सारे सदन की भावना भी यही है कि राजस्थान में कम से कम अधीनस्थ न्यायालय है; हम हाईकोर्ट के बारे में विचार नहीं कर हैं, हम जो छोटे-छोटे स्थानों पर मुसिफ कोर्ट्स हैं जहां अंग्रेजी जानने वाले बिलकुल नहीं मिलते वहां की बात कर रहे हैं, वहां यह व्यवस्था प्रारम्भ की जाय। ऐसी स्थिति में तो मूल उद्देश्य ही फ्रस्ट्रेड हो जायेगा। इसलिये मैं पूरे सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अंग्रेजी से छुट्टी पानी है तो पूरी ही पाइये। यदि हाउस तय कर दें कि अंग्रेजी होनी चाहिये तो बहुमत के आधार पर वैसा फैसला कर लीजिये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लेकिन हमारी भावना यही है कि जब हिन्दी के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं, हमारे मन में हिन्दी के प्रति जब इतना स्वाभिमान, है तब इसमें परन्तुक लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर विचार करिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, हमने जो अमेण्डमेंट दिया है, जैसा कि अभी बताया गया है, हमारा उद्देश्य तो केवल यही है कि हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक हो। आपको तो मालूम ही है कि यू० पी० में रिट पिटीशन हिन्दी में ही की जाती है। वहां ऐसा कानून बना हुआ है। वहां रिट पिटीशन हिन्दी में कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में जो काज लिस्ट बनती हैं, सबोर्डिनेट कोर्ट्स की तो बात ही छोड़िये हाईकोर्ट में जो काज लिस्ट बनती हैं वह उस समय करीब-करीब हिन्दी में ही बनती हैं केवल एक जज को छोड़ कर। केवल एक जज ऐसे हैं जिनकी काज लिस्ट अंग्रेजी में बनती है, बाकी सब हिन्दी में बनती हैं। जब ऐसी स्थिति है तो आप यह कारण बताते हैं बाई [हिं]दी वे ऐसा हो सकता है, तो सबोर्डिनेट कोर्ट्स में ऐसा होने का सवाल ही नहीं है। सदन की भावना यही है और आप हिंदी लाना चाहते हैं और इसके लिये कदम उठाया है। इसलिये मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि द्वितीय खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 137 की उपधारा (3) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "Other than the recording of evidence" को विलोपित किया जाय। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय, इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री हीरालाल आर्य, (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हिन्दी अनुवाद के नाम पर अननेसेसरी केस को डिले कराना है। आप कोर्ट को इस चक्कर में मत डालिये कि हिन्दी अनुवाद देता है। पहले ही वह हिन्दी अनुवाद क्यों नहीं देता है। कोर्ट को चाहिये कि वह हिन्दी अनुवाद को ही लें। कोर्ट को काफी केसेज निपटाने होते हैं वे केवल इस वजह से पड़े रहेंगे कि हिन्दी अनुवाद लाओ। इसका अर्थ क्या है? केवल अपनी बात पर अड़े रहना। बीच में यह अंग्रेजी की गुलामी कहां से आ रही है? मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हिन्दी में ही अनुवाद पेश करेंगे तो क्यों नहीं पहले ही आप प्रार्थना-पत्र हिन्दी में स्वीकार करें। यही उचित होगा। इससे हिन्दी के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन होगा वरना यह अननेसेसरी डिले करने वाली बात है। अदालत को महत्वपूर्ण काम करने होते हैं, केसेज जल्दी निपटाने होते हैं। परन्तु इससे केस निपटाने में बाधा पड़ेगी, अनावश्यक देरी होगी इसलिये इस बात पर न अड़ कर हिन्दी में ही प्रार्थना-पत्र मांगे जायें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, इससे कोई अड़चन नहीं आने वाली है बल्कि कुछ लोग जो हिंदी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

नहीं जानते हैं उनको सुविधा होगी। मैं समझता हूं, पहले जो जवाब दे चुका हूं उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप अमेण्डमेंट क्यों लाये हैं, यह समझा दीजिए।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इसलिये लाये हैं कि, अब तक परिपाटी यह थी, आर्डर यह था कि कोई भी चाहे तो दरख्वास्त ओरिजिनली अंग्रेजी में पेश कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। ओरिजिनल दरख्वास्त हिन्दी में ही होगी। ओरिजिनल प्लीडिंग हिंदी में ही मानी जाकर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा। अब तक यह प्रावधान था कि ओरिजिनल प्लीडिंग अंग्रेजी में पेश कर सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह एक्ट है। इसमें कहां पाबन्दी है कि यह हिन्दी में ही प्रस्तुत करेगा ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने इसकी भावना नहीं लिखी है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : धारा 137 के अन्दर आदेश निकले हुए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पुराना संशोधन है, वह मैं बताता हूं :—Where this code requires or allows anything then the recording of evidence to be done in writing such writing may be in English. यह नहीं है कि हिन्दी में देना होगा। अब आपने कहा है कि हिन्दी में देना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा नहीं है, It is not in English. Now it will be in Hindi.

कोर्ट के डिस्क्रिशन पर It will be translated in Hindi. That Hindi will be original.

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने यह आर्गूमेंट दिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस तरह से खतम नहीं होगा। अपन बैठ कर हिसाब कर लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : और क्या पहले इसको पास कर दें ?

श्री अध्यक्ष : पण्डितजी का सुझाव मान लिया जाये। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर श्री नाथूसिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर श्री भंवरलाल शर्मा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

श्री भंवरलाल शर्मा : Ayes have it.

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर श्री भंवरलाल शर्मा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Ayes have it.

श्री अध्यक्ष : डिवीजन चाहते हैं ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर जो संशोधन प्रस्ताव श्री भंवरलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(ध्वनि-मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री अध्यक्ष : खण्ड 2 पर जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्ताव श्री भंवरलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया हैउसके पक्ष में जो माननीय सदस्य हैं वे खड़े हो जायें ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्तावके पक्षमें माननीय सदस्य हैं वे हां पक्ष की लॉबी में पहुंचे और जो प्रस्ताव के विपक्ष में माननीय सदस्य हैं वे ना पक्ष की लॉबी में पहुंचे ।

(मत विभाजन-सूचक घण्टी)

(मतदान के पश्चात्)

प्रस्ताव के पक्ष में 25 सदस्यों ने मत दिया ।

प्रस्ताव के विपक्ष में 80 सदस्यों ने मत प्रकट किया ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

मत विभाजन

हां पक्ष

1. श्री अनंग कुमार जैन
2. श्रीमती उजला अरोड़ा
3. श्री कैलाश मेघवाल
4. „ गुलाबचन्द कटारिया
5. „ गोपाल पचेरवाल
6. „ घनश्याम तिवाड़ी
7. „ चन्द्रवीरसिंह भाटी
8. „ छीतरलाल आर्य

9. श्री जीतमल जैन
10. ,, दाऊदयाल जोशी
11. ,, देवीसिंह भाटी
12. ,, नन्दलाल मीणा
13. ,, नाथूसिंह
14. सुश्री पुष्पा जैन
15. श्री फतेसिंह
16. ,, बन्शीलाल पटवा
17. ,, बहादुरसिंह
18. ,, बालचन्द्र आर्य वीर
19. ,, भंवरलाल शर्मा
20. ,, भैरोंसिंह शेखावत
21. ,, भूपालसिंह
22. ,, रामकिशोर मीणा
23. ,, ललित किशोर चतुर्वेदी
24. ,, वीरेन्द्र प्रतापसिंह
25. ,, हीरालाल आर्य

ना पक्ष:

1. श्री अमरचन्द
2. ,, अमरारामः
3. श्री अमीन खां
4. ,, अलखाराम
5. ,, असलमखां
6. ,, अहमद बक्श सिन्धी
7. ,, ईश्वरलाल सैनी
8. श्रीमती कमला भील
9. श्रीमती कमला
10. श्री कमला भाई मीणा
11. ,, खेतसिंह राठौड़
12. ,, गोकुलचन्द शर्मा
13. ,, गोविन्द अग्रवालिया
14. ,, गोविन्दसिंह गुर्जर
15. ,, घनश्याम जैन
16. ,, घासीराम यादव
17. ,, चन्दनमल बैद
18. ,, सी० पी० जोशी
19. ,, चेतराम मीणा
20. ,, सी० एल० कंवरिया
21. ,, जगदीशप्रसाद तिवाड़ी
22. ,, जयकृष्ण शर्मा
23. ,, जयदेव प्रसाद इन्दोरिया

24. श्री जीवराजसिंह राठौड़
25. ,, ज्ञानसिंह चौधरी
26. ,, तकीउद्दीन अहमद
27. ,, तेजपाल यादव
28. ,, थानसिंह मीणा
29. ,, दिनेश डांगी
30. ,, दीनमोहम्मद
31. ,, दीपेन्द्रसिंह
32. ,, देवदत्त तिवाड़ी
33. ,, देवेन्द्रकुमार मीरखा
34. ,, देवेन्द्रसिंह
35. ,, द्वारकाप्रसाद बैरवा
36. ,, धाराराम फुलवारिया
37. ,, नानालाल
38. ,, नानूराम कुमावत
39. ,, नारायणसिंह
40. ,, परसराम मोरदिया
41. ,, परसराम मदेरणा
42. ,, प्रद्युम्नसिंह
43. ,, प्रभुलाल
44. ,, बनवारीलाल
45. श्री बाबूलाल बैरवा
46. ,, बिहारीलाल पारीक
47. ,, बुलाकीदास कल्ला
48. ,, बृजसुन्दर शर्मा
49. ,, भंवरलाल मेघवाल
50. ,, भैरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रा.)
51. ,, भैरूलाल भारद्वाज
52. ,, भैरूसिंह गुर्जर
53. ,, महादेवसिंह
54. ,, माणकमल मेहता
55. ,, मानसिंह देवड़ा
56. ,, मालूराम लेघा
57. ,, मुराद खां
58. ,, केसरीचन्द बोहरा
59. ,, रतनलाल ताम्बी
60. ,, रामकिशन वर्मा
61. ,, रामनारायण डूडी
62. ,, रामप्रसाद
63. ,, रामरघुनाथ चौधरी
64. ,, रूपलाल परमार
65. ,, रेवताराम चौधरी

66. श्री जगन्नाथ पहाड़िया

67. ,, शिवचरण माथुर

68. ,, शिवदानसिंह राठौड़

69. ,, शिवराम शर्मा

70. ,, शोभराज मल

71. ,, श्रीराम मोटेवाला

72. ,, सुनीलकुमार विश्नोई

73. ,, सुन्दरलाल

74. ,, हनुमान प्रसाद प्रभाकर

75. ,, हरसहाय मीणा

76. ,, हरिसिंह (कुम्हेर)

77. ,, हरिसिंह (फुलेरा)

78. ,, हरिसिंह (महुआ)

79. ,, हरेन्द्र मिर्धा

80. ,, हेमाराम चौधरी

श्री अध्यक्ष :खण्ड—1 अधिनियम, सूत्र प्रस्तावना नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह कि खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जब अमेण्डमेंट पेश किया था तो बड़ी प्रसन्नता इस सदन को हुई थी कि हिन्दी के प्रति उनके मन में अतिरिक्त प्रेम है। राजस्थान की भाषा भी हिन्दी ही है और हिन्दी भाषा होने के कारण वे इस अमेंडमेंट को लाये हैं। किन्तु जयपुर से आने वाले एक माननीय विधायक महोदय ने तर्क उपस्थित किया है, कि जो ट्रैजरी बैंचेज के मन की भावनायें हैं जिस भावना से वे अमेंडमेंट लाये थे उसमें भी परन्तुक जोड़ा है। जयपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय यह कह रहे थे। यह बात सच है कि जब डिवीजन शुरू हो जाता है तो बहस करने की कोई बात नहीं रह जाती है किन्तु मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जैसा मान रहे थे कि बाहर का व्यक्ति होगा तो मूल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

एप्लीकेशन हरेक की हिन्दी में ही मानी जायेगी, जैसा उन्होंने यहां कहा, मैं तो यह मानता हूं कि जब किसी एप्लीकेशन को हिन्दी में ही देना है या उसका हिन्दी अनुवाद साथ देना है और मूल एप्लीकेशन हिन्दी में ही मानी जायेगी जैसी कि मन्त्री महोदय ने इच्छा प्रकट की है तो फिर अंग्रेजी में एप्लीकेशन देना और यह आर्गूमेंट देना, जवाब देना निश्चित रूप से हिन्दी के प्रति प्रेम में बाधा खड़ी कर देगा। ट्रेंजरी बेंचेज और अन्य सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, हिन्दी के प्रति प्रेम आपके मन में है, इसको प्रेस्टिज इश्यू बनाकर मत चलिये। शायद मन्त्री महोदय ने इसको प्रेस्टिज इश्यू बना दिया है क्योंकि परन्तुक जोड़ दिया है। अपने तर्क से वह बिलकुल नहीं समझा सके कि इस परन्तुक का क्या प्रयोजन है। इससे देरी तो होगी, यह एक अलग विषय है किन्तु हिन्दी के प्रति जैसा आपका प्रेम है, हिन्दी भाषी प्रदेश के लिए जैसी आपके मन की मन्शा है उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। मैं आपके माध्यम से ट्रेंजरी बेंचेज के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जो सरकार की मन्शा है उसमें बाधा आ रही है। इतिहास जो बनेगा वह यह कहेगा कि इच्छा तो थी लेकिन मन की इच्छा होने के बाद भी प्रेस्टिज इश्यू के कारण परन्तुक लगा दिया। तर्क के आधार पर मन्त्री महोदय नहीं समझा सके और प्रेस्टिज इश्यू बना दिया। इसलिए माननीय सदस्य इस इश्यू पर ठीक तरह से विचार करें। जब हिन्दी में एप्लीकेशन देंगे, जवाबदावा हिन्दी में होगा, तो फिर अंग्रेजी में बाहर वाले व्यक्ति का एप्लीकेशन देने का मतलब क्या रह जाता है। दूसरी ओर जिस भावना से, जिस मन्शा से आपका हिन्दी को लाने का प्रयत्न है, वह आधी रह जाती है, इसमें बाधा भी उत्पन्न होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, हम डिवीजन नहीं मांग रहे, डिवीजन तो मांग लिया। हम क्या चाहते हैं, यह बात आपके सामने रख दी। तर्क से आप समझ सकते हैं। अब सदन पूरा है, मैं समझता हूं सदन को तर्क से आप नहीं समझा सकेंगे, फिर भी माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रेस्टिज इश्यू न बनाया जाकर परन्तुक को विलोपित कर दें। जो इतिहास बनाना चाहते हैं और जिस बात को प्रकट करना चाहते हैं वह ठीक तौर से प्रकट नहीं होगी और आगे आने वाली पीढ़ी इसको ठीक तौर से नहीं समझेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष, महोदय, जैसा मैं माननीय सदस्यों से पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि उस व्यक्ति को, जो अंग्रेजी ही जानता है, वंचित नहीं रख सकते। अब तक जो अधिकार था कि अंग्रेजी में प्लीडिंग पेश कर सकते थे और हम उसी सहूलियत के लिहाज से उनसे हिन्दी में ट्रान्सलेशन लेते थे, अब उनको

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

प्रक्रिया उल्टी कर दी गई है कि हिन्दी में पेश करना जरूरी होगा, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, क्योंकि वह तभी सवाल पैदा होगा, कोर्ट चाहेगी तो उसे स्वीकार करेगी। जब वह अंग्रेजी में एप्लाई करेगा तो वह समझेगा कि मैं तो हिन्दी समझ नहीं पाता हूं तब जरूरी होगा कि हिन्दी में ट्रान्सलेशन दे। इसलिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन-कौन डबल दिक्कत करेगा? जो केवल अंग्रेजी जानते हैं वे अंग्रेजी में करेंगे और हिन्दी में मूल भी पेश करेंगे, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए जो परन्तुक लगाया गया है वह ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विभाजन के लिए घन्टी बजी तो उसके बाद में बहुत से माननीय सदस्य आये थे। उसके पहले जो विचार-विमर्श हुआ वह उनकी जानकारी में नहीं है।

(व्यवधान)

क्योंकि आदेश था जो कुछ भी विचार हो रहा है उसकी जानकारी के बिना ही हां कह दिया था, वे बेचारे कह गये। इसलिए कोई भी प्रस्ताव पास करें उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको आप समझ लें कि किस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने वाले हैं, किनके लिये प्रस्ताव पास करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक समझा था। हां पक्ष में गये तो समझकर गये होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिना समझकर गये थे। मेरा निवेदन है कि जिस कानून में संशोधन लाया जा रहा है वह सन् 1908 का कानून है। 1908 के कानून में आज परिवर्तन लाने की क्या आवश्यकता हुई? सुविधा के लिये है तो....

श्री माधवसिंह दीवान : यह गीता भागवत थोड़े ही है साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तय कर लें कि राजस्थान के अन्दर न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग हो, हिन्दी प्रयोग में लाई जाय सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में हो यदि इस धारणा से यह बिल पेश किया है वह इस अमेण्डमेण्ट से प्रकट होगा। आपने लिखा है कि—

Wherever this Code requires or allows anything other than the recording of evidence to be done in writing in any such court, such writing shall be in Hindi.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप हिन्दी की वकालत कर रहे हैं और अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो बिल है वह अंग्रेजी में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कानून अंग्रेजी में है। आपने लिखा है—"Such writing Shall be in Hindi" आपने प्रतिबन्ध लगा दिया कि अंग्रेजी में पेश नहीं किया जा सकता। इससे पता लगता है कि मन में तो हिन्दी प्रेम था, मन में था तो ठीक है। फिर आगे जो प्रोविजन लगाया उस पर मुझे आपत्ति है। मुझे निवेदन करना है।

"Provided that the court may in its discretion accept such writing in English on the undertaking of the party filing such writing to file a Hindi translation of the same, within such time as may be granted by the Court and the opposite party shall have a right to have a copy of such writing in Hindi."

इसका मतलब यह होगा कि केवल अंग्रेजी में पेश करके पीछा नहीं छूटेगा। अंग्रेजी में कोई दरख्वास्त पेश करता है, जवाब दावा पेश करता है, प्रार्थनापत्र देता है, उसके बाद हिन्दी में उसका अनुवाद भी देगा। जब हिन्दी में देगा ही तो फिर आप अंग्रेजी की टांग क्यों लगाना चाहते हैं? राजस्थान में ऐसे कौनसे इलाके हैं जहां लोग हिन्दी नहीं जानते? इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके सामने कोई कठिनाई आई हो, कोई प्रार्थना-पत्र आये हों, कोई डेपुटेशन आया हो तो, हमें इसकी जानकारी दीजिये वरना आप हिन्दी लाना चाहते हैं तो इसमें एक दिक्कत और कर देंगे। आदमी अंग्रेजी में दरख्वास्त देगा और कहेगा कि हिन्दी में अनुवाद पेश कर दूंगा। यह बहाना बनाकर तारीख ले लेगा। इससे हिन्दी जानने वाले सफर करेंगे, मामले लम्बे होते चले जायेंगे। इस प्रकार परन्तुक के दो नुकसान होंगे, एक तो आपका हिन्दी प्रेम प्रकट नहीं होगा, हिन्दी आप नहीं ला सकेंगे और दूसरे मुकदमों में देरी होगी। इन दो कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बाद भी आप यह सोचते हैं कि हिन्दी का प्रयोग पूरा नहीं हो, हिन्दी के प्रयोग में बाधा आये। यदि आपके मन में यह बात है कि जितने भी न्यायालय हैं उनके अन्दर पूर्ण रूप से हिन्दी का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से यह प्रस्ताव परन्तुक हटाकर, जैसा कि मेरा अमेण्डमेन्ट है पास किया जावे, यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, सिर्फ एक बात। मन्त्री महोदय अंग्रेजी से प्रेम रखते हैं तो मैं कहना चाहती हूं हिन्दी के अलावा अन्य भाषा-भाषी भी रहते हैं, वे भी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपनी दलील पेश करते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में ही चाहिये तो फिर सिन्धी; पंजाबी, गुजराती, ये इतनी भाषायें हैं, उर्दू भी हमारी मान्य भाषा रही है उसको आप क्यों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तिलांजलि दे रहे हैं। आपने अन्य भाषा-भाषियों के लिए अमेन्डमेन्ट क्यों नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह नया विषय है। इस स्टेज पर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहूंगी, आप अंग्रेजी का मोह छोड़िये। यहां होने वाले बच्चे अंग्रेजी में पैदा नहीं होते, अंग्रेजी में अपनी बात नहीं कहते। अंग्रेजी में मां, पापा नहीं बोलते। मुझे लगता है कि आपके बच्चे जरूर मम्मी-डैडी कहते होंगे। आप अंग्रेजी भाषा का मोह छोड़ दीजिये। अगर नहीं छोड़ते हैं तो मेरा प्रस्ताव है, राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलगू मलयालम, इन सबमें अनुवाद की प्रक्रिया रखें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक स्वीकृत किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 8 सितम्बर, 1982 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6.01 बजे, बुधवार दिनांक 8 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 39 का विवरण

विवरण

दिनांक 14/11/81 से राज्य के सभी जिलों में बालक अधिनियम, 1970 लागू कर दिया गया इसके पूर्व बालक अधिनियम केवल जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर जिलों में ही लागू था अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य को निम्न 7 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए एक एक सम्प्रेक्षण गृह (आबजरवेशन होम) तथा बालक अधिकारी व एक एक बालक कल्याण बार्ड एवं बालक न्यायालयों की स्थापना करदी गई इन 7 भागों के मुख्यालय तथा उसके अन्तर्गत आने वाले जिले निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	नाम मुख्यालय	संबन्धित जिले
1.	जयपुर	जयपुर, टोंक, सीकर, झुन्झुनू
2.	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, एवं नागौर
3.	कोटा	कोटा, बून्दी, झालावाड़
4.	जोधपुर	जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही एव जालौर।
5.	बीकानेर	बीकानेर, गंगानगर, चुरू
6.	उदयपुर	उदयपुर, चित्तोड़गढ़, डूंगरपुर एवं बासवाड़ा
7.	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर

उपरोक्त के अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, तथा उदयपुर में बालक गृह भी स्थापित है जिनमें उपेक्षित बालकों को रखा जाने का प्रावधान है।

(170)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची

प्रपत्र 'क'

सूची —निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें चल रही हैं ।

क. सं.		नाम	पद
1.	श्री	एम.एम.एस. माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
2.	,,	ऐ.के. जैन	अधीक्षण अभियन्ता
3.	,,	चन्द्र भूषण (रिटायर्ड)	,,
4.	,,	एच.के. कुल्ला	,,
5.	,,	एच.पी. कुच्छल	,,
6.	,,	के.एस. मेहता	,,
7.	,,	एम.एन. माथुर	,,
8.	,,	एन.पी. माथुर	,,
9.	,,	पी.सी. सांघी (रिटायर्ड)	,,
10.	,,	रामबाबू गुप्ता	,,
11.	,,	एस.एस. माथुर	,,
12.	,,	एस.के. कडवसिरा	,,
13.	,,	याकूब अली	,,
14.	,,	जी.एल. नाग	,,
15.	,,	एच. जी शंकरनारायण	,,
16.	,,	के.एस. गोयल	,,
17.	,,	ए.पी. दलवी	,,
18.	,,	बी.जी. शर्मा	,,
18.बी	,,	श्री लक्ष्मीनाथ माहेश्वरी	,,

1	2	3
19.	श्री ए.एल. दोसी	अधीशाषी अभियन्ता
20.	,, ए.एस. अग्रवाल	,,
21.	,, ए.एच. अब्बासी	,,
22.	,, बी.एल. जैन	,,
23.	,, बी.के. जोशी	,,
24.	,, बी.एस. हेर	,,
25.	,, सी.के. कोठारी	,,
26.	,, दलजीतसिंह	,,
27.	,, डी.एन. पाण्डे	,,
28.	,, गुरदेवसिंह	,,
29.	,, जी.एल. गोयल	,,
30.	,, जी.एस. भण्डारी	,,
31.	,, जी.एस. उज्ज्वल	,,
32.	,, एच.एस. सागू	,,
33.	,, एच. एस. चारण	,,
34.	,, एच.पी. व्यास	,,
35.	,, हरदेवसिंह	,,
36.	,, एच.सी. भार्गव	,,
37.	,, एच.पी. शर्मा	,,
38.	,, इन्द्रजीतसिंह	,,
39.	,, इन्द्रजीतसिंह सोनी	,,
40.	,, के.आर. भन्सारी	,,
41.	,, के.रामचन्द्र राव	,,
42.	,, के.जी. शाह	,,
43.	,, के.एस. गर्ग	,,

1	2	3
44.	श्री के.एस. गर्ग	अधिशाषी अभियन्ता
45.	,, एम.एस. माथुर	,,
46.	,, एम. एम. सिंघल	,,
47.	,, एन. आर. माथुर	,,
48.	,, ओ. पी. माथुर	,,
49.	,, पी.सी. कोठारी	,,
50.	,, पी.सी. त्रिपाठी	,,
51.	,, आर.सी. जोशी	,,
52.	,, आर.डी. व्यास	,,
53.	,, आर. दयाल	,,
54,	,, आर.एस. कुमावत	,,
55.	,, आर. सी. माथुर	,,
56.	,, आर.के. वर्मा	,i
57.	,, आर.एल. चोबीसा	,,
58.	,, एस.एन दीक्षित	,,
59.	,, एस.एस. माथुर	,,
60.	,, सतनामसिंह	,,
61.	,, एस.एस. राठौड़	,,
62.	,, एस.एल. जोशी	,,
63.	,, सुरेश ग्रोवर	,,
64.	,, टी. आर. भाटी	,,
65.	,, बी.एस. राजवंशी	,,
66.	,, बी.एन. सक्सेना	,,
67.	,, जी.पी. सिंघल	,,
68.	,, एच.के. शकीत	,,

1		2	3
69.	श्री	के.सी शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
70.	,,	के. सी केवलरमानी	,,
71.	,,	के. एल. बैरवा	,,
72.	,,	के. सी. गुप्ता	,,
73.	,,	बी. आर. जोहर	,,
74.	,,	बी. एल. कांवस	,,
75.	,,	सी. के. कोठारी	,,
76.	,,	ए. एन. अरोड़ा	सहायक अभियन्ता
77.	,,	ए. एल. माथुर	,,
78.	,,	ए. के. कश्यप	,,
79.	,,	अब्दुल रजाक	,,
80.	,,	ए. पी. खतरी	,,
81.	,,	ए. रे. गुता	,,
82.	,,	ए. पी. ओझा	,,
83.	,,	अशोक कुमार	,,
84.	श्री	अनील कुमार	सहायक अभियन्ता
85.	,,	डी. डी. शर्मा	,,
86.	,,	बस्तीराम मंगल	,,
87.	,,	बी. एम. माथुर	,,
88.	,,	बी. एल. गांधी	,,
89.	,,	बी. वी. सोनी	,,
90.	,,	सी. एल. मल्होत्रा	,,
91.	,,	डी. एल. माथुर	,,
62.	,,	डी. के. दुगड़	,,
93.	,,	भागीरथ मल	,,

1	2	3
94.	श्री जी. एल. बाफना	सहायक अभियन्ता
95.	,, जी. सी. माथुर	,,
96.	,, जी. एस. सिंह	,,
97.	,, जी. पी शर्मा	,,
98.	,, जी. एल. सोनी	,,
99.	,, जी. सी. माथुर	,,
100.	,, जी. डी. सेठी	,,
101.	,, एच. सी गहलोत	,,
102.	,, एच. एस. भूरा	,,
103.	,, इन्द्रलालटांक	,,
104.	,, आई. एस. होरा	,,
105	,, कुमर लाल गुप्ता	,,
106.	,, जगत विनोद व्यास	,,
107.	,, जे. के तलवार	,,
108.	,, के. सी. बोहरा	,,
109.	,, कुलदीप चोराशिया	सहायक टैस्टींग अधिकारी
110.	,, कानाराम चोसरी	सहायक अभियन्ता
111.	,, के. एल. तलवार	,,
112.	,, एल. डी. सपरा	,,
113.	,, के. आर. भाट्ट	,,
114.	,, एम. एल. पुरोहित	,,
115.	,, एम. सी. व्यास	,,
116.	,, एम. एस. गिल	,,
117.	,, मुरलीलाल पी. माथुर	,,
118.	,, एम. पी हरवानी	,,

1	2	3
119.	श्री एम. एम. गुप्ता	सहायक अभियन्ता
120.	,, एम. डी. गुप्ता	,,
121.	,, एल. आर. सिघवी	,,
122.	,, एम. सी. मेहता	,,
123.	,, एम. के. गुप्ता	,,
124.	,, महावीरसिंह	,,
125.	,, मेवाराम लोनवाल	भूमि-अवाप्ति अधिकारी
126.	,, नरपत करण	,,
127.	,, एन. के. गुप्ता	सहायक अभियन्ता
128.	,, एन. के काटोडिया	,,
129.	,, एन. एल. घामानी	,,
130.	,, एन.एन. शर्मा	,,
131.	,, नरेन्द्रपालसिंह	,,
132.	,, एन. के. कोशिक	,,
133.	,, ओ. डी. कच्छावा	,,
134.	,, ओ. पी. शर्मा	,,
135.	,, ओ. पी. पुरोहित	,,
136.	,, ओ. पी. सांघी	,,
137.	,, ओ. पी. जोहरी	,,
138.	,, पी. एल. बैरागी	,,
139.	,, पी. एन. माथुर	,,
140,	,, आर. एल. बजाज	,,
141.	,, आर. सी. टेमानी	,,
142.	,, रामलाल जे माथुर	,,
143.	,, आर. एस. रावल	,,

(176)

1	2	3
144.	श्री आर. के मेहता	सहायक अभियन्ता
145.	,, आर. के. शर्मा	,,
146	, आर. सी. विजय	,,
147.	,, रामसिंह	,,
148.	,, रमेशदत्त	,,
149.	,, राजेश पुनिया	,,
150.	,, रमेश गर्ग	,,
151.	,, आर. सी त्यागी	,,
152.	,, आर. सी. अग्रवाल	,,
153.	,, आर. सी. अरोड़ा	,,
154.	,, राजमल जैन	,,
155.	,, आर. के. मंगल	,,
156.	,, आर. एल बोलिया	,,
157.	,, आर. सी. विजय	,,
158.	,, एस. पी. रस्तोगी	,,
159.	,, एस. के. छंगानी	,,
160.	,, एस. एस. गहलोत	,,
161.	,, एस. एस. मेहता	,,
162.	,, एस. डी. व्यास	,,
863.	,, शेतानसिंह	,,
164.	,, एस. के. मेहरू	,,
165.	,, एस. एन. व्यास	,,
166.	,, एस.के. टांक	,,
167.	,, एस. के. माथुर	,,
168.	,, एस. एन. बंसल	,,
169	,, शंकरलाल	,,

1	2	3
170. श्री	एस. पी. आर्य	सहायक अभियन्ता
171. ,,	श्रीधर व्यास	,,
172.	❀	
173.	❀	
174.	❀	
175. ,,	एस. सी. जैन	सहायक अभियन्ता
176. ,,	सोहनलाल तमोली	,,
177. ,,	टी.एन. माथुर	,,
178. ,,	यशवन्त लाल शर्मा	,,
179. ,,	वी. के. मंजू	,,
180. ,,	थानसिंह	भूमि अवाप्ति अधिकारी
181. ,,	उपेन्द्र कुमार जैन	सहायक अभियन्ता
182. ,,	वीर बुपेन्द्र	,,
183. ,,	याई. के. गौड़	,,
184. ,,	डी. पी. गुप्ता	,,
185. ,,	गोपी मोहन माथुर	,,
186. ,,	गुरूदयाल सिंह	,,
187. ,,	जी. पी. गुप्ता	,,
188. ,,	गौरी शंकर	,,
189. ,,	ए. एस. बारठे	,,
190. ,,	वी. एन. गुप्ता	,,
191. ,,	बी. डी. व्यास	,,
192. ,,	बलबीर सिंह	,,
193. ,,	चरंजी लाल	,,

❀ सूची में नाम अंकित नहीं

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

कोटा एवं झालावाड़ जिलों में विद्युत् सामग्री की कमी

44. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही हैं कि कोटा एवं झालावाड़ जिले में विद्युत् सामग्री की भारी कमी है ? क्या ट्रान्सफोर्मर, तार मीटर इत्यादि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं ?

(2) क्या इस कारण किसानों को कफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो सरकार विद्युत् सामान की कमी कब तक दूर कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा एवं झालावाड़ जिलों को ट्रान्सफार्मर, तार एवं मीटर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्ध कराये जाते रहें हैं।

(2) जी हां। सामान अनुपलिब्धत के कारण किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई होने का प्रश्न नहीं उठता।

सैकण्डरी स्कूल्स की क्रमोन्नति

45. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सेकेण्ड्री स्कूल्स को क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई ? यदि हां तो किन-किन सेकेण्ड्री स्कूल्स को क्रमोन्नत किया जायेगा ?

(2) क्या राजकीय 'राजेन्द्र सैकण्ड्री स्कूल, अजमेर की क्रमोन्नति पर भी विचार किया जायेगा, जिसके पास खेल-कूद के मैदान व अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं ?

उत्तर

(1) हां। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सन् 1982-83 में 100 नये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलते समय उन तहसील मुख्यालयों,

(शिक्षा मन्त्री)

पंचायत समिति मुख्यालयों व कस्बों को प्राथमिकता दी जावेगी, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

(2) नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलते समय राजकीय राजेन्द्र सैकण्डरी स्कूल, अजमेर के बारे में गुणावगुण के के आधार पर विचार किया जावेगा।

अनिश्चित वर्षा से पीड़ित कृषकों को तकावी

46 श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार को यह जानकारी है कि प्रदेश में वर्षा देर से आने के कारण कई स्थानों पर किसानों ने अपने खेतों में दुबारा या कई स्थानों पर तिबारा बीज डाले हैं ?

(2) क्या इस जानकारी को एकत्रित करने के लिये राज्य सरका प्रदेश में गिरदावरी करायेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार की भांति दुबारा या तिबारा बीज डालने वाले छोटे एवं मध्यम श्रेणी के किसानों को उनकी हानि के एवज में तकावी देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ स्थानों पर किसानों को दुबारा बुवाई करनी पड़ी।

(2) इस कार्य के लिए गिरदावरी नहीं की जाती।

(3) इस प्रकार के मामलों में तकावी देने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

कोटा से इन्द्रगढ़ तक सीधी बस सेवा

47. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि कोटा से लाखेरी तक सीधी बस सेवा है तथा उसे इन्द्रगढ़ तक बढ़ाने की माग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त बस सेवा को इन्द्रगढ़ तक चलाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बून्दी से इन्द्रगढ़ मार्ग राष्ट्रीयकृत हो जाने से कोटा से लाखेरी चल रही

(यातायात मन्त्री)

निजी बसों को इन्द्रगढ़ तक जाने के आदेश नहीं दिए जा सकते।

धर्म परिवर्तन करने वालों को प्राप्त सुविधायें

48. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में जिन अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन कर हिन्दू से ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है क्या उन्हें अनुसूचित जाति एव जनजाति की सुविधाएं प्राप्त होती है ?

(2) क्या यह सही है कि कई लोगों ने धर्म परिवर्तन के पश्चात भी इस सुविधा का लाभ लिया है व ले रहे हैं ? यदि हां तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रान्त में जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन कर हिन्दू से ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधायें नहीं दी जाती। किन्तु अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति ने यदि धर्म परिवर्तन कर लिया है और वह उसी जिले या क्षेत्र में रहता है जिस क्षेत्र में उसकी जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित किया हुआ हो तो धर्म परिवर्तन के बाद भी उसे वह सुविधायें जो अनुसूचित जन जाति को मिलती है दी जाती है।

(2) इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

केसरिया जी के मन्दिर के सुरक्षा कर्मचारियों को यथेष्ट वेतन

49. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि केसरिया जी के मन्दिर से वर्ष 1980-81 में कुल आय 7 लाख 17 हजार रुपये हुई ? क्या यह भी सही है कि रख रखाव व अन्य मदों में खर्च 3 लाख 21 हजार रुपया हुआ और इस प्रकार आय से 3 लाख 96 हजार रुपये की वार्षिक बचत हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि केसरिया जी के सुरक्षा कर्मचारियों को रु. 160/- प्रति माह वेतन दिया जाता है ? यदि हां तो 3.96 लाख की बचत के उपरान्त भी इतना कम वेतन क्यों दिया जा रहा है ? सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्राह्य वेतन आदि के बराबर लाने में इन कर्मचारियों पर और कितना खर्चा आयेगा ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को न्यूनतम

(श्री भैरूंलाल मीणा)

वेतन दिलाने के लिए ट्रस्ट को पाबन्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । केसरिया जी के मन्दिर की वर्ष 1980-81 की कुल आय 7,79,294 रुपया तथा व्यवस्था का कुल खर्चा 4,20,013 हुआ । इस प्रकार कुल बचत 2,89,281 रुपये हुई है ।

(2) जी हां मन्दिर की पूर्व आय के अनुसार सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया गया था व उन्हें दिया जा रहा है । सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा मन्दिर के अन्य कर्मचारियों को भी पूर्व निर्धारित वेतन ही दिया जा रहा है। राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन भुगतान करने पर 6,27,036 रुपये अतिरिक्त व्यय होगा । इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन के अनुसार भुगतान करने पर बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा । यह आत्म निर्भर मन्दिर है । अतः इसमें स्वयं राज्य सरकार निर्णय लेती है ।

नेशनल पार्क, रणथम्भोर

51. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नेशनल पार्क रणथम्भोर के लिये 1980 से अब तक वर्षवार राजस्थान सरकार, भारत सरकार एवं अन्य स्रोतों से कुल कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी एवं उसका खर्चा किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया ?

(2) क्या उक्त पार्क का 1980 से अब तक का ऑडिट किया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रत्येक वर्ष में क्या रिपोर्ट रही ?

(3) क्या उक्त पार्क में 1980 से अब तक हर वर्ष टाइगर्स की गणना की गई ? यदि हां तो हर वर्ष की गणना की क्या रिपोर्ट रही ? यह गणना किस अधिकारी के पर्यवेक्षण में की गई ? क्या कभी स्थानीय अधिकारी के द्वारा की गई गणना की मौके पर जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा की गई ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा एवं उस जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त पार्क में स्थित जोगी महल एवं अनन्तपुरा रेस्ट हाउस में 1980 से अब तक प्रतिवर्ष अलग-अलग कितना-कितना खर्चा इनके रख-रखाव पर किया गया ? इन रेस्ट हाउसेज से 1980 से अब तक अलग-अलग कितनी-कितनी आमदनी हुई ?

उत्तर

(1) नेशनल पार्क, रणथम्भोर के लिए 1980 से अब तक वर्षवार निम्नांकित राशि स्वीकृत तथा व्यय की गई है:—

क्र. सं.	मद वर्ष	स्वीकृत राशि राज्य सरकार	स्वीकृत राशि भारत सरकार	व्यय राशि राज्य सरकार	योग व्यय भारत सरकार
1980–81					
1.	वेतन, टी० ए०		180000	180000	180001·02
	मेडिकल अन्य			180001·02	360002·04
	कार्यालय व्यय				
	अन्य कार्यों		220000	220000	219360·08
	पर व्यय			219360·08	438720·16
				योग	7,98,722·20
1981–82					
2.	वेतन, टी० ए०,		180000	180000	188779·60
	मेडिकल			188779·60	377559·20
	आदि				
	अन्य कार्यों		220000	220000	184475·05
	पर व्यय			184475·05	368950·10
					746509·30

(वन मंत्री)

(2) जी हां, ग्राडिट रिपोर्ट 9.7.82 को प्राप्त हुई थी। मुख्य ग्राक्षेप-सक्षमता से अधिक क्रय करने तथा वाहनों के रखरखाव पर वित्तीय अधिकारों से अधिक व्यय किया गया है, जिसके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, 1980 में 32 बाघ, 1981 में 33 बाघ व 1982 की गणना में 34 बाघ पाये। 1980 तथा 1982 की गणना क्षेत्र निदेशक के पर्यवेक्षण में की गई जबकि 1981 की गणना सहायक निदेशक के पर्यवेक्षण में वन संरक्षक वन्य जीव, जयपुर द्वारा वर्ष 1981 की गणना का चैकिंग किया गया था व उसे सही पाया।

क्र. सं.	नाम विश्राम गृह	व्यय	ग्राय	व्यय	ग्राय	व्यय	ग्राय अगस्त तक
1.	जोगी महल विश्रामगृह	निल	8007	7409	14817	1404	2889
2.	श्रणतपुरा	निल	255	763	4.50	निल	निल

पंजीकृत श्रमिक संगठन

52. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रम विभाग के ग्रांकड़ों के अनुसार राजस्थान में पंजीकृत भारतीय मजदूर संघ "सीटू" हिन्द मजदूर सभा तथा 'इंटक' से सम्बद्ध श्रम संगठनों की सदस्य संख्या कितनी है? कृपया केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों की यूनियनें, जो राजस्थान में पंजीकृत हैं, को सम्मिलित कर संख्या बतायें।

(2) प्रदेश में राज्य सरकार के श्रम विभाग ने श्रमिकों से संबंधित किन-किन समितियों/बोर्ड्स का गठन किया हुआ है और उनमें किन किन केन्द्रीय श्रम संगठनों को कितना कितना किस अनुपात में तथा किस किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है?

(3) ऐसी कौन-कौन सी समितियां/बोर्ड हैं जिनमें भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है?

(4) श्रमिकों से सम्बन्धित किन-किन समितियों/बोर्ड्स का गठन अभी तक नहीं किया गया है और क्यों?

(5) इन समितियों और बोर्ड्स में प्रतिनिधित्व देने के क्या मापदण्ड हैं?

उत्तर

(1) भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत विभाग में 31-12-1981 को 1571 यूनियन एवं 25 फेडरेशन पंजीकृत हैं। जिनमें से 1127 यूनियनों की सूचना उनसे प्राप्त हुई हैं जिसके अनुसार उनकी सदस्य संख्या उनके आगे अंकित है :—

भारतीय संगठन	यूनियन संख्या	सदस्य संख्या
1. इंटक	254	73,802
2. बी. एम. एस.	170	43,609 इसके अतिरिक्त पश्चिम रेलवे यूनियन की सदस्यता 70,000 से अधिक है। वह वर्ष 80 में 72,633 थी।
3. एटक	66	30,067
4. सीटू	116	28,832
5. हिन्द मजदूर सभा	33	6,027
6. अन्य (निर्दलीय)	488	90,031

(2) राजस्थान में श्रम विभाग द्वारा निम्न मंडलों/समितियों का गठन किया हुआ है :—

1. राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल
2. न्यूनतम वेतन सलाहकार मंडल
3. बाल श्रमिक सलाहकार मंडल
4. समान पारिश्रमिक राज्य सलाहकार मंडल।
5. राजस्थान ठेका श्रमिक सलाहकार मंडल
6. राजस्थान आरबिट्रेशन प्रमोशन बोर्ड
7. राजस्थान बीड़ी त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड।
8. औद्योगिक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटन समितियां-जिन-जिन बोर्ड, समितियों में केन्द्रीय श्रम संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है तथा जिस अनुपात में दिया है वह निम्न प्रकार है :-

राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल :—

इंटक	4	कुल 11 श्रमिक प्रतिनिधियों में से
बी, एम. एस.	2	,, ,,

एटक	1	,,	,,
सीटू	1	,,	,,
एच.एम.एस.	1	,,	,,
शेष अन्य संगठनों के	2	,,	,,

प्रतिनिधित्व देने का आधार निम्न रखा गया है :—

30000 सदस्य संख्या पर	1
30 से 50 हजार सदस्य संख्या पर	2
50 हजार से अधिक सदस्य संख्या पर	4

न्यूनतम वेतन सलाहकार मंडल :—

इस मंडल में कुल 5 श्रमिक प्रतिनिधि लिए गये हैं - प्रत्येक केन्द्रीय श्रम संगठन का एक-एक प्रतिनिधि लिया गया है। यह प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया है कि इस मंडल में सभी प्रमुख केन्द्रीय श्रम संगठनों का बराबर प्रतिनिधित्व हो।

बाल श्रमिक सलाहकार मंडल :—

इसमें कुल तीन श्रमिक प्रतिनिधि लिए गये हैं इन्टक, एटक तथा सीटू का एक-एक प्रतिनिधि लिया गया है। होटल, रेस्टोरेन्ट गलीचा बीड़ी आदि उद्योगों में जो प्रमुख केन्द्रीय श्रम संगठन कार्यरत हैं इनके आधार पर यह प्रतिनिधित्व दिया है।

स्टेट आरबिट्रेशन प्रमोशन बोर्ड।

इसमें श्रमिकों के कुल 4 प्रतिनिधि हैं, इंटक के 2, एटक तथा सीटू का एक-एक प्रतिनिधि है। इस बोर्ड का गठन वर्ष 71 में हुआ था प्रतिनिधित्व किन आधार पर उस समय किया गया था इस समय यह कहना कठिन है।

(3) निम्नलिखित बोर्डों एवं समितियों में भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है :—

1. बाल श्रमिक सलाहकार मंडल
2. राजस्थान समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति
3. राजस्थान ठेका श्रमिक सलाहकार मंडल।
4. राजस्थान आरबिट्रेशन प्रमोशन बोर्ड
5. राजस्थान बीड़ी त्रिपक्षीय सलाहकार समिति
6. औद्योगिक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटन समितियां।

(श्रम मंत्री)

(4) विभिन्न श्रम कानूनों के तहत जो समितियां अथवा मंडल गठित किया जाना है, उन सभी का गठन किया हुआ है ।

(5) समितियों और बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने के मापदण्ड हेतु कोई नियम बने हुए नहीं हैं, खण्ड दो के उत्तर मे मापदंण्ड सम्बन्धित सूचना दे दी गई है ।

नाथद्वारा में बस स्टेण्ड

53. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देश के प्रसिद्ध तीर्थस्थान नाथद्वारा में प्रतिदिन हजारों यात्री राज्य एवं अन्तर्राज्यीय परिवहन द्वारा दर्शनार्थ आते हैं ? यदि हां, तो क्या यात्रियों के लिये बस स्टेन्ड की सुविधा उपलब्ध है ?

(2) यदि नहीं, तो सरकार कब तक आधुनिक बस स्टेन्ड का निर्माण आरम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर पालिका, नाथद्वारा का बस स्टेण्ड यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

(2) जहां तक आधुनिक बस स्टेण्ड निर्माण का प्रश्न है भूमि का कब्जा मिलने पर तथा निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

गौण मण्डी लाडनू में मण्डी यार्ड का निर्माण

54. श्री रामधन (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डी समिति डीडवाना की गौण मण्डी लाडनू में मण्डी यार्ड बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे मूर्तरूप देने में कितना समय लगेगा ?

(2) यार्ड के लिये भूमि के आवंटन के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। मंन्डी यार्ड के लिये भूमि आवण्टन की कार्यवाही जिलाधीश स्तर पर विचाराधीन है। भूमि उपलब्ध होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(कृषि मंत्री)

(2) लाडनू गोण मण्डी के लिए खसरा नं० 1582 में से 40 बीघा भूमि प्रस्तावित है जिसके आवण्टन की कार्यवाही जिलाधीश स्तर पर विचाराधीन है।

मालवीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के बी. ई. प्रथम वर्ष में प्रवेश

55. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के बी. ई. प्रथम वर्ष की प्रवेश सूची इस वर्ष दिनांक 7-8-1982 को घोषित की गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा अन्तिम प्रवेशार्थी के कितने प्रतिशत अंक हैं ? इस वर्ष इस महाविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों को प्रवेश देना था ?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय में प्रवेश परिपत्र के अनुसार प्रवेश की अन्तिम सूची घोषित होने के दस दिनों के अन्दर-अन्दर जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिला है वे अपना क्लेम प्रवेश पाने हेतु कर सकते हैं ? यदि हां, तो ऐसे क्लेम पेश करने वाले कितने विद्यार्थी थे तथा उनका क्या निर्णय किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि श्री मानाराम चौधरी पुत्र श्री भैराराम ग्राम गिरादरा की ढाणी तहसील पाली ने प्रवेश की अन्तिम सूची घोषित होने के दस दिनों के अन्दर अन्दर उच्च माध्यमिक परीक्षा में 88.3% अंक प्राप्त करने के कारण प्रवेश पाने हेतु क्लेम पेश किया है ? यदि हां, तो उनका क्या निर्णय हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 138 राजस्थान के छात्रों को प्रवेश दिया गया। अन्तिम प्रवेशार्थी के 87.33% अंक हैं। इस महाविद्यालय में कुल 138 विद्यार्थियों को प्रवेश देना था।

(2) सूची घोषित होने के पश्चात् जिन विद्यार्थियों ने प्रार्थना पत्र समय पर दे रखे हो, नियमानुसार नियम (10)(1) के अन्तर्गत क्लेम कर सकते हैं। ऐसे नियम के अन्तर्गत ऐसा एक भी मामला पेश नहीं हुआ।

(3) जी हां। क्लेम उपयुक्त नहीं है। प्रवेश नियम 8 (ए) के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई मामला पुनर्मूल्यांकन का अंक में बढ़ोतरी का आता है तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

भरतपुर तहसील के बांध

56. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में भरतपुर तहसील के घनवाड़ा, बौराई, पाउवा व भटावली बांध पानी से नहीं भरे गये ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(श्री हरीसिंह)

(2) क्या यह सही है कि बाणगंगा नदी में वर्ष 1981-82 में आया हुआ पानी जिला भरतपुर के बांधों में न भर कर उत्तर प्रदेश को निकाला गया? यदि हां, तो किस कारण?

उत्तर

(1) जी नहीं।

वर्ष 1981-82 में इन बांधों में भराव निम्नानुसार था :—

क्र. सं.	बांध का नाम	कुल टैंक गेज	भराव गेज
1.	भटावली	7·00 फीट	7·00फीट
2.	पाउवा	5·00 फीट	3·55फीट
3.	धनवाड़ा	6·00 फीट	शून्य
4.	दौरई	9·00 फीट	4·5 फीट

माह जुलाई 1981 में बाण गंगा नदी में सामान्य से अधिक पानी के भराव के कारण नदी का पानी तट बन्धों के ऊपर होकर निकला जिसके कारण पपैना नहर के टैंक जगह 2, क्षतिग्रस्त हो गये एवं नहर में अत्यधिक सिल्ट जमा हो गई। इस कारण नहर में पानी सामान्य वर्षों की अपेक्षा कम चल पाया। जिसमें इस नहर की श्रृंखला में आने वाले बांधों को पूर्ण रूप से भरा नहीं जा सका। दौरई बांध में कुछ पानीबाण गंगा सिस्टम से मुरवाडा बांध द्वारा भरा गया। इस बांध में रूपारेक नदी का पानी भी होम्स केनाल द्वारा भरा जा सकता है। किन्तु रूपारेक में इस वर्ष पानी की कमी के कारण दौरई बांध में पानी नहीं आ सका।

(2) जी नहीं।

बाणगंगा नदी का पानी इस नदी से निकलने वाली नहरों द्वारा (तब तक नदी में उपयुक्त बहाव रहता है इन नहरों के नीचे आने वाले बांधों को भरता है) इसके अतिरिक्त बाणगंगा का पानी सेवर बांध भरने के पश्चात् अजान बांध में आता है अजान बांध में गम्भीर नदी का पानी भी पिहुना केनाल से सीधा आता है। अजान बांध में आवक यदि अधिक हो तो पानी नीचे छोड़ा जाता है जो उत्तर प्रदेश में बह जाता है।

पुल निर्माण पर व्यय

57. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाणगंगा विलाड़ा पुल के निर्माण पर प्रारम्भिक अनुमानित लागत कितनी आंकी गई थी? निर्माण कार्य में 20-8-82 तक कुल कितना व्यय हुआ है? यह निर्माण कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से कराया गया है?

(2) उपरोक्त निर्माण कार्य में पानी

(श्री महाराम चौधरी)

तोड़ने में डी-वाटरिंग में कितना व्यय हुआ है?

— (3) कृपया लूनी नदी के पुल के निर्माण पर एवं रेडिया नदी के पुल के निर्माण पर जोधपुर, पाली रोड पर हुए व्यय का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) उपरोक्त दोनों निर्माण कार्यों में (डी-वाटरिंग) पानी तोड़ने पर कुल कितना व्यय हुआ? कृपया माहवार व्यय की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) बाणगंगा बिलाड़ा पुल के निर्माण पर प्रारम्भिक अनुमानित लागत 15·35 लाख रुपये आंकी गई थी। निर्माण कार्य पर 20-8-1982 तक 33, 10, 315 रुपये व्यय हुआ है। यह निर्माण कार्य राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम के माध्यम से कराया गया है।

(2) उपरोक्त कार्य में पानी तोड़ने (डी-वाटरिंग) में 13, 03, 082. 78 रु. व्यय हुआ है।

(3) लूणी नदी के पुल (जोधपुर-पाली सड़क पर) के निर्माण पर अब तक 37, 99, 599, 29 रुपये तथा रेडिया नदी के पुल के निर्माण पर 7·79 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(4) उपरोक्त दोनों निर्माण कार्यों में (डी-वाटरिंग) पानी तोड़ने पर कुल 6,81, 947.88 रुपये व्यय हुआ है। जिसका माहवार व्यय की सूची (प्रपत्र 'क') सदन के पटल पर रख दी गई है।

"प्रपत्र क"

लूनी नदी के ऊपर पुल के निर्माण कार्य में पानी तोड़ने पर हुआ व्यय का माहवार विवरण ।

माह	पानी तोड़ने पर हुआ व्यय
अप्रेल, 1980	9,243·24
मई, ,,	11,740·00
जून, ,,	8,110·05
जुलाई, ,,	1,195·10
अगस्त ,,	14,643·25
सितम्बर ,,	12·85
अक्टूबर ,,	5,975·71
नवम्बर ,,	20,759·20
दिसम्बर ,,	24,466·84
जनवरी, 1981	1,461·95
फरवरी, 1981	45,027·62
मार्च ,,	2,28,231·39
अप्रेल ,,	200·00
मई ,,	5,067·50
जून ,,	14,584.22
जुलाई ,,	8,492·40
अगस्त ,,	11,3[illegible]8·93

1	2	3
सितम्बर 1981	140·00	
अक्टूबर ,,	6,373·6	
नवम्बर ,,	—	
दिसम्बर ,,	36,869·88	
जनवरी, 1982	17,967·04	
फरवरी ,,	51,300·62	
मार्च ,,	32,175·72	
अप्रेल ,,	3,746.44	
मई ,,	3,150.00	
जून ,,	8,068·00	
जुलाई ,,	124·75	
अगस्त ,,	—	
कुल योग :—	5,70,46633	

रेडिया नदीपर पुल निर्माण कार्य पर पानी तोड़ने के व्यय का माहवार विवरण

माह	पानी तोड़ने पर हुआ व्यय
जून, 1979	6,358·80
जुलाई ,,	3,146·00
जनवरी 1980	1,510·00
फरवरी ,,	7,991·00
मार्च ,,	7,608·25
अप्रेल ,,	13,225·00
मई ,,	16,514·50
जून ,,	6,987.00
जुलाई ,,	4,086.50
अगस्त ,,	1,383·00
सितम्बर ,,	5,326·00
अक्टूबर ,,	13,261·00
नवम्बर ,,	12,840·00
दिसम्बर ,,	11,244·00
कुल योग :—	1,11,481.53

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सांचौर

58. श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सांचौर के पूरे हुए दो वर्षों में योजनानुसार कितना कार्य होना निर्धारित था तथा उसका कितना कार्य हुआ ? कम काम होने का क्या कारण है ?

(2) क्या योजना के तीसरे वर्ष में पिछले दो वर्षों के बकाया काम के साथ तीसरे वर्ष का कार्य भी पूरा करने की योजना है ? यदि हां, तो उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) सांचौर क्षेत्र की पूरी योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

(4) ग्राम केरीया, सूरावा, जाघावा पलादर-मालवाड़ा, परावा जल योजना व खोंकड दूसरा ट्यूब वैल का विद्युत से सम्बन्ध कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सांचौर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष 1979-80 (अक्टूबर-79) में स्वीकृत की गई थी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। योजना का कार्य वर्ष 80-81 में चालू किया गया था। योजना के प्रथम दो वर्षों में 77 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 115 कुओं को ऊर्जाकृत करने का लक्ष्य प्रस्तावित था जिनमें से मार्च, 82 तक 25 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 75 कृषि कुओं को ऊर्जाकृत किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। मण्डल द्वारा वित्तीय साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु वर्ष 1982-83 का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है।

(3) स्वीकृत योजना अनुसार योजना का कार्यकाल 5 वर्ष है। योजना का पूरा कार्य वर्ष 1984-85 के अन्त तक होने की सम्भावना है।

(4) ग्राम सुरावा के अलावा अन्य किसी भी ग्राम में जलदाय योजना ट्यूब वैल को विद्युत सम्बन्ध जोड़ने हेतु कोई आवेदन पत्र पेंडिंग नहीं है। ग्राम सुरावा में ट्यूब वैल कनेक्शन के लिये जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा जमा कराई राशि अनुमान के अनुसार कम होनेकेकारण अनुमान पुनः संशोधित किया जा रहा है।

पंचायत समिति, बांदीकुई द्वारा वितरित सिलाई मशीनें

60. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या

(१९४)

(श्री नाथूसिंह)

कृषि (विशिष्ट संगठन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विशिष्ट योजना या ट्राइस योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, बांदीकुई जिला जयपुर में इस वर्ष ग्राम अरनिया में सिलाई मशीनें वितरित की गई है ? यदि हां तो, किन-किन महिलाओं को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन महिलाओं के चयन का आधार क्या था ?

(3) क्या ये सिलाई मशीनें नियमानसार दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां 13 महिलाओं को मशीनें वितरित की गई थी जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) चयन का आधार परिवार की आर्थिक स्थिति होमा है ।

(3) इस सम्बन्ध में कतिपय अनियमिततायें सामने आई हैं जिनके बाबत अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।

सिलाई प्रशिक्षणार्थियों की सूची-केन्द्र अरनियाँ

क्र० सं० नाम मय वल्दियत

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश
2. सुश्री सरोजदेवी पुत्री चौथमल
3. सुश्री प्रेमलता पुत्री रमेश चन्द्र
4. श्रीमती कमला देवी पत्नी रामकिशोर
5. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी रामजीलाल
6. श्रीमती कान्त देवी पत्नी शिवलहरी
7. सुश्री कमलेश पुत्री रामजीलाल

8. श्रीमती द्रोपदीदेवी पत्नी श्री राधाकिशन
9. श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री जुगलकिशोर
10. श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र
11. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी ओमप्रकाश
12. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी हरिमोहन
13. श्रीमती कमला देवी पत्नी बनवारीलाल

महिलाओं के लिए न्याय की विशेष व्यवस्था

61. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)—क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार व होने वाले अन्य अन्याय के संदर्भ में पृथक्शः बयान लेने तथा न्याय की व्यवस्था हेतु हर जिले में महिला पुलिस अधिकारी तथा महिला न्यायाधीश नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

तहसील टोडारायसिंह और देवली को सड़क मार्ग से जोड़ना

62. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य सरकार की एक पंचायत मुख्यालय को दूसरी पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की नीति के अन्तर्गत क्या सरकार का तहसील टोडारायसिंह और देवली को सड़क मार्ग से जोड़ने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

एक पंचायत मुख्यालय को दूसरे पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की राज्य सरकार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की कोई योजना नहीं है तथा धनाभाव के कारण अभी तहसील टोडारायसिंह और देवली को सीधे सड़क मार्ग से जोड़े जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बांसवाड़ा के विभिन्न बांधों के डूब में आई भूमि

93. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)—क्या सिचाई मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, सोमकमला-आम्बा व सोमकागदर बांधों से अधिकांश आदिवासी कृषकों की कृषि भूमि डूब में आई है जब कि सिंचाई लाभ आदिवासियों की कृषि भूमि पर कम मिल पायेगा ?

(2) यदि नहीं, तो प्रत्येक बांध से कितनी-कितनी भूमि डूब में जायेगी जिसमें आदिवासी कृषकों की संख्या कितनी है ? कृपया पृथक्-पृथक् बांधवार संख्या बतावें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

क्र० सं०	बांध का नाम	डूब में आई कुल भूमि हैक्टेयर	डूब से प्रभावित आदिवासी कृषकों की संख्या
1	2	3	4
1.	सोम कमला अम्बा	1015	308
2.	सोम कागदर	392	233
3.	(माही बजाज सागर परियोजना)	13710	4761

———

उपनिरीक्षक (छात्रा) भीलवाड़ा द्वारा की गई यात्राएं

64. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)- क्या शिक्षा मंत्री महं बताने की कृपा करेंगे :—

जिला भीलवाड़ा की उप निरीक्षक (छात्रायें) ने सन् 1980-81 व 1981-82 में किन-किन कारणों को लेकर किस-किस साधन से यात्राएं कीं ? कृपया तिथियों सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जिला भीलवाड़ा की उप निरीक्षक (छात्रा) द्वारा सन् 1980-81 व 1981-82 में की गई यात्राओं की सूची यात्रा के साधनों एवं प्रयोजनों सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें भीलवाड़ा)

श्रीमती चन्द्रा माथुर, उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) भीलवाड़ा द्वारा की गई यात्राओं का विवरण वर्ष 1980-81.

दिनांक 1	स्थान 2	यात्रा का साधन 3	यात्रा का प्रयोजन 4
3 से 9/4/80	उदयपुर	बस	कार्य गोष्ठी
16/4/80 से 19/4/80	पण्डेर, आसीन्द, शाहपुर	बस	निरीक्षण
23/4/80 से	मंगरोप, रायपुर	जीप	निरीक्षण
26/4/80	रूपाहेली	जीप	निरीक्षण
30/4/80	गंगापुर	बस	निरीक्षण
7/5/80 से 8/5/80	पारोली, रोपा	बस	निरीक्षण एवं चोरी की जांच तथा काम के बदले अनाज योजना
10/6/80	चित्तोड़गढ़	बस	पाठ्य पुस्तक मण्डल की बैठक

1	2	3	5
3/7/80	माण्डलगढ़	बस	निरीक्षण
9 व 10/7/80	बागोर पोटला	जीप	निरीक्षण
15/7/80	शाहपुर	जीप	निरीक्षण
17/7/80	सहाड़ा	बस	निरीक्षण
23, 25 व 30/7/80	बेमाली करेडा आगूचा जीप	बस (5/7/80)	निरीक्षण
14/8/80	कोटड़ी	बस	निरीक्षण
22/8/80	माण्डलगढ़	जीप	वाकपीठ संगोष्ठी
23/8/80 व 24/8/80	चारभूजा	बस	स्काउट व गाइड शिविर सम्मेलन
28/8/80 से 30/8/80	हुरडा बदनौर	बस	निरीक्षण एवं मा० वि० उ० मा० वि० संगोष्ठी
15/9/80 से 18/9/80	जयपुर	बस	शिक्षा मन्त्री की बैठक संबंधी कार्य
13/11/80 व 14/11/80	शाहपुर कोटड़ी	बस	निरीक्षण
24/11/80	बोराण	जीप	निरीक्षण
27/11/80 29/11/80 तक	उदयपुर	बस	मण्डल स्तरीय बैठक
3, 4, 10 व	गंगापुर, मंगरोप, बड़लियास,	बस	निरीक्षण
11/12/80	कोशिथल	बस	निरीक्षण
17/12/80 से 19/12/80	कोठिया जहाजपुर	बस	निरीक्षण एवं जांच
6/1/81	उदयपुर	बस	वरिष्ठता सम्बन्धी बैठक
14/1/81 से 16/1/81	सहाड़ा दौलतगढ़	बस	निरीक्षण

1	2	3	4
21/1/81	उदयपुर	बस	योजना व्यय की बैठक
22 से 24/1/81	करेड़ा बीगोद	बस	निरीक्षण
30 से 31/1/81	शाहपुरा बेमाली	बस	निरीक्षण
4/2/81 से 6/2/81	काछोला, माण्डल, शाहपुरा	बस	निरीक्षण
9/2/81 से 10/2/81			
14/2/81	बोराना	जीप	उद्घाटन भवन व निरीक्षण
19 व 20/2/81	देवरिया	बस	निरीक्षए
27 व 28/8/81	शक्करगढ़	बस	निरीक्षण
4, 6,13 व 18 से	रायला भगवानपुर बागौर	बस	निरीक्षए
19/3/81	फूलिया कलां	बस	निरीक्षण
24/3/81	रायपुर	जीप	निरीक्षण

ह०
वरिष्ठ उप जिला अधिकारी
(छात्रा-संस्थायें) भीलवाड़ा

कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थायें) भीलवाड़ा

श्रीमती चन्द्रा माथुर उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) भीलवाड़ा द्वारा की गई यात्राओं का विवरण वर्ष 1981-82

दिनांक	स्थान	यात्रा का साधन	यात्रा का प्रयोजन
1	2	3	4
1 से 4/5/81	बड़ा महुआ, मांगरोप, रूपाहेली बडलियास	बस	निरीक्षण
8 व 9/5/81	दौलतगढ आसीन्द	बस	निरीक्षण
15/4/81	बोराना	जीप	,,
22 व 23/4/81	जहाजपुर, पण्डेर	बस	,,
6 व 8/5/81	गंगापुर, रायपुर	बस	,,
13/5/81	गोपा पारोली	जीप	,,
6/7/81	उदयपुर	बस	स्थानान्तरण नीति की बैठक
8 व 10, 15, 17, 22, 23,	पोटलाकरेडा सहाड़ा बोमली	बस	निरीक्षण
25 तथा 30 से 31/7/81	बीगोद माण्डलगढ़	बस	निरीक्षण
1 से 3/8/81	नाथद्वारा	बस	संगोष्ठी
7,8,13,14,19,20 एवं	माण्डल कोटड़ी हुरडा बागोर	बस	निरीक्षण एवं
28/8/81	भगवानपुरा कोठिया	बस	भवन समस्या
2 व 3/9/81	बड़ा महुआ एव माण्डल	जीप	निरीक्षण
9, 11 एवं 12/9/81	रायला शाहपुरा	बस	निरीक्षण
13/9/81	उदयपुर	बस	स्थानान्तरण नीति की बैठक
16 व 17/9/81	फतेहनकलाम फूलियाकलां	बस	निरीक्षण
30/9/81 से	काछोला	बस	तृतीय बालिका जिला
4/10/81	काछोला	बस	खेल कूद प्रतियोगिता

1	2	3	4
6, 7/11/81	गंगापुर व कोशियल	बस	निरीक्षण एवं शिक्षक सम्मेलन
9/11/81	चित्तौड़गढ	बस	खेलकूद प्रति०
12 से 18/11/81	जोधपुर	बस	राज्य स्तरीय खेलकूद प्रति०
20 से 21/11/81	पण्डेर	बस	बढ़िया शिक्षा का निरीक्षण
2 से 4/12/81	रोपा, पारोली, उदयपुर	बस	निरीक्षण बैठक
8 से 10/12/81	सहाड़ा लाखोला	बस	निरीक्षण
12 एवं 23 से 24/12/81	बागोर, हुरडा पोटलाबीगोद	बस	बढ़िया शिक्षा निरीक्षण
4 से 7/1/82	अजमेर	बस	अनौपचारिक शिक्षा का प्रशि०
20, 21 एवं 28/1/82	बेमाली माण्डलगढ़ कोठिया	बस	निरीक्षण एवं जांच
4, 5, 10, 12 एवं	कोटड़ी, मंगरोप, भगवानपुरा	बस	निरीक्षण
18 से 19/2/82	अन्टाली, आसींद हुरडारायला	बस	निरीक्षण
20/2/82	उदयपुर	बस	मीटिंग
25 से 26/2/82	बागोर, जहाजपुर	बस	निरीक्षण
12 एवं 13/3/82	शाहपुरा	बस	निरीक्षण

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी

(छात्रा-संस्थायें) भीलवाड़ा

सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहन

65. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में इस खरीफ में कितने एकड़ में सोयाबीन की फसल बोई गई है और कोटा जिले में कितने एकड़ में है ?

(2) राज्य बीज निगम ने कितने एकड़ के लिये सोयाबीन का उन्नत बीज उपलब्ध कराया है ?

(3) प्रदेश के लिये सोयाबीन की कौनसी उन्नत किस्में उपयुक्त हैं ?

(4) सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में खरीफ 1982 में अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 20,000 हैक्टेयर में सोयाबीन की खेती की गयी है जिसमें कोटा जिले में 15,000 हैक्टेयर में बोयी गयी है।

(2) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा सोयाबीन का बीज इस वर्ष उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(3) 1) ब्रेग 2) क्लार्क 63 3) काली सोयाबीन (टी-1)

(4) वर्ष 1982-83 में राज्य में 50,000 हैक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए 2000 क्वि. बीज वितरण, 625 प्रदर्शन, 5000 हैक. में पौध संरक्षण कार्य सम्पन्न कराने का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रमाणित बीज के वितरण पर 150) रु. प्रति क्वि., सत्यापित बीज पर 100) रु. प्रति क्वि. अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त पौध संरक्षण में काम आने वाले रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान और परिचालन पर 15) रु. प्रति हैक. अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रदर्शन पर शत प्रतिशत अनुदान दिया गया है। जिसमें बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण कार्य के लिए व्यय भी शामिल रहता है। इसके अतिरिक्त कल्चर तैयार करने का भी कार्यक्रम बनाया गया है जिसके उपयोग से उत्पादन बढ़ता है। यह कल्चर 1) रु. प्रति पैकेट के हिसाब से वितरित किया जाता है। कृषि प्रसार के माध्यम से सोयाबीन की काश्त के तकनीकी मुद्दों पर भी ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी दी गयी ताकि वे पाक्षिक कार्यक्रम के दौरान सोयाबीन की विभिन्न तकनीक दे सकें।

इसके अतिरिक्त राजस्थान वनस्पति उत्पादक संघ के सहयोग से राज्य में वृहत स्तर पर सोयाबीन प्रदर्शन कार्यक्रम बनाया गया जिसके अन्तर्गत लगभग 625 प्रदर्शन सम्पन्न करना निर्धारित किए गए हैं। जिसके अन्तर्गत होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत संघ वहन करता है।

राणा प्रताप सागर बांध

66. श्री घनश्याम जैन (सीकर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रावतभाटा-राणा प्रतापसागर बांध के बनने में कुल कितनी लागत आई ? गत पांच वर्षों में कितना-कितना बजट किस मद-में खर्च करने हेतु दिया गया ?

(2) बजट की रकम को किन-किन मदों में व कार्य के लिये खर्च किया गया ?

(3) मेन डेम के नीचे गड्ढे कितने गहरे थे व उनके लिये कितना बजट दिया गया व कितना खर्च हुआ ?

(4) क्या राणा प्रतापसागर बांध पर चल रहे कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की ? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राणा प्रताप सागर बांध पर मार्च, 1982 तक लगभग बत्तीस करोड़ इकावन लाख सैंतालीस हजार रुपये व्यय हो चुके हैं। गत 5 वर्षों में मद 532 बहुद्देशीय नदी परियोजनाओं (ख) पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आवंटित बजट निम्न प्रकार था :—

वर्ष	रकम
1977-78	रु. 12.45 लाख
1978-79	रु. 33.32 लाख
1979-80	रु. 30.00 लाख
1980-81	रु. 84.00 लाख
1981-82	रु. 150.00 लाख

(2) बजट की रकम को मद "532 बहुद्देशीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी लागत (पूंजीगत, परिव्यय) ड राणा प्रताप सागर बांध में निर्माण कार्यों, मशीनरी निलम्बन (सस्पेंस) एवं प्रोरेटा पर खर्च किया गया है।

(3) मेन डेम के डाउन स्ट्रीम में चार गड्ढे 20 फीट से 70 फीट गहरे थे। जिनके उपचार के लिए पुनः संशोधित आंकलन में 190.00 लाख रु. का प्रावधान है। मार्च, 1982 तक इस पर 162.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(4) जी हां। राणा प्रताप सागर परियोजना पर चल रहे कार्यों में अनियमितताओं की 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से घोटाला एवं एम० बी० में गलत माप के बारे में 4, मस्टररोल में गड़बड़ी के बारे में 3, घटिया खरीद एवं माप में गड़बड़ी की 4, अन्य 12 शिकायतें हैं। इनमें से 16 शिकायतों की प्रारम्भिक जांच हो चुकी है, किन्तु फिर भी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई, कोटा को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे अपने स्तर पर अब तक प्राप्त सभी जांच प्रतिवेदनों की छान बीन कर अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को दें। तथा अन्य शिकायतों पर जांच कर रिपोर्ट तीन माह में प्रस्तुत करें।

राज्य पर ओवर ड्राफ्ट की राशि का ऋण में परिवर्तन

67. श्री मालाराम व श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) 1 अप्रेल, 1982 को राज्य सरकार पर कितना ओवर ड्राफ्ट था ?

(2) क्या यह सही है कि इस ओवर-ड्राफ्ट को भारत सरकार ने ऋण में परिवर्तन (कन्वर्ट) करने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो किस दिन और उस दिन कितना ओवर ड्राफ्ट था ?

(3) ओवर ड्राफ्ट किन शर्तों पर कर्ज में परिवर्तित किया गया है ? कृपया शर्तों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के खाते में रनिंग बैलेन्स के आधार पर दिनांक 1-4-82 को 12.00 करोड़ रुपये के मार्गोपाय अग्रिम को सम्मिलित करते हुये 251.50 करोड़ का ओवर-ड्राफ्ट था। इसी दिनांक को 12.00 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम को सम्मिलित करते हुये समायोजित ओवर-ड्राफ्ट 283.46 करोड़ रुपये था।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा यह स्वीकृति 28-6-82 को दी गयी तथा इस कारण 28.6.82 को राज्य सरकार पर कोई ओवर-ड्राफ्ट नहीं था।

(3) सूचना से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्र क्रमांक 40 (28) पी. एफ. 1/82-34 दिनांक 3 जुलाई, 1982 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

MOST IMMEDIATE NOT FOR CASH PAYMENT
FOR ADJUSTMENT ONLY

No. 40 (28)-PFI/82-34
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Plan Finance Division

New Delhi, the 3rd July, 1982.

To

The Controller of Accounts,
Ministry of Finance,
Department of Expenditure,
New Delhi.

Sub :— Release of Special medium-term Non-Plan loan assistance to State to clear the closing deficits of 1981-82 - Rajasthan.

Sir,

1. I am directed to convey the sanction of the President to the Payment of Rs. 283.46 crores (Rupees two hundred eighty three crores and forty six lakhs only) to the Government of Rajasthan as a special medium term Non-Plan loan assistance for clearing the closing deficits of 1981-82.

2. The amount sanctioned above has already been credited to the accounts of the Government of Rajasthan as on 28.6.1982 through the Reserve Bank of India and such no further action need be taken in this regard.

3. The payment is adjustable under Major Head-760-AA-Loans and Advances to State Governments (charged) in Grant No. 41-Transfers to States for 1982-83 under sub-head AA-1-Non-Plan Schemes-AA-1 (1)-Loans to cover gaps in resources.

4. At present no provision is available under this sub-head, However, the requirements of funds will be met by reappropriation

under the major head 760 and will be covered by obtaining supplementary grant in the ensuing session of the Parliament.

5. The terms and conditions of the loan assistance will be as follows :

i) The loan will carry interest @ 6½% per annum.

ii) The period of loan will be six years including on initial moratorium of one year for repayment of principal and payment of interest. On expiry of the moratorium period, the loan will be repayable in five equal annual instalments commencing from the year 1984-85. Interest for the moratorium period of one year will be payable in five equal annual instalments commencing from the year 1984-85. The amounts due on these annual instalments of principal and interest for the moratorium period will be recovered in four equal instalments on 1st July, October, January and March in each year commencing from 1984-85. Interest for each year after the moratorium period shall also be recoverable in four equal instalments on 1st July, October, January and March in the following year.

iii) A rebate of ½% in the interest will be admissible for timely repayment of principal and interest. In the event of default in the repayment of principal and/or interest, interest @ 9% would be chargeable on all such overdue instalments.

6. The action taken on the letter may kindly be intimated.

Yours faithfully,

Sd/—

(V. Srinivasan)

Joint Director.

ग्राम बाटाडू (बाड़मेर) की बस्तियों में पेयजल व्यवस्था

68. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जहां गांव पूरे ग्राम क्षेत्रफल में फैले हुए बसे हैं वहां 500 से ऊपर आबादी के समूहों को भी पीने के पानी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है ?

(2) बाड़मेर जिले के बाटाडू ग्राम की चारों बस्तियों (रेवाली, हरखाली, लूनाढवा तला एवं रामदान का तल्ला) जो प्रत्येक एक-एक हजार से अधिक की आबादी की बस्तियां हैं, उनके लिये राज्य सरकार की पीने के पानी की व्यवस्था की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

(3) यदि नहीं, तो राज्य सरकार आबादी के ऐसे ग्राम जन समूहों के लिए पेयजल की क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। समस्याग्रस्त ग्रामों में धन की उपलब्धि के अनुसार 5 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर जल उपलब्ध कराने के लिये निर्णय लिया गया है।

(2) बाटाडू ग्राम की ये 4 बस्तियां काफी बड़ी हैं एवं इनको जल उपलब्ध कराने के लिये एक योजना बनाई गई है। योजना की तकनीकी जांच की जा रही है, एवं धन की उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) राज्य में समस्याग्रस्त ग्रामों में जल व्यवस्था करने हेतु धन उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम मुगसका (अलवर) के खसरा नम्बर 164 पर अवस्थित कुआं

69. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुगसका, जिला अलवर में खसरा नं. 164 में एक सरकारी कुआं है ?

(2) उक्त कुए पर किसका कब्जा है, और क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1980 में राजस्व मण्डल द्वारा इस कुए के मालिकाना हक के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया गया था ? यदि हां, तो कृपया मण्डल के निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) राजस्व मण्डल के निर्णय के पश्चात् कुए का कब्जा लेने हेतु क्या आवश्यक कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां।

(राजस्व मन्त्री)

(2) उक्त कुए पर श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल का कब्जा है, जिसमें से टी. बी. अस्पताल के मरीजों को नजराने पर श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा पानी दिया जा रहा है।

(3) जी हां, यह सही है कि राजस्व मण्डल द्वारा दिनाक 12-9-80 को निर्णय दिया गया। निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में इन्तकाल नं. 436 सरकार के हक में दिनांक 21.5.82 को खोला गया। श्री लक्ष्मीनारायण ने सिविल जज अलवर में दावा दायर करके दिनांक 26.5.82 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। सिविल जज द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के कारण उक्त कुए का कब्जा नहीं लिया जा सका है।

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER.

Appeal No. 96/79/LR/Alwar

Appellant.

Laxmi Narain son of Prabhu Dayal
resident of Mohalla Vikas Path, Alwar

Versus

Respondent.

The State of Rajasthan.

Appeal under section 76 of the Rajasthan Land Revenue Act against the order of the Revenue Appellate Authority, Alwar dated 3-9-79.

S. B.

Shri K. K. Bhatnagar, Member.

Present;

Shri Y. D. Sharma, counsel for the appellant.
Shri Vedbrat, Addl. Deputy Government Advocate.

Dated; 12.9.80

JUDGMENT

1. This second appeal u/s 76 of the Rajasthan Land Revenue Act (hereinafter to be refered to as the Act) against the judgment dated 3.9.79 of the Revenue Appellate Authority, Alwar passed in appeal No. 285/78 upholding the order dated 29-6-78 of the Collecttor, Alwar holding that the well located in Khasra No. 164 was a Government property.

2. I have heard the learned counsel for the appellant and the learned Addl. Deputy Government Advocate and have perused the record.

3. The learned counsel for the appellant has argued that the appellant has been in possession of the well for a long time and it was being used by him for irrigating his Khatedari lands and looking to the requirements of the T. B. hospital, located nearly, he was also supplying water to the hospital. He has argued that during the settlement operations in samvat year 2020 parcha khatoni was issued in his favour and subsequently he has been recorded as Khatedar in the jamabandi also. He has made legal objection to the effects that in case the State has any grievance against those entries in the revenue record, a regular suit for correction of entries or for declaration should have been filed and the powers u/s 88 of the Rajasthan Land Revenue Act could not have been used for this purpose. He has cited 1960-RRD-1, 1963-RRD-41 and 1977-RRD-39 in favour of his contention.

4. The learned Addl. Deputy Government Advocate has argued that this was all alone a Government property and the recourse taken by the Collector in section 88 was fully legal. He has argued that in the revenue record before the settlement of samvat year 2020, this was all along included as Government property and the appellant at some stage was allowed to take water from the well as a contractor and based on that, the settlement authorities made completely an erroneous entry in his favour. He has contended that without a legal order from the competent authority, the settlement authorities have no jurisdiction to change the entries in the revenue record adhas cited 1969-RRD-231 and 1973-RRD-31 in support of this contention.

5. I have considered over the matter. The position of revenue record in the case is admitted and quite clear that right from samvat year 2001 to 2019, as the well was registered in the name of the Government, the first entry in his favour was made during the settlement operations in samvat 2020 and later it has been continued in the revenue records also. The appellant failed to show any entry in the revenue record in his favour, prior to the settlement operation which could have formed the basis for the entries in the settlement record. It is a settled law that the settlement authorities have no jurisdiction to confirm any how right without the orders passed by a competent authority, much less of Government property adhence obviously, the entries made in samvat year 2020 and subsequently on the basis of this entry the jamabandi entries were not correct. The rule has been

laid down in 1969-RRD-231 by a S. B. and upheld by a D. B. in 1973-RRD-21.

6. Regarding the legal objection of the counsel for the appellant, it would be necessary to examine the provisions of section 88 of the Rajasthan Land Revenue Act. Section 88 read as under :—

"All roads etc, and all lods which are not the property of others belongs to the State :—

(1) All public roads, lands, paths, bridges and ditches; all fences on, or beside the same; all rivers; streams, nallas, lakes and tanks, all canals and water courses; all standing and flowing water; and all lands wherever situated; which are not the property of individuals or of bodies of persons legally capable of holding property, are except in so far as any rights of such persons or bodies may be established in of over same and except as may be otherwise provide in any law for the time being in force and are hereby declared to be with all rights in or over the same or appertaining thereto, the property of the State; and it shall be lawfull for the Collector subject to the order of the State Government to dispose of them in such manner as may be prescribed subject always to the rights of way and all other rights of the public or of individuals legally subsisting.

(2) Where any property or any right in or over any property is claimed by or on behalf of the state or by any person as against the State it shall be lawful for the Collector, after formal inquiry of which due notice has been given, to pass an order deciding the claim.

(3) Any suit instituted in any civil court after the expiration of one year from the date of any order passed under sub-sec. (1) or sub see. (2) or, if one or more appeals have been made against such orders within the period of limitation, then from the date of any order passed by the final appellate authority, shall be dismissed (although limitation has not been set up as a defence) if the suit is brought to set aside such order of if the relief claim is inconsistent with such or order; provided

that in the case of an order under Sub-sec. (2) the plaintiff has had due notice of such order.

(4) Every person shall be deemed to have had due notice of an inquiry or order under this Section, if notice thereof has been given in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(5) Any order passed under Sub-sec. (1) or Sub-sec. (2) shall be enforceable by the Collector in the prescribed manner.

7. Section 88 (2) above, clearly given power to the Collector after formal inquiry of which due notice has been given to pass an order deciding the claim. In this case, the Tehsildar, as a land holder, had made the claim, due notice was given to the appellant, who was hear and then the persent order was passed. There is no illegality in this. The necessity for filling a regular suit for changing the entries would no a rise in the preasent case since the entreis are abinitiovoid adwhat has been done was only a declaration of the correct legal position adthe consequence of that declartion was felt in its normal course. The legal objection thusis also over ruled.

8. 1960 RRD-1, cited by the counsel for the appelant is not at all applicable in thepresent case, since that was a matter related to Stamp Act. Similariy, the matter reported in 1963-RRD-41 was connected with Resumption of Jagirs Act ad is no applicable in the present case. The facts of 1977-RRD-39 a judgment of the Hon'able Supreme Court, are again entirely different since it was a dispute between private parties adno interpretation of Section 88 was involved. Thus, from all angles, there is no force in this appeal andit deserves to be dismissed. The appeal is accordingly dismissed.

Pronounced.

Sd/—

K. K. Bhatnagar

Member.

OFFICE OF THE COLLECTOR, ALWAR

No. F. 15/166/Appeal/Court/78 Dated.

Copy forwarded to the All :—

1. All Sub-Divisional Officers.
2. All Asstt. Collector & Executive Magistrates.
3. All Tehsildars.
4. All Naib Tehsildars.

For guidance—

Sd/—

Collector, Alwar.

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूची

तकली बांध से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

1. घनकिया
2. सताराकला
3. चन्द्रपुरा
4. चेघट
5. बड़ोदिया
6. गणेशपुरा
7. घरोधुरा
8. थाईपुरा
9. भगवानपुरा
10. गुड़ला
11. मीना खेड़ी
12. मोड़क (उदपुरा)
13. कोठारी
14. राइखेड़ा
15. मोतीपुरा
16. भोलू
17. गुमानपुरा
18. हुमायी
19. मुकन्दपुरा
20. खेड़ली
21. कवाईपुरा
22. फान्दा
23. हथियाखेड़ी

24. बोरीना
25. पीपल्दा
26. ईशरपुरा
27. कबलपुरा
28. कालीमपुरा
29. तलियाखेड़ी
30. मोडक
31. सरवाड़ा
32. सलारखुर्द
33. जगपुरा खुर्द

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूची

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

(सहायता विभाग)

(सम्वत् 2038 में प्रभावग्रस्त ग्रामों की जिलेवार सूचना)

क.सं. 1	नाम जिला 2	प्रभावित ग्रामों की संख्या 3
1.	अजमेर	965
2.	अलवर	813
3.	बांसवाड़ा	1462
4.	बाड़मेर	633
5.	भरतपुर	1996
6.	धोलपुर	
7.	बीकानेर	611
8.	बूंदी	483
9.	चित्तौड़गढ़	843
10.	चूरू	732
11.	डूंगरपुर	838
12.	गंगानगर	270
13.	जयपुर	2480
14.	भीलवाड़ा	1568
15.	जैसलमेर	395
16.	जालौर	456
17.	झालावाड़	62

	2	3
18.	झुंझुनू	696
19.	जोधपुर	725
20.	कोटा	35
21.	नागौर	1174
22.	पाली	849
23.	सवाई माधोपुर	1595
24.	सीकर	636
25.	सिरोही	448
26.	टोंक	915
27.	उदयपुर	1566
	योग	23246

(218)

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 की सूची

माह अगस्त, 82 से मार्च, 83 तक जिलेवार रिग्स की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	हैण्ड पम्पों के लिए कुल रिग्स की संख्या
1.	डूंगरपुर	2
2.	बांसवाड़ा	5
3.	उदयपुर	10
4.	सिरोही	1
5.	अजमेर	5
6.	चित्तौड़गढ़	9
7.	भीलवाड़ा	8
8.	कोटा	7
9.	बूंदी	5
10.	झालावाड़	2
11.	सवाई माधोपुर	2
12.	सीकर	1

1	2	3
13.	झुंझुनू	—
14.	जयपुर	2
15.	अलवर	2
16.	भरतपुर	—
17.	नागौर	3
18.	जोधपुर	3
19.	पाली	3
20.	आल राजस्थान	5
	सम्पूर्ण राजस्थान में कुल रिक्त	75

(220)

रोटरी एवं परक्यूशन रिग्स तारीख 1-8-82 को जिलेवार निम्न प्रकार लगाई हैं :—

क्र. सं.	जिला	रोटरी रिग	परक्यूशन रिग
1.	अलवर	1	–
2.	जयपुर	1	2
3.	नागौर	1	2
4.	पाली	2	1
5.	जोधपुर	1	–
6.	चूरू	1	–
7.	झुंझुनू	–	1
		7	6

परिशिष्ट 7

अतरांकित प्रश्न संख्या 53 की सूची

अन्त्योदय एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

क्र.सं.	उद्देश्य	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6	7
	(अ) अन्त्योदय कार्यक्रम					
1.	वृद्धावस्था पेन्शन	20857	20672	5612	—	—
2.	भूमि आवंटन	21016	35139	6701	—	—
3.	नौकरी	4095	5820	2474	—	—
4.	व्यवसाय के लिए ऋण एवं अनुदान से लाभान्वित की संख्या	9201	38054	36758	—	—
5.	अन्य	421	8042	—	—	—
	योग	55590	107727	51545	—	—

1	2	3	4	5	6	7
(ब)	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
6.	कृषि	—	2168	12696	23975	37376
7.	पशुपालन	—	3310	15245	34609	44549
8.	लघु सिंचाई	—	1683	7402	16736	16505
9.	विभिन्न व्यवसायों में	—	425	2161	7363	23146
	योग (ब)	—	7586	37504	82683	121576
	योग (अ+ब)	55590	115313	89049	82683	121576

अन्त्योदय कार्यक्रम एवं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान व्यय, वितरित ऋण एवं लाभान्वित परिवार वर्षवार

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	वर्ष 1977-78 अन्त्योदय			वर्ष 1978-79 अन्त्योदय			एकीकृत ग्रामीण विकास			योग			वर्ष 1979-80 अन्त्योदय		
		अनुदान	ऋण	परिवार	अनुदान	ऋण	परिवार	अनुदान	ऋण	परिवार	अनुदान	ऋण	परिवार	अनुदान	ऋण	परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	अजमेर	4·01	7·30	2053	3·76	15·57	1880	—	—	—	7·77	15·57	1880	4·48	30 70	3354
2.	अलवर	4·52	9·58	1696	5·01	48·23	8782	6.33	20 29	550	9·53	68·52	9332	7·58	6·01	2896
3.	बांसवाड़ा	1·40	5·23	5306	3·86	14·59	3239	4·26	09·29	415	5·26	23·88	3654	3·90	16·26	1206
4.	बाड़मेर	1·80	1·01	527	6·52	22·94	3542	—	—	—	6·82	22·94	3542	3·61	29·05	1630
5.	भरतपुर	0·30	2·70	4224	4·07	31·14	4066	3·17	12·05	237	5·87	43·19	4303	7·02	43·32	4693
6.	भीलवाड़ा	0·80	1·30	439	2·46	10·47	4784	—	—	—	3·26	10·47	4784	5·56	11·68	1354
7.	बीकानेर	2·21	7·94	855	1·97	7·67	2123	—	—	—	4·18	7·67	2123	1·58	12·00	467
8.	बूंदी	0·28	0·57	1213	20·64	11.93	1.31	0·27	0·56	35	20·92	12·49	1266	10·89	7·76	687
9.	चित्तौड़गढ़	5·40	10·69	2162	7·06	62·58	8326	2·68	7·84	203	12·46	70·22	8520	7·94	24·92	1714
10.	चूरू	6·80	10·16	861	5·58	25·14	2883	3·01	6·77	250	12·38	31·91	3133	3·28	40·64	1475
11.	डूंगरपुर	0·30	0·75	834	6·43	13·45	1992	1·26	2·52	58	6·73	15 97	2040	2·89	29·14	2664
12.	गंगानगर	0·21	0·38	2139	4·29	33·04	3344	2·29	5·02	196	4·50	38·06	3540	4·22	34·01	3438
13.	जयपुर	8·95	14·51	2337	37·24	43·37	11665	4·74	11·09	577	46.19	54·46	12242	53·62	90·07	3875
14.	जैसलमेर	0·50	1·90	235	1·17	3·70	2286	—	—	—	1·67	3·70	2286	1·24	6·89	107
15.	जालौर	4·05	7·56	1347	2·41	20·58	1950	1·74	3·27	337	6·46	23·85	2287	3·31	25·00	1396

224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	झालावाड़	6·65	7·99	3175	17·87	9·08	1774	0·87	1·84	86	24·52	10·92	1860	22·26	30·55	4373
17.	झुंझुनू	8·30	16·25	955	1·96	31·17	2748	2·37	4·84	239	10 26	36·01	2987	3·58	59·02	1805
18.	जोधपुर	2·30	4·82	2546	4·36	15·83	2946	—	—	—	6·66	15·83	2946	3·71	38·90	1454
19.	कोटा	2·01	3·17	1528	19·86	10·92	4817	0·10	0·26	15	21·87	11·18	4832	26·42	21·42	3212
20.	नागौर	4·60	7·17	1265	5·24	29·37	3589	2·28	4·81	201	9·84	34·18	3790	4·40	72·04	3476
21.	पाली	3·05	7·34	644	4·20	19·10	5911	3·54	8·27	495	7·25	27·37	6406	4·19	53·27	658
22.	सवाई माधोपुर	6·80	7·78	1620	31·73	48·86	5969	2·60	5.45	261	38·53	54·31	6230	38·22	48·66	2417
23.	सीकर	5·50	10·34	1880	4·09	32.82	3907	4·55	14·56	582	9·59	47·38	4489	3·92	39·30	2011
24.	सिरोही	6.80	13·07	282	25·87	25·66	4287	—	—	—	32·67	25·66	4287	16·06	0·03	—
25.	टोंक	5·80	12·88	2005	11·96	17·79	2677	4·96	12·31	477	17·75	30·10	3154	18·87	28·43	1398
26.	उदयपुर	21·25	38·39	13682	6·35	42.64	7019	22·04	44·50	2372	27·60	87·14	9391	10·34	26·30	1785
	योग	112·59	210·78	55590	245·95	647·44	107727	73·06	175·54	7586	358·54	822·98	115313	275·09	815·18	51545

क्र. सं.	जिला	वर्ष 1979-80						वर्ष 1980-81			वर्ष 1981-82		
		एकीकृत ग्रामीण विकास			योग			एकीकृत ग्रामीण विकास			एकीकृत ग्रामीण विकास		
		अनुदान	ऋण	परिवार	अनुदान	ऋण	परिवार	अनुदान	ऋण	परिवार	अनुदान	ऋण	परिवार
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	अजमेर	9·36	16·27	1240	13·84	46·97	4594	44·56	66·53	3824	66·22	102·11	5577
2.	अलवर	24·23	65·16	2674	31·81	71·17	5570	92·09	204·07	7023	108·18	152·65	8367
3.	बांसवाड़ा	13·97	2·05	1476	17·87	18·31	2682	35·89	60·36	1677	48·25	51·00	3252
4.	बाड़मेर	3·54	13·54	544	7·15	42·39	2174	12·41	16·99	946	42·02	58·49	3651
5.	भरतपुर	30·15	73·21	2664	37·17	116·53	7357	86·86	161·55	6722	95·23	157·53	8234
6.	भीलवाड़ा	8·26	15·86	1278	13·82	27·54	2632	28·98	51·19	2168	70·13	93·08	4229
7.	बीकानेर	6·95	10·81	431	8.53	22·81	898	23·97	25·00	1544	61·50	98·10	3341
8.	बूंदी	5·84	12·29	416	16·73	20·05	1103	20·80	47·03	1748	17·21	20·00	1677
9.	चित्तौड़गढ़	18·54	52·56	1160	26·48	77·48	2874	73·89	108·14	4474	87·29	116·26	7837
10.	चूरू	8·14	14·54	554	11·42	55·08	2019	32·14	54·25	2387	52·75	73·59	4132
11.	डूंगरपुर	8·63	17·45	697	11·52	46·59	3361	30·21	44·58	1526	31·03	51·19	2170
12.	गंगानगर	19·49	12·05	517	23·71	46·06	1955	27·05	63·25	1831	69·75	99·05	4532
13.	जयपुर	51·47	119·81	4267	105·09	209·88	8142	84·02	187·22	6381	150·26	208·79	10250
14.	जैसलमेर	0·54	—	—	1·78	6·89	107	11·95	12·51	524	23·56	31·21	1569
15.	जालौर	11·38	33·19	1387	14·69	58·19	2783	23·35	49·64	4262	44·08	84·41	4240
16.	झालावाड़	14·50	13·08	1254	36·76	43·63	5627	19·61	20·22	1576	48·22	46·30	3927
17.	झुंझुनू	9·34	13·12	620	12·92	72·14	2425	27·07	66·77	2256	41·51	77·51	3621

226

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
18.	जोधपुर	9·48	25·93	1479	13·19	64·83	2933	34·68	61·01	3276	44.76	66·28	3901
19.	कोटा	7·68	7·84	407	34·10	29·26	3619	23·30	35·38	1198	69·71	118·70	4635
20.	नागौर	14·97	32·30	1335	19·37	104·34	4811	52·66	133·43	4046	42·52	84·46	3472
21.	पाली	7·68	15·84	750	1 :·87	59·11	1408	33·12	69·04	2535	56·37	89·15	4730
22.	सवाई माधोपुर	27·41	51·06	2528	65·63	99·72	4935	48·35	103·13	3161	77·16	119·39	5556
24.	सीकर	14·24	42·67	1715	18·16	81·97	3726	33·78	96·22	3374	51·28	84·03	4218
24.	सिरोही	11·54	19·33	1475	27 60	19·36	1475	30·24	56·24	3460	39·01	57·94	3776
25.	टोंक	22·20	36·49	1442	41·07	64·83	2840	33·45	53·22	3372	42·27	60·91	3814
26.	उदयपुर	44·24	120·83	5204	54·58	147·13	6989	150·25	246·07	9192	128·61	147·60	6768
		403·77	836·98	37504	678·86	1652·16	89049	1114·68	2093·04	82683	1598·88	2339·73	121576

227

परिशिष्ट 7

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ़

विलीकरण के समय में सदस्यों में अब बकाया रहे ऋण की सूची :—

नाम लैम्प :—अरनोद
विलीनीकृत समिति का नाम :—अरनोद ग्राम सेवा स. स. लि., अरनोद

क्रमांक	नाम सदस्य मय पिता	वर्तमान में बकाया ऋण का विवरण		
		मूल	ब्याज	योग
1	2	3	4	5
1.	नन्दा/रामा तेली	160·00	160.00	320·00
2.	माना/नन्दा तेली	160·00	160·00	320·0
3.	हीरालाल/वरदा चमार	790·00	—	790·00
4.	चुनीलाल/भैराजी	80·00	80·00	160·00
5.	शेरसिंह/सज्जनसिंह	709·00	322·00	1031·00
6.	रोसीगा/हरजी	296·00	—	296·00
7.	नानूराम/भैरा तेली	160·00	160·00	320·00
8.	रखबदास/किसनजी	266·00	230·00	496·00
9.	मलखा/साफराज	240·00	240·00	480·00
10.	काफिरखां/मुन्नेखां	80·00	52·00	132·00
11.	लक्ष्मीचन्द/रामाजी	478·00	478·00	956·00
12.	नानादास/लालजी	80·00	56·00	136·00
13.	वसन्तलाल/अबन्तलाल	800·00	336·00	1136·00
14.	मंगलप्रसाद/गौतमलाल	630·00	585·00	1215·00
15.	सालगराम/हीराजी	160·.0	160·00	320·00

1	2	3	4	5
16.	मांगू/गौतम	400·00	200·00	600·00
17.	उदयसिंह/नाहरसिंह	1400·00	1200·00	2600·00
18.	चम्पालाल/अखयलाल	650·00	50·00	700·00
19.	कचर/रतना	488·00	94·00	532·00
20.	बदरीलाल/भैराजी	959·00	500·00	1459·00
21.	प्यारचन्दनेरामाजी मीणा	320·00	320·00	640·00
22.	कन्हैयालाल/पूराजी	400·00	334·00	734·00
23.	चुनीलाल/भगवानजी	320·00	90·00	410·00
24.	दगड़ीराम/वेणीराम	80·00	80·00	160·00
25.	सबीर/सुल्तानजी	400·00	370 00	770·00
26.	नाथा/परथा	306·00	20·00	326·00
27.	मांगीलाल/पनाजी	200·00	200·00	400·00
28.	हरीराम/नीरूजी	200·00	168·00	368·00
29.	नन्दराम/भैराजी	440·00	440·00	880·00
30.	मुकन्दसिंह/परबतसिंह	80·00	80·00	160·00
31.	नाथूसिंह/रघुनाथसिंह	800·00	640·00	1440·00
32.	नारायणलाल/पुरुषोतमलाल	80·00	80·00	160·00
33.	रम्मीबाई/भैराजी	140·00	140·00	280·00
34.	गोस/पीरजी	1542·00	480·00	2022·00
35.	रामचन्द्र/लच्छीराम	197·00	70·00	267·00
26.	केसरराम/आशाराम	1126·00	150·00	1276·00
37.	सबीर/सुल्तानजी	240·00	240·00	480·00
38.	सफी/शराज	80·00	50·00	130·00
39.	गंगाराम/कारूजी	381·00	250·00	631·00
40.	बादीचन्द/नाथूराम	1892·00	830·00	2722·00

1	2	3	4	5
41.	गंगाराम/फकीरचन्द	297·00	220·00	517·00
42.	रामलाल/भैरूलाल	400·00	124·00	524·00
43.	मोहन/नन्दाजी	80·00	80·00	160·00
44.	अनवरखां/शेर जमान	2331·00	660·00	2991·00
45.	मांगीलाल/मिठूजी	569·00	390·00	959·00
46.	मूला बक्श/फतेह खां	800·00	75·00	875·00
47.	करणदेवी/विमलचन्द	320.00	45·00	365·00
48.	नुरगुहखां/वजीरखां पठान	500·00	335·00	835·00
49.	कारूलाल/लक्ष्मीचन्द	900·00	760·00	1660·00
50.	रामचन्द्र/कनीराम	415·00	350·00	765·00
51.	ओंकार/गमेरा	1502·00	300·00	1802·00
52.	किसना/देवाजी	80·00	80·00	160·00
53.	नमकलाल/हेमराजजी	867·00	100·00	967·00
54.	मानूराम/ओंकारजी	800·00	600·00	1400·00
55.	नानूराम/पिरथी	370·00	40·00	410·00
56.	काना/भीखचन्द	618·00	540·00	1158 00
57.	नानूराम/अमनाजी	160·00	100·00	260·00
58.	हीरा/वजिया	273·00	40·00	313·00
59.	पैमा/नाथु जी	80·00	80·00	160.00
60.	कचरू/हीरा	800·00	800·00	1600·00
61.	कनीराम/देवा जी	360·00	360·00	720·00
62.	भैरू/घुरा जी	320·00	246·00	566·00
63.	भैरू/हीरा जी	40·00	6·00	46·00
64.	आपू/पैमा जी	80 00	80·00	160·00
		31172·00	16500·00	47672·00

विलीनिकृत जाजसो ग्राम सेवा स० स० लि०

1	2	3	4	5
65.	जगन्ननाथ/रूपचन्द	160·00	160·00	320·00
66.	भैरू/प्यारा	89·00	21·00	110·00
67.	राजेन्द्रसिंह/रघुनाथसिंह	5017·00	900·00	5917·00
68.	बहादुरसिंह/यशवन्तसिंह	860·00	135·00	995·00
69.	उदयराम/सवावजी	450·00	338·00	788·00
70.	उदयराम/कालराम	1285·00	1285·00	2570·00
71.	सुन्दरलाल/नाथुलाल	3800·00	2010·00	5810·00
72.	कानीलाल/नाथुलाल	72·00	14·00	86·00
73.	मोहनसिंह/मेहताबसिंह	1145·00	170·00	1315·00
74.	जगन्नाथ/बरदा	248·00	4.00	252·00
75.	रामा/भूरा	80·00	70·00	150·00
76.	सूरजबाई/कालूजी	780·00	780·00	1560·00
77.	मदनलाल/सिद्धनाथ	3975·00	3975·00	7950·00
78.	नरपतसिंह/नाहरसिंह	100·00	100·00	200·00
79.	केनीराम/लच्छीराम	320·00	200·00	520·00
80.	राधेश्याम/सभं	800·00	600·00	1400·00
81.	नाथूलाल/पूना जी	400·00	350·00	750·00
82.	भगवान/ भैरू जी	80·00	80·00	160·00
83.	बजेराम/तेजा जी	800·00	800·00	1600·00
84.	कालू/रामा जी	397·00	250·00	647·00
85.	नाथ/चतरा जी	400·00	12·00	412·00
86.	सूखी/नाहर जी	288·00	288.00	576·00
87.	भैरू/कालू	80·00	80·00	160·00
88.	लाल/भेरा	80·00	2·00	82·00

1	2	3	5	5
89.	दल्ला/पेमा	160·00	160·00	220·00
90.	जुझार/नन्दा जी	40·00	40·00	80·00
91.	मोहन/सुखा	80·00	80·00	160·00
92.	मांगू/नाथ जी	240·00	150·00	390·00
93.	केसराम/मूवान जी	326·00	14·00	340·00
94.	अम्बालाल/नन्दा जी	240·00	30·00	270·00
95.	हीरालाल/मेहताबसिंह	805·00	175·00	980·00
96.	कालू/मगनीराम	638·00	200·00	838·00
97.	गंगाराम/देवा जी	640·00	348·00	988·00
98.	देवा मगनीराम	986·00	250·00	1236.00
99.	बरदा/रामजी	348·00	90·00	438·00
100.	नाथू/रघुनाथ	230·00	100·00	330·00
101.	सामोसिंह/मनोहरसिंह	160·00	12·00	172·00
102.	गंगाराम/रामा	711.00	104 00	815·00
103.	कचरा/केरिंग	880·00	350·00	1230·00
104.	पूना/घूला जी	450·00	250·00	700·00
105.	करजी/केरिंग	550·00	160.00	710·00
106.	नाथूसिंह/ओंकारसिंह	300·00	250·00	550·00
107.	नटवरसिंह/बहादुरसिंह	848·500	500·00	1348·00
108.	भोपालसिंह/पृथवीसिंह	390·00	450·00	840·00
109.	दूला/प्यारा	480·00	270·00	750·00
110.	कालू/अरबादान	316·00	316·00	632·00
111.	जीवा/अबजी	160·00	150·00	310·00
112.	बाबर/प्रथा	320·00	90·00	410·00
113.	सुरेन्द्रसिंह/रामसिंह	1660·00	650·00	2310·00
114.	गमर/धन्ना	80·00	80·00	160·00

1	2	3	4	5
115.	दल्ला/हरजी	800·00	600·00	1400·00
116.	कसला/हरजी	406·00	190·00	596·00
117.	जलता/रहता	370·000	200·00	570·00
118.	डालू/काना जी	175·00	75·00	250·00
119.	घन्ना/घूला जी	560·00	450·00	1010·00
120.	विक्रमसिंह/भूवानसिंह	1830·00	400·00	2230·00
121.	विजेन्द्र सिंह/भुवानसिंह	950·00	950·00	1900·00
122.	मोहनसिंह/नारायणसिंह	153·00	40·00	193·00
123.	हलास कुमारी/भुवानसिंह	2000·00	580·00	2580·00
124.	शोभागसिंह/भुवानसिंह	2480 00	1000·00	3480·00
125.	नाथू/मेरा	318·00	100·00	418·00
126.	केसरीमल/जेवरलाल	800·00	500·00	1300·00
127.	दाला/मेरा	80·00	35·00	115·00
128.	जमनादास/मोहनदास	498·00	20·00	518·00
129.	भुवान/नन्दा	444·00	200·00	644·00
130.	कचर/मेरा	660·00	100·00	760·00
131.	कालू/मेरा	592·00	40·00	632·00
132.	फूला/ओंकार	100·00	100·00	200·00
133.	शंकर/मेरा	922·00	75·00	997·00
134.	हीरा/रूपा	80·00	2·00	82·00
135.	भेरा	25 ·00	90·00	342·00
136.	भेरा/कालू	640·00	564·00	1204·00
137.	हुकमा/उदा जी	80·00	80·00	160 00
138.	कादर/बगदीराम	352·00	160·00	512·00
139.	भेरा/हुरजी	100·00	100·00	200·00

1	2	3	4	5
140.	कालू/उदा	784·00	182·00	966·00
141.	किसन/मेंगा	80·00	80·00	160·00
142.	रामचन्द्र/मंगा	80·00	80·00	160·00
143.	घारजी/हरिराम	80·00	80·00	160·00
144.	रामसिंह/मेघा	80 00	80·00	160·00
145.	फूलिया/भारेणा	80·00	80·00	160·00
146.	आशा/भीर्णा	80·00	80·00	160·00
147.	हीरा/वेणा	438·00	128·00	566·00
		51168·00	25374·00	76542·00
148.	परथ जी/नाथू (सागथली खर्द- विलिनी)	1280·00	120·00	1400·00
149.	वेस्ता/हरजी	320·00	24·00	344·00
150.	भगवाना/धाना	700·00	500·00	1200·00
151.	मेरा/रतना	117·00	50·00	167·00
152.	कागा/हरजी	480·00	480·00	960·00
153.	वावूदान/कालूदान	750·00	750·00	1500·00
154.	किसन/बजीरा	240·00	150·00	390·00
155.	अमरा/भीम जी	160·00	160·00	320·00
156.	प्यारा/लखमा	153·00	60·00	213·00
157.	कचरा/प्यारा	1450·00	1450·00	2900.00
158.	भावाना/किसन जी	118·00	100·00	218.00
159.	भैरू/कचरू	459·00	200·00	659·00
160.	नन्दा/वजीरा	249·00	56·00	305·00
161.	पूना/भूरा जी	170·00	170·00	340·00
162.	नन्दा/हूर जी	100·30	46·00	146 00

234

1	2	3	4	5
163.	कारू/पन्ना जी	80·00	80·00	160·00
164.	हवालाल/कचरा जी	142·00	142·00	284 00
165.	भैरूसिंह/देवीसिंह	95·00	95·00	190·00
166.	बसीर खां/हसन खां	400·00	400·00	800·00
167.	बालूलाल/बापूदास	560·00	560·00	1120·00
168.	देवी/रामकिसन जी	612·00	85·00	697·00
179.	पीर खां/जुहार खां	32·00	32·00	64·00
170.	बमदीराम/मेरा	294·00	100·00	394·00
171.	पन्नालाल/मेरा जी	346·00	275·00	621·00
172.	पन्नालाल/हक्का जी	1112·00	270·00	1382·00
173.	अमीचन्द/बांकीराम	653·00	75·00	728 00
174.	रामा/हक्का जी	147·00	55·00	202·00
175.	पूना/मेरा	331·00	90·00	421·00
176.	किसन/छगन जी	98·00	50·00	148·00
177.	नाथू/हक्का जी	340·00	12·00	352·00
178.	भैरा/कादर	80·00	80·00	160·00
179.	कारासिंह/सज्जनसिंह	1280·00	275·00	1555·00
180.	कफूर/किसन जी	87·00	60·00	147·00
181.	रामेश्वरलाल/हेमराज	400·00	84·00	484.00
182.	चोखमा/नन्द्र जी	452·00	194·00	646·00
183.	राजिया/डारम	190·00	80·00	270·00
184.	भगता/जिया	80·00	80·00	160·00
185.	जीवा/दीपा	160·00	126·00	286 00
86.	बागा/रूपा जी	196·00	50·00	246 00
187.	वजीपा/मदला	160·00	130·00	290·00

1	2	3	4	5
188.	जिया/पुछिया	160.00	160.00	320.00
189.	जोगली/वेदजी	82.00	50.00	132.00
190.	भैरा/बेदजी	602.00	138.00	740.00
191.	सबजी/दीपा	266.00	130.00	396.00
192.	अवजी/दीपा	150.00	80.00	230.00
193.	वदा/वेस्ता	107.00	35.00	142.00
194.	किसन/देवा	106.00	37.00	143.00
195.	प्रताप/माना	80.00	14.00	94.00
196.	आशा/लाला	155.00	36.00	191.00
197.	अरजुनसिंह/आजिया	3171.00	3171.00	6342.00
198.	मांगीलाल/अशोक	160.00	160.00	320.00
199.	मोहन/हीरा	180.00	180.00	360.00
200.	मगाराम/मोहिमा	1155.00	1155.00	2310.00
201.	हस्ता/अरजनसिंह	2350.00	2350.00	4700.00
202.	अनिरू/ओंकारसिंह	2950.00	2950.00	5900.00
203.	कमजी/पुजीया	913.00	256.00	1169.00
204.	बन्शीलाल/भूरा	224.00	27.00	251.00
205.	बरदा/दीपा	448.00	210.00	658.00
206.	हासिया/हरजी	320.00	320.00	640.00
207.	काना/गोबरा	160.00	136.00	296.00
208.	कुशला/जीवा	80.00	50.00	130.00
209.	रामा/विस्ता	236.00	84.00	320.00
210.	केसिंह/नाहरजी	228.00	136.00	364.00
211.	उदा/भेरा	5.00	5.00	10.00
212.	मन्जी/नानजी	22.00	15.00	37.00
213.	बजिग/घन्ना	500.00	500.00	1000.00

1	2	3	4	5
214.	बरदा/राजाजी	150.00	40.00	190.00
215.	बरदा/केसरांम	40.00	40.00	80.00
216.	रम्मा/मन्ना	209.00	209.00	418.00
217.	मांग/प्यारा	320.00	320.00	640.00
218.	हबूजी/गंगाजी	179.00	179.00	358.00
219.	गोकला/भेरा	136.00	27.00	163.00
220.	बेस्ता/रामा	234.00	136.00	370.00
221.	हरजी/देवा	156.00	64.00	220.00
222.	गोमा/वजिग	304.00	195.00	499.00
223.	लाल/वजिग	240.00	136.00	376.00
224.	भेरू/सुवा	25.00	25.00	50.00
225.	किसन/रूपा	80.00	80.00	160.00
226.	नागजी/पूजा	70.00	63.00	133.00
227.	उदा/पूंजा	80.00	80.00	160.00
228.	राजिग/वजिग	80.00	80.00	160.00
229.	राखिया/रूपा	37.00	37.00	74.00
230.	नागला/नागला	14.00	11.00	25.00
231.	भिरियम/नारिया	77.00	77.00	154.00
232.	मंगला/कारन	80.00	80.00	160.00
233.	रतन/उदा	156.00	72.00	228.00
234.	अरजन/हीरा	276.00	120.00	296.00
235.	देवजी/हरजी	157.00	14.00	171.00
236.	गोतम/धन्ना	160.00	96.00	256.00
237.	रामा/किसाग	80.00	70.00	150.00
238.	नाथ/पोखाजी	300.00	120.00	420.00
239.	जालमा/कचरा	80.00	80.00	160.00

1	2	3	4	5
240.	हरिराम/जागेदा	160.00	100.00	260.00
241.	हवजी/हरजी	80.00	80.00	160.00
242.	हकरा/मेजिगा	558.00	60.00	618.00
243.	बागजी/जगजी	42.00	20.00	62.00
244.	नाना/वेस्ता	80.00	20.00	100.00
245.	रावजी/राजिगा	107.00	25 00	132.00
246.	भाणा/नाथजी	318.00	170.00	488.00
247.	मामजी/गणेशजी	154.00	15.00	169.00
248.	गोतम/मनिया	80.00	70.00	150.00
249.	रमा/हरजी	80.00	70.00	150.00
250.	रतन/बाबाजी	80.00	80.00	160.00
251.	बाजीजी/गेला	80.00	75.00	155.00
252.	कारू/भेरा	912.00	140.00	1052.00
253.	शान्तिलाल/भेराजी	3209.00	600.00	3809.00
254.	नन्दा/प्रेमचन्द	1832.00	1000.00	2832.00
255.	नाथू/हीराजी	1686.00	150.00	1836.00
256.	किसन/रमाजी	975.00	150.00	1125.00
257.	पन्नालाल/हथकाजी	1112.00	400.00	1512.00
258.	नन्दा/बालाजी	249.00	41.00	290.00
259.	नन्दलाल/रमाजी	1005.00	700.00	1705.00
260.	परसराम/भेराजी	671.00	50.00	721.00
261.	पन्नालाल/वादाजी	342.00	125.00	467.00
262.	दौलतराम/प्रेमचन्द	228.00	150.00	378.00
263.	किसना/शंभूजी	2001.00	1500.00	3501.00
264.	मांगीलाल/हीराजी	864.00	300.00	1164.00
265.	नारायण/रतनाजी	272.00	150.00	422.00

238

1	2	3	4	5
266.	गंगाराम/ग्रामीज	800.00	100.00	900.00
267.	नन्दू/रामचन्द्र	800.00	150.00	950.00
268.	माणकमाल/रतनलाल	1061.00	200.00	1261.00
269.	रणसिंह/रतनसिंह	300.00	50.00	350.00
270.	रामा/भेराजी	918.00	300.00	1218.00
271.	बगदीराम/सवाजी	318.00	100.00	418.00
272.	शम्भू/मेनाजी	183.00	15.00	198.00
273.	भगवाना/हेमराज	992.00	600.00	1592.00
274.	हीरा/भेराजी	684.00	100.00	784.00
275.	किसना/भेराजी	1016.00	100.00	1116.00
		57852.00	30588.00	88440.00

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का आदेश

कार्यालय क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यान, रणथम्भोर, सवाई माधोपुर

क्रमांक/विविध/82-83/ दिनांक:- 30 जून, 82

कार्यालय आदेश

अधीनस्थ क्षेत्रीयों के पत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नाका राजबाग एवं नीम चौकी से जारी किये जाने वाले जलाऊ लकड़ी के परमिटों द्वारा भविष्य में वन क्षेत्र से गिन्नी लकड़ी लाने की पूर्ण सम्भावना है। क्योंकि दोनों नाकों के अन्तर्गत आने वाले आस-पास के वन क्षेत्र में गिरी पड़ी सूखी लकड़ी समाप्त हो चुकी है।

अतः राज्य हित में वर्षात का समय (क्लोजसीजन) निकट आने के कारण धन सम्पदा को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये तुरन्त प्रभाव से समस्त जलाऊ लकड़ी के परमिट बन्द किये जाते हैं।

ह०
क्षेत्र निदेशक,
बाघ परियोजना, नेशनल पार्क,
रणथम्भोर, सवाई माधोपुर

क्रमांक/विविध/82-83/ दिनांक:-जून, 82

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्री क्षेत्रीय वन अधिकारी, सवाई माधोपुर/खण्डार एवं बाघ परियोजना रणथम्भोर, सवाई माधोपुर।
2. श्री वन पाल नाका नीम चौकी/राजबाग।
3. न्या शाखा/ठेकों शाखा कार्यालय हाजा।
4. गार्ड बुक।

ह०
क्षेत्र निदेशक,
बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान
रणथम्भोर, सवाई माधोपुर

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न सं० 67 की सूची

वृद्धावस्था पेन्शनरों की सूची

क्र. सं.	नाम पेन्शनर मय वल्दियत	निवास स्थान	वि० वि०
1	2	3	4
1.	श्री बाबूलाल पुत्र ज्ञानचन्द गोपा	जैसलमेर	
2.	श्रीमती बनीबाई पत्नी किशनलाल	,,	
3.	,, अन्तरी बाई पत्नी केशरीमल	,,	
4.	,, पारबती पत्नी टीकमदास सोनार	,,	
5.	,, गंगाबाई पत्नी सागीदान पुरोहित	,,	
6.	,, अम्बका पत्नी हाथीसिंह दरोगा	,,	
7.	,, लादी पत्नी मथुरादास साध	,,	
8.	,, तकीयो पत्नी महेशाराम देसान्तरी	,,	
9.	,, गोमती पत्नी बाबूलाल आचार्य	,,	
10.	,, जगनी बाई पत्नी ईश्वर	,,	
11.	,, आशोबाई पत्नी ईश्वर	,,	
12.	,, कसुम्बी पत्नी चान्दाराम माली	,,	
13.	,, रतनबाई पत्नी सुल्तानचन्द पुरोहित	,,	
14.	,, धायली पत्नी पून्जा पिन्जारा	,,	
15.	,, गंगाबाई पत्नी बालगिर स्वामी	,,	
16.	,, समदो पत्नी भगवानदास श्रीमाली	,,	
17.	,, नखतमल पुत्र जोरावरमल प्रोहित	,,	

1	2	3	4
18.	श्रीमती घुडी पत्नी बिरधाराम हजुरी	जैसलमेर	
19.	,, पुरुषोत्तमदास पुत्र मनसुखदास सोनार	,,	
20.	,, मती शोभिनगिरी पुत्री देवाराम स्वामी	,,	
21.	,, मघी पत्नी बाकसिंह	,,	
22.	,, हवाबाई पत्नी सुगनलाल व्यास	,,	
23.	,, मोती पत्नी लादूराम क्रियागर	,,	
24.	,, वाघू पत्नी हजारीमल क्रियागर	,,	
25.	,, मुरादी पत्नी मीर खां मुसलमान	,,	
26.	,, नूरमोहम्मद पुत्र मियल खां	,,	
27.	,, हेमी बाई पत्नी मूला कुम्हार	,,	
28.	,, फूलो पत्नी चानणमल व्यास	,,	
29.	,, सीताबाई पत्नी समरथाराम	,,	
30.	,, अकलो पत्नी माणकलाल सोनी	,,	
31.	,, बलीया पत्नी भवरु दरोगा	,,	
32.	,, वबरी पत्नी लाभूराम हजुरी	,,	
33.	,, जमना बाई पत्नी तोलाराम	,,	
34.	,, श्रीयो पत्नी नखतसिंह	,,	
35.	,, सकी बाई पत्नी बालकिशन पुरोहित	,,	
36.	,, जमनी पत्नी हजारीमल भवर	,,	
37.	,, हऊवा पत्नी सगुजी हजूरी	,,	
38.	श्री किशनलाल पुत्र सुलतान चन्द दर्जी	,,	
39.	,, गरीबदास पुत्र गणेशदास साध	,,	
40.	,, मती मको बाई पत्नी सगतमल हजूरी	,,	
41.	,, रूकमण पत्नी चान्दाराम हजूरी	,,	
42.	,, सूरजकंवर पत्नी अनराज जी	,,	

1	2	3	4
43.	श्रीमती कस्तूरी पत्नी लालचन्द हजूरी	जैसलमेर	
44.	,, गोपीबाई पत्नी चम्पालाल व्यास	,,	
45.	,, हेमा पत्नी महादान हजूरी	,,	
46.	,, पारवती पत्नी सुलतान चन्द	,,	
47.	,, मूली बाई पत्नी प्रभूलाल हरसा	,,	
48.	,, गवरी बाई पत्नी शंकर जी हजूरी	,,	
49.	,, मूली बाई पत्नी बल्लभदास भाटिया	,,	
50.	,, कस्तूरी पत्नी मालाराम कुम्हार	,,	
51.	,, लिछमी पत्नी अम्बापुरी स्वामी	,,	
52.	,, बादली बाई पत्नी जगनलाल नागौरी	,,	
53.	,, लोछो पत्नी अलसीदास माली	,,	
54,	श्री लादूराम पुत्र भगवानदास कुम्हार	,,	
55.	,, नथमल पुत्र लालचन्द	,,	
56.	श्रीमती जमनाबाई पत्नी मोतीलाल पुरोहित	,,	
57.	श्री नथमल पुत्र भंवरलाल सेवक	,,	
58.	श्रीमती अवरो पत्नी केशराराम सुथार	,,	
59.	,, राधाबाई पत्नी ताराचन्द मोची	,,	
60.	,, जवरात पत्नी यार मोहम्मद	,,	
61.	,, लक्ष्मीदेवी पत्नी हन्सानाथ स्वामी	,,	
62.	श्री किशनलाल पुत्र जेठमल ब्राह्मण	,,	
63.	,, लादूराम पुत्र गोविन्द राम ब्राह्मण	,,	
64.	श्रीमती सोनी बाई पत्नी बालमुकन्द दर्जी	,,	
65.	,, केकूबाई पत्नी महजगिरी गुसाई	,,	
66.	श्री भवानीशंकर पुत्र ज्ञानचन्द गोपा	,,	
67.	श्रीमती लालबीबी पत्नी अब्दुल्ला	,,	

1	2	3	4
68.	श्रीमती रहमत पत्नी उस्मानशाह फकीर	जसलमेर	
69.	,, लाभ पत्नी प्रतापराम, नाई	,,	
70.	,, प्रतापी पत्नी जगमाल नाई	,,	
71.	,, ईश्वरी देवी पत्नी हरजीमल खत्री	,,	
72.	,, बस्तीबाई पत्नी सोहनसिंह	,,	
73.	,, सरीफो पत्नी राजमोहम्मद मजूर	,,	
74.	,, कलावती पत्नी मेघराज खत्री	,,	
75.	,, सरीफो पत्नी हसुनअली	,,	
76.	,, मथरी पत्नी रतनलाल दरोगा	,,	
77.	,, कसुम्बी पत्नी खेमचन्द खत्री	,,	
78.	,, बलदेवदास पुत्र दौलतराम भाटिया	,,	
79.	,, जोमो पत्नी कालू भील	,,	
80.	,, मीरा पत्नी रानाजी नाई	,,	
81.	,, केसरबाई पत्नी गोविन्दगिरी स्वामी	,,	
82.	,, गोकुला पुत्र अमरा कुम्हार	कोडियासर	
83.	,, अन्तरी पत्नी जबारालाल सुथार	,,	
84.	,, मघी पुत्री भाईदान	देवा	
85.	,, मदनलाल पुत्र अमोलख चन्द	,,	
86.	,, सूरती पत्नी पुन्जराजसिंह	मूलाना	
87.	,, लादुराम पुत्र मोगूजी हजूरी	,,	
88.	,, सिरेकवंर पत्नी मोडसिंह	,,	
89.	,, रूपे पत्नी सुलछसिंह	,,	
90.	,, मूमल पत्नी शंकरे खाँ	,,	
91.	,, भोली पत्नी मुगाला	खाण्डी	
92.	,, अजबो पत्नी हेमा राजपूत	,,	

1	2	3	4
93.	श्रीमती गोर कंवर पत्नी अर्जुनसिंह	खाण्डी	
94.	,, धापू पत्नी भखता दर्जी	,,	
95.	श्री हरदास पुत्र लखुभैया (मुसलमान)	ख्याला	
96.	,, खुदू पुत्र अगरे खां मुसलमान	,,	
97.	,, मती चुन्नी बाई पत्नी बालाराम मेघवाल	सम	
98.	,, केसर पत्नी हमीर मेघवाल	,,	
99.	श्री गरजू पुत्र सोना मेघवाल	,,	
100.	,, गाहकंवर पत्नी रणजीत सिंह	कोटड़ी	
101.	,, मती मूली पत्नी जोगाराम भील	,,	
102.	,, मीरा पत्नी केसराराम हजूरी	,,	
103.	श्री रजेखां पुत्र अलिमल खा	मून्दरी	
104.	, ठाकुराम पुत्र फूसाराम हजूरी	बासनफोर	
105	,, मती कस्तुरी बाई पत्नी आईदान	रूपसी	
106.	,, केसर बाई पत्नी जलाला राममेघवाल	,,	
107.	,, बल्तूबाई पत्नी जीवनाराम	,,	
108.	,, खातू पत्नी टीकूराम मेघवाल	लाणेला	
109.	,, चुन्नी पत्नी कस्तूरराम गर्ग	,,	
110.	,, नेनीबाई पत्नी नृसिंह दास हजूरी	डेडा	
111.	,, जवारो पत्नी तेज भारती स्वामी	भोजका	
112.	,, बूली बाई पत्नी चान्दाराम भील	रूपसी	
113.	श्री भभूतसिंह पुत्र भोपसिंह	मदो की ढाणी	
114.	,, मती धापु पत्नी शाभसिंह	जानरा	
115.	,, जमनो पत्नी समरथसिंह	,,	
116.	,, मूक्ला पुत्र केहर मुसलमान	घूलिया	

245

1	2	3
117.	श्रीमती हकीमो पत्नी सहजादा	घूलियो
118.	,, सतबाई पत्नी बसन्द मुसलमान	,,
119.	,, सली पत्नी हईयात	,,
120.	,, मभो पत्नी मंगलसिंह	मन्धा
121.	,, जेठी पत्नी मंगलसिंह	मदा
122.	,, राजी पत्नी कानसिंह	मेघा
123.	,, धनी पत्नी हुकमदान चारण	सागउ
124.	,, खातू पत्नी भीरू मुसलमान	सीतोडाई
125.	,, तुलछी पत्नी झूमरराम दरोगा	करडा
126.	,, सुग्नाकंवर पत्नी पदमसिंह	,,
127.	,, बादली पत्नी महेशाराम भील	बान्धा
128.	,, धनी पत्नी बीन्जाराम मेघवाल	खुईयाला
129.	,, वालो पत्नी दीनोखान	,,
130.	,, सुलेमान पुत्र तमाची मुसलमान	,,
131.	,, राधा पत्नी बस्ता मेघवाल	,,
132.	,, सोढी पत्नी सांगा मेघवाल	,,
133.	,, सइदो पत्नी महबूब खां	देवीकोट
134.	,, नूरी पत्नी ग्राबरव मुसलमान	,,
135.	,, उमेदो पत्नी धारू खां	,,
136.	श्री जवारा पुत्र भीखा व श्रीमती जवारा	,,
137.	,, मती धापू पत्नी पुजराजसिंह	जोधा
138.	,, साकवर पत्नी जेठमालसिंह	आकल जोधा
139.	,, गंगा पत्नी सूरतराम सावल	साकला
140.	,, मलूको पत्नी नाथू मुसलमान	तुर्कों की वस्ती

1	2	3	4
141	श्री/श्रीमती सदा पत्नी भीण्डसिंह	दामोदरा	
142	शाहकंवर पत्नी सतीदानसिंह	रिछवा	
143	राई पत्नी बालाराम मेघवाल	,,	
144	खमीसे खां पुत्र रहमान खां	उत्तरी क्षेत्र	
145	प्रतापो पत्नी गिरधसिंह	छत्तागढ़	
146	बलवन्तसिंह पुत्र गणेशसिंह	बीदा	
147	त्रिलोक सिंह पुत्र जेठमालसिंह	खडेरो की ठाणी	
148	लाछो पत्नी रामसिंह	बीरमो को काणाद	
149	खुशाली पत्नी प्रभू कम्हार	रासला	
150	हज्जू पत्नी बागा गुरडा	,,	
151	मोटो पत्नी तेजाराम मेघवाल	कुछड़ी	
152	रानी पत्नी सज्जनराम मेघवाल	,,	
153	मोमोती पत्नी प्रागाराम मेघवाल	,,	
154	जेठूसिंह पुत्र द्वारकसिंह	,,	
155	लाछो पत्नी किसनाराम मेघवाल	,,	
156	अचलसिंह पुत्र अलसीदारसिंह	भोपा	
157	जेठी पत्नी महादानसिंह	,,	
158	चुन्नी पत्नी अचलसिंह	,,	
159	धापू पत्नी महादान माली	अमरसार	
160	धापू पत्नी नथलाराम माली	,,	
161	मीरो पत्नी हजाराम माली	,,	
162	हरलाल पुत्र मावेताराम	बाडाबाग	
163	भोपालाराम पुत्र हीरारामभेघवाल	कबीर बस्ती	
164	मीरा पत्नी लादू कुम्हार	फतेहगढ़	
165	करीमत पत्नी मीरान मुसलमान	,,	
166	चीमा पुत्र भूपा व श्रीमती चीमानाई	फतेहगढ़	

1	2	3	4	
157	श्री/श्रीमती बस्ती पत्नी जसजी राजपूत	हाबूर		
168	चुन्नी पत्नी पोकर मेघवाल	कपूरिया		
169	गोरसिंह पुत्र बुलीदानसिंह	,,		
170	बरुतू पत्नी लेखराम	कठोली		
171	गेनी पत्नी समरथराम मेघवाल	,,		
172	धापू पत्नी डूंगराराम कुम्हार	,,		
173	अजवा पत्नी वस्ताराम कुम्हार	,,		
174	हडबन्तसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह	बड़ा		
175	वाली पत्नी ओहजराराम मेघवाल	,,		
176	अली खां पुत्र हुसमान खां	साडा		
177	भोमो पत्नी तारसिंह	सांखला		
178	सोहनसिंह पुत्र ओंकारसिंह	,,		
179	अक्लो पत्नी घोखलसिंह	जामडा		
180	मीरो पत्नी प्रभु दरोगा	गेठवाई		
181	वस्ती बाई पत्नी जगतराम	,,		
182	धापू पत्नी नवथसिंह दरोगा	कणादे		
183	तेपो पत्नी पन्नालाल दरोगा	दाईयता		
184	भागो पत्नी खेताराम मेघवाल	,,		
185	क्षमाना पुत्र सहजादा मुसलमान	,,		
186	फातमा पत्नी मांगु मुसलमान	,,		
187	धापू पत्नी भीखा दर्जी	कोडा		
188	मागाराम पुत्र पाबूदान भील	कनोई		
189	पार्वती पत्नी विरदाराम सुनार	,,		
190	बाली पत्नी पाताराम मेघवाल	दवडी		
191	सोनी पत्नी खूमसिंह	तेजपाला		

1	2	3	4
192	श्री/श्रीमती मीरों पत्नी विरद्धसिंह	तेजपाला	
193	अजीबो पत्नी खूबसिंह	,,	
194	खुसली पत्नी लक्ष्मणसिंह	कीता	
195	मथरा पत्नी अलसी भील	छाया	
196	गबरी पत्नी खमाणाराम सुथार	भादासर	
197	शाहकंवर पत्नी ककसिंह	साडाकोर	
198	ईशा खां पुत्र उस्मान खां	स्वामीजी का गांव	
199	भापू पत्नी जमा मेघवाल	सोडाकोर	
200	प्रतापो पत्नी भोजराजसिंह	सलका	
201	धापू पत्नी अखजी राजपूत	सलखा	
202	बादली पत्नी मुकनावेलदार	अगमा	
203	अम्बू पत्नी नक्तूरीराम मेघवाल	मोखला	
204	चुन्नी बाई पत्नी कासीसिंह	,,	
205	लूणी पत्नी लखाराम मेघवाल	,,	
206	धापू पत्नी सोनाराम सुथार	रामगढ़	
207	माकू पत्नी लखसिंह राजपूत	,,	
208	मेहरा पत्नी जीन्दा खां	,,	
209	अखला पत्नी प्रभु कुम्हार	,,	
210	अमका पत्नी कल्याणसिंह	,,	
211	बलिया पत्नी बीजलाराम मेघवाल	बीयासर	
212	मूमल पत्नी बीराराम मेघवाल	,,	
213	कालूसिंह पुत्र हरलालसिंह	सेऊवा	
214	पूजाराम पुत्र रतनाराम मेघवाल	,,	
215	रूपा पत्नी भंवरसिंह	,,	
216	सूजी पत्नी बहयाराम मेघवाल	,,	
217	तारी पत्नी राजसिंह	,,	

1	2	3	4
218	श्री/श्रीमती जीवनसिंह पुत्र महेंदिरासिंह	सेळवा	
219	मानू पत्नी कस्तूराराम मेघवाल	,,	
220	अजब कंवर पत्नी बहाराजसिंह	पूनमनगर	
221	बदलो पत्नी घनाक्रियागुर	धोवा	
222	प्रभूसिंह पुत्र रावत सिंह	अचला	
223	पेपो पत्नी जेठाराम राई का	,,	
224	तेजसिंह पुत्र मगसिंह	निम्बा	
225	मोकू पत्नी अजीतसिंह	जोगा	
226	जसोदा पत्नी सुखसिंह	,,	
227	अमका पत्नी रामसिंह	,,	
228	सेडाराम पुत्र हरजीराम भील	,,	
229	फुसली पत्नी हरजीराम भील	,,	
230	जैसला पुत्र सुखा व श्रीमती जेसला	खतो	
231	किशन कंवर पत्नी भंवरसिंह	सता	
232	बादली पत्नी बीजा दरोगा	,,	
233	तारा पत्नी हंसा बजीर	सतो	
234	गंगा पत्नी सीता बजीर सतो	सतो	
235	केसर पत्नी सावतीसिंह	साधवा	
236	घाई पत्नी बख्तावरसिंह	,,	
237	सूरती पत्नी खुशलसिंह	,,	
238	सेलू पत्नी हरचन्द राम मेघवाल	डाभिला	
239	उत्तामाराम पुत्र देवाराम	डाभला	
240	विजयकंवर पत्नी घोकलसिंह	घायसर	
241	तीजा पत्नी केसूजी नाई	घाडेली	
242	कसुम्बी पत्नी चम्पालाल मेघवाल	,,	
243	सिरेकंवर पत्नी जेठमालसिंह	,,	

1	2	3	4
244	श्री/श्रीमती जीवासिंह पुत्र नाथूसिंह	पारेवर	
245	राकू पत्नी ओकार स्वामी	नेहड़ाई	
246	मालाराम पुत्र चम्पाराम मेघवाल	धाणेली	
247	रायकंवर पत्नी कुभंसिंह	धाणेली	
248	बाली पत्नी खेतासिंह	माकेला	
249	खेतू पत्नी हेतसिंह	लाखा	
250	नेनू पत्नी भूखा राजपुरोहित	,,	
251	पदमा पत्नी खुशला भील	,,	
252	महरा पत्नी चीमसिंह	,,	
253	ककू पत्नी सूरताराम आचार्य	,,	
254	मोकू पत्नी समरथसिंह	,,	
255	मीरां बाई पत्नी आईदानसिंह	,,	
256	लक्ष्मी पत्नी अलसीराम नाई	बोहा	
257	अजनो पत्नी उत्तमसिंह	,,	
258	मीरा पत्नी देराजराम नाई	,,	
259	मीरा पत्नी सागीदान खत्री	मोहनगढ़	
260	जमा पत्नी बरीया मुसलमान	मोहनगढ़	
261	अकलो पत्नी बीजाराम सुथार	,,	
262	छोटमल पुत्र सुल्तान चन्द सेवक	,,	
263	कंवरसी खां पुत्र रावत खां मुसलमान	पियोडाई	
264	बल्कि पत्नी मिश्री खां	हासूवा	
265	बक्तू पत्नी चानणाराम भील	हांसूवा	
266	डली पत्नी बाधूमेघवाल	मण्डाई	
267	मीरा पत्नी बूलीदानसिंह	सोनू	
268	जवारो पत्नी सोहनसिंह	सोनू	

1	2	3	4
269	श्री/श्रीमती चूला पत्नी गुलाराम मेघवाल	सोनू	
270	श्रीयो पत्नी कालूसिंह	,,	
271	जवू पत्नी विजला मेघवाल	सम	
272	हीरा पुत्र माधोसिंह दरोगा	कुण्डा	
273	बवरी पत्नी वेणा दरोगा	कुण्डा	
274	हवा पत्नी विजयदान बारेट	भाखरानी	
275	अब्दुला पुत्र बबूखां	दवाडा	
276	जोयादे पत्नी मिठूखां	,,	
277	नूरू पत्नी आलम मुसलमान	,,	
278	समदा पत्नी फतेह खां	,,	
279	डूमा पत्नी जमला	पोल जी की डेरी	
280	मेतु पत्नी आसूसिंह	काफाब	
281	धापू पत्नी कादर खान	मगराणार	
282	श्रीयो पत्नी डूंगरानाई	डांगरी	
283	भमरी पत्नी पाता दर्जी	,,	
284	तारा पत्नी नथूराम दर्जी	,,	
285	गंगा पत्नी राणाराम बजीर	सती	
286	डूंगरसिंह पुत्र घोखलसिंह	आकल	
287	किशना पत्नी हडातसिंह	आकल जोधा	
288	सूरती पत्नी महादानसिंह	किली की ढाणी	
289	फेकू पत्नी मांगुसिंह	,,	
290	बवरी सरनी जेठाराम मेघवाल	,,	
291	सोनरती पत्नी मालाराम मेघवाल	रायमला	
292	भगरो पत्नी अलसीदास	,,	
293	मेंघरा पत्नी हुक्लसिंह	,,	
294	तुलछी पत्नी हुकमसिंह	नया की ढाणी	

1	2	3	4
295	श्री/श्रीमती जगीसो पत्नी जीवणखान	जावन्ध जूणी	
296	कायमो पत्नी जाके खां	,,	
297	तकू पत्नी गूलाराम भील	किशन घाट	
298	अक्को पत्नी मोहब्बतसिंह	सुलताना	
299	केसर पत्नी जवाहरसिंह	,,	
300	केसर पत्नी सुल्तानसिंह	,,	
301	सिगरती पत्नी सोहनसिंह	,,	
302	खोतू पत्नी कालूसिंह	सुलताना	
302	सकू पत्नी घूनाराम	चन्दन	
304	धापू पत्नी दयाराम	,,	
305	हेमी पत्नी खमानाराम	,,	
306	चान्दनी अमरदीन मुसलमान	जेसुराना	
307	जीवा पत्नी जीवराजसिंह	,,	
308	गजो पत्नी कादरसिंह	वरसा	
309	मूली पत्नी आनन्दसिंह	,,	
310	तुलछी पत्नी काछलराम	देबूगा	
311	रामसिंह पुत्र बीजराजसिंह	छोड़	
312	बबरी पत्नी अर्जुन	मौलानी	
313	मजरा पत्नी बिरदाराम	साजीत	
314	नमराज सिंह पुत्र राजूसिंह	गोगादे	
315	अमरो पत्नी भोजराजसिंह	सीन्दसर	
316	मथुरा पत्नी त्रिलोका मेघवाल	,,	
317	धाई पत्नी कुशालाराम भील	चौधरिया	
318	फारू पत्नी जादूराम	वेलासर	
319	बाला पुत्र अना भील	चुन्दी	
320	बबरी पत्नी हीराराम नाई	डेलासेर	

1	2	3	4
321	श्री/श्रीमती केसर पुत्र देवराज मेघवाल	ढवरी	
322	तार कंवर पत्नी जबरसिंह	पोछीना	
323	देवकू पत्नी मिथू	म्याजलार	
324	मूली पत्नी शेरा	सिहडार	
325	भाजा पुत्र रुगर	अचला	
326	अगरो पत्नी गोरवंधनसिंह	लखमणा	
327	महुआ पुत्र रुडमल	बाहुला	
328	धीया पत्नी गुलाब	रणधा	
329	हवा पत्नी कस्तूरा	,,	
330	हरत पत्नी कसरा	शोम	
331	गवरी पत्नी कसरा	,,	
332	बीजराजसिंह पुत्र म्यारसिंह	उपवा	
333	हरिया पत्नी बरसराम	चैलक	
334	इस्माइल खां पुत्र रिडमल खां	तांगा	
335	मिश्री पत्नी तुलाराम	कुण्डा	
336.	समाई पत्नी ईशान	भाडली	
337.	हमी पत्नी भाडा दरोबा	,,	
338.	जमाली पत्नी जीवणा	,,	
339.	घड़ी पत्नी गुलात	नीम्बली	
340.	समांई पत्नी करीम खां	बहूला	
341.	पार्वतनी पत्नी अलसीसिंह	असोलाई	
342.	बीरी पत्नी कल्याणसिंह	,,	
343.	किशनी पत्नी पदमाराम	,,	
344.	बाना पत्नी कपा राजपूत	,,	
		गर्जसिंह का गांव	
345.	लाछा पत्नी छूछा	,,	

1	2	3	4
346	श्री/श्रीमती गवरी पत्नी अगरा	तेजमालता	
347	लखी पत्नी अना	,,	
348	नाजू पत्नी मघा	,,	
339	चुन्नी पत्नी अमरा	,,	
350	स्वरूपा पत्नी नुरखां	कोठा	
351	बिलाल खां पु० नत्थीखां	,,	
352	भीखी पत्नी कादरा	बईया	
653	कबरी पत्नी माघा	,,	
354	चुन्नी पत्नी खान्डा	,,	
355.	बादली पत्नी सादा	भिन्भनियारी	
356	अम्बूबाई पत्नी किरतसिंह	,,	
357	छलदान पु० ईशरदान	गहड़ा	
358	साभी पत्नी लक्ष्मण	,,	
359	लखूराम पु० हेमाराम	,,	
360	आचार खां पु० अलीखां	कोहरा	
361	मोहरा पत्नी मलूख	आटिया	
362	अजीता पत्नी अमरसिंह	नीवली	
363	बची पत्नी तालब	सकरों की बस्ती	
364	मंगलसिंह पुत्र बलिदानसिंह	सिरावा	
365	साकू पत्नी हमीरसिंह	अर्जना	
366	उस्मान पुत्र अमीन	करमारा	
367	लाछा पत्नी बलिदानसिंह	कोरवा	
368	राजी पत्नी लीला	लूणार	
369	आसी पत्नी कचरा	पीथला	
370	गंगा पत्नी नखतूराम	,,	

उप खण्ड पोकरण में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

क्रम सं० 1	नाम पेंशनर 2	गांव का नाम 3	विशेष विवरण 4
1.	श्री/श्रीमती गोपी पत्नी प्रहलाद दास	मु० पोकरण	
2.	,, जाईयों पत्नी कालूजी दरोगा	,,	
3.	,, चम्पा पत्नी हालूजी श्रवारण	,,	
4.	,, गोपी पत्नी जीतमल दर्जी	,,	
5.	,, जैठी पत्नी हनुमानसिंह दरोगा	,,	
6.	,, पारु पत्नी अचसोनी सुथार	,,	
7.	,, मांगी पत्नी सेवाम खत्री	,,	
8.	,, चम्पा पत्नी नूरखां कसाई	,,	
9.	,, बरजु पत्नी फकीराराम भील	,,	
10.	,, रुकमा पत्नी चूनासिंह सुथार	,,	
11.	,, फूलर पत्नी मेघराज व्यास	,,	
12.	,, माडू पत्नी बाबूजी माली	,,	
13.	,, खेमी पत्नी अचलोजी मोची	,,	
14.	,, बड़ाव पत्नी बालकिशन पुरोहित	,,	
15.	,, सीता पत्नी मोहनलाल खत्री	,,	
16.	,, कुशाली पत्नी प्रभुलाल सुथार	,,	
17.	श्री सागरमल पुत्र जेठमल ओझा	,,	
18.	श्रीमती रामा पत्नी सुन्दरलाल माली	,,	
19	,, तुलसी पत्नी तुलछा दरोगा	,,	
20.	,, नर्बदा पत्नी हरिराम	,,	
21.	,, जड़ाव पत्नी मांगीलाल कलाल	,,	
22.	,, जुहरन पत्नी रमजान खां मुसलमान	,,	
23.	श्री खाराचन्द पुत्र जेठमल पालीवाल	,,	

1	2	3	4
24.	श्री/श्रीमती रूपो पुत्री नवलचन्द सेवग	पोकरण	
25.	,, तीजा पत्नी गेन्दाजी खत्री	,,	
26.	,, तीजा पत्नी बस्तीराम माली	,,	
27.	श्री ईशराराम पुत्र श्री अखाराम माली	,,	
28.	श्रीमती अचरज पत्नी लक्ष्मणजी	,,	
29.	,, सिरकंवर पत्नी सेतसीदास सोनी	,,	
30.	,, मेथी पत्नी मोतीराम नाई	,,	
31.	,, इन्द्र पत्नी हरीकिशन व्यास	,,	
32.	श्री भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीदास सेवक	,,	
33.	श्री लक्ष्मण पुत्र लालचन्द	,,	
34.	श्रीमती पूर्णदेवी पत्नी जयदेव सोनी	,,	
35.	,, प्यारी पत्नी हरदान चारण	,,	
36.	,, गुलाबकंवर पत्नी बुद्धसिंह	,,	
37.	श्री रणछोड़दास पुत्र चुन्नी लाल सेवक	,,	
38.	श्रीमती शिवप्यारी पत्नी लूणकरण	,,	
39.	,, शिवप्यारी पत्नी भगवानदास	,,	
40.	,, जशोदा पत्नी नाथू देसान्तरी	,,	
41.	श्री चेतनदास चेला पुत्र गरीबदास	,,	
42.	श्रीमती केशर पत्नी श्री दलुराम राजपूत	,,	
43.	,, लक्ष्मी पत्नी पूनमचन्द व्यास	,,	
44.	,, पन्नी देवी पत्नी खिवराज	,,	
45.	,, रामप्यारी पत्नी बीवराज	,,	
46.	,, मोतीलाल पुत्र रामरतन खत्री	,,	
47.	,, ताराबाई पत्नी जयकिशन दरोगा	,,	
48.	,, घूड़ी पत्नी भोजाराम सुथार	,,	
49.	श्री पुरखाराम पुत्र चम्पालाल	,,	

1	2.	3	4
50.	श्री/श्रीमती फूलर पत्नी इच्छालाल रंगा	पोकरण	
51.	,, बीवनी पत्नी रामदयाल व्यास	,,	
52.	,, चंदादेवी पत्नी रणछोड़दास	,,	
53.	,, गुलाबी पत्नी शिवलाल देशान्तरे	,,	
54.	,, सुखी पत्नी घूड़जी नाई	,,	
55.	,, चुन्नी पत्नी श्री अलसीदास कुम्हार	,,	
56.	,, हीरा पत्नी गोपाल माली	,,	
57.	,, जेठी पत्नी राणीदान सेवक	,,	
58.	,, चम्पादेवी पत्नी सुखदेव सुथार	,,	
59.	,, सिरियां पत्नी आईबक्स जांगीर	,,	
60.	,, सूवा देवी पत्नी बद्रीनारायण दायमा	,,	
61.	,, चम्पा पत्नी मांगीलाल दरोगा	,,	
62.	,, कंचुकी पत्नी सुन्दर सिंह दरोगा	,,	
63.	,, राधादेवी पत्नी सुगनाराम दरोगा	,,	
64.	श्री स्माइल खां पुत्र सुजान खां	,,	
65.	श्रीमती धापू पत्नी सोभाराम भाट	,,	
66.	,, सकमो पत्नी हरजी राम नाई	,,	
67.	,, चन्दा पत्नी रामनाथ दर्जी	,,	
68.	,, नाथी पत्नी हरजीगर स्वामी	,,	
69.	श्री किशन सिंह पुत्र जेठूसिंह राजपूत	,,	
70.	श्रीमती देवकी पत्नी हरीसिंह	,,	
71.	,, जस्सोदेवी पत्नी राधाकिशन व्यास	,,	
72.	,, अलसी पत्नी आशाराम खत्री	,,	
73.	,, जननी पत्नी राणीदान भाट	,,	
74.	श्री कादर खां पुत्र अली खां	,,	
75.	श्रीमती राजो पत्नी गोपूराम कुम्हार	,,	

1	2	3	4
76.	श्री/श्रीमती जानू खां पुत्र अमु खां पिंजारा	पोकरण	
77.	श्रीमती कानू पत्नी कन्हैयालाल सोनी	,,	
78.	,, धापू पत्नी हिम्मताराम जटिया	,,	
79.	,, नवसोदेवी पत्नी उम्मेदाराम भील	,,	
80.	श्री वल्भदास पुत्र मनसुखदास	,,	
81.	,, सगर खां पुत्र अलसेर खां	,,	
82	श्रीमती हंसो पत्नी कानाराम	,,	
83.	,, नैनो पत्नी खेमाराम	,,	
84.	,, मीरा पत्नी बिजलाराम भील	,,	
85.	,, मोहनी पत्नी जेराम जागरी	,,	
86.	,, अकमो पत्नी अमरचन्द भाट	,,	
87.	श्री भंवरलाल पुत्र सुरजन	पोकरण	
88.	श्रीमती गंगा पत्नी गणेशाराम	,,	
89.	,, अग्रो पत्नी भीमाराम	,,	
90.	,, वस्तु पत्नी सहनाराम भील	,,	
91.	,, लीलादेवी पत्नी कानाराम	,,	
92.	,, मांडू पत्नी पूजाराम	,,	
93.	,, नसोली पत्नी खुदुखां	,,	
94.	,, टीपू पत्नी रानीदान नाई	,,	
95.	,, कीर्ती पत्नी किरताराम	,,	
96.	,, चंदा पत्नी खेमाराम माली	,,	
97.	,, सूवा पत्नी माधोराम नाई	,,	
98.	,, सूवा पत्नी प्रेमसिंह राणा राजपूत	,,	
99.	,, अणदा पत्नी किशनजी दरोगा	,,	
00.	,, झमकु पत्नी मंगजी देशान्तरी	,,	

1	2	3	4
101.	श्री/श्रीमती फतो पत्नी कानसिंह	पोकरण	
102.	उदय कंवर पुत्र शिवनाथसिंह	"	
103.	इसमदीन पुत्र जानखू	"	
104.	पुष्पादेवी पत्नी प्रभुलाल दर्जी	"	
105.	मदनलाल पुत्र ईश्वरलाल	"	
106.	प्रासियों पत्नी अलादीन खां	चूड़सर	
107.	वहीदखां पुत्र लुकमानखां	मोडरडी	
108.	बाघू पत्नी मेराब नाई	"	
109.	बादली पत्नी रूपाराम	"	
110.	शेतान कुंवर पत्नी हिम्मतसिंह	"	
111.	सांगाराम पुत्र हरलाल	"	
112.	जेनव पत्नी काबल	"	
113.	मीठी पत्नी हलीम खां	"	
114.	पगलूराम पुत्र मलकूराम	प्योल्या	
115.	तूलछंवर पत्नी दानसिंह	छायन	
116.	पेपी पत्नी धमाराम	"	
117.	छोटी पत्नी पहाड़ खां	"	
118.	अचलो पत्नी हीरालाल	"	
119.	बाली पत्नी सुभाराम	"	
120.	रुकमणकंवर पत्नी समरथसिंह	"	
121.	नथकुंवर पत्नी गुलाबसिंह	"	
122.	गेरकंवर पत्नी अचलसिंह	"	
123.	केशर पत्नी भोजाराम	"	
124.	तुलछी पत्नी पृथ्वीराज	"	
125.	हीरो पत्नी किशनाराम	"	

1	2	3	4
126.	श्री/श्रीमती देवी पत्नी नकराम	छायन	
127.	,, मथुरा पत्नी चिमनदास	नेडान	
128.	,, समदो पत्नी कूपसिंह	,,	
129.	,, सुगनी पत्नी मानसिंह	,,	
130.	,, अकलकंवर पत्नी मोहनसिंह	राठौड़ा	
131.	,, सुगनकुंवर पत्नी कुशलसिंह	बण्डाना	
132.	,, मूमल पत्नी आलमखां	थाट	
133.	,, कंवरू पत्नी सुभानखां	बड़लो माण्डा	
134.	,, यज्वत पत्नी हसनखां	,,	
135.	,, ईन्द्र कंवर पत्नी बालूदान	उजला	
136.	,, जेठी पत्नी गुलाबाराम	,,	
137.	,, हवा कंवर पत्नी गोरखाराम	,,	
138.	,, पेपां पत्नी ईशराराम	,,	
139.	,, लीला पत्नी अर्जीतसिंह	भादरिया	
140.	,, तुलसी पत्नी चांदसिंह	,,	
141.	,, अमीरा पत्नी अली मुसलमान	ओढानिया	
142.	,, पार्वती पत्नी मेहराजसिंह	,,	
143.	,, मोती पत्नी आईदानसिंह	,,	
144.	,, कसूबो पत्नी सावन्तसिंह	,,	
145.	,, भीको पत्नी समरथा माली	लवां	
146.	,, नसीबो पत्नी गागा मुसलमान	,,	
147.	,, गोरी पत्नी जेठाराम भील	,,	
148.	,, हुवाड़ी पत्नी पेमाराम	,,	
149.	,, कस्तूरी पत्नीफजूल खां	बोलिया	
150.	,, अकलकंवर पत्नी दानसिंह	,,	

1	2	3	4
151.	श्री/श्रीमती तुलसी पत्नी रूपाराम	सांकड़ा	
152.	,, नीरो पत्नी अचलसिंह	,,	
153.	,, जोरो पत्नी जवरसिंह	सहड़ा	
154.	,, तीरो पत्नी खुशालसिंह	महेशोंकीढ़ाणी	
155.	,, गंवर कंवर पत्नी मगलसिंह	चौक	
156.	,, भूरी पत्नी भूरा राम	,,	
157.	,, अनछी पत्नी आलम खां	एको	
158.	,, नैमत पत्नी खोरियां	झलोड़ा भाटियान	
159.	,, फूली पत्नी द्वारका दरोगा	,,	
160.	श्री मंगल खां पुत्र भूरे खां	,,	
161.	श्रीमती सहतो पत्नी कालू मगनेया	पूलासर	
162.	,, रम्भा पत्नी उत्तमानाथ	,,	
163.	,, ईन्द्रा पत्नी जोरसिंह	चोनाड़ा	
164.	,, गौरी पत्नी रामचन्द्र	अवेला	
165.	श्री बाबू खां पुत्र मुबारक खां	,,	
166.	श्रीमती लाजो पत्नी हासन खां	खेलाना	
167.	,, अवमो पत्नी देश लेखा	स्वामीकी ढाणी	
168	,, घूड़ी पत्नी रणनाथ स्वामी	,,	
169.	,, सम्भाई पत्नी सिंदाल	,,	
170.	,, सरूपी पत्नी मोठे खां	,,	
171.	,, किशनो पत्नी अजीताराम मेघवाल	उच्च पदरा	
172.	,, सूखी पत्नी महमूद	बधिवा	
173.	,, नमीयत पत्नी हलीम खां	,,	
174.	,, अमली पत्नी अचलखां	,,	
175	,, दोली पत्नी भजाराम	,,	

1	2	3	4
176.	श्री/श्रीमती मेहरकंवर पत्नी अजीतसिंह	राजमथाई	
177.	,, दमी पत्नी कल्याण राम	राजमथाई	
178.	,, शहदो पत्नी अलीम खां	,,	
179.	,, अमीमों पत्नी सबरंग	,,	
180.	,, मरुवत पत्नी इक्तार खां	,,	
181,	,, हरो पत्नी द्वारकादास गोड़ा	,,	
182.	,, कस्तूरी पत्नी चांदाराम भील	,,	
183.	,, तुलछो पत्नी तगाराम नाई	बलाड़	
184.	,, सुन्दर पत्नी बग्गाराम	,,	
185.	,, श्याजो पत्नी मुबारक खां	,	
186.	,, पारू पत्नी चौथाराम	,,	
188.	,, लछमी पत्नी बख्ता भील	,,	
188.	,, फूलकंवर पत्नि सगतसिंह	झाबरा	
189.	,, देव कंवर पत्नी रूपसिंह	,,	
190.	,, राकू पत्नी अमानसिंह	,,	
191.	,, काछबसिंह पत्नी बीरबलसिंह	,,	
192.	श्री खातूदान पुत्र गणेशदान	बारट का गांव	
193.	श्रीमती केशर पत्नी अमराराम	,,	
194.	,, तारो पत्नी लूणाराम मामी	,,	
195.	श्री लीछू पुत्र हमीरा नाई	,,	
196.	श्रीमती हक कंवर पत्नी शिवगर	,,	
197.	,, शांतीदेवी पत्नी हरनाथ	फलसूंडी	
198.	,, तारो पत्नी पन्नाराम	,,	
199.	श्री ठाकुरदास व श्रीमती पुत्र जी	,,	
200.	श्रीमती मिश्री पत्नी छोगे खां	,,	

1	2	3	4
201.	श्री/श्रीमती धीमा पत्नी रामाशाम	फलसूंडी	
202.	,, माजू पत्नी मोडाराम	,,	
203.	,, नत्थी पत्नी रूपा	,,	
204.	श्री ईशारा पुत्र हमताराम	सनावड़ा	
205.	श्रीमती सोनो पत्नी ज्वारसिंह	,,	
206.	कल्याणसिंह	,,	
207.	श्रीमती शहकंवर पत्नी खेतसिंह	राजगढ़	
208.	,, कुन्ता पत्नी सुखाराम	,,	
209.	,, कस्तूरी पत्नी सूरज भारती	,,	
210.	,, समतकंवर पत्नी गंगासिंह	,,	
211.	,, हीरो पत्नी नखतसिंह	,,	
212.	,, हवा पत्नी सादे खां	,,	
213.	,, तारा पत्नी लाधाराम	,,	
214.	,, विजय कंवर पत्नी उत्तमसिंह	,,	
215.	श्री भीमाराम पुत्र बीरबलराम	,,	
216.	,, भभूता पुत्र अचला	,,	
217	श्रीमती नैवी पत्नी श्री जीयायेखां	झलारिया	
218.	,, बरजू पत्नी पदमा	भीखोडाइ	
219.	,, भीमो पत्नी टारूराम	,,	
220.	श्री आमद पुत्र मावल	,,	
221.	,, मोमवोड़ पुत्र रमजू खां	,,	
222.	श्रीमती बसूबो पत्नी गेनाराम	रातड़िया	
223.	,, वाली पत्नी श्री जीवराजसिंह	सांकड़िया	
224.	,, गजरा पत्नी मोभाराम	,,	
225.	श्री नीम्बाराम पुत्र सवाईराम	,,	

1	2	3	4
226.	श्री/श्रीमती चम्पा पत्नी भीखाराम दर्जी	भणियाना	
227.	,, गेरा पत्नी चेलाराम	,,	
228.	श्री सुखाराम पुत्र आशाराम	,,	
229.	श्रीमती शाहकंवर पत्नी कल्याणसिंह	,,	
230.	,, सूमरी पत्नी भूरेखां	,,	
231.	,, सजनी पत्नी सोना	,,	
232.	,, दोली पत्नी खेमाराम	,,	
233.	,, केशर पत्नी गरेगर स्वामी	,,	
234.	,, मीरा पत्नी अमोलखां	,,	
235.	,, गवरो पत्नी ज्वारा	मेसड़ा	
236.	,, सायरो पत्नी पाधी खां	,,	
237.	,, पार्वती पत्नी मानसिंह	,,	
238.	श्री अमरा राम पुत्र मोडाराम	,,	
239.	,, जगमाल पुत्र ताराराम	,,	
240.	श्रीमती शहतो पत्नी आईदानसिंह	दातल	
241.	,, माडकंवर पत्नी पदमसिंह	,,	
242.	,, आलसो पत्नी मेहरदीन	,,	
243.	,, जोयो पत्नी रणजीत पुरी	,,	
244.	,, इमरती पत्नी लागाराम	,,	
245.	श्री फागूखां पुत्र बादेरे खां	,,	
246.	,, दानसिंह पुत्र अचलसिंह	,,	
247.	श्रीमती भाणी पत्नी भारोजी	,,	
248.	श्री फजलू खां पुत्र हुसेन खां	कजोई	
249.	श्रीमती छगनी पत्नी भीखाराम	पदरोड़ा	
250.	,, अनोप कुंवर पत्नी सांगसिंह	,,	

1	2	3	4
251.	श्री/श्रीमती मूमल पत्नी जुम्मे खां	पदरोडा	
252.	,, केशर पत्नी गोगाजी	,,	
253.	,, टीपू पत्नी पूनाजी	,,	
254.	,, अणछी पत्नी इशराजी	,,	
255.	,, धापू पत्नी दलपतसिंह	ढालरो	
256.	,, पूलो पत्नी रामजीलाल	हरियाली	
257.	,, दुर्गा पत्नी मीठूसिंह	टावरीवाला	
258.	,, अमानी पत्नी मंगलसिंह	,,	
259	,, बची पत्नी जेठाराम	,,	
260.	,, मीरा पत्नी मगनसिंह	,,	
261.	,, मूमल कंववर पत्नी नवलसिंह	चिंन्नु	
262.	,, राधा पत्नी शिवनाथसिंह	टावरीवाला	
263.	,, मीरा पत्नी अलसीदाससिंह	चिन्नु	
264.	,, अणतकंवर पत्नी सुलतानसिंह	,,	
265.	श्री पहाड़राम पुत्र महिन्द्र राम	,,	
266.	श्रीमती कस्तूरी पत्नी वालूराम	,,	
267.	,, बगतू पत्नी अमराराम	,,	
268.	,, ककु पत्नी गणेश गुलडा	अजासर	
269.	,, लक्ष्मी पत्नी फकीरा	,,	
270.	श्रीमती अकलो पत्नी लादूसिंह	अजासर	
271.	,, साकर पत्नी मगनाराम	,,	
272.	,, मोहता पत्नी रामसिंह	नोख	
273.	,, सूरती पत्नी जानाराम	,,	
374.	,, केशर पत्नी लालूराम माली	,,	
275.	,, गंगा पत्नी हरदास कुम्हार	,,	

1	2	3	4
276.	श्री/श्रीमती पत्नी किशनाराम	नोख	
277.	जमना पत्नी बाबूराम	,,	
278.	ज्वारा पत्नी शिवनाथसिंह	,,	
279.	खेमी पत्नी अलसी कुम्हार	,,	
280.	लादूसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह	,,	
281.	रामप्यारी पत्नी दानमल	,,	
282.	नक्कू पत्नी आशूराम	,,	
283.	पार्वती पत्नी मुलतानचन्द	,,	
284.	पुरी पत्नी भुवनेशसिंह	गोडाना	
285.	ज्वारा पत्नी खेतसिंह	,,	
286.	मोती पत्नी मुकनाराम	,,	
287.	धापू पत्नी प्रभुराम	,,	
288.	रकमो पत्नी सुखसिंह	,,	
289.	मिरगो पत्नी हेमाराम	,,	
290.	समधो पत्नी छोगसिंह	,,	
291.	गीता पत्नी अर्जुनसिंह	,,	
292.	पेपकंवर पत्नी श्री रूपसिंह	,,	
293.	राकू पत्नी जेठूसिंह	दिधु	
294.	हुरकंवर रूपसिंह	,,	
295.	टकु पत्नी गुणेश भारती	,,	
296.	धापू पत्नी अलसीदास सिंह	,,	
297.	अंगूरी ,, कालूराम	आसकन्द्रा	
298.	राणाराम पुत्र गणेशाराम	,,	
299.	तीजो पत्नी पल्लूराम	,,	
300.	सिरयो ,, देशलाराम	,,	

1	2	3	4
301.	श्री/श्रीमती साकू पत्नी हमीरसिंह	मासकन्द्रा	
302.	,, धापू ,, माधानसिंह	,,	
303.	,, सुगनी ,, मुलतानसिंह	,,	
304.	,, लाली ,, रामसिंह	,,	
305.	श्री लक्षमणराम पुत्र हरिराम हरिजन	सत्यामा	
306.	,, सागीराम पुत्र सुलतानसिंह	,,	
307.	श्रीमती राकू पत्नी सुखदेव	,,	
308.	श्री कायमदीनी पुत्र बरीयान खां	,,	
309.	,, मोज अली पुत्र गरशेख	भारेवाला	
310.	,, महेर अली पुत्र बच्चा	,,	
311.	श्रीमती केशरी पत्नी मोतीराम	नाचना	
312.	,, तारा ,, काछवा	,,	
313.	,, रापा ,, जिन्दा मुसलमान	,,	
314.	श्री गांगू खां पुत्र अकबर खां	,,	
315.	,, अमर खां खातू पत्नी सिकन्दर खां	,,	
316.	श्री श्रीमती शिवराज	नाचना	
317.	, अजोतो पत्नी पतीया	भवाय	
318.	,, रुखमो पत्नी रामू राजपूत	,,	
319.	,, रामो पत्नी घोक्ला नाई	,,	
320.	,, मघू खां छुछ	,,	
321.	,, अमका पत्नी चिमा मेघवाल	,,	
322.	,, नेनी पत्नी गोरखाराम सुधार	रामदेवरा	
323.	,, मोरो पत्नी दीपालाल वेलदार	,,	
324.	,, मोरो पत्नी सावताराम	,,	
325.	,, शंकर पुल मूलाराम हरिजन	,,	

2684

1	2	3	4
326.	श्री/श्रीमती तुलछी पत्नी सूतजी राजपूत	रामदेवरा	
327.	" गुमनी पत्नी मंगलाराम	"	
328.	" हंजू पत्नी गोमाराम	"	
329.	" फूली पत्नी रूपाराम	"	
330.	" घापू पत्नी महादानसिंह	"	
331.	" रतुराम पुत्र भगवानाराम	रामदेवारा	
332.	" मंगलसिंह पुत्र गोविन्दसिंह	बीरमदेवारा	
333.	" अमोलक पुत्र गणेशराम	"	
334.	" सुरानो पत्नी पेमाराम	"	
335.	" राघू खां	सरनायत	
336.	" सायर कंवर पत्नी विरसिंह	जमेलो	
337.	" हवा कंवर पत्नी गोविन्दसिंह	"	
338.	" केसर वाई पत्नी भोजसिंह	"	
339.	" मोण्डू देवी पत्नी चतराराम	"	
340.	" सरफ खां पुत्र हमीद खां	"	
341.	" खेतनाथ पुत्र बनानाथ स्वीमी	माडवा	
342.	" किशनाराम पुत्र अजीताराम मेघवाल	"	

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के खोले गये छात्रावासों की वर्ष एवं जिलेवार सूची

क्र. सं.	स्थान एवं जिला	वर्ष	छात्रावासों की संख्या	योजना	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	माहापुरा (जयपुर)	78-79	1	अनुसूचित जाति	25
2.	कठूमर (अलवर)	79–80	1	,, ,,	25
3.	लूणकरणसर (बीकानेर)	79–80	1	,, ,,	25
4.	राजगढ़ (चूरू)	79–80	1	,, ,,	25
5.	सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)	79–80	1	,, ,,	25
6.	सांगोद (कोटा)	79–80	1	,, ,,	25
7.	उमियारा (टोंक)	79–80	1	,, ,,	25
8.	समदड़ी (बाड़मेर)	80–81	1	,, ,,	25

1	2	3	4	5	6
9.	वैर (भरतपुर)	80-81	1	अनुसूचित जाति	25
10.	रूपवास (भरतपुर)	80-81	1	,, ,,	25
11.	गंगरार (चित्तौड़गढ़)	80-81	1	,, ,,	25
12.	समेजा कोठी (श्री गंगानगर)	80-81	1	,, ,,	25
13.	रावतसर (श्री गंगानगर)	80-81	1	,, ,,	25
14.	राड़ावास (जयपुर)	80-81	1	,, ,,	25
15.	मनोहरपुरा (जयपुर)	80-81	1	,, ,,	25
16.	रेवदर (सिरोही)	80-81	1	,, ,,	25
17.	मकराना (नागौर)	80-81	1	;, ,,	25
18.	माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)	81-82	1	,, ,,	25
19.	कोलायत (बीकानेर)	81-82	1	,, ,,	25
20.	श्री विजयनगर (श्री गंगानगर)	81-82	1	,, ,.	25
21.	नागौर.	81-82	1	,, ,,	25

परिशिष्ट 'ख'

भंगी कष्ट मुक्ति (20 संकल्प) अनुसूचित जाति योजना
के अन्तर्गत खोले गये छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	स्थान एवं जिला	वर्ष	छात्रावासों की संख्या	योजना	स्वीकृत छात्र की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	81-82	5	अनुसूचित जाति	25 प्रत्येक छात्रावस में
2.	जोधपुर	,,	3	,, ,,	25 ,,
3.	बीकानेर	,,	2	,, ,,	25 ,,
4.	अजमेर	,,	2	,, ,,	25 ,,
5.	ब्यावर	,,	1	,, ,,	25 ,,
6.	कोटा	,,	3	,, ,,	25 ,,
7.	उदयपुर	,,	2	,, ,,	25 ,,
8.	अलवर	,,	2	,, ,,	25 ,,
9.	श्री गंगानगर	,,	2	,, ,,	25 ,,
10.	नोहर	,,	1	,, ,,	25 ,,
11.	भीलावाड़ा	,,	2	,, ,,	25 ,,
12.	सीकर	,,	1	,, ,,	25 ,,
13.	भरतपुर	,,	1	,, ,,	25 ,,
14.	टोंक	,,	1	,, ,,	25 ,,
15.	चूरू	,,	1	,, ,,	25 ,,
16.	रतनगढ़ (चूरू)	,,	1	,, ,,	25 ,,
17.	पाली	,,	1	,, ,,	25 ,,
18.	बाड़मेर	,,	1	,, ,,	25 ,,

1	2	3	4	5	6
19.	झुन्झुनू	81–82	1	अनुसूचित जाति	25 प्रत्येक छात्रावास में
20.	जालौर	,,	1	,, ,,	25 ,,
21.	नागौर	,,	1	,, ,,	25 ,,
22.	बूंदी	,,	1	,, ,,	25 ,,
23.	चित्तौड़गढ़	,,	1	,, ,,	25 ,,
24.	सवाई माधोपुर	,,	1	,, ,,	25 ,,
25.	धौलपुर	,,	1	,, ,,	25 ,,
26.	मारवाड़ जक्शन (पाली)	,,	1	,, ,,	25 ,,
		योग	40		1000

उक्त छात्रावास में सिर्फ अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत परिवारों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है ।

—

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची

काया—परशाद शैल्टर बैल्ट प्लान्टेशन का विवरण

क्र. सं.	नाम वृक्षारोपण	पंक्ति कि.मी.	वर्ष	खड्डे खोदे गये	पौधे रोपित किये गये	जीवित पौधे शेष हैं 31-8-82	व्यय 1980-81	व्यय 1981-82	व्यय 1982-83
1.	उदयपुर कारापाल राष्ट्रीय मार्ग-8	36-6	1980	12204	12204	12204	38214·75	23605·50	3383·10
2.	काया-कारापाल राष्ट्रीय मार्ग-8	13	1981	3209	3209	3209	37159·33	7994·00	1281·95
3.	कारापाल-परशाद राष्ट्रीय मार्ग-8	53-4	1981	17890	17890	17890	131623·80	32836·85	5265·85
4.	उदयपुर-कारापाल राष्ट्रीय मार्ग-8	विशेष वृक्षारोपण	1981	5000	5000	5000	9866·50	9223·00	1479·20
5.	उदयपुर-परशाद राष्ट्रीय मार्ग-8	65	1982	21645	21645	21645	—	115773·06	27447·05

नोट :—1. जिन खण्डों में नाजायज कब्जा है अथवा जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है, वहां पौधारोपण नहीं किया गया है। रोपित क्षेत्र में पौधे लगाना शेष नहीं है।

2. 1980 व 1981 के रोपण क्षेत्र में मृत पौधों के स्थान पर 18500 पौधे 1982 में लगाये गये हैं।

परिशिष्ट 'ख'

दिनांक 31 जुलाई, 1982 को सहायता कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	नियोजित श्रमिकों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	35008
2.	अलवर	1007
3.	बांसवाड़ा	21015
4.	बाड़मेर	81177
5.	भरतपुर	—
6.	भीलवाड़ा	72228
7.	बीकानेर	5662
8.	बूंदी	8703
9.	चित्तौड़गढ़	20319
10.	चूरू	8434
11.	डूंगरपुर	25034
12.	गंगानगर	207
13.	जयपुर	9130
14.	जैसलमेर	19980
15.	जालौर	21094
16.	झालावाड़	925
17.	झुन्झुनू	4332
18.	जोधपुर	92737
19.	कोटा	—

275

1	2	3
20.	नागौर	29559
21	पाली	46314
22	सवाई माधोपुर	1196
23.	सीकर	6695
24.	सिरोही	11269
25.	टोंक	6366
26.	उदयपुर	98347
27.	धौलपुर	26
	योग	626764